ला, खंड 12, अंक 18

गुरुवार, 18 अगस्त, 2005
27 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Building
59
3/7/06

(खण्ड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

परमजीत कौर
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 18, गुरुवार, 18 अगस्त, 2005/27 श्रावण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 341, 342 और 344 से 347 . . .	1-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 348 से 360 . . .	32-70
अतारांकित प्रश्न संख्या 3507 से 3696 . . .	70-294
अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय	
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . .	295-300
सभा पटल पर रखे गए पत्र . . .	300-304
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक . . .	304-305
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
सातवां प्रतिवेदन . . .	305-306
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
विवरण . . .	306
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ पैंसठवां प्रतिवेदन . . .	307
नियम 199 के अधीन वक्तव्य	
अपने त्याग पत्र के संबंध में मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	
श्री जगदीश टाइटलर . . .	308-312
सभा का कार्य . . .	315-320
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
देश में रसोई गैस (एल.पी.जी.) की कमी से उत्पन्न स्थिति	
श्री एम.एन. कृष्णदास . . .	320

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री मणिशंकर अय्यर	321
श्री बसुदेव आचार्य	323
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) सभा के सत्र के दौरान संसद के बाहर सरकार द्वारा वायुयान अपहरण निरोधक नीति की कथित घोषणा के बारे में	329
(दो) आयुध निर्माणी, बोलंगीर, उड़ीसा से राइफल के कारतूसों की कथित अवैध बिक्री के बारे में	422
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक, 2004	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	335
श्री कल्याण सिंह	343
श्रीमती सोनिया गांधी	353
श्री हन्नान मोल्लाह	359
श्री मोहन सिंह	367
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	372
श्री नीतीश कुमार	379
श्री सुबोध मोहिते	385
श्री इलियास आजमी	390
श्री तथागत सत्पथी	392
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	397
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	400
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	404
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	427-428
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	427-434
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	435-436
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	435-438

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

गुरुवार, 18 अगस्त, 2005/27 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : श्री अवतार सिंह भडाना प्रश्न संख्या 341.

[अनुवाद]

निजी एयरलाइनों को विदेशों के लिए उड़ान भरने की अनुमति

+

*341. **श्री अवतार सिंह भडाना :**
श्री राम कृपाल यादव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी एयरलाइनों को विदेशों के लिए उड़ान भरने की अनुमति सहित उन्हें विभिन्न सुविधाएं देकर प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमति मिलने के बावजूद भी कुछ निजी एयरलाइलों को विदेशों के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख) निजी एयरलाइनों को विदेशी मार्गों पर प्रचालन करने की अनुमति देने का निर्णय हमारी यातायात पात्रताओं की अधिकतम उपयोगिता को सुसाध्य बनाने के लिए किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर अतिआवश्यक क्षमता को बढ़ाने के अतिरिक्त, देश, रोजगार, व्यापारिक अवसरों, विदेशी मुद्रा अर्जन के मामले में विदेशों की तुलना में लाभान्वित हो सके। इस निर्णय के अनुसार, घरेलू सेक्टर में कम से कम 5 वर्ष निरन्तर प्रचालन करने वाली तथा न्यूनतम 20 विमानों का बेड़ा आकार रखने वाली एयरलाइनों को यू ए ई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत तथा साऊदी अरब छोड़कर-सभी अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन करने की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) निम्नलिखित निजी अनुसूचित एयरलाइनों की ओर से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, इन्हें निम्नोलिखित देशों में प्रचालन के लिए नामित किया गया है:-

जेट एयरवेल : श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल, यू के, बेल्जियम, यू.एस.ए. मलेशिया, सिंगापुर।

एयर सहारा : श्रीलंका, नेपाल, बंगलादेश, यू के, मलेशिया, सिंगापुर।

उपरोक्त में से, वास्तविक प्रचालन निम्नानुसार आरम्भ हुए हैं :-

जेट एयरवेज : कोलम्बो, काठमाण्डू, सिंगापुर, क्वालालम्पुर तथा लन्दन के लिए।

एयर सहारा : कोलम्बो, सिंगापुर तथा काठमाण्डू के लिए।

तथापि, वास्तविक प्रचालन संबंधित एयरलाइनों के वाणिज्यिक निर्णय पर आधारित हैं।

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भडाना : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा कहा गया था कि निजी एयरलाइनों को विदेशों में उड़ान भरने की अनुमति राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के अंतर्गत दी जाएगी, लेकिन क्या कारण है कि प्राइवेट एयरलाइन्स-जेट एयरवेज और एयर सहारा को बाहर जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन इंडियन एयरलाइन्स को अवसर नहीं दिया गया है, जबकि इन प्राइवेट एयरलाइन्स को अमरिका सरकार ने सुरक्षा कारणों से वहां लैंडिंग की अनुमति भी नहीं दी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं?

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है कि क्या भारतीय निजी विमान कम्पनियों को विदेश जाने की अनुमति दी गई है। मैंने जानकारी दी है और उन्हें भी जानकारी है कि दो निजी कम्पनियों - जेट एयरवेज और एयर सहारा को विदेश जाने की अनुमति दी गई है। उनका दूसरा प्रश्न है कि इंडियन एयरलाइन्स को भी अनुमति दी गई है- मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की नीति में विदेश जाने के लिए एयर इंडिया को तो प्राथमिकता

है ही, क्योंकि वह हमारी नेशनल कैरियर है, उन्हें विदेश में सभी जगह जाने की अनुमति है, साथ ही साउथ-ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट के कई देशों में इंडियन एयरलाइन्स की सेवाएं पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं। हमने जब से यह नीति अपनाई है और निजी कम्पनियों को विदेश जाने की अनुमति दी है, साथ-साथ इंडियन एयरलाइन्स को भी अनुमति दी है कि वह अमरीका, यूके, यूरोप सब जगह जा सकते हैं। हमने स्पष्ट नीति बनाई है।

श्री अवतार सिंह भडाना : अध्यक्ष महोदय, दुनिया में एयर दुर्घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनसाधारण की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने हेतु क्या प्राइवेट एयरलाइन्स को विदेशों के लिए उड़ान भरने की अनुमति देने से पहले सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है?

श्री प्रफुल्ल पटेल : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जानना चाहते है कि जहां तक सुरक्षा का सवाल है, चाहे वह निजी कम्पनी हो या कोई भी एयरलाइन्स हो, उनके बारे में हम पूरी खबरदारी रखते हैं या नहीं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि चाहे निजी विमान सेवा हो, सरकारी हो या और किसी भी कैटेगरी की हो, हर हवाई उड़ान से पहले डीजीसीए के माध्यम से सुरक्षा प्रमाण पत्र लेने के अलावा कोई पर्याय नहीं है। इसलिए हमारी जो भी हवाई सेवाएं चलती हैं, जब तक हम सुरक्षा के मामले में पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, उनको अनुमति नहीं दी जाती।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि दो प्राइवेट एयरलाइन्स को इजाजत दी गई है। जहां तक मुझे जानकारी है, आपने जेट एयरवेज और एयर सहारा को परमीशन दी है- मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि एएसए ने एयर सहारा को तो परमीशन दी है, लेकिन जेट एयरवेज को कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से परमीशन नहीं दी। अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बारे में प्रश्न पूछा था लेकिन मंत्री जी ने उसका उत्तर नहीं दिया। क्या यह सही है कि सुरक्षा कारणों की वजह यह है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात गिरोह के साथ जेट एयरवेज का संबंध रहा है।

दूसरे, क्या यह बात सही है कि एयर इंडिया ने अपने बैनर के तले जेट एयरवेज की एयर बस को अघोषित रूप से पूरे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ यूएसए जाने के लिए परमिट कर दिया है?

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि जेट एयरवेज और एयर सहारा को अमरीका जाने के लिए मनोनीत किया है, यह बात सही है। भारत सरकार ने जब से नया निर्णय लिया है, अपनी नीति बदली है जिसके अंतर्गत प्राइवेट एयरलाइंस अब विदेश जा सकती हैं, उसी के अंतर्गत हमने जेट एयरवेज, एयर सहारा और इंडियन एयरलाइन्स आदि सभी को विदेश जाने के लिए मनोनीत किया है। अब प्रश्न यह है कि जेट एयरवेज के एप्लीकेशन देने के बाद, वहां सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पास कुछ क्वेरीज आयी है। मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि अमेरिका की एक स्थानीय कम्पनी जेट एयरवेज के नाम से, पहले से अमेरिका में है। उस कम्पनी ने वहां के अधिकारियों और अथारिटीज के सामने कुछ औब्जेक्शन्स रखे थे। हमारे पास भी वहां से जानकारी आई है कि इन पर आपकी टिप्पणी क्या है? अभी हमारी इंटर-मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन जारी है और जब पूरी जानकारी आ जायेगी, तो विदेश मंत्रालय के माध्यम से अमेरिका को उसकी जानकारी दे दी जायेगी।

दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा था कि क्या हमारा जेट एयरवेज के साथ कोई समझौता है- हमारा ऐसा कोई समझौता नहीं है, लेकिन एसरइंडिया के पास, आप सभी जानते हैं और मैं भी कई बार सदन में कह चुका हूं कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, दोनों कम्पनीज के समक्ष अनेक समस्याएं कई वर्षों से हैं। मैं समझता हूं कि आप सबकी भी सहमति और सहयोग भी होगा कि दोनों हवाई कम्पनियों को जब तक हम नये विमान नहीं देंगे, तब तक उनके पास कैपेसिटी की शार्टेज और क्वालिटी की सम्स्या रहेगी। इस मामले में मैं आपका भी सहयोग चाहता हूं कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को कभी भी कोई ऐसी समस्या आए, जिसके तहत उन्होंने 15 दिन के लिए किसी एयर कम्पनी से जहाज कमर्शियल टर्म्स पर लिया हो, तो आज के बदलते हुए युग में या परिस्थिति में, जहां सैंकड़ों हवाई जहाज आ रहे हैं और तमाम एयरलाइंस कम्पनियां हमारे यहां अपनी सेवाएं उन एयरलाइनों के हित में शुरू कर रही हैं उन्होंने कमर्शियल डिसीजन या जजमैंट के तहत 15-20 दिन फ्लाइट के लिए किसी जहाज को लिया है तो उसे अन्यथा न लें और उस एयरलाइंस के हित में या उनकी दृष्टि से कमर्शियल जजमैंट को यहां पर स्वीकार करें।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सुरक्षा कारणों के बारे में नहीं बताया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो नियम के अंतर्गत कई दूसरे उपाय उपलब्ध है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि कुछ निर्धारितत मानदंड हैं, जैसे पांच वर्ष निरंतर प्रचालन करने वाली तथा 20 विमानों का बेड़ा आकार वाली एयर कम्पनीज को आप विदेश जाने के लिए परमिट करते हैं, अधिकृत करते हैं। क्या आपको कुछ ऐसे आवेदम भी प्राप्त हुए हैं जिनमें वे कम्पनीज निर्धारित मानदंड पूरे नहीं कर सकी हैं, लेकिन वर्तमान में कार्य क्षमता की दृष्टि से वे कम्पनीज काफी अच्छी सेवाएं दे रही हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस दृष्टि से आप उन पर फिर से विचार करेंगे?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि निरंतर बढ़ती हुए विमान सेवाओं की दृष्टि से या यात्राओं की दृष्टि से, आपने अपने उत्तर में बताया है कि एयर इंडिया ने जेट एयरवेज को परमिट किया है और पिछले कुछ वर्षों से एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है, वह क्षमता कब तक पूरी कर ली जायेगी और इसे अब तक पूरा न करने के कारण क्या आपकी सेवाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है और एयरलाइंस घाटे में जा रही है? क्या इसी वित्तीय वर्ष में कुछ विमान खरीदने जा रहे हैं?

श्री प्रफुल पटेल : माननीय सदस्यों ने दो भागों में प्रश्न पूछा है। पहले मैं इनके प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब देता हूं। निश्चित रूप से आज एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के हवाईजहाजों की कैपेसिटी, संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है और जो पुराने जहाज हैं, उन्हें नये जहाजों में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि बार-बार जब भी प्रश्न आता है और हमारी सेवाएं जहां कई दुर्गम इलाकों में जाती हैं, जहां सेवाएं अन्य प्राइवेट एयरलाइन्स की ओर से नहीं दी जातीं या कभी हमारे राष्ट्रीय प्रश्न होते हैं, जैसे हज की सेवाएं हैं या सुनामी के वक्त कोई रिलीफ की बात होती है, ऐसे अन्य जो प्रश्न आते हैं, हम लोग जो राष्ट्रीय कैरियर्स होते हैं, उन्हें आदेश करते हैं कि आप इस जिम्मेदारी को निभाएं और वे हमेशा से इस जिम्मेदारी को निभाते आए हैं। इसलिए मैं आपकी बात और आपके प्रश्न से सहमत हूं। सरकार की तरफ से हम प्रयत्न कर रहे हैं और मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि साढ़े छः साल आप लोग जब सरकार में थे, तब आप लोगों ने यह निर्णय लेने का काम नहीं किया लेकिन फिर भी हम इस बारे में विलम्ब नहीं होने देंगे। इसकी एक निश्चित प्रक्रिया में थोड़ा अन्तर होता है। अब मैं आपके पहले प्रश्न पर आता हूं कि हमने क्यों निजी कंपनियों को विदेश जाने की अनुमति दी है। आपको स्मरण होगा कि जब पिछले सत्र में, जब हमारा बजट सैशन था, तब भी इसी प्रकार का एक प्रश्न आया था और इसी प्रकार मैंने उत्तर दिया था। मैं कहना चाहूंगा कि जहां निजी कंपनियों का सवाल है, हमारा उद्देश्य यह है कि जो कंपनी पहले भारत में, हमारे देश में अपनी सेवाएं लोगों को दे, जो देश में कनैक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा दे, जिसे पांच साल का अनुभव प्राप्त हो, पहले हमारे देश को जोड़ने के बाद, तब जाकर हमने उसे विदेश जाने की अनुमति दी है। इसमें हम लोगों ने डीजीसीए का सुझाव लिया था। नरेश चन्द्रा कमेटी, पिछली सरकार ने, आपकी सरकार ने गठित की थी, उनके सुझाव थे और आपके काल में तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने निजी कंपनियों को 'सार्क' देशों को जाने की अनुमति दी थी, 'आसियान' के साथ नयी नीति अपनाई थी, उसी के तहत हमने तय किया कि जिन कंपनियों को पांच साल का देश में उड़ान भरने का और देश में सेवाएं प्रदान करने का अनुभव है, पहले वे हमारे देश में सेवाएं प्रदान करें और फिर विदेश जाने की उन्हें अनुमति दी जाएं, वह बेहतर होगा। इस प्रकार से पांच साल और बीस हवाई जहाज जिनके पास होंगे, उन निजी कंपनियों को ही विदेश जाने की अनुमति दी जाएगी।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी निजी एअरलाइनों के विदेश उड़ान भरने की अनुमति दी गयी है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इन एअरलाइनों के बैंकाक-गुवाहाटी वायुमार्ग पर चलने की अनुमति भी दी गयी है।

श्री प्रफुल पटेल : मैंने अभी-अभी कुछ समय पहले सभा को सूचित किया है कि भारत सरकार की नीति के तहत विदेश में उड़ान भरने के लिए एयर सहारा और जेट एयरवेज नामक दो निजी एअरलाइनों को उड़ान भरने की अनुमति दी गयी है।

जहां तक बैंकाक-गुवाहाटी रूट का संबंध है, मुझे आप सबको सूचित करते हुए हर्ष होगा और आप इससे परिचित भी होंगे कि हमने इंडियन एअरलाइन्स की एक उड़ान गुवाहाटी से बैंकाक और बैंकाक से गुवाहाटी के लिए शुरू की है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में इस मार्ग पर यात्रियों की संख्या बढ़ने पर और अधिक उड़ानें शुरू की जायेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदैव यही निदेश दिये हैं कि हमारी नीति का केन्द बिंदु भारत के पूर्वो ओर तथा 'लुक ईस्ट' होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : केवल इससे बात नहीं बनेगी कि इसे संज्ञान में ले लिया गया है आप को इसे कार्यान्वित करना होगा।

श्री पी. मोहन : महोदय, मदुरै एअरपोर्ट सरकारी और निजी एअरलाइनों को सफलतापूर्वक चला रहा है। क्या सरकार इस एअरपोर्ट के उन्नयन पर विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। अब मैं अगले प्रश्न पर आऊंगा।

हवाई यातायात में वृद्धि

\+

*342. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :**
श्री बालासाहिब विखे पाटील :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) हवाई यातायात में वृद्धि के कारण अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने क्या विशिष्ट प्रयास किये हैं; और

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख) दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई हवाईअड्डों पर टर्मिनलों और साथ ही साथ एयरसाइड पर क्षमता की बाध्यता का अनुभव किया जा रहा है। दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों पर अवतरण और उड़ान भरने में हुए विलंब संबंधी कठिनाईयों का भी अनुभव किया जा रहा है।

(ग) विमान यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखकर, सरकार ने संयुक्त उद्यम मार्ग के माध्यम से दिल्ली/मुम्बई के मैट्रो हवाईअड्डों को स्तरोन्नयन करने का निर्णय लिया है। सिद्धान्त रूप में इसी प्रकार चैन्नई हवाईअड्डे के स्तरोन्नयन का भी निर्णय लिया जा चुका है। बंगलौर के निकट देवनहल्ली तथा हैदराबाद के निकट शमशाबाद में दो ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों पर भी कार्य प्रगति पर है। सरकार ने गोवा में मोपा पर एक नये ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमोदन दे दिया है। नवी मुम्बई, पुणे के निकट चाकन,पंजाब में लुधियाना, केरल में कन्नूर, सिक्किम में पाकयोंग, नागालैण्ड में कोहिमा में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण की योजनाएं हैं, जो आरंभिक अवस्था में हैं। देश में लगभग 25 चुने हुए गैर-मैट्रो हवाईअड्डों के स्तरोन्नयन तथा आधुनिक बनाने की भी योजनाएं हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मैट्रो हवाईअड्डों पर अतिरिक्त पार्किंग स्टैण्ड प्रदान करने, मैट्रो हवाईअड्डों पर रन-वे क्षमता तथा टर्मिनल क्षमता बढ़ाने गौण सेकेण्डरी रन-वे की ओर तीव्र निकास टैक्सी ट्रैक तथा समानानतर टैक्सी ट्रैक प्रदान करने के लिए कदम उठाने में पहल की है। इसके अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विमान यातायात कार्यविधि इत्यादि में सुधार करके विमानों की आवा-जाही में वृद्धि करने के लिए भी कदम उठा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की हवाईअड्डा प्रभारों इत्यादि में रियायत की पेशकश करके गैर-मैट्रो हवाईअड्डों पर अपने विमानों को पार्क करने के लिए घरेलू एयरलाइनों को भी प्रोत्साहित करने की योजनाएं हैं।

(घ) पार्किंग बे, टैक्सी-पथों, कार्गो काम्प्लैक्स इत्यादि के निर्माण तथा टर्मिनल भवनों के पुन: निर्माण/आधुनिकीकरण के लिए, वर्ष 2005-06 के लिए 62.79 करोड़ रु. की राशि का आवंटन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बालासाहेब विखे पाटील उपस्थित नहीं।

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के इस विस्तृत उत्तर से संतुष्ट हूं। लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या जिला मुख्यालय में और अधिक नये छोटे एअरपोर्ट बनाये जाने की कोई योजना हैं, विशेषकर देश के दक्षिण भाग में, जहां इनके विस्तार की गुंजाइश है- ताकि बड़े हवाईअड्डों पर भीड़ भाड़ को कम किया जा सके।

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैंने एक सप्ताह पहले भी बताया था और एक बार फिर उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि हवाई मार्ग से विभिन्न स्थलों को जोड़ना आज समय की आवश्यकता है। कोई भी देश जो अपनी प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है उसके दूरदराज के क्षेत्रों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए और उनका विस्तार करने के लिए हवाई संपृक्तता जरूरी है। मैंने इस बारे में सभी माननीय सदस्यों की मदद

मांगी है। भारत में कुल लगभग 400 एअरफील्ड हैं जिनमें से 60 एअरफील्डों का संचालन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और दूसरी 60 से अधिक एअर फील्ड भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के पास हैं भविष्य में जिनका उन्नयन किया जायेगा। इससे दो गुना एअरफील्ड राज्य सरकारों के पास है और यदि राज्य सरकारें भी आगे आती हैं तो इन एअर फील्डों को अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। यदि देश के सभी विमान पत्तनों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाना है, तब तो यह एक दुष्कर और असंभव कार्य होगा। यदि राज्य सरकारें भी इसमें हाथ बंटाती है तो इस कार्य को करना आसान होगा।

कोल्हापुर संसदीय क्षेत्र के मेरे साथी श्री मंडलिक यहां पर बैठे हैं। कोल्हापुर एअरफील्ड पर महाराष्ट्र की एमआईडीसी का स्वामित्व है और उन्होंने इसका उन्नयन किया है और अब वाणिज्यिक उड़ाने उसी एअरफील्ड से संचालन कर रही है। राज्य सरकारों द्वारा भी इस तरह की पहल की जानी चाहिए। मुझे खुशी है कि कर्नाटक में भी राज्य सरकार इस काम के लिए आगे आयी है और कुछ ही दिनों में हम उनके साथ कुछेक ऐसी एअर फील्डों के विकास के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं जोकि अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। यदि इस तरह की पहल विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की जाती है तो मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले वर्षों में एअर ट्रैफिक में बढ़ोत्तरी होने पर जैसी बढ़ोत्तरी हम वर्तमान में देख रहे है, और जिस तरह से विमान किराये में कमी आती जा रही है, ओर सभी श्रेणी के यात्रियों में जिस तरह का परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, इसके मद्देनजर यह एक स्वागत योग्य कदम होगा। इसलिए माननीय सदस्यों के इन सुझावों पर कि जिला मुख्यालयों तथा छोटे कस्बों में एअर फील्ड होने के साथ-साथ उन्हें विमान मार्गों से जोड़ा जाना चाहिए, एक स्वागत योग्य कदम है। हम इसी ओर अपना ध्यान केन्द्रित किये हुए हैं और इसी दिशा में काम कर रहे है। लेकिन इस विकास में मुझे सभी राज्यों से सहायता और समर्थन की आवश्यकता है।

मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर परिषद और योजना आयोग ने इंडियन एअर लाइन्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर इस आशय के हस्ताक्षर किये है कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र के छोटे-छोटे स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए चार एटीआर एअरक्राफ्टों का संचालन करेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह, मैं प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री से अनुरोध करता रहा हूं कि आप कृपया हमारी मदद करें और इंडियन एअरलाइन्स, जो कि एक राष्ट्रीय कैरियर है, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें। तब हो सकता है हम कोई ऐसा प्रबन्ध कर सकें जिससे अंतर-राज्यीय संपृक्तता अर्थात राज्य के अंदर संपृक्तता की दिशा में कोई कार्रवाई की जा सकेगी और इससे राज्य के बड़े शहरों से हवाई यातायात का संवर्धन होगा और उसके बाद इसे संपूर्ण देश में भेजा जा सकेगा। यह देश के विकास के हित में होगा। मुझे विश्वास है कि ऐसा प्रत्येक सदस्य इसकी सराहना करेगा जो अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हवाई यातायात को बढ़ावा देना चाहता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं मंत्री जी ने काफी विस्तार से बता दिया है। क्या आप कोई दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं? आप एक और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या वर्तमान में 11 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित देश के कुल 116 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण की कोई कार्य योजना सरकार के पास है। मैं इस कार्य योजना इसके लिए आवंटित बजट तथा समय सीमा के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, लगता है देश के सभी 116 हवाई अड्डे आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आते है।

श्री प्रफुल पटेल : मैं इस प्रश्न का एक मोटा-मोटा उत्तर देता हूं। प्रत्येक माननीय सदस्य की यह इच्छा रहती है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के हवाई अड्डे को उच्चतम मानदंडों के अनुरूप विकसित किया जाये। हम भी इस बारे में इतना ही चिंतित रहते हैं और इसी लिए देश के बड़े हवाईअड्डों जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चैन्नई, हैदराबाद और बंगलौर के अलावा हमने 25 दूसरे हवाई अड्डों को विकसित करने का काम हाथ में लिया है। निश्चित रूप से इन हवाई अड्डों को देश के विभिन्न भागों से लिया जायेगा ताकि किसी क्षेत्र विशेष की भावनाएं आहत न हों। साथ ही, इन हवाई अड्डों को विकसित करते समय यह भी देखा जायेगा कि वहां इसकी जरूरत है या नहीं और वहां हवाई यातायात कितना अधिक है। हमारी योजना महत्वाकांक्षी है। हम विभिन्न साधनों से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए धन भी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एक साथ कम से कम पच्चीस हवाई अड्डों को विकसित किया जा सके, न कि पृथक-पृथक और देश के अंदर हवाई यातायात के साधनों की स्थापना की जा सके। वर्तमान छह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित इन 25 हवाई अड्डों से भारत के अंदर और बाहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात की लगभग शत प्रतिशत जरूरत पूरी हो जायेगी और भारत में इन हवाई अड्डों से होकर गुजरने वाले लगभग 80 प्रतिशत हवाई यातायात को उन्नत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य सुविधाएं प्राप्त हो जायेंगी। इस बारे में

अतिरिक्त हवाई यातायात के सुचारु संचालन हेतु यहां की क्षमता में भी वृद्धि होगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे लगता है कि हाल में नागरिक विमानन मंत्रालय ने सर्वाधिक लोकप्रिय मंत्रालय के रूप में अपनी पहचान बनायी है। इस सूची में मैंने 31 माननीय संसद सदस्यों के नाम देखे हैं। इसलिए, यदि आप लोगों को मंजूर हो, तो कृपया अगले सत्र में एक पूरा दिन इस मंत्रालय के नाम दर्ज हो ताकि माननीय सदस्यगण कोलकाता हवाई अड्डे सहित सभी 116 हवाई अड्डों के बारे में पूरी सूचना के साथ सभा में आयें। मैं हर किसी को बोलने का अवसर देना चाहता हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बारे में एक पूर्ण दिवसीय चर्चा होनी चाहिए ताकि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त हो सके।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : इस प्रश्न के दो मूल बिंदु हैं- पहला यह कि क्या ट्रैफिक बढ़ा है और अगर बढ़ा है तो सरकार उन हवाई अड्डों पर क्या सुविधाएं देने जा रही है? मंत्री जी ने अपने उत्तर में माना है कि :

[अनुवाद]

"हवाई टर्मिनलों सहित दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई की एअरसाइडों पर क्षमता के कम होने का अनुभव किया जा रहा है।"

[हिन्दी]

मैंने पूरे उत्तर को पढ़ा है। मेरे अन्य साथी भी सहमत होंगे कि कोलकाता देश का बहुत बड़ा शहर है। लेकिन मंत्री जी ने अपने पूरे उत्तर में कोलकाता हवाईअड्डे के अपग्रेडेशन के बारे में कोई विशेष आश्वासन या वहां का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है, इस बात का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने अपने जवाब में आगे कहा है—

[अनुवाद]

"दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर हवाई जहाज के उतरने और उनके उड़ान भरने में विलम्ब का अनुभव किया जा रहा है।"

मैंने कोलकाता और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर विमानों के उड़ान भरने और उतरने में इसी तरह के विलम्ब का अनुभव किया है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : अगली बात अहमदाबाद के बारे में है।

श्री हरिन पाठक : मैं अहमदाबाद की बात पर भी आ रहा हूं।

[हिन्दी]

एनडीए के छः साल के शासन में अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाईअड्डे के आधुनिकीकरण का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था और उस पर काम भी शुरू हो चुका था। लेकिन मुझे बताते हुए खेद है कि पिछले डेढ़ साल से उस पर काम रुका हुआ है। वहां भी डिले टेकआफ एंड लैंडिंग के प्रश्न खड़े हैं। मैं इन दो प्रश्नों के बारे में मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोलकाता को जोड़ने के लिए आपका धन्यवाद।

श्री प्रफुल पटेल : मुझे संदेह है कि माननीय सदस्य को यह प्रश्न पूछने की प्रेरणा कहां से मिली।

अध्यक्ष महोदय : वह सोच रहे हैं कि उन्हें अच्छा साथ मिला, पर ऐसा है नहीं।

श्री प्रफुल पटेल : फिलहाल, कोलकाता हवाई अड्डे की बात मैं पीठासीन अधिकारी पर छोड़ता हूं। पर मैं श्री हरिन पाठक से जानना चाहता हूं कि वह कोलकाता हवाई अड्डे को लेकर इतना चिंतित क्यों हैं।

श्री हरिन पाठक : मैं इस सभा का सदस्य हूं। अहमदाबाद मेरा संसदीय क्षेत्र है। पर मैं भारत की संसद का सदस्य हूं। मैं पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता हूं।

श्री प्रफुल पटेल : जहां तक अहमदाबाद हवाई अड्डे का संबंध

है मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी पटेल हूं। इसलिए आप ज्यादा चिंतित न हों।

श्री हरिन पाठक : मुझे पता है परन्तु दुर्भाग्य से इसमें एक-डेढ़ वर्ष का विलम्ब हो गया है।

श्री प्रफुल पटेल : मैं भी तो चरोतर से हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका अहमदाबाद में भी अब संबंध हैं।

श्री प्रफुल पटेल : मैं उन्हे बाद में गुजराती में उत्तर दूंगा और सतुष्ट करूंगा। किंतु इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि उन्हे अहमदाबाद विमानपत्तन के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि यह कहते हैं कि अहमदाबाद विमानपत्तन का कार्य रोक दिया गया है तो ऐसा नहीं है। कार्य रोका नहीं गया है। अहमदाबाद विमानपत्तन पर घरेलू टर्मिनल पर कार्य प्रगति पर है। हम शीघ्र ही खोल देंगे और मैं उसके लिए उन्हे आमंत्रित करूंगा। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि पहले के डिजाइन से मैं संतुष्ट नहीं था। हमने अहमदाबाद के लिए बहुत सस्ता टर्मिनल बनाने के लिए बहुत प्रयास किया जो कि आज की जरूरत भी। मुझे विश्वास है कि कुछ माह विलम्ब करके अहमदाबाद के दीर्घकालिक हित में आपको एक बेहतर टर्मिनल का डिजाइन उस कम्पनी द्वारा तैयार किया जा रहा है जिसने सिंगापुर विमानपत्तन का डिजाइन तैयार किया था। यह विश्व स्तरीय विमानपत्तन टर्मिनल बनने जा रहा है। इसमें जो लागत आएगी स्वाभाविक रूप से उसमें बढ़ोतरी होगी। इसके लिए सी आई बी और अन्य स्वीकृतियां भी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। आपको अहमदाबाद और कोलकाता के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि एरोपोर्ट दि पैटी (ए डी पी), जिसने पेरिस और विभिन्न अन्य अच्छे विमानपत्तनों का डिजाइन तैयार किया है, ने पहले ही कोलकाता के लिए डिजाइन तैयार करना शुरू कर दिया है।

जहां तक यातायात की भीड़भाड़ के बारे में कार्य और अन्य विषयों का सम्बंध है तो मैं सहमत हूं और हम सब सहमत होंगे कि पिछले वर्ष यातायात में भारी वृद्धि हुई है जिसके परिणमस्वरूप हम सब विलम्ब झेल रहे हैं और आपके बराबर ही मैं भी इसका सामना कर रहा हूं। परन्तु ऐसा कहने के बाद हमें बुनियादी ढांचा विकसित करने में कुछ समय लगेगा। बुनियादी ढांचे में रातों-रात वृद्धि नहीं की जा सकती। हमने मुम्बई और दिल्ली में पूंजी व्यय नहीं किया है इसका श्रेय आपकी सरकार को जाता है। वर्ष 1999 से मुम्बई और दिल्ली में कोई पूंजी व्यय नहीं किया गया। केवल हमारे सत्ता में आने के बाद ही हमने इस काम को प्राथमिकता के तौर पर लिया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में अथवा आने वाले वर्षों में हम स्थिति को बेहतर कर पायेंगे।

श्री हरिन पाठक : अब अहमदाबाद का कार्य रोक दिया गया है। एक बार कार्य शुरू हो गया तो क्या आप मुझे आश्वासन दे सकते हैं कि इसे कुछ वर्षों में पूरा कर लिया जाएगां। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम और विमान सेवाएं और छोटे उत्तर चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक पटेल के मंत्री होने का यह लाभ होता है। किंतु मैं आपके विमान सेवाएं और छोटे उत्तर चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल : अध्यक्ष जी, मैंने देखा है कि सदन में मुम्बई, कोलकाता और बड़े-बड़े शहरों के बारे में बड़ी चिंता दिखाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके जो महानगर हैं जैसे, कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, झांसी और लखनऊ, इनके एयरपोर्टों को उच्चीकृत करके क्या आप नियमित विमान सेवाएं मुहैया कराने का काम करेंगे? मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं।

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष जी, मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और वहां हमारी हवाई-सेवाओं की मात्रा अन्य बड़े शहरों से कम है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप बीच में बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : मैं कैसे बोलूगां।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय जायसवाल जी की प्रेरणा से, कानपुर में जो हवाई सेवाएं कई वर्षों से बंद थी, वह शुरू हुई हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रफुल पटेल : आगे भी, इनकी प्रेरणा और आपके सहयोग से, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां बाकी के शहरों में भी कनैक्टिविटी बढ़े।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको ध्यान में हरेक विमानपत्तन है।

[हिन्दी]

श्री प्रफुल पटेल : सारे शहरों को जोड़ने की जिम्मेदारी इंडियन एयरलाइन्स के माध्यम से नहीं निभाई जा सकती है। आप भी यह बात समझते हैं कि एक एयरलाइन से, आज की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए और लोगों की आशाओं को देखते हुए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अपने सभी मामले अगली बार के लिए सुरक्षित रखिये।

[हिन्दी]

श्री प्रफुल पटेल : इसलिए निजी विमान सेवाओं को भी हम गति दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, और इस वजह से भी दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह मोबाइल तथा टेलीफोन आने से सेवा में सुधार हुआ है, उसी तरह निजी कंपनियों के आने से विमान सेवाओं में वृद्धि हुई है। एयर लाइन्स की संख्या में वृद्धि होने से, जहाजों की संख्या में वृद्धि होने से आपकी समस्या आज नहीं तो कल, दूर होगी।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आप तो ढींडसा साहब नहीं हैं। मैंने ढींडसा साहब को बुलाया है।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर मैंने पढ़ा। इन्होंने माना है कि मुम्बई और दिल्ली में कंजेशन बहुत है। मैं 16 तारीख को चंडीगढ़ से इंडियन एयरलाइन्स में आया। हमें 30 मिनट यहां आने के बाद ऊपर घूमने में ही लग गये।

[अनुवाद]

हम विमान की लैंडिंग के लिए प्रतीक्षा में थे।

[हिन्दी]

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक साल हो गया और हम बराबर सुन रहे हैं कि यह अपग्रेड हो रहा है। दोनों एयरपोर्टस पर इतनी कंजेशन है कि इससे एयरलाइंस को बहुत नुकसान होता है और तीस-तीस मिनट तक उनको हवा में फ्यूल व्यर्थ खर्च करना पड़ता है। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि कब तक इन एयरपोर्टस का अपग्रेडेशन हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, मुम्बई और दिल्ली व्यस्ततम विमानपत्तन हैं और उन पर एकल रनवे आपरेशन हैं। तथापि हम नई ए टी सी प्रक्रिया डिजाइन कर रहे हैं। हमने एक समिति गठित की है जो हमें अपने निष्कर्ष देगी कि प्रति घंटा विमान सेवाओं की आवाजाही को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अभी व्यस्त घंटो के दौरान औसतन लगभग 25-27 उड़ानों की आवाजाही है। कभी-कभी यह आवाजाही 30-32 उड़ानों तक हो जाती है परन्तु यदि हम नई प्रक्रिया अपनाएं तो इसे दुगुना किया जा सकता है। हमने पहले ही एक समिति गठित कर दी है। रिपोर्ट आ गई है। हमने मुम्बई और दिल्ली में ए टी सी प्रक्रियाओं के बारे में सलाह देने के लिए विदेशी परामर्शदाता भी नियुक्त किया है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि हालाकि इसके अभी तकअपेक्षित परिणाम नहीं आए हैं क्योंकि प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। नए रेपिड एग्जिट टैक्सीवेज, अन्य नई प्रक्रियाओं, जिनसे हमें संख्या बढ़ाने तथा यातायात कम करने में मदद मिलेगी, की योजना बनाई जा रही है। किंतु मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि जब तक मुम्बई और दिल्ली में दोहरे रनवे आपरेशन का कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक इस तरह के विलम्ब से छुटकारा नहीं मिल सकता।

श्री रूपचंद पाल : महोदय उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए वास्तविक बुनियादी ढांचा तैयार करने के अलावा पायलटों की भारी कमी भी बड़ी रुकावट पैदा कर रही है। मीडिया के कतिपय वर्ग द्वारा आशंका व्यक्त की गई है कि आकाश में भिडंत दुर्लभ, असंभावित

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और अकल्पनीय घटना है परन्तु यातायात में इतनी वृद्धि हो चुकी है कि महत्वपूर्ण मीडिया वर्ग ने आशंकाएं व्यक्त की हैं। प्रशिक्षित पायलटों की भारी कमी अप्राशक्षित पायलटों का उपयोग और अनियोजित विकास गम्भीर आशंकाएं पैदा कर रहे हैं। इस आशंका को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्री प्रफुल पटेल : निश्चय ही हमारे यहां पायलटों की कमी है। ऐसा नहीं है कि पायलटों की कमी है बल्कि कमांडरों की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आखिरकार विमान में दायीं सीट से बायी सीट पर आने के लिए योग्यता प्राप्त करने हेतु निश्चित संख्या में उड़ान के घंटों की आवश्यकता होती है। अल्पावधि में इस परिदृश्य से निपटने के लिए हमने जब तक हमारे अपने लड़के विमानों के कमांडर बनने को तैयार नहीं हो जाते तब तक सीमित समय के लिए विदेशी पायलटों को भी अपने यहां रखने की अनुमति दे दी है। सुरक्षा के संबंध में मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता सहन नहीं किया जाएगा। डी जी सी ए के कठोरतम नियम हैं और वे नियम सर्वविदित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आई सी ए ओ) मानकों के अनुरूप हैं और भले ही पायलटों की कमी हो और कैसी भी स्थिति हो किसी भी स्तर पर सुरक्षा मानकों अथवा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 343 को 25 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। प्रश्न 344. श्री उदय सिंह।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 343 मेरा प्रश्न है और मैं मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 343 को 25 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : महोदय, ऐसा क्यों किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : स्पीकर का राइट है। आप मान लीजिए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : महोदय, मुझे इसकी कोई सूचना ही नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : तब यह एक गलती है। मुझे खेद है। भविष्य में मैं कार्यालय को निर्देश दूंगा। यदि ऐसा कोई स्थगन होता है तो माननीय सदस्य को विधिवत सूचना दी जानी चाहिए। मुझे इसके लिए खेद है। आप सही हैं। आप वह मामला उठाने के लिए सही हैं।

टक्कर-रोधी यंत्र

***344. श्री उदय सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कुछ मार्गों पर टक्कर-रोधी यंत्र (एंटी-कोलिजन डिवाइस) स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे टक्कर-रोधी यंत्रों का किस देश से आयात किया गया है तथा इसकी लागत और निबंधन एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे टक्कर-रोधी यंत्र रेल दुर्घटनाएं रोकने में अप्रभावी सिद्ध हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के बड़ी लाइन खंड और कोंकण रेलवे पर टक्कर-रोधी यंत्र लगाए गए हैं।

(ख) टक्कर-रोधी यंत्र एक भारतीय उत्पाद है, जिसे रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है और इसका निर्माण हैदराबाद स्थित उनकी एक बाहरी इकाई में किया जाता है जिसमें कुछ आयातित कलपुर्जों और माड्यूल्य का उपयोग किया जाता है। डाटा रेडियो मोडम्स, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जी पी एस) रिसीवर्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सी पी यू) बोर्ड इत्यादि जैसी प्रमुख मदें बाहर से आयात करनी पड़ती हैं जिसकी लागत विनिर्माण लागत का लगभग 25-30% होती है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर लगाए गए टक्कर-रोधी यंत्र की अनुमानित लागत

65.74 करोड़ रुपये और कोंकण रेलवे पर लगाए गए इस यंत्र की लागत 35 करोड़ रुपये है।

(ग) जी नहीं। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा स्थल स्वीकृति परीक्षण 31.7.2005 से शुरू किया है। स्थल स्वीकृति परीक्षण के पूरा हो जाने के बाद इस प्रणाली की कारगरता का आकलन किया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री उदय सिंह : महोदय, आपके निर्देशों के अनुसार मंत्री जी का उत्तर इतना छोटा है कि इससे हमें कुछ भी पता नहीं चलता। अगस्त 2004 में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने सभा को सूचित किया था कि टक्कर रोधी उपकरण पर 90 प्रतिशत कार्य हो चुका है। शेष 10 प्रतिशत कार्य कब पूरा होगा? यह बहुत अजीब लगता है कि कुछ समय पश्चात हमने 31-07-2005 को प्रश्न पूछा तो परीक्षण शुरू हो गया हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये परीक्षण कब तक पूरे हो जाएंगे और साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट रिपोर्ट के बारे में हमें कब तक बताया जायेगा। यह मेरा पहला प्रश्न है।

श्री आर. वेलु : महोदय, टक्कर रोधी उपकरण (ए सी डी) स्वयं भारतीय रेल द्वारा विकसित एक नई परिकल्पना हैं और किसी अन्य देश ने इसे विकसित नहीं किया है। इसका श्रेय भारतीय रेल को जाता है। सबसे पहले वर्ष 1999 में परीक्षण माडल शुरू किया गया था। पिछले पांच अथवा छः वर्षों से हम सभी स्थल परीक्षण इत्यादि करा रहे है।

महोदय, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 90 प्रतिशत कार्य पिछले अगस्त में पूरा हो गया था अनुवर्ती परीक्षणों से सिद्ध हो गया कि इसके लिए फाइन टयूनिंग की जरूरत है। तदनुसार, हम प्रणाली की फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं।

महोदय, ए सी डी परियोजना पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एम एफ आर) द्वारा चलाई गई थी। एम एफ आर पर लगभग 1,736 कि.मी. की अनुमानित लागत 65.74 करोड़ रुपए है। हम अब कटिहार और गुवाहाटी के बीच लगभग 609 कि.मी. पर परीक्षण कर रहे हैं। जहां तक साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट का संबंध है तो यह पहले ही 31-7-2005 शुरू हो चुका है और यह इस माह तक पूरा हो जाएगा और अगले माह यानी सितम्बर तक प्रणाली को लगा दिया जाएगा।

श्री उदय सिंह : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न रेल दुर्घटनाओं से संबंधित है। रेलगाड़ियों में बहुत सी दुर्घटनाएं जानबूझकर अथवा अनजाने में ले जाए जा रहे व्यक्तिगत सामानों इत्यादि के कारण होती हैं। रेलगाड़ी में हाल ही का बम धमाका इसका उदाहरण है। सरकार द्वारा क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खतरनाक सामग्री को रेलगाड़ी में न ले जाया जाए और ऐसी दुर्घटनाएं न हों।

श्री आर. वेलु : जहां तक रेलगाड़ी के अंदर सुरक्षा का प्रश्न है, हमने अपनी सुरक्षा प्रणाली को सख्त किया है और सामान आदि का निरीक्षण भी शुरू किया है। मैं माननीय सदस्यों और अन्य लोगों से भी अपील करता हूं कि ऐसे लोगों, अपराधियों और असमाजिक तत्वों को पहचानने में हमारी मदद करें। हम हरसम्भव उपाय कर रहे हैं। यह सत्य है कि हमने रेलवे में इस तरह की निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया है। मुझे आशा है कि सुरक्षा व्यवस्था सख्त बनाने के बाद इस तरह की दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

श्री उदय सिंह : महोदय, मैं आपकी बात बीच में रोकना चाहता हूं। एयरलाइनें सामान आदि की चैकिंग के लिए एक्सरे मशीन उपयोग में ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि रेलवे में सामान की मात्रा काफी अधिक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे किसी पैटर्न पर विचार कर रही है कि ले जाये जा रहे सामान की जांच की जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं?

श्री आर. वेलु : अभी हमने सामान की जांच का कार्य शुरू नही किया हैं। माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लिया गया है और इसकी जांच की जाएगी।

श्री उदय सिंह : आपका धन्यवाद महोदय।

श्री अमिताभ नन्दी : अध्यक्ष महोदय, अक्कर-रोधी उपकरण (एसीडी) रेल सुरक्षा से संबंधित है। आज रेल सुरक्षा पूरे राष्ट्र की चिंता है। महोदय, आपके माध्यम से, मैं जानना चाहता हूं बहुत सी समितियों द्वारा रेल लाइनों के सिगनल और स्विच प्रणाली एवं अवसंरचना के मशीनीकरण के सुदृढ़ीकरण की सिफारिश करने के बावजूद रेलवे नेटवर्क का अधिकांश भाग पुराने और बेकार सुरक्षा सम्पत्तियों पर निर्भर हैं। यदि ऐसा है तो इन समस्याओं को हल करने के लिए आज की तारीख में क्या उपाय किये गए हैं?

महोदय, इसके साथ ही क्या रेलमंत्री जी, विभिन्न जांच कार्य के परिणामों से पता चली मूल समस्याओं जैसे सिगनल फेल होना, रेल पुलों की खराब स्थिति, रेलवे क्रासिंग पर घटिया सुरक्षा प्रणाली, जीर्ण-शीर्ण रेलवे लाइनें जो कि रेल दुर्घटनाओं का मुख्य कारण हैं के स्थान पर एसी-डी के आयात पर किये गए भारी निवेश के औचित्य को सिद्ध करेंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न रेल सुरक्षा उपायों से संबंधित है।

श्री अमिताभ नन्दी : वर्ष 1998 में खन्ना समिति ने अपने प्रतिवेदन में ''रेलगाड़ी सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली'' का सुझाव दिया गया था जिसमें निर्धारित समयावधि के भीतर चेतावनी सिगनल के प्रति चालक के असावधान रहने पर भी ब्रेकों द्वारा स्वत: कार्य करके रेलगाड़ी को रोका जाना सुनिश्चित किया गया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा नहीं है।

श्री अमिताभ नन्दी : रेल सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए श्रमशक्ति कोलगाने हेतु मंत्रालय का क्या कार्यक्रम है?

श्री आर. वेलु : महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता में शामिल हूं। रेलवे में हमारा दस वर्षीय 31,835 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक संयुक्त सुरक्षा कार्यक्रम है जो कि वर्ष 2003 में शुरू किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने पदग्रहण करने पर रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए एक पंचवर्षीय लघु अवधि नीति तैयार की ताकि सुरक्षा को रेलवे का प्राथमिक दायित्व बनाया जा सके। इस योजना का परिव्यय लगभग 24,000 करोड़ रुपये था। जैसा कि पहले ही खन्ना समिति के प्रतिवेदन में बताया जा चुका है, हमने 17,000 करोड़ रुपये से एक विशिष्ट रेलवे सुरक्षा कोष का सृजन किया है जिसमें से काफी धन खर्च किया जा चुका है। हमने रेल लाइनों का उन्नयन, पुलों की मरम्मत और रोलिंग स्टॉक आदि का आधुनिकीकरण किया है और पुरानी रेल लाइनों को बदला भी है।

हमने अपनी सिगनल प्रणाली में भी सुधार किया है। हमारे पास एक सहायक चेतावनी प्रणाली भी है जिसे मुम्बई के उपनगरीय क्षेत्र में लगाया गया है। रेलगाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली को चेन्नई-गुम्मीडिपूंडी और नई दिल्ली-आगरा के बीच लगाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह पूरे नेटवर्क को कवर कर सकता है?

श्री आर. वेलु : हम टक्कर-रोधी उपकरण (एसीडी) के बारे में बात कर रहे है और इससे देश में 56,000 कि.मी. बड़ी रेल लाइन को कवर किया जाएगा। हम इस पर 1,815 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इस प्रकार सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। सिगनल प्रणाली में सुधार किया जाएगा और चेतावनी प्रणाली कुशलतापूर्वक स्थापित की जाएगी ताकि टकराने तथा अन्य दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। मैं सभा को एक अन्य तथ्य के बारे में बताना चाहूंगा। लगभग तीन वर्ष पहले दुर्घटनाओं की संख्या 415 थी और पिछले वर्ष यह घटकर 234 हो गयी। वर्ष 2000-2001 में जो संख्या 415 थी वह अब 234 पर आ गयी है। हम टकराने की घटनाओं के प्रति चिंतित हैं। लगभग 6 प्रतिशत दुर्घटनाओं का कारण टकराना है और इसमें मृतकों की संख्या 33 प्रतिशत है। अत: हमारा 55 प्रतिशत बल टकराने की घटनाओं को रोकने पर है और इससे बचने के लिए एसीडी शुरू कर रहे है।

श्री भर्तृहरि महताब : अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेल में दो अन्तर्विष्ट पहलुओं के कारण टकराव रोकना काफी कठिन है, पहला तो तीव्र गति की रेलगाड़ियों में ब्रेक लगने की दूरी 1.3 कि.मी. है और दूसरा रेलवे में प्रयुक्त सुरक्षा इन्टरलॉक प्रणाली मानव कार्य को सुधारने पर निर्भर करता है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि इसे पूरी तरह स्वचालित बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

दूसरे, वर्ष 2001 से रेलवे में रेल सुरक्षा निधि बनायी गई है। ए.सी.डी., जिसे कि रक्षा कवच भी कहा जाता है, का रेल सुरक्षा निधि से कोई संबंध नहीं है। रेल सुरक्षा निधि का उपयोग मानव रहित तथा दूसरे रेलवे (क्रासिंग) समपारों, ऊपरि पुलों रेल सुरंगों पर किया जाता है। क्या सरकार एसीडी या रक्षा कवच के लिए कुछ धन रेल सुरक्षा निधि से भी लेगी?

श्री आर. वेलु : महोदय, प्रश्न का पहला भाग ब्रेक लगने की दूरी के बारे में है। एसीडी में विचार किया जाता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी संचालन की 3 कि.मी. की दूरी इसके लिए आदर्श है। अत: एसीडी में ब्रेक लगने की दूरी का ध्यान रखा जाता है।

प्रश्न का दूसरा भाग इस बारे में है कि एसीडी की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी। 17,000 रुपये की विशिष्ट रेल सुरक्षा निधि के सृजन के दौरान एसीडी लगाने के बारे में विचार नहीं किया गया था क्योंकि तब तक यह विकसित ही नहीं हुआ था। अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि इस वर्ष सितम्बर तक एसीडी लगा दिये जाएंगे। इसके लिए चालू वर्ष में 23 करोड

रुपये का बजट आबंटन किया गया है परंतु हम अपने संसाधन अपने ही बजट आबंटन से ले सकेत हैं। मैं ने जो 1815 करोड़ रुपये के बजट आम्टन की बात की है वह देश भर के 56,000 कि.मी. की पूरी बड़ी लाइन को कवर करने के बारे में है उसके लिए धीरे-धीरे हमारे आंतरिक संसाधनों से धन इकट्ठा किया जाएगा। अत: ए.सी.डी. लगाने के लिए संसाधन पाने में कोई समस्या नहीं आएगी।

पहियों का उत्पादन

\+

*345. **श्री एस.के. खारवेनथन :**

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे में वर्ष-वार कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का 'स्क्रैप' जमा हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रेलवे द्वारा कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के 'स्क्रैप' का पुन: चक्रण किया गया;

(ग) क्या रेलवे ने पहियों के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पहियों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पन्न हुए स्क्रैप की मात्रा एवं उसका मूल्य नीचे दिया गया है:-

कोटि	2002-03		2003-04		2004-05	
	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)	मात्रा	मूल्य (करोड़ रु. में)
पटरी एवं रेलपथ (एमटी)	729186	633	602106	752	320270	490
अन्य लौह सामग्री (एमटी)	335845	275	299751	354	230874	339
गैर-लौह (एमटी)	11865	53	10224	46	13654	70
माल डिब्बे (चौपहिया इकाइयों में)	14489	96	12625	125	16138	270
सवारी डिब्बे (अदद)	1035	12	1356	23	1218	33
रेल इंजन (अदद)	72	4	27	1	130	11
विविध	—	55	—	41	—	79
कुल मूल्य		1128		1342		1292

(ख) पिछली तीन वर्षों के दौरान रेल पहिया कारखाना और चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना द्वारा रिसाइकिल किए गए स्क्रैप की मात्रा एवं उसका मूल्य नीचे दिया गया है:-

उत्पादन इकाई	2002-03		2003-04		2004-05	
	रिसाइकिल की गई मात्रा (एमटी)	मूल्य (करोड़ रु. में)	रिसाइकिल की गई मात्रा (एमटी)	मूल्य (करोड़ रु. में)	रिसाइकिल की गई मात्रा (एमटी)	मूल्य (करोड़ रु. में)
रेल पहिया कारखाना	91282	83.85	94770	88.37	83340	112.99
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	4245	4.24	3641	4.00	3000	4.50
कुल	99527	88-09	98411	92-37	86340	117-49

नोट : एमटी = मीटरिक टन, एफडब्लयूयूएस = चौपहिया इकाई एवं नम्बर्स = अदद

(ग) जी नहीं।

(घ) आमतौर पर, रेलवे स्वयं अपनी किसी भी मद की सारी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाती हैं जिसमें पहिए भी शामिल हैं। इस समय देश में दो विनिर्माण इकाइयां हैं जिसमें से एक दुर्गापुर में अवस्थित है जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तथा दूसरी बेंगलूरू में है जो कि रेलवे की निजी उत्पादन इकाई है। इन दोनों की कुल क्षमता हमारी आवश्यकता से कम पड़ रही है क्योंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री एवं माल यातायात में काफी इजाफा हुआ है।

(ङ) छपरा के नजदीक एक नया पहिया विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके चालू हो जाने से रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में उपलब्ध क्षमता में पर्याप्त रूप से वृद्धि होने की संभावना है।

श्री एस.के. खारवेनथन : आपका धन्यवाद महोदय। माननीय मंत्री द्वारा दिये गए लिखित उत्तर के अनुसार दो निर्माण यूनिट है एक तो दुर्गापुर में और दूसरा बंगलौर में। उनकी संयुक्त क्षमता हमारी आवश्यकता से कम पड़ रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का प्रस्ताव तमिलनाडु विशेषकर चेन्नई में पहिया निर्माण करने का नया संयंत्र लगाने का है।

श्री आर. वेलु : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं और भारत में यातायात की बढ़ती मांग से यह अन्तर बढ़ा है। इस समय कुल 2,20,000 पहियों की आवश्यकता है जिसमें से 1,10,000 पहिये बंगलौर की रेल पहिया कारखाने तथा 80,000 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादित होते हैं। यह 50,000 पहियों का अन्तर दुर्गापुर संयंत्र द्वारा उसकी स्थापित क्षमता के अनुरूप कार्य न करने के कारण हुआ है। हमने इस पूरे प्रकरण का अध्ययन किया है और बिहार के छपरा में एक यूनिट शुरू करने का प्रस्ताव है और प्रश्न ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने चेन्नई के बारे में पूछा है।

श्री आर. वेलु : अभी तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री एस.के. खारवेनथन : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार के छपरा में प्रस्तावित नए संयंत्र को शुरू करने के कार्यक्रम की क्या कोई समय सीमा है?

श्री आर. वेलु : जी हां महोदय, भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है और आप देखेंगे कि 2010 में कारखाने से पहियों का उत्पादन शुरू हो जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि आमतौर पर रेलवे स्वयं अपनी किसी आवश्यकता को पूरा नहीं करती जिसमें रेल का पहिया भी शामिल है। पिछले बजट में माननीय रेल मंत्री जी ने बताया था कि रेलवे के स्क्रैप को बेचने में अनियमिततायें हैं इसलिये जिसका रेल भरपूर उपयोग करना चाहता है। इसके लिये उन्होंने कहा था कि अविलम्ब छपरा में एक फैक्टरी स्थापित की जायेगी जहां इस स्क्रैप का प्रयोग रेल का पहिया बनाने में किया जायेगा। आज डेढ़ साल हो गया है लेकिन उस कार्य की शुरुआत नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छपरा में स्क्रैप से पहिया बनाने की फैक्टरी कब तक तैयार हो जायेगी और उसका उत्पादन

कब तक शुरू हो जायेगा? क्या इसकी कोई समय सीमा निर्धारित की है?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु : महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूं। एक वर्ष में हम 10 लाख टन स्क्रैप पैदा करते हैं और इसमें से लगभग एक लाख टन का उपयोग हम अपने दोनों कारखानों में कर रहे हैं, बंगलौर के रेल पहिया कारखाने तथा चित्तरंजन लोको वर्क्स में। छपरा यूनिट में कितने स्क्रैप का उपयोग हो पाएगा? इसमें मात्र 40,000 टन का उपयोग हो सकेगा अत: हमें आवश्यक रूप से इसके लिए खुले बाजार में निविदा प्रणाली के माध्यम से नीलामी द्वारा इसके निपटान का रास्ता ढूंढना होगा मैंने माननीय सदस्य के इस विशिष्ट प्रश्न का जवाब पहले ही दे दिया है। हमने भूमि का अधिग्रहण कर लिया तथा कार्यक्रम की मंजूरी और अनुमान की प्रक्रिया चल रही है। हमें देखना है कि कारखाने की स्थापना हेतु त्वरित कार्यवाई हो और वर्ष 2010 में पहियों का उत्पादन शुरू हो सके ...*(व्यवधान)* यह पांच वर्ष की अवधि है।

श्री खारबेल स्वाई : महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में कहा है कि भारत में उत्पादन और मांग में 50,000 पहियों का अन्तर है। क्या रेलवे इन 50,000 पहियों का आयात कर रहा है और इसकी क्वालिटी कैसी है?

उन्होंने यह भी बताया है कि कर्नाटक के येलाहंका और दुर्गापुर में केवल पहियें और धुरी बनाई जाती है। छपरा में एक अन्य संयंत्र स्थापित करने के बजाय क्या इन दोनों संयंत्रों की क्षमता बढ़ायी जा सकती है?

श्री आर. वेलु : यह एक बहुत अच्छा और समझबूझ कर पूछा गया प्रश्न है और मैं माननीय सदस्य का इसके लिए धन्यवाद करता हूं। महोदय यह पद ग्रहण करने के बाद मैंने बंगलौर कारखाने का दौरा किया और पता लगा कि केवल 10 प्रतिशत क्षमता बढ़ायी जा सकती है। अत: 1,00,000 के स्थान पर पहियों का उत्पादन बढ़ाकर 1,10,000 कर दिया गया है।

हम दुर्गापुर के सरकारी उपक्रम को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस संयंत्र की निर्धारित क्षमता 80,000 है परंतु अभी ये इस लक्ष्य तक भी नहीं पहुंचे है। पिछले चार या पांच वर्षों के दौरान केवल 46,000 पहियों की ही आपूर्ति कर पाये हैं। हम केवल उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। अत: हमें अन्य विभिन्न देशों से आयात करना पड़ रहा है। वर्ष 2002-03 में हमनें 8,450 पहियों का आयात किया, वर्ष 2003-04 में 246 पहियों का तथा वर्ष 2004-05 में 11,793 पहियों का आयात किया गया। हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं।

जो भी कमी आ रही है हमें आवश्यक रूप से आयात का सहारा लेना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि पहियों का आयात मूल्य स्वदेशी पहियों से 70 प्रतिशत अधिक है। हम आयात से प्रसन्न नहीं हैं। अत: हम आवश्यक रूप से अपनी क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं; हम इन दो कारखानों की क्षमता में जितनी भी वृद्धि कर सकते हैं, करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : रेल इंजन के पहियों के लिए विशेष किस्म के इस्पात की आवश्यकता होती है। रेल मंत्रालय पूर्व में रेल इंजन के पहियों का आयात करता रहा है क्योंकि बंगलौर और दुर्गापुर की दोनों ही इकाइयां रेल इंजन के पहियों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं थीं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या रेल इंजन के पहियों का उत्पादन भी किया जा रहा है और क्या इन दोनों इकाइयों से रेल इंजन के पहियों की मांग पूरी की जाएगी।

श्री आर. वेलु : यह एक अच्छी सोच है। परंतु अभी हम रेल इंजन के पहियों का उत्पादन नहीं करते। जैसा कि सदस्य को इस बारे में ज्ञात है, हम उनका आयात करते हैं। इनका उत्पादन किया जा सकता है या नहीं इसकी जांच करनी पड़ेगी और यदि यह संभव हुआ और हमारी व्यवस्था में यह व्यवहार्य हुआ तो मैं आपको इससे अवगत करा दूंगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रेलवे का जो स्क्रैप निकलता है, क्या उस सारे स्क्रैप का उपयोग फैक्टरी में पहिया बनाने के लिए किया जाता है या कुछ स्क्रैप ठेके पर माफिया लोगों को बेचा जाता है? यह बात सुनिश्चित है कि यदि हिन्दुस्तान में एक ट्रक स्क्रैप की नीलामी की गई तो माफिया लोग 3-4 ट्रक स्क्रैप उठाकर ले जाते हैं। रेलवे में स्क्रैप के संबंध में अनियमिततायें होती हैं और इससे राजस्व की चोरी हो रही है। मैं माननीय रेल राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस चोरी को रोकने के लिये कोई कदम उठायेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सदस्य को कुछ आंतरिक जानकारी दे सकते हैं।

श्री आर. वेलु : प्रश्न का पहला भाग यह था कि हम कितने स्क्रैप का उपयोग कर रहे हैं। मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं। इस लाख टन में से हम पहियों के उत्पादन हेतु केवल एक लाख टन स्क्रैप का उपयोग कर रहे हैं।

जहां तक इस प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, हम इससे पूर्ण रूप से अवगत हैं कि भारतीय परिस्थितियों में, जो कोई भी सामग्री हो—स्क्रैप ही आवश्यक नहीं है—सभी व्यवसायों में माफिया है। उससे कैसे छुटकारा पाएं? रेलवे ने क्या प्रणाली विकसित की है। मुझे इसका उत्तर देने दें। हमने एक प्रणाली विकसित की है जिसे, 'आरक्षित मूल्य प्रणाली' कहते हैं। आरक्षित मूल्य प्रणाली सामग्री की बाजार में स्थिति और संभावित बोली क्या हो सकती है इसे ध्यान में रखती है। इस पर विचार किया जाएगा और हम आरक्षित मूल्य निर्धारित करेंगे। यदि बोली आरक्षित मूल्य तक नहीं लगाई जाती तो हम बोली को स्वीकार नहीं करते। यहां तक कि उसके पीछे जो माफिया है उसे भी आरक्षित मूल्य और उससे अधिक की बोली लगानी पड़ती है। जहां तक रेलवे का संबंध है, वे उचित मूल्य अर्थात् आरक्षित मूल्य और उससे ऊपर का मूल्य वसूली रहे हैं।

हल्के लड़ाकू विमानों की खरीद

\+

*346. डा. आर. सेनथिल :
प्रो. एम. रामदास :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना हल्के लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए ''हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड'' को क्रयादेश देने की अनिच्छुक है जैसा कि 10 जुलाई, 2005 के ''द हिन्दू'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वैमानिकीय विकास अभिकरण एरोनॉटिकल डवलपमेंट एजेंसी ने अभी तक ''हिन्दुस्तान ऐरोनॉक्सि लिमिटेड'' को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं किया है जिसके कारण हल्के लड़ाकू विमानों का निर्माण करने में विलंब हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो देश के इन प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच समन्वय में सुधार करने और उनकी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) हल्के युद्धक वायुयान के उत्पादन के लिए हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित किए जाने का कार्य वैमानिकी विकास एजेंसी के साथ समन्वय से आगे बढ़ रहा है और इस संबंध में कोई समस्या नहीं है।

डा. आर. सेनथिल : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (एच.ए.ल.) देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है। कोई भी एच.ए.एल. के बनाए गए उन विमानों की भूमिका को कम करके नहीं आंक सकता जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह महान संस्था समस्याग्रस्त दिखती है क्योंकि ऐसा लगता है कि भारतीय वायु सेना इन्हें क्रयादेश देने की इच्छुक नहीं है।

मेरा प्रश्न स्पष्ट रूप से यह है। गत फरवरी में वायुसेना अध्यक्ष श्री एस.पी. त्यागी द्वारा एच.ए.एल. को 40 एल.सी.ए. का आदेश देने की घोषणा का क्या हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, वस्तुतः एक उप-समिति नियुक्त की गई थी और उस उप-समिति ने जनवरी, 2005 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। आरंभिक कार्य-संचालन पूरा होने के बाद 20 विमानों के लिए आदेश दे दिया जाएगा। उसके बाद 20 अन्य विमानों के लिए आदेश दिया जाएगा। यह निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा।

डा. आर. सेनथिल : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि ए.डी.ए. और एच.ए.एल. के बीच समन्वय की कोई समस्या नहीं है। लेकिन मीडिया का यह कहना है कि वास्तव में एच ए.एल. ने ए.डी.ए. की यह कहकर आलोचना की है कि अभी तक उसने एच.ए.एल. को इस विमान की प्रौद्योगिकी और ब्लूप्रिंट नहीं सौंपा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में वहां समस्या क्या है।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी. एण्ड ए.जी.) ने भी यह टिप्पणी की है कि प्रौद्योगिकी हासिल करने में कुछ समस्याएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास अंदरूनी जानकारी है।

श्री प्रणब मुखर्जी : ए.डी.ए. हल्के लड़ाकु विमान (एल.सी. ए.) का प्रारूप बनाने और उसे विकसित करने के लिए प्राधिकृत है। हमने इस क्षेत्र में पहली बार प्रवेश किया है। इसलिए, इसमें समय लगा है। एच.ए.एल. की भूमिका यही है। एक बार यह पूर्णतया विकसित हो जाए, तो इसके प्रोद्योगिकीय प्रदर्शन-I और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन-II

के पूरा होने के बाद और एक समयावधि में परीक्षण उड़ानों के पश्चात् एच.ए.एल. उत्पादन शुरू करेगा। एच.ए.एल. एक उत्पादक संगठन है। ये दोनों संगठन एक-दूसरे के साथ समन्वयपूर्वक कार्य करते हैं। कुछ अवसरों पर रवैये में मतभेद हो सकता है परंतु मंत्रालय होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन मतभेदों को दूर करें और यह सुनिश्चित करें कि ये दोनों संगठन आपस में पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करें।

प्रो. एम. रामदास : महोदय, हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड एयरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर तेजस विमान, ध्रुव अत्याधुनिक हल्का हेलीकॉप्टर और इंटरमिडिएट जेट ट्रेनर (आई.जे.टी.) का उत्पादन कर चुका है। वे उपयोग किए जाने योग्य हैं लेकिन अभी उनका संचालन आरंभ नहीं हुआ है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इन विमानों का संचालन कब तक आरंभ कर दिया जाएगा।

यात्री विमान के संबंध में रक्षा मंत्रालय के पास कौन-कौन सी अनुसंधान परियोजनाएं हैं

अध्यक्ष महोदय : क्या यह इस प्रश्न से उत्पन्न होता है।

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक यात्री विमान का संबंध है हम किसी यात्री विमान का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा अंतिम कार्य पूरा होने और परीक्षणों—ये लगभग 3000 से अधिक परीक्षण घंटे होते हैं—के बाद उत्पादन हेतु आदेश दे दिए जाएंगे।

वस्तुत: विकास की इस अवधि के दौरान सात प्रारूप विकसित किए गए थे और विभिन्न परीक्षण उड़ाने हुई हैं। पहले प्रौद्योगिकीय प्रदर्शन में 12 परीक्षण पूरे किए गए हैं। उसके बाद दूसरे चरण का कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसमें विकास हो रहा है और विभिन्न स्तरों पर इसे तैयार करना पड़ेगा।

अजय विक्रम सिंह समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

***347. श्री ई. पोन्नुसामी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के गैर-अधिकारी संवर्गों के लिए अजय विक्रम सिंह समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्रियान्वयन से कितने कार्मिकों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(घ) इसके क्रियान्वयन पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) अजय विक्रम सिंह समिति की रिपोर्ट में सेना, नौसेना अथवा वायुसेना के अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों (गैर-अफसर) के लिए कोई सिफारिश नहीं है।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस समिति का गठन केवल अधिकारी स्तर से ऊपर के कर्मी के लिए किया गया था। चूंकि अधिकारी के स्तर से नीचे के कर्मियों के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई है अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या अधिकारी स्तर से नीचे के कर्मियों के कल्याण हेतु किसी समिति की पुनर्नियुक्ति की कोई विशेष योजना है।

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक इस समिति का संबंध है तो इसका गठन केवल समिति कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए ही किया गया था।

जहां तक पी.ओ.बी.आर. का संबंध है उनकी सुनिश्चित पदोन्नति निर्धारित करने हेतु सरकार के पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें 7 अगस्त, 2003 से कार्यान्वित कर दिया है।

श्री ई. पोन्नुसामी : महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न के लिए दिए गए उत्तर को देखते हुए, मुझे कोई दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में निवेश

***248. श्री मोहन सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने तेल की खोज और उसके दोहन के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) में निवेश करने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की खोज और उनके विकास के लिए सरकारी निवेश के अतिरिक्त निजी एवं विदेशी निवेश के पक्ष में है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के व्यवसाय के विस्तार के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त निवेश का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति किन-किन स्रोतों से पूरी की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) ओएनजीसी, नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) शर्तों पर नामांकन आधार पर उसे प्रदाम किये गए उनके 5 गहरे पानी के ब्लाकों के लिए विख्यात अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों के साथ अनुकूल गठबंधन की तलाश कर रही है। इसके अलावा, एनईएलपी के तहत, ओएनजीसी का कई विदेशी और घरेलू कंपनियों के साथ कार्यनीतिक गठबंधन किया है।

ओएनजीसी ने विकास और उत्पादन के लिए भी सेवा संविदा आधार पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को जमीनी तथा अपतटीय दोनों सीमांत क्षेत्रों की पेशकश की है।

अन्वेषण जोखिम को बांटने, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने और न्वोनमेषी भू-वैज्ञानिक विचारों को अपनाने के लिए, ओएनजीसी कार्यनीतिक भागीदारों की तलाश कर रही है, यह प्रौद्योगिकी, निवेश और नए सिरे से सोच के लिए कार्यनीतिक गठबंधनों का निर्माण करने में वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप भी है।

(ख) सरकार इन पहलों का समर्थन करती है, ओएनजीसी के वाणिज्यिक प्रयासों के लिए, जहां अपेक्षित है, तेल डिप्लोमसि का दोहन किया जाता है।

(ग) और (घ) भारत में बहुत बड़े गैर अन्वेषित तलछटी क्षेत्र है जिनमें तेल और गैस का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, उच्च जोखिम अन्वेषण पूंजी तथा नवीन भूवैज्ञानिक विचारों/माडलों की आवश्यकता है। घरेलू और विदेशी निजी कंपनियों दोनों द्वारा की गई प्रमुख तेल और गैस खोजों के कारण सरकार की नीति अनुसार बड़े लाभांश देने शुरू कर दिए हैं।

सरकार ने पहले ही तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन तथा कोयला प्रचूर क्षेत्रों से सीबीएम के लिए निवेशों को आकर्षित करने हेतु नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) तथा कोयला बेड मिथेन नीति (सीबीएम) को पहले ही लागू कर दिया है। अभी तक, सरकार ने एनईएलपी के प्रथम चार दौरों में 90 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं तथा 16 सीबीएम संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। एनईएलपी (एनईएलपी-5) के पांचवे दौर के अंतर्गत 18 और ब्लाकों का ठेका दिया गया है। एनईएलपी को 14 देशों से कुल 69 बोलियां प्राप्त हुई हैं, जो एक साथ सभी विगत चारों के एकल दौर में कार्यनिष्पादन से अधिक है।

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ओएनजीसी का योजला परिव्यय 33,418.95 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, ओएनजीसी का ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवील) के लिए 13550 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय है।

किसी सरकारी बजटीय सहायता पर भरोसा किए बिना, ओएनजीसी द्वारा अपने उपार्जितों से इन संसाधनों को जुटाए जाने की संभावना है।

ईरान से एलएनजी का आयात

***349. श्री मुन्शी राम :**
मोहम्मद शाहिद :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक** गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ईरान के साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आयात के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने ईरान से एलएनजी की खरीद में छूट देने का अनुरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में ईरान की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा ईरान से खरीदी जाने वाली एलएनजी पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या ईरान ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) को ''जुफियर'' और ''यदावरन'' तेल क्षेत्रों में हिस्सा देने के लिए भी सहमत हो गया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे प्रत्येक वर्ष कितना तेल निकाले जाने की संभावना है;

(छ) तेल निकालने का कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है; और

(ज) इससे भारत के किस प्रकार से लाभान्वित होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल)/इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी)/भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और नेशनल इरानियन गैस एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड (एनआईजीईसी) के बीच 15 जून, 2005 को तेहरान में 5 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) एलएनजी की खरीद के लिए बिक्री खरीद करार (एसपीए) पर हस्ताक्षर किए गए। 2009 की अंतिम तिमाही से आरंभ करते हुए संविदा की अवधि 25 वर्ष है। एलएनजी का मूल्य निर्धारण वाणिज्यिक बिन्दुओं पर बातचीत से तय होता है और उपयुक्त निम्नतम और अधिकतम सीमा के साथ ब्रेन्ट क्रूड मूल्यों के साथ संबद्ध है। वर्तमान ब्रेन्ट क्रूड मूल्यों के आधार पर 5 एमएमटीपीए एलएनजी के आयात के लिए एनआईजीईसी को देय धनराशि 25 वर्षों की संपूर्ण संविदा अवधि में लगभग 21 बिलियन अमरीकी डालर होगी।

(ङ) से (ज) भारतीय कंपनियों द्वारा 5 एमएमटीपीए एलएनजी के आयात के लिए पैकेज सौदे के भाग के रूप में एक वापस खरीद संविदा के अंतर्गत ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) को जुफेयर तेल क्षेत्र के विकास के लिए 100% अधिकार और दायित्वों की पेशकश की गई हैं जिससे प्रति दिन 30,000 बैरल तेल का उत्पादन होने की आशा है और यादवरन तेल क्षेत्र ईरान के बिकास के लिए 10% अधिकार और दायित्व प्रदान किए गए हैं जिससे कुल प्रति दिन 300,000 बैरल तेल का उत्पादन होने की आशा हैं।

जबकि नेशनल इरानियन आयन कंपनी यादवरन क्षेत्र के लिए विकास योजना को अंतिम रूप देने के लिए प्रचालन कंपनी के साथ चर्चा कर रही है, वहीं ओवीएल जुफेयर क्षेत्र के लिए विकास योजना को अंतिम रूप देने के लिए एनआईओसी के साथ चर्चा कर रही है। उत्पादन एनआईओसी द्वारा क्षेत्रों के लिए मास्टर विकास योजनाओं का अनुमोदन कर दिए जाने के बाद उत्पादन आरंभ किया जाएगा।

ईरान में प्रचलित वापस खरीद संविदा प्रणाली के अंतर्गत ओवीएल को इन क्षेत्रों के विकास में निवेश पर अधिकतम 15% प्रतिलाभ दर प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा वापस खरीद संविदा के निबंधनों के अनुसार ओवीएल के पास मौजूदा बाजार मूल्य पर ईरान से परियोजना में अपने निवेश के बराबर तेल खरीदने और उस पर प्रतिलाभ का अधिकार होगा।

[अनुवाद]

ठेका श्रमिकों को नियमित करना

***350. श्री बसुदेव आचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे में कोयला, राख का काम करने वाले और वर्कशाप में काम करने वाले ठेका श्रमिकों को नियमित करने के संबंध में कोई आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने श्रमिकों को नियमित किया गया है;

(घ) क्या ऐसे अनेक श्रमिकों को नियमित नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा उपर्युक्त रेलों के ठेका श्रमिकों को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) से (च) ठेका श्रमिकों, जिसमें कोयला और राख का काम करने वाले भी शामिल हैं, को समाहित/नियमित करने के मुद्दे पर माननीय न्यायालयों एवं सरकार द्वारा विचार किया गया है. विभिन्न न्यायिक घोषणाओं तथा सरकारी फैसलों के आधार पर यह विनिश्चय किया गया है कि कोयला और राख का काम करने वाले ठेका श्रमिकों को रेलवे में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन समाहितकर लिया जाए :-

(i) रेलवे में कार्मिकों/श्रमिकों की भर्ती की आवश्यकता, विशेषकर: ऐसे कार्यों के लिए जिन्हें वे कर रहे थे।

(ii) नियमन के लिए प्रत्येक दावाकर्त्ता की वास्तविकता एवं विश्वसनीयता को प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा।

(iii) नियमन के लिए ठेका श्रमिकों द्वारा किए गए निरंतर 10 वर्षों के कार्य को अनिवार्य अपेक्षा के रूप में माना जाएगा।

(iv) भर्ती नियमों के तहत ठेका श्रमिक शारीरिक रूप से उपयुक्त हो।

(v) भर्ती नियमों के तहत ठेका श्रमिक के पास शैक्षणिक योग्यता हो (कोयला एवं राख का कार्य करने वाले ठेका श्रमिकों के लिए रियायत देकर केवल पढ़ना एवं लिखना ही काफी समझा गया है)

(vi) एक ठेका श्रमिक के रूप में रेलवे में किए गए कार्य की अवधि का लाभ देने के पश्चात् ठेका श्रमिक भर्ती नियमों के अंतर्गत आयु सीमा के भीतर हो।

उपर्युक्त आधार पर, रेलवे प्रशासन ने 9000 कोयला एवं राख का कार्य करने वाले श्रमिकों को समाहित/नियमित करने के लिए जांच प्रक्रिया आरंभ की है. चूंकि कोयला एवं राख संभालने वाले ठेका श्रमिकों के कार्य करने की अवधि एक दशक से अधिक वर्षों की है और ठेका श्रमिकों को अपनी तथा कोयला एवं राख संभालने वाले ठेकेदारों के साथ किए गए कार्य की विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता सिद्ध करनी होगी, इसलिए उनके रिकार्ड के पुष्टीकरण में काफी समय लग सकता है।

[हिन्दी]

द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले जवानों की पेंशन में वृद्धि

***351. श्री बची सिंह रावत ''बचदा'' :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहादुरी दिखाने वाले भारतीय सेना के जवानों को दी जाने वाली ''जंगी इनाम'' की धनराशि को 10 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ''जंगी इनाम'' पाने वाले जवानों/कानूनी उत्तराधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या ''जंगी इनाम'' पाने वाले जवानों ने समय-समय पर ''जंगी इनाम'' के अंतर्गत दी जा रही धनराशि को अन्य सैनिकों को मिलने वाली मासिक पेंशन के बराबर किए जाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपर्युक्त मांग पर कोई निर्णय लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) इस सूचना के एकत्र करने में लगने वाला समय और प्रयास वांछित परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(ग) जी, हां।

(घ) ''जंगी-इनाम'' के तहत दिए जाने वाले आर्थिक लाभ को अन्य सैनिकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन के बराबर किए जाने की मांग पर सरकार ने विचार किया है परंतु उसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-ओमान गैस पाइपलाइन परियोजना

***352. श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ओमान से पांच वर्ष पूर्व तकनीकी कारणों से छोड़ दी गई गैस पाइपलाइन परियोजना को पुनः शुरू करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में भारत और ओमान के बीच कोई वार्ता हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्र

***353. श्री ब्रजेश पाठक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) इस समय देश में राज्य-वार कितने आकाशवाणी केन्द्र कार्यशील हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कितने आकाशवाणी केन्द्र खोले गए;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और अधिक आकाशवाणी केन्द्र खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो ये केन्द्र कहां-कहां खोले जाएंगे;

(ङ) इन पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(च) इन केन्द्रों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय देश में 219 रेडियो स्टेशन कार्यशील हैं। इन स्टेशनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान चालू किए गए रेडियो स्टेशनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	राज्य	स्टेशनों की संख्या
2002-2003	जम्मू और कश्मीर	4
	पश्चिम बंगाल	1
2003-2004	कर्नाटक	1
2004-2005	जम्मू और कश्मीर	1
2005-2006	छत्तीसगढ़	1
(अब तक की	मध्य प्रदेश	2
स्थिति के अनुसार)	गुजरात	1

(ग) से (ङ) जी, हां। दस रेडियो स्टेशन तकनीकी रूप से तैयार हैं। इसके अतिरिक्त संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 10वीं योजना के दौरान 76 नए स्टेशन प्रस्तावित हैं।

इसके अतिरिक्त, कवर न किए गए क्षेत्रों में 150 अल्प शक्ति एफ एम ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने हैं जिनमें से 100 पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। आकाशवाणी के ट्रांसमीटर सामान्यत: शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों को कवर करते हैं। केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं रखे जाते हैं। नए केन्द्रों/ट्रांसमीटरों की स्थापना पर 187.29 करोड़ रुपये की राशि के व्यय होने की संभावना है।

(च) इन स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु कोई निर्धारित समय-अवधि इंगित नहीं की जा सकती है क्योंकि यह उनके अनुमोदन और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

विवरण-I

आकाशवाणी के मौजूदा स्टेशन (219)

राज्य	स्टेशनों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	12
अरुणाचल प्रदेश	5
असम	10
बिहार	5
छत्तीसगढ़	6
दिल्ली	1
गोवा	1
गुजरात	8
हरियाणा	3
हिमाचल प्रदेश	6
जम्मू और कश्मीर	11

1	2
झारखण्ड	5
कर्नाटक	14
केरल	7
मध्य प्रदेश	16
महाराष्ट्र	20
मणिपुर	1
मेघालय	5
मिजोरम	3
नागालैण्ड	4
उड़ीसा	11
पंजाब	3
राजस्थान	17
सिक्किम	1
तमिलनाडु	9
त्रिपुरा	3
उत्तरांचल	6
उत्तर प्रदेश	14
पश्चिम बंगाल	6
केन्द्र शासित प्रदेश	
दमन	1
पोर्ट ब्लेयर	1
चण्डीगढ़	1
पांडिचेरी	1
कराईकल	1
कावारती	1
कुल योग	219

विवरण-II

दसवीं योजना में प्रस्तावित एफ एम/मी वे स्टेशनों की सूची (संख्या में 76)

1. नए एफ एम स्टेशन (संख्या में 73)

राज्य	स्टेशनों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	6
अरुणाचल प्रदेश	5
असम	3
बिहार	4
छत्तीसगढ़	4
गुजरात	2
हरियाणा	1
झारखण्ड	3
कर्नाटक	2
केरल	1
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	3
मणिपुर	2
मेघालय	1

1	2
मिजोरम	3
नागालैण्ड	3
उड़ीसा	4
पंजाब	2
राजस्थान	2
तमिलनाडु	1
त्रिपुरा	3
उत्तरांचल	7
उत्तर प्रदेश	3
पश्चिम बंगाल	7
2. नए मीडियम वेव स्टेशन (संख्या में 3)	
राजस्थान	1
त्रिपुरा	1
उत्तरांचल	1

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के जलपोतों के प्रचालन तथा रखरखाव के लिए ठेका

***354. श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) अपने जलपोतों के प्रचालन तथा रखरखाव के लिए निजी पार्टियों को ठेका देती आ रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में ठेके के आधार पर कार्य कर रही पार्टियों का ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी निबंधन एवं शर्तें क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या यह सही है कि कुछ पार्टियां जलपोतों का प्रचालन तथा रखरखाव समझौते के अनुसार नहीं कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी हां। वर्तमान में ओएनजीसी ने अपने विभिन्न जहाजों के लिए प्रचालन और रखरखाव संविदाएं निजी पार्टियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों दोनों को प्रदान की हैं। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(1) मैसर्स साउथ इंडिया कार्पोरेशन (एजेंसीज) लिमिटेड के पास 15 अपतटीय आपूर्ति जहाजों (ओएसवीज) के लिए ओ एंड एम संविदाएं हैं। कंपनी के साथ ओ एंड एम संविदाओं के लिए निबंधन निम्नानुसार हैं:

जनशक्ति की लागत	1.15 करोड़ रुपए/जहाज/वर्ष
निर्धारित प्रबंधन लागत	- 1.64 करोड़ रुपए/जहाज/वर्ष
कुल लागत	- 2.79 करोड़ रुपए/जहाज/वर्ष

मरम्मत और रखरखाव लागतों को ओएनजीसी द्वारा वास्तविक आंकड़ों के अनुसार वहन किया जाता है।

(2) मैसर्स भारतीय जहाजरानी निगम के पास 16 ओएसवीज के लिए ओ एंड एम संविदाएं हैं।

इसके अलावा एससीआई के पास 3 बहु-उद्देशीय सहायता जहाज (एमएसवीज) नामत: समुद्र सुरक्षा (जो हाल में एमएचएन दुर्घटना में सम्मिलित था), समुद्र प्रभा और समुद्र सेवक और भूकंपीय सर्वेक्षण जहाज ''सागर संधानी'' के लिए ओ एंड संविदा है।

भारतीय जहाजरानी निगम को इन जहाजों के लिए लागत जमा आधार पर भुगतान किया जा रहा है।

(ग) निजी कंपनियों के साथ ओ एंड एम संविदाओं के संबंध में पिछले 3 वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

जहाज	2002-03	2003-04	2004-05
एमएसवी	40.74	*	*
ओएसवी	36.27	92.91	82.9
एस.संधानी	6.06	4.25	7.88

*भारतीय जहाजरानी निगम, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, द्वारा इसका प्रबंध किया जाता है तथा निजी पक्षकार द्वारा नहीं।

(घ) से (च) मैसर्स गणेश बेन्जोप्लास्ट लिमिटेड को एमएसवीज समुद्र सुरक्षा और समुद्र प्रभा के ओ एंड एम और मैसर्स गणेश एनहाइड्राइड लिमिटेड को तीन वर्षों के लिए समुद्र सेवक हेतु प्रदान की गई संविदाएं गैर निष्पादन के कारण समाप्त कर दी गई और बाद में भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड को प्रदान की गईं।

सैन्य विमानपत्तन

*355. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन सैन्य विमानपत्तनों से नागरिक (सिविल) उड़ानें चलाई जा रही हैं;

(ख) इनसे रक्षा प्राधिकारियों को कितना वार्षिक राजस्व अर्जित होता है;

(ग) क्या सैन्य एयरफील्डों से नागरिक विमानों को उड़ाने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वायुसेना संस्थापनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) इस समय निर्धारित सिविल उड़ानें 24 रक्षा एयरफील्डों से चलाई जा रही हैं। इन एयरफील्डों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इन एयरफील्डों से वर्ष 2004-05 के दौरान अर्जित राजस्व 68.96 करोड़ रुपए था।

किसी भी रक्षा एयरफील्ड से सिविलियन विमानों को चलाए जाने की अनुमति दिए जाने संबंधी प्रस्तावों पर विचार, आपरेटरों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मौजूद दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

रक्षा एयरफील्डों से सिविल विमान उड़ाए जाने के कारण वायुसेना संस्थापनाओं की संरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इन विमानों के प्रचालन के लिए अलग से पृथक बाड़े बनाए जाते हैं तथा उनका प्रबंधन किया जाता है। इसके अलावा, वायुसेना संस्थापना की संरक्षा निम्नलिखित उपायों के जरिए सुनिश्चित की जाती है :-

(क) कैम्पस में सीमित प्रवेश को भारतीय वायुसेना पुलिस तथा रक्षा सुरक्षा कोर द्वारा पहचान सुनिश्चित करके नियंत्रित किया जाता है।

(ख) सशस्त्र वायुसेना तथा रक्षा सुरक्षा कोर के जरिए प्वाइंट सुरक्षा। पैरिमीटर तथा क्षेत्र सुरक्षा के लिए सचल गश्त की जाती है।

(ग) पैरिमीटर पर निगरानी टावर/प्रेक्षण चौकियां जिनमें सशस्त्र प्रहरी तैनात हों।

(घ) चौबीसों घंटे उपलब्ध वायुसेना कार्मिकों के सशस्त्र त्वरित प्रतिक्रिया दल द्वारा आकस्मिक प्रतिक्रिया।

(ङ) भारतीय वायुसेना के पास उपलब्ध सुरक्षा उपस्करों का इष्टतम इस्तेमाल।

विवरण

सिविल उड़ानों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रक्षा एयरफील्ड़ों की सूची

1.	चंडीगढ़	भारतीय वायुसेना
2.	जम्मू	भारतीय वायुसेना
3.	लेह	भारतीय वायुसेना

4.	पठानकोट	भारतीय वायुसेना
5.	श्रीनगर	भारतीय वायुसेना
6.	थोइसे	भारतीय वायुसेना
7.	भुज	भारतीय वायुसेना
8.	जामनगर	भारतीय वायुसेना
9.	जोधपुर	भारतीय वायुसेना
10.	पुणे	भारतीय वायुसेना
11.	बागडोगरा	भारतीय वायुसेना
12.	जोरहाट	भारतीय वायुसेना
13.	कुंभीग्राम	भारतीय वायुसेना
14.	तेजपुर	भारतीय वायुसेना
15.	आगरा	भारतीय वायुसेना
16.	इलाहाबाद	भारतीय वायुसेना
17.	ग्वालियर	भारतीय वायुसेना
18.	कानपुर	भारतीय वायुसेना
19.	गोरखपुर	भारतीय वायुसेना
20.	गोवा (दाबोलिम)	भारतीय नौसेना
21.	विशाखापट्टनम	भारतीय नौसेना
22.	पोर्ट ब्लेयर	भारतीय नौसेना
23.	बैंगलूर	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड
24.	ओझर	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड

संरक्षित स्मारकों का रख-रखाव

*356. **श्री खारबेल स्वाई :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें देखने के लिए टिकट प्रणाली प्रचलन में हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष टिकटों की बिक्री से कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन स्मारकों की मरम्मत तथा रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च हुई?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) केन्द्रीय संरक्षित टिकटेड (टिकट लगे) स्मारकों की सूची संलग्न विवरण-I में हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष टिकटों की बिक्री से अर्जित राजस्व का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन टिकटेड स्मारकों के रखरखाव और अनुरक्षण पर किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

केन्द्रीय संरक्षित टिकटेड (टिकट लगे) स्मारकों की सूची
टिकटेड स्मारकों की सूची-मंडल-वार

आगरा मंडल

1. आगारा किला, आगरा
2. स्मारक समूह, आगरा
3. फतेहपुर सीकरी
4. स्मारक समूह, रामबाग
5. एतमाउद्दौला का मकबरा, आगरा
6. अकबर का मकबरा, सिकन्दरा
7. मरियम का मकबरा, सिकन्दरा
8. ताज के सामने नदी किनारे पर मेहताब बाग, आगरा

औरंगाबाद मंडल

1. शैलकृत गुफाएं, अजन्ता

2. शैलकृत गुफाएं, एलोरा

3. शैलकृत गुफाएं, एलीफेन्टा

4. दौलताबाद किला, दौलताबाद

5. बीबी का मकबरा, औरंगाबाद

6. कन्हेरी गुफाएं, मुम्बई

7. अलीबाग किला

8. किला रायगढ़

9. पांडव गुफाएं, लेना

10. जुनार गुफाएं एवं उत्कीर्ण लेख, जुनार

11. गुफा मंदिर, कार्ले

12. शनिवारवाड़ा, पुणे

13. पुराना किला, शोलापुर

14. औरंगाबाद गुफाएं, औरंगाबाद

15. भज मंदिर तथा उत्कीर्ण लेख, भज

16. आगा खां पैलेस, पुणे

बंगलौर मंडल

1. टीपू सुल्तान का महल, बंगलौर

2. दरिया दौलत बाग, श्रीरंगपटना

3. केशव मंदिर, सोमनाथपुरा, मैसूर

4. विट्ठल मंदिर, वैंकटपुरम्

5. जत्रा अहाता, करनालापुरा

6. चित्रदुर्ग किला, बेलारी

7. बेलारी किला, बेलारी

भोपाल मंडल

1. बौद्ध स्मारक, सांची, जिला रायसेन

2. पश्चिमी स्मारक समूह, खजुराहो, जिला छतरपुर

3. रॉयल परिसर, मांडु, जिला धार

4. रूपमती मंडप, मांडु, जिला धार

5. होशंग शाह महल, मांडु

6. बौद्ध गुफाएं, बाघ, जिला धार

7. भोजशाला तथा कमाल मौला की मस्जिद, धार, जिला धार

8. ग्वालियर किला स्थित स्मारक, जिला ग्वालियर

9. किला बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर

10. सिरपुर स्थित स्मारक, जिला महासमंद

भुवनेश्वर मंडल

1. सूर्य मंदिर, कोणार्क

2. राजा रानी मंदिर

3. उदयगिरि एवं खंडगिरि

4. ललितगिरि स्मारक, ललितगिरि

5. स्मारक समूह (लक्ष्मण मंदिर), सिरपुर

6. रत्नागिरि स्मारक

कोलकाता मंडल

1. कूच बिहार महल, कूच बिहार

2. बिष्णुपुर मंदिर, बिष्णुपुर

चंडीगढ़ मंडल

1. शैलकृत गुफाएं, मसुर

2. किला, कांगड़ा

3. सूरजकुण्ड मेसोनरी, लकरपुर

4. शेख चिल्ली का मकबरा, थानेश्वर

चेन्नई मंडल

1. स्मारक समूह, महाबलीपुरम
2. किला, डिंडीगुल
3. किला, तिरुमयम
4. राजागिरि एवं कृष्णागिरि किला, जिन्जी
5. मूवार कोइल, कोडुमबलूर
6. शैलकृत जैन मंदिर, सीतन्नावसल
7. प्रस्तर संस्तर वाली प्राकृतिक कन्दराएं एवं ब्राह्मी तथा पुराना तमिल
8. इलाडीपट्टनम, नामक उत्कीर्ण लेख सीतान्नावसल

दिल्ली मंडल

1. हुमायूं का मकबरा
2. कुतुब पुरातत्वीय क्षेत्र
3. पुराना किला, नई दिल्ली
4. सफदरजंग मकबरा, नई दिल्ली
5. लाल किला, दिल्ली
6. जन्तर-मन्तर, नई दिल्ली
7. रहीम खान-ए-खाना मकबरा, दिल्ली
8. सुल्तान गबढ़ी, दिल्ली
9. शेष दीवारों, बुर्ज, गेटवे तथा उद्यान, सहित कोटला फिरोजशाह, पुरानी मस्जिद, कुआं एवं अन्य ध्वस्त भवन जो इसमें शामिल हैं, दिल्ली
10. तुगलकाबाद किला

धारवाड़ मंडल

1. मंदिर समूह, पट्टडकल
2. दुर्गा मंदिर परिसर, एहोल
3. जैन तथा विष्णु गुफाएं, बादामी
4. गोलगुम्बज, बीजापुर
5. इब्राहिम रोजा, बीजापुर
6. मंदिर तथा मूर्ति गैलरी, लकुंडी

गुवाहटी मंडल

1. अहोम राजा का महल, गारगांव
2. कारेंघर महल, जयसागर
3. रंगघर मंडप, जयसागर
4. विष्णुदोल, जयसागार
5. चार मैदामों का समूह, चराईदेव

हैदराबाद मंडल

1. गोलकोण्डा किला, हैदराबाद
2. चारमीनार, हैदराबाद
3. चन्द्रगिरि किला, चित्तूर जिला
4. महास्तूप, अमरावती, गुन्टूर जिला
5. नागार्जुनकोण्डा, गुन्टूर जिला
6. गुन्टूपल्ली गुफाएं, पश्चिम गोदावरी जिला
7. अंडावल्ली गुफाएं, गुन्टूर जिला
8. वारंगल किला, वारंगल जिला

जयपुर मंडल

1. कुम्भलगढ़ किला, जिला राजसमंद
2. चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़
3. डीग भवन, डीग, जिला भरतपुर

लखनऊ मंडल

1. झांसी किला, झांसी
2. रानी महल, झांसी
3. रेजीडेंसी लखनऊ
4. साहेत, श्रावस्ती

पटना मंडल

1. उत्खनित स्थल, कुमराहार
2. उत्खनित स्थल, कोलहुआ
3. उत्खनित स्थल, नालन्दा
4. शेर शाह सूरी का मकबरा, सासाराम
5. प्राचीन स्थल, अंतिचाक, विक्रमशिला
6. उत्खनित स्थल, सारनाथ
7. मन महल, वाराणसी
8. शाही किला, जौनपुर
9. लॉर्ड कार्नवालिस मकबरा, गाजीपुर

श्रीनगर मंडल

1. मंदिर समूह, किरामची
2. रामनगर महल, रामनगर
3. अवन्तिश्वरस्वामी मंदिर, वन्टीपुरा
4. लेह महल, लेह

त्रिसूर मंडल

1. बेकल किला, पल्लीकेरे
2. मत्तनचेरी महल, कोची

वड़ोदरा मंडल

1. सूर्य मंदिर, मौधेरा
2. रानी-की-वाव, पाटन
3. अशोक शिला (अभिलेख), जूनागढ़
4. बौद्ध गुफाएं, जूनागढ़
5. बाबा प्यारे खापरा
6. चम्पानेर स्मारक, चम्पानेर

विवरण-II

केन्द्रीय संरक्षित टिकटेड (टिकट लगे) स्मारकों में प्रवेश टिकटों से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा

मंडल का नाम	टिकटेड स्मारकों की संख्या (केन्द्रीय संरक्षित स्मारक)	पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व (लाख रुपयों में)		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
आगरा	8	13,21,92,992	17,36,09,959	23,83,14,568
औरंगाबाद	16	2,98,07,617	2,98,29,344	16,41,88,749
बंगलौर	7	83,35,861	1,13,11,428	1,53,56,834

1	2	3	4	5
भोपाल	10	1,07,56,139	2,30,33,785	2,48,60,947
भुवनेश्वर	6	1,21,78,309	1,20,70,241	1,28,26,173
चंडीगढ़	4	5,65,567	6,63,416	3,47,237
चेन्नई	8	2,29,13,849	1,32,28,390	1,72,17,470
धारवाड़	6	79,67,615	86,63,324	90,55,013
दिल्ली	10	6,53,90,949	9,27,45,897	13,47,54,351
गुवाहाटी	5	8,76,587	6,95,755	56,675
हैदराबाद	8	54,11,961	1,13,67,259	1,28,70,196
जयपुर	3	28,16,659	37,64,347	47,89,281
कोलकाता	2	25,99,360	25,61,795	29,94,905
लखनऊ	4	26,57,243	26,50,466	29,29,303
पटना	9	83,79,397	78,88,158	1,37,20,565
श्रीनगर	4	82,718	2,35,831	2,10,791
त्रिसूर	2	9,46,429	11,34,699	10,97,724
वडोदरा	6	15,93,000	19,43,000	21,58,000
योग	118	31,54,72,252	39,73,96,730	65,77,48,782

विवरण-III

केन्द्रीय संरक्षित टिकटेड (टिकट लगे) स्मारकों के रखरखाव एवं अनुरक्षण हेतु किए गए व्यय का ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

मंडल का नाम	टिकटेड स्मारकों की संख्या (केन्द्रीय संरक्षित स्मारक)	पिछले तीन वर्षों के दौरान टिकटेड स्मारकों पर किया गया व्यय		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
आगरा	8	218.58	240.00	489.58

1	2	3	4	5
औरंगाबाद	16	185.97	484.77	212.12
बंगलौर	7	9.96	11.78	15.09
भोपाल	10	238.42	42.84	33.87
भुवनेश्वर	6	25.62	36.35	105.45
चंडीगढ़	4	48.09	28.21	14.41
चेन्नई	8	30.87	54.61	72.11
धारवाड़	6	11.72	13.58	13.45
दिल्ली	10	207.04	277.23	271.25
गुवाहाटी	5	19.01	13.91	15.64
हैदराबाद	8	77.30	89.73	146.59
जयपुर	3	28.07	78.91	59.60
कोलकाता	2	24.03	26.94	38.89
लखनऊ	4	47.61	70.09	92.67
पटना	9	79.63	108.39	152.82
श्रीनगर	4	23.60	52.83	46.62
त्रिसूर	2	01.25	09.07	10.09
वड़ोदरा	6	122.19	31.09	31.48
योग	118	1399.16	1670.33	1821.73

[हिन्दी]

निजी कंपनियों को तेल कुएं सौंपना

*357. श्री वी.के. तुम्मर :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों द्वारा खोजे गए कुछ तेल कुएं और तेल "ब्लाक" बहुराष्ट्रीय एवं निजी कंपनियों को सौंपे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या ये बहुराष्ट्रीय तथा निजी कंपनियां तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों द्वारा तेल की खोज पर हुए खर्च को वहन नहीं कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) भारत सरकार ने आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा खोजे गए 29 मध्यम और छोटे आकार के तेल और गैस क्षेत्रों की संविदा खोजे गए क्षेत्रों के लिए बोली के दो दौरों के तहत निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त ओएनजीसी ने भी निम्नलिखित 6 जमीनी मार्जिनल क्षेत्रों का निजी कंपनियों को सर्विस कान्ट्रेक्ट पर ठेका दिया है।

- गुजरात राज्य में 3 क्षेत्रों नामतः वेस्ट बेचार्जी, खंबेला और हीरापुर का मैसर्स प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड को ठेका दिया है।
- असम राज्य में 3 क्षेत्रों नामतः लक्ष्मी जान, बीहूपुर और बार्सिला का मैसर्स असम कंपनी लिमिटेड को ठेका दिया है।

इसके अतिरिक्त मुंबई अपतट में 9 क्लस्टर्स में 19 मार्जिनल क्षेत्रों को सर्विस कान्ट्रेक्ट्स पर विकास हेतु 27.12.2004 को ओएनजीसी द्वारा पेशकश की हैं। ये क्षेत्र हैं:

क्लस्टर - 1 : बी-178, बी-179, बी-180

क्लस्टर - 2 : बी-28ए, बी-80

क्लस्टर - 3 : बी-127, बी-59

क्लस्टर - 4 : बी-37, बी-134

क्लस्टर - 5 : बी-157, बीएचई

क्लस्टर - 6 : डब्ल्यूओ-15, डब्ल्यूओ-5

क्लस्टर - 7 : बी-192, बी-45, डब्ल्यूओ-24

क्लस्टर - 8 : डी-18

क्लस्टर - 9 : बी-28, बी-23ए

सरकार द्वारा छोटे और मध्यम आकार के तेल और गैस क्षेत्रों के पेशकश किए जाने के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:

(1) कुछ क्षेत्र मार्जिनल इक्नामिक्स के साथ अलग थलग थे।

(2) निजी प्रचालकों की सहायता से कुछ गैर उत्पादनशील अथवा निम्न उत्पादकता क्षेत्रों को उत्पादन में लाकर तेल और गैस उत्पादन में वृद्धि करना।

(3) कुछ क्षेत्रों में वर्धित तेल निकासी (ईओआर) का प्रावधान करना।

(4) संसाधनों विशेषकर उस समय आड़े आ रही विदेशी मुद्रा घटक के संबंध में कमी की समस्या पर काबू पाना।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा तेल और गैस की खोजों पर किए गए संपूर्ण व्यय को कंपनियों से वहन करने की अपेक्षा नहीं की गई थी क्योंकि,

- उक्त क्षेत्र सर्वोत्तम शर्तें प्रस्तावित करने वाली कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के प्रति अवार्ड किए गए थे, और
- बोलियों का मूल्यांकन करने में यह लाभ पेट्रोलियम, कल्पित आय कर, ओएनजीसी को हस्ताक्षर/उत्पादन बोनस और पिछली लागत, जिसपर इन क्षेत्रों के ठेकों को अंतिम रूप देते समय विचार किया गया था, के माध्यम से देय राशियों के साथ पूर्णतः सरकार हिस्सा था।

1999 में सरकार द्वारा निजी पक्षकारों को बोली के लिए खोजे गए क्षेत्रों की पेशकश करने की सरकारी नीति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

विवरण

प्रथम दौर में अवार्ड किए गए खोजे गए क्षेत्रों का ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	परिसंघ जिसके साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए	संविदाओं पर हस्ताक्षर की तारीख
1	2	3	4
		मध्यमाकार के क्षेत्र	
1.	खरसांग	ज्यो एन्ग्रो (10%), ज्यो पेट्रोल (25%), ऐन्ग्रो (25%) और ओआईएल (40%)	16.6.95
2.	राव्वा	कैर्न एनर्जी (22.5%), वीडियोकान पेट्रोलियम लि. (025%), राव्वा आयल पीटीई लि. (12.5%) और ओएनजीसीएल 940%)	28.10.94
3.	मध्य और दक्षिण ताप्ती	ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लि. (बीजीईआईएल) (30%) रिलायंस इंडिया लि. (आरआईएल) (30%) और ओएनजीसीएल (40%)	22.12.94
4.	पन्ना और मुक्ता	ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लि. (बीजीईआईएल) (30%) रिलायंस इंडया लि. (आरआईएल) (30%) और ओएनजीसीएल (40%)	22.12.94
		छोटे आकार के क्षेत्र	
5.	आसजोल	एचओईसी (50%) गुजरात राज्य पेट्रोलियम लि. (जीएसपीसीएल)(50%)	
6.	लोहार	सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नालाजीज लि. (100%)	13.3.95
7.	इंदरोरा	सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नालाजीज लि. (100%)	13.3.95
8.	बकरोल	सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नालाजीज लि. (100%)	13.3.95
9.	वावेल	लार्सन एंड टूब्रो (एल एंड टी) (50%) जोशी टेक्नालाजीज इंक (जेटीआई) (50%)	20.2.95
10.	ढोलका	जोशी टेक्नालाजीज इंक (जेटीआई) (100%)	20.2.95
11.	बाओला	इंटरलिंक पेट्रोलियम लि. (100%)	5.4.95
12.	साबरमती	नाईको (40%) और जीएसपीसीएल (60%)	23.9.94
13.	कैम्बे	नाईको (33.33%) और जीएसपीसीएल (66.67%)	23.9.94

1	2	3	4
14.	भांदूत	नाईको (40%) और जीएसपीसीएल (60%)	23.9.94
15.	हजीरा	नाईकोनाईको (33.33%) और जीएसपीसीएल (66.67%)	23.9.94
16.	मतार	नाईको (40%) और जीएसपीसीएल (60%)	23.9.94
17.	पीवाई-1	मोसबाशेर इंडिया एलएलसी (35%), एचओईसी (30%) और एनर्जी इक्विटी इंडिया पेट्रोलियम लि. (ईईआईपीएल) (35%)	6.10.95
18.	मोढेरा	इंटरलिंक पेट्रोलियम लि. (100%)	23.2.2001
19.	खर्जीमान	सेनल एक्सप्लोरेशन टेक्नालाजीज लि. (100%)	16.2.04
20.	एनबलोल	जीएसपीसीएल (45%), एचओईसी (25%), हेरामैक (30%)	23.2.2001
21.	कनावरा	जीएसपीसीएल (45%), एचओईसी (25%), हेरामैक (30%)	23.2.2001
22.	अल्लोरा	जीएसपीसीएल (45%), एचओईसी (25%), हेरामैक (30%)	23.2.2001
23.	उनाव	जीएसपीसीएल (45%), एचओईसी (25%), हेरामैक (30%)	23.2.2001
24.	एनकाठना	जीएसपीसीएल (45%), एचओईसी (25%), हेरामैक (30%)	23.2.2001
25.	ढोलासन	जीएसपीसीएल (45%), एचओईसी (25%), हेरामैक (30%)	23.2.2001
26.	सांगनपुर	हाईड्रोकार्बन रिज.डेव.कं.(प्रा.) लि. (51%), हार्डी (49%)	23.2.2001
27.	आमगुड़ी	असम कं. लि. (40%), कोनोरो रीसोर्सीज लि. (60%)	23.2.2001
28.	ओगनाज	सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नालाजीज लि. (100%)	16.2.04
		मध्यम आकार के क्षेत्र	
29.	रत्ना आर. सीरीज, मुंबई बेसिन	एस्सार आयल लि.-प्रीमियर आयल पेसीफिक	अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

सिर पर मैला ढोले वालों के लिए नई योजना

*358. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :**

श्री वाई.जी. महाजन :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए कोई नई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) उक्त योजना कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) से (ग) सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना तैयार होने की प्रक्रिया में है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ, सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों को ऋण, सब्सिडी के रूप में सहायता और स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण शामिल है।

इस योजना का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई पहले ही आरंभ कर दी गई है।

भारतीय तेल निगम की सहायक कंपनियों का विलय

***359. श्री तूफानी सरोज :** क्या प्रट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम अपनी कुछ सहायक कंपनियों को अपने में ही विलय करने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी हां।

(ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने अपनी सहायक कंपनियों-इंडियन आयल ब्लेंडिंग लिमिटेड (आईओबीएल), आईबीपी कंपनी लिमिटेड (आईबीपी), बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल) और चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) का स्वयं में विलय करने की योजना बनाई है। इसका ब्यौरा और इसके कारण संलग्न विवरण में संक्षेप में दिए गए हैं।

विवरण

प्रस्तावित विलय	आईओसी द्वारा विलय के लिए दिए गए कारण	प्रस्ताव की स्थिति
1	2	3
(1) इंडियन आयल ब्लेंडिंग लिमिटेड (आईओबीएल) का आईओसी में विलय	आईओबीएल आईओसी द्वारा नियत मिश्रण शुल्क के भुगतान पर स्नेहकों और ग्रीसों के मिश्रण में लगी है। आईओबीएल की आय आईओसी के नए चालू हुए संयंत्रों को मांग पत्रों के अंतरण के कारण कम होती रही है। आईओबीएल की आय लाभप्रद रूप से प्रचालन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आईओसी में विलय के बाद, आईओबीएल की हानियों को आई ओसी के लाभों से संतुलित होंगी जिससे आईओसी को कर के लाभ होंगे।	आईओबीएल के बोर्ड ने आईओसी में आईओबीएल का विलय करने का निर्णय लिया था। इस प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की गई थी और विलय के लिए अनुमोदन आईओसी को 14.7.2005 को संसूचित किया गया था। दोनों कंपनियां विलय के लिए आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं आरंभ करने की प्रक्रिया में हैं।
(2) आईबीपी कंपमी लिमिटेड (आई बीपी) का आई ओसी में विलय	आईओसी और आईबीपी खुदरा और प्रत्यक्ष उपभोक्ता व्यापार दोनों में पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण, वितरण और विपणन में लगी हैं। कुछ स्थानों में दोनों कंपनियों की मूलभूत सुविधाओं में अति व्याप्ति होती है और इन अतिव्याप्त सुविधाओं के प्रचालन और रखरखाव में लागतें आती है। आईओसी और आईबीपी के बीच व्यवसायों और संभावित सहयोग की समानता से कुशलता में वृद्धि होगी, पैमाने की मितव्ययिता आएगी और लाभों में सुधार होगा। आईबीपी के आईओसी में विलय से प्रट्रोलियम उत्पादों के विपणन के व्यवसाय का एक निकाय	आईओसी और आईबीपी के बोर्डों ने आईओसी में आईबीपी के विलय की योजना का अनुमोदन कर दिया है। इस प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

1	2	3
	में समेकन होने और विलयित कंपनी अर्थात आईओसी को दोनों कंपनियों की सहक्रिया का दोहन करने और इष्टतम करने में समर्थ बना कर उसकी स्थिति के सुदृढ़ होने की संभावना है।	
(3) बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बीआर पीएल) का आईओसी में विलय	आईओसी और बीआरपीएल पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन के व्यवसाय में लगी हैं। बीआरपीएल पेट्रोरसायन और पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर (पीएसएफ) उत्पादों के व्यवसाय में भी लगी हैं। आईओसी ने गुजरात में लीनियर अल्काइल बैंजीन (एलएबी) परियोजना और पानीपत में प्रस्तावित पैराजाइलीन (पीएक्स)/शुद्धीकृत टेराफथेलिक एसिड (पीटीए), नाफ्था क्रेकर परिसर के साथ पेटोरसायन व्यवसाय में भी बड़े स्तर पर प्रवेश किया है। बीआरपीएल अपनी तरह की अकेली सहायक कंपनी के रूप में वैश्विक तेल परिदृश्य की अनिश्चितताओं का सामना करने में कठिनाई का अनुभव करेगी। इसलिए परिसंपत्तियों और सुविधाओं के उपयोग को अधिकतम कनाने के लिए और राष्ट्रीय संसाधनों को इष्टतम करने हेतु और उपरिव्यय में कमी करने के लिए बीआरपीएल का आईओसी में विलय करना और इसके द्वारा एकीकृत, सह-क्रियात्मक और लागत प्रभावी प्रचालनों को सुकर बनाना उपयुक्त होगा।	आईओसी और बीआरपीएल के बोर्डों ने आईओसी में बीआरपीएल के प्रस्तावित लिय के लिए "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान किया है। ये कंपनियां इक्विटी शेयरों के लिए उचित विनिमय अनुपात और विलय की योजना का विकास करने के दृष्टिकोण से विभिन्न एजेंसियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में है।
(4) चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) का आईओसी में विलय	आईओसी और सीपीसीएल दोनों पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन के व्यवसाय में लगी हैं। सीपीसीएल पेट्रोरसायन के व्यवसाय में भी लगी है। आईओसी ने गुजरात में लीनियर अल्काइल बैंजीन (एलएबी) परियोजना और पानीपत में प्रस्तावित पैराजाइलीन (पीएक्स)/शुद्धीकृत टेराफथेलिक एसिड (पीटीए), नाफ्था क्रेकर परिसर की स्थापना के साथ पेट्रोरसायन व्यवसाय में भी बड़े स्तर पर प्रवेश किया है। सीपीसीएल अपनी तरह की अकेली सहायक कंपनी के रूप में वैश्विक तेल परिदृश्य की अनिश्चितताओं का सामना करने में कठिनाई का अनुभव करेगी। इसलिए परिसंपत्तियों और सुविधाओं के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए और राष्ट्रीय संसाधनों को इष्टतम करने हेतु और उपरिव्यय में कमी करने के लिए भी सीपीसीएल का आईओसी में विलय करना और इसके द्वारा एकीकृत, सहक्रियात्मक और लागत प्रभावी प्रचलनों को सुकर बनाना उपयुक्त होगा।	सीपीसीएल में कुल इक्विटी की लगभग 15% इक्विटी नेशनल इरानियन आयल कंपनी (एनआईओसी) के पास है और विलय की किसी प्रक्रिया आरंभ करने से पहले उनकी पूर्व राय लेना आवश्यक है क्योंकि यह अनिवार्य है कि सीपीसीएल में एनआईओसी की धारिता विलय से पहले आईओसी द्वारा प्राप्त की जाए। एनआईओसी के साथ वार्ता जारी है जिसमें उससे सीपीसीएल में उसकी इक्विटी धारिता आईओसी के पक्ष में छोड़ने का अनुरोध किया जा रहा है। एक बार जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जब आईओसी स्वयं में सीपीसीएल के विलय के लिए आवश्यक प्रस्ताव आरंभ करेगी।

[अनुवाद]

आपरेशन सद्भावना

*360. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं द्वारा जम्मू-कश्मीर में "आपरेशन सद्भावना" के माध्यम से लघु विकास और सामुदायिक परियोजनाएं आरंभ की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो "आपरेशन सद्भावना" की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त आपरेशन की शुरूआत के बाद से इसके लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय सेना अब तक "आपरेशन सद्भावना" के लक्ष्यों और उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त कर पायी है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) सेना ने, जम्मू-कश्मीर राज्य में जहां आतंकवाद तथा विद्रोही गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सैन्य-टुकड़ियां तैनात हैं, सिविलियनों के लाभार्थ लघु विकास तथा सामुदायिक परियोजनाएं शुरू की हैं।

"आपरेशन सद्भावना" की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

– जिन परियोजनाओं की स्थानीय जनता को बहुत अधिक आवश्यकता हो तथा जिन्हें राज्य सरकार का समर्थन प्राप्त हो, उन पर विचार किया जाता है।

– इस कार्यक्रम में ग्राम स्तर पर परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इसके अंतर्गत, विशेष ध्यान ग्राम-समाज की महिलाओं तथा युवाओं पर दिया जाता है। कुशल तथा अकुशल स्वदेशी श्रमिकों का अधिकतम इस्तेमाल किया जाता है।

– सेना, आमतौर पर, योजना बनाने, तकनीकी सहायता देने, सामग्री स्रोतों की व्यवस्था करने तथा पर्यवेक्षण करने में सहायता करती है।

– परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, उन्हें आगे बढ़ाने, रख-रखाव करने तथा देखभाल के लिए सिविल प्रशासन/ग्राम परिषद्/स्थानीय निकायों/सहकारिताओं को सौंप दिया जाता है।

वर्ष 1998/99 से "आपरेशन सद्भावना" हेतु आबंटित निधि का ब्यौरा इस प्रकार है :-

1998-1999	–	4 करोड़ रुपए
1999-2000	–	4 करोड़ रुपए
2000-2001	–	8.4 करोड़ रुपए
2001-2002	–	10 करोड़ रुपए
2002-2003	–	11 करोड़ रुपए
2003-2004	–	14 करोड़ रुपए
2004-2005	–	41 करोड़ रुपए
2005-2006	–	55.92 करोड़ रुपए

स्थानीय स्तर प्राप्त ऐसी सूचनाएं हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि "आपरेशन सद्भावना" के अधीन नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के कार्यान्वियन का स्थानीय जनता के दिमाग पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। "आपरेशन सद्भावना" के अंतर्गत चलने वाले कार्यक्रमों की व्यापक प्रशंसा हुई है तथा इनसे आम आदमी की कठिनाइयां दूर करने में मदद मिली है। स्थानीय जनता, सेना से बेहिचक सम्पर्क स्थापित करती है। शैक्षिक स्कीमों, मलिा सशक्तिकरण केन्द्रों, पौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों, सूचना एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के अंतर्गत परियोजनाओं या सेना द्वारा शुरू की गई विभिन्न सामुदायिक/विकास परियोजनाओं से रोजगार पैदा करने में सहायता मिली है तथा कई जिंदगियों का कायापलट हुआ है।

नीमयुक्त गर्भनिरोधक का विकास

3507. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि डी.आर.डी.ओ. के डिफेन्स इंस्टीटयूट आफ फिजियोलाजी एंड एलायड साइंसेज ने नीमयुक्त गर्भनिरोधक, डेंगू के लिए फेरोमोन्स और कैंसर उपचार के लिए रेडियो सेंसीलाइजर के रूप में 2 डीआक्सी डी. ग्लूकोज विकसित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नव विकसित प्रौद्योगिकियों पर सरकार के क्या विचार हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) रक्षा शरीर-क्रियाविज्ञान तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान (डी आई पी ए एस), दिल्ली ने नीम आधारित शुक्राणुनाशक तैयार करने के लिए दो प्रक्रियाओं का विकास किया है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना (डी आर डी ई), ग्वालियर ने डेंगू बुखार उत्पन्न करने वाले मच्छरों की जनसंख्या-नियंत्रण हेतु फेरोमोन विकसित किए हैं।

नाभिकीय चिकित्सा तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान (आई एन एम ए एस), दिल्ली तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना, ग्वालियर ने संयुक्त रूप से, कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी तथा कीमोथेरेपी को बेहतर बनाने के लिए 2-डीआक्सी-डी-ग्लूकोज तैयार किया है। इन सभी औषधियों पर, विभिन्न स्तरों पर, क्लिनिकल परीक्षण किए जा रहे हैं तथा 2-डीआक्सी-डी-ग्लूकोज के लिए प्रौद्योगिकी एक प्रतिष्ठित फार्मास्यूटिकल इडस्ट्रीज यथा डा. रेड्डी लेबोरेटरी को हस्तांतरिक कर दी गई है।

(ग) ये औषधियां सैन्य तथा सिविल, दोनों क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक हैं।

करगिल उत्सव

3508. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जुलाई, 2005 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में ''आई आन पाक टाक्स, करगिल सेलीब्रेशन टू बी लो की'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने करगिल विजय दिवस न मनाए जाने के बारे में कोई निर्देश जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है;

(घ) क्या सरकार को सैन्य बलों पर ऐसे निर्णय के विपरीत प्रभाव की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) वर्ष 1999 में कारगिल संक्रियाओं के पश्चात् भारतीय सेनाओं की विजय स्मृति को ताजा रखने के लिए 2000 तथा 2001 में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया था। द्विरावृत्ति से बचने के लिए, वर्ष 2001 में सेना मुख्यालयों ने यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को केवल विजय दिवस ही मनाया जाएगा। इसका सैन्य बलों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

चौकीघाट पुल

3509. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 पर चौकीघाट पुल के संबंध में माडल अध्ययन कराने के कार्य को ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य ब्रह्मपुत्र बोर्ड को कब सौंपा गया था;

(ग) इस अध्ययन के लिए बोर्ड को कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) माडल अध्ययन कब तक पूरा होने और निर्माण कार्य कब शुरू किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह कार्य ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सौंप दिया गया था और दिनांक 23.11.2004 को 63.80 लाख रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया था।

(घ) माडल अध्ययन जुलाई, 2006 तक पूरे हो जाने की संभावना है। माडल अध्ययन पूरे होने पर पुल के निर्माण-कार्य की व्यवहार्यता का आकलन किया जा सकता है।

मुम्बई विमानपत्तन पर परिवहन सुविधाएं

3510. श्री सुरेश वाघमारे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई विमानपत्तन के परिसर में बस द्वारा घरेलू से अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन तक यात्रियों को लाने ले जाने हेतु परिवहन सुविधाओं को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विमानपत्तन पर यात्रियों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार

3511. श्री एम. अंजन कुमार यादव :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में उन रेलवे स्टेशनों के क्या नाम हैं जहां विस्तार और पुनरुद्धार कार्य शुरू किया गया है;

(ख) इस पर राज्य-वार अब तक कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या इन स्टेशनों पर कार्य पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) इन स्टेशनों पर विस्तार और पुनरुद्धार कार्यों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) भारतीय रेल पर 8000 से अधिक रेलवे स्टेशन विद्यमान हैं। रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/नवीकरण/आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और यातायात वृद्धि तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष निर्धारित मानकों के अनुसार इसको निष्पादित किया जाता है। विभिन्न स्टेशनों के लिए प्रत्येक वर्ष अनेक नए निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाते हैं और बजट प्रलेखों के साथ संसद में प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले निर्माण कार्य, मशीन एवं चल स्टाक कार्यक्रम, भाग II में 'यात्री सुविधाएं योजना शीर्ष के अंतर्गत 'प्रगति पर कार्य' के साथ दर्शाए जाते हैं। इसके अलावा, संगत योजना शीर्षों के अंतर्गत 'दोहरीकरण', 'यातायात सुविधा कार्य', 'आमान परिवर्तन', 'कंप्यूटरीकरण' आदि के भाग के रूप में भी स्टेशनों पर सुधार किया जाता है। बहरहाल, आंध्र प्रदेश के कुछ स्टेशनों का नाम, जहां 2004-05 के दौरान विस्तार और नवीकरण संबंधी कार्य स्वीकृत/शुरू किए गए हैं, नीचे लिखे अनुसार है :

अदोनी, अकीविडु, अलेर, अनंतपुर, अंजनयापुरम, अन्नावरम, अराकू, आसिफाबाद, असपारी, भ्रदाचलम रोड, बकरापेट, बल्लमपल्ली, भांडरूपल्लै, बेगमपेट, बेल्लमकोंडा, बेल्लमपल्ली, बेथमचर्ला, भलकी, भीमावरम, भीमावरम शहर, भोंगीर, बीबीनगर, बीदर, बिस्मीरशरीफ, बोबिली, बुरुगुहालू, चकरालापल्ली, चाकू, चाकूर, चर्लापल्ली, छिगीचर्ला, छिम्दीपल्ली, चित्तपुर, चित्याल, कुमबम, धर्मावरम, दोणे, दोनाकोंडा, द्रोणाकल, घुवुडा, इद्दुलादोद्दी, गजुलापल्ली, गंगैपल्ली, गरलाडिन्ने, घानपुर, घाटकेश्वर, घाटनांदूर, गिड्डलूर, गोदेमगुरा, गुत्ती, गुडीपाडि, गुडुर, गुमुडा, गुंतकल, गंतूर, हलबर्गा, हानपार्थी, मणिकगढ़, हस्तावरम, हिंदुपुर, हलबर्गा, हैदराबाद, जक्कालाचेरुवू, जम्मीकुंता, जंगांव, जनवाल, जुतुर, कैकालूर, कलामाला, कलगापुर, कलबपुर, कलूरू, कमलनगर, कनमालापल्ली, कारावडी, काजीपेट, केसमुद्रम, खम्मन, कोडूरू, कोलनूर, कोटापल्ली, कोटावलासा, कृष्णामाकोना कुर्कुगुंता, लिंगमागुंतला, लिंगमपल्ली, लिंगनेनीदोद्दी, मचरेला, मछलीपत्तनम, मद्दीकेरा, माधिरा, महबूबाबाद, माकुडि, मालीविड्डु, मल्कापुरम, मालखेड रोड, मंचरियाल, मांडामर्री, मांडापाडु, मांगापत्तनम, मणिकगढ़, मनतापामपल्ली, मंत्रालयम रोड, मर्कापुर, मर्कापुरम, मौला-अली, नागारूर, नागीरेडीपल्ली, नालगोंडा, नंदलूर, नांदयाल, नरसारावपेट, नारायणपुरा, नारायणपेट रोड, नावंडगी, नेक्कोंडा, नल्लौर, निडाडावोलू, ओडेला, अंगौल, पनगांव, पर्ली, पर्ली वैद्यनाथ, वार्पतीपुरम, पाठकोथेचेरूवू, पेदाकाकाणि, पेदाकुरापाडु, पेद्दमपेट, पेद्दापल्ली, पेमबारती, पेंदेकल्लू, पेनूर्कोंडा, फिरंगीपुरम, पिदुगुरुल्ला, पिंदियालु, पोटाकापल्ली, राघवपुरम, रघुनाथपल्ली, रायचूर, रायगीर, राजामुंद्री, राजमपेट, रामागुंडम, रामराजापल्ली, रापर्ला, राविंद्राखानी, रेछनी रोड, रेड्डीगुडम, रेगडीपल्ली, रेणिगुंटा, समरलाकोट जंक्शन, सनथनगर, संतामगुरूल्लू, सत्तेनपल्ली, सतारूलू, सव्यालापुरम, सिकंदराबाद, सेडम, शंकरपल्ली, सीमाचलम, सीरीपुरम, सिरपुर टाउन, सिरपुरखागजनगर, सिरपुरखाजनगर, सीतालगरम, श्रीकाकुलम, श्रीकालाहस्ती, स्टुआर्टपुरम,

सुरारेड्डीपालेम, ताडेपल्लीगुडेम, तांदुर, टनाकु, तरलूपाडु, टेट्टु, तिरुपति, उदगीर, उलवापाडु, उप्पल, अप्पुगुंदूरू, कांगानूर, वेंकटागिरि, विजयवाड़ा, विकाराबाद, वीणूकोंडा, विशाखापत्तनम, विष्णुपुरम, विजयनगरम, वांगापल्ली, वारंगल, वीरगांव, विरूर, यादगीर, यशंतापुर, येरांगुडिपाडु, येरागुंतला और जहीराबाद।

(ख) रेल बजट रेलवे जोनवार तैयार किया जाता है और राज्यवार नहीं। इसलिए 2004-05 के दौरान और जून, 2005 तक "यात्री सुविधाएं" योजना शीर्ष के अंतर्गत जोनवार अनुमानित व्यय नीचे लिखे अनुसार है :

(करोड़ रुपये में)

रेलवे	व्यय 2004-05 (लगभग)	जून, 2005 तक व्यय (लगभग)
1	2	3
मध्य	15.36	3.33
पूर्व	12.46	1.54
उत्तर	27.79	5.64
पूर्वोत्तर	10.15	1.81
पूर्वोत्तर सीमा	11.88	2.69
दक्षिण	20.69	4.54
दक्षिण मध्य	41.35	6.12
दक्षिण पूर्व	7.00	2.96
पश्चिम	18.42	1.69
पूर्व मध्य	19.88	2.59
पूर्व तटीय	4.16	1.10
उत्तर मध्य	6.11	1.06
उत्तर पश्चिम	6.75	1.17
दक्षिण पूर्व मध्य	8.37	2.36
दक्षिण पश्चिम	4.67	1.41
पश्चिम मध्य	7.22	1.62
मेट्रो	0.50	0
जोड़	222.76	41.63

(ग) से (ङ) जी नहीं। चूंकि रेलवे स्टेशनों का विस्तार और नवीकरण एक सतत प्रक्रिया है, एक सामान्य लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

आईबीपी द्वारा पेट्रोल पंपों का आबंटन

3512. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान कर्नाटक में आईबीपी कंपनी द्वारा कितने पेट्रोल पंप आबंटित किए गए;

(ख) कर्नाटक में कितने मामलों में जिला समाहर्ताओं से पेट्रोल पंपों की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगे गए थे;

(ग) क्या आईबीपी ने विपणन योजना का अनुपालन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) वर्ष 2004-05 के दौरान आईबीपी कंपनी लिमिटेड (आईबीपी) ने कर्नाटक राज्य में 38 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें (पेट्रोल पंपों) का आबंटन किया।

(ख) इस वर्ष में कंपनी ने चार स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य में जिला कलैक्टरों से "अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसीज)" मांगे। शेष स्थानों के लिए कंपनी द्वारा आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं। खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना करने के लिए भूमि का अंतिम निर्णय हो जाने पर एनओसी मांगा जाएगा।

(ग) और (घ) आईबीपी ने 2003-05 की अवधि के लिए अपने राज्यवार खुदरा विपणन योजना को अंतिम रूप दे दिया है। कंपनी इस विपणन योजना के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन कर चुकी है/कर रही है। योजना का ब्यौरा कंपनी के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध है।

रेल परियोजनाएं

3513. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के संबंध में पश्चिमी रेलवे के पास कई प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इन रेल परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) उन परियोजनाओं को लंबित परियोजनाएं कहा जाता है जिन्हें बजट में तो शामिल किया गया है परन्तु स्वीकृति नहीं मिली होती है। गुजरात राज्य में अंशतः/पूर्णतः आने वाली कोई परियोजना लंबित नहीं है। बहरहाल, गुजरात राज्य में आने वाली अंशतः/पूर्णतः परियोजनाओं में 2 नई लाइनें, 5 आमान परिवर्तन और एक दोहरीकरण की परियोजना है जो प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति

3514. **श्री चन्द्रभान सिंह :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार से 50 प्रतिशत अंशदान मांगने और उनके लिए मध्य प्रदेश के सागर, रीवा, मुरैना और उज्जैन जिलों में छात्रावासों के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार से 50% के अंशदान की मांग करते हुए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। किन्तु, मध्य प्रदेश की सरकार ने सागर, रीवा, मुरैना और उज्जैन जिलों में वर्ष 2005-06 के दौरान चार छात्रावासों के निर्माण के लिए 120.00 लाख रुपए की मांग का प्रस्ताव भेजा है और इस प्रस्ताव पर मंत्रालय में कार्रवाई चल रही है।

किशनगढ़ में विमानपट्टी

3515. **प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किशनगढ़ में मौजूद विमानपट्टी का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किशनगढ़ में स्थित मौजूदा हवाईपट्टी के माध्यम से किसी भी एयरलाइन द्वारा अपनी सेवाओं में विस्तार किए जाने हेतु कोई वचनबद्धता अथवा मांग न किए जाने के कारण, इस समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) द्वारा इसको विकसित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भिवानी रख-रखाव यार्ड का विस्तार

3516. **श्री कुलदीप बिश्नोई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली स्टेशन पर भार को कम करने के लिए भिवानी रख-रखाव यार्ड का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली स्टेशन पर भार को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) भिवानी अनुरक्षण यार्ड का विस्तार करने की कोई योजना नहीं है।

(घ) दिल्ली जंक्शन पर भीड़ कम करने के लिए निम्नलिखित रेलगाड़ियों को दिल्ली सराय रोहिल्ला तक बढ़ाया गया है :-

5609/5610 गुवाहाटी-दिल्ली अवध असम एक्सप्रेस

4041/4042 देहरादून-दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस

5013/5014 काठगोदाम-दिल्ली रानीखेत एक्सप्रेस

[अनुवाद]

यमन में तेल और गैस की खोज

3517. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या प्रट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तेल कंपनियों ने यमन में तेल और गैस की खोज करने और अदन तेल शोधक कारखाने का आधुनिकीकरण करने में रुचि दर्शाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ संयुक्त तकनीकी समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय तेल कंपनियों ने यमन में अन्वेषण और उत्पादन ब्लाकों, अदन रिफाइनरी परियोजना के आधुनिकीकरण, प्रस्तावित हाइड्रोक्रैकर परियोजना, यमन से प्राकृतिक गैस के स्रोतीकरण तथा यमन में एलएनजी द्रवीकरण संयंत्रों में रुचि दिखाई है।

(ग) और (घ) साना में 15-17 जनवरी, 2005 के बीच आयोजित भारत-यमन संयुक्त समिति की बैठक के 5वें सत्र की चर्चा के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि अन्य बातों के साथ-साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति (जेटीसी) का गठन किया जाए। यमन सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से जेटीसी का गठन किया जा रहा है।

सेंट्रीफ्यूज की खरीद

3518. श्री तथागत सत्पथी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने हाल ही में पायलटों के प्रशिक्षण हेतु उच्च कार्यनिष्पादन वाले सेंट्रीफ्यूज की खरीद की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने अंतरिक्ष औषध संस्थान, बेंगलूर में अधिष्ठापित किए जाने हेतु एक उच्च कार्य-निष्पादन वाले ह्यूमन सेन्ट्रीफ्यूज की अधिप्राप्ति के लिए संविदा की है।

[हिन्दी]

एचपीसीएल के लाभ में कमी

3519. श्री अविनाश राय खन्ना :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के लाभ में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान कंपनी ने अपने लाभ को बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) का कर पश्चात लाभ 2003-04 के दौरान 1904 करोड़ रुपए से कम होकर 2004-05 में 1277 करोड़ रुपए हो गया, यह कमी लगभग 33% है। लाभ में कमी मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप खुदरा बिक्री मूल्यों के गैर संशोधन के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में पेट्रोल, डीजल, सा.वि.प्र. मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की बिक्री पर वर्ष के दौरान उच्चतर अल्प वसूलियों के कारण है। उपर्युक्त उत्पादों के बतौर एचपीसीएल सहित तेल विपणन कंपनियों की अल्प वसूलियों की अपस्ट्रीम कंपनियों द्वारा आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति की जा रही है।

(ग) और (घ) हालांकि कंपनी ने मुख्यत: पेट्रोल, डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी पर कम वसूली के कारण वर्तमान चालू वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 508 करोड़ रुपए की निवल हानि उठाई है, एचपीसीएल ने अपनी लागतों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने का विचार किया है:-

(1) उच्च गंधक वाले क्रूड की तुलना में सस्ता है की प्राप्ति अधिकतम करके, और क्रूड के परिवहन की लागत कम करके क्रूड की लागत इष्टतम करना,

(2) ऊर्जा संरक्षण/ईंधन और हानी में कमी/उत्पादन को अधिकतम करना,

(3) प्रौद्योगिकी बुद्धिमता प्रणालियों के माध्यम से उत्पाद वितरण/परिवहन को इष्टतम करना,

(4) उधार के लिए नवीन वित्तीय लिखतों का उपयोग करते हुए ब्याज की लागत में बचत करना,

(5) बीमे की लागत में बचत,

(6) माल सूची प्रबंधन सहित कार्यशील पूंजी की सूक्ष्म निगरानी।

[अनुवाद]

मदुरई विमानपत्तन पर एयर कार्गो सुविधा

3520. श्री ए.के. मूर्ति : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मदुरई विमानपत्तन पर एयर कार्गो सुविधा की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कार्गो यातायात की कमी के कारण इस समय मदुरई हवाई अड्डे पर एयर कार्गो सुविधाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सहारनपुर में रेल उपरिपुल

3521. श्री रशीद मसूद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शारदा नगर चौक पर रेल उपरिपुल का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी हां। शारदा नगर, सहारनपुर में 181/10-11 कि.मी. पर मौजूदा समपार सं. 86-बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण रेलवे के 2005-06 के निर्माण कार्यक्रम में लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें रेलवे की हिस्सेदारी 420 लाख रुपए और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 453 लाख रुपए है। रेलवे पुल खास अर्थात् रेलपथ पर पुल का निर्माण तथा राज्य सरकार पहुंच मार्ग का कार्य करेगी। पहुंच मार्ग में हिस्से के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख और अनुमान राज्य सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा पहुंचमार्गों के कार्य के साथ-साथ रेलवे के हिस्से का कार्य पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

औरंगाबाद-जयपुर-उदयपुर मार्ग से विमान सेवाएं

3522. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औरंगाबाद की पर्यटन संभावना के मद्देनजर औरंगाबाद जयपुर-उदयपुर विमान सेवाएं पुनः शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे पुनः कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) देश के विभिन्न क्षेत्रों में विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार ने मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करे। इस प्रकार सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के आधार पर एयरलाइनें देश में कहीं पर भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, इंडियन एयरलाइंस की औरंगाबाद-जयपुर-उदयपुर मार्ग पर पुनः हवाई सेवा शुरू करने की कोई योजना नहीं है, चूंकि इसके बेड़े के विमान वर्तमान अनुसूची के अनुसार, सेवाओं के प्रचालन में पूर्णरूप से लगे हुए हैं।

उज्जैन में रेडियो स्टेशन

3523. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उज्जैन, मध्य प्रदेश में रेडियो स्टेशन की स्थापना हेतु कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उज्जैन में रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) जी, हां। दसवीं योजना अवधि के दौरान उज्जैन में 5 कि.वा का एक एफ एम ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। दिसम्बर, 2004 में रेडियो स्टेशन के लिए स्थल को अधिग्रहित कर लिया गया है। इस केन्द्र को पूरा करने में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा, बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो।

नीमच रेलवे स्टेशन पर आरक्षण केन्द्र

3524. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के नीमच रेलवे स्टेशन पर मात्र एक कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की कोई मांग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दाभोल एलएनजी टर्मिनल

3525. श्रीमती अर्चना नायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दाभोल तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या ''गेल'' ने दाभोल टर्मिनल हेतु मूल अभियांत्रिकी, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) समूह को पुनर्गठित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल सहित दाभोल परियोजना की पुनर्संरचना और दोबारा चालू करने के लिए योजना में, गेल, एनटीपीसी और भारतीय उधारदाताओं के साथ 500 करोड़ रुपए प्रत्येक के इक्विटी इनफ्यूजन से बनी एसपीवी परियोजना के गठन की परिकल्पना है। तद्नुसार परियोजना एसपीवी, जिसे रत्नागिरि गैस और पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) कहा जाता है को 50:50 के संयुक्त उद्यम के रूप में गेल और एनटीपीसी द्वारा गठित और निगमित किया गया। आरजीपीपीएल दाभोल परियोजना को ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)/न्यायालय प्रक्रिया के माध्यम से सभी विल्लगमों से रहित परिसंपत्ति को प्राप्त करेगी और तत्पश्चात परियोजना को पूरा करेगी, चालू करेगी और उसका प्रचालन करेगी। आरजीपीपीएल, एलएनजी टर्मिनल पर बाकी कार्य को पूरा करेगी। यद्यपि आरजीपीपीएल जुलाई 2006 तक एलएनजी टर्मिनल को पूरा करने का लक्ष्य रख रही है, तथापि, अधिक निश्चित और विशुद्ध समय सारणी तभी बनाई जा सकेगी जबकि मूल्यांकन अध्ययन पूरा हो चुका हो।

(ग) और (घ) दाभोल परियोजना के लिए इंजीनयरी, ड्राइंगों, दस्तावेजों, और ठेको की अन उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गेल ने दाभोल परियोजना पर शेष कार्य को पूरा करने के लिए उनकी रुचि जानने हेतु भारतीय और विदेशी कंपनियों से संपर्क किया जो जून 2001 में दाभोल परियोजना में काम बंद होते समय एलएनजी टर्मिनल और समुद्री सुविधाओं का कार्य कर रहे थे। इन कंपनियों ने एलएनजी टर्मिनल और समुद्री सुविधाओं के मूल्यांकन और इन्हें पूरा करने के कार्य में अपनी इच्छा जताई है। चूंकि परियोजना एसपीवी अर्थात आरजीपीपीएल का अब गठन किया जा चुका है, मूल ईपीसी परिसंघ के नियोजन का निर्णय उनके द्वारा ही लिया जाएगा।

वापसी यात्रा बुकिंग सुविधाएं

3526. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में उन रेलवे स्टेशनों और नगर बुकिंग कार्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां कंप्यूटरीकृत बुकिंग सुविधाओं के माध्यम से वापसी यात्रा टिकट उपलब्ध हैं;

(ख) क्या रेलवे का विचार राज्य में ऐसे कार्यालयों की संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन कार्यालयों के कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) कर्नाटक में पहले से ही उपलब्ध कंप्यूटरीकृत बुकिंग सुविधा स्थलों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। भारतीय रेल के भी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों पर वापसी यात्रा आरक्षण सुविधा उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ)जी हां। कर्नाटक राज्य में स्वीकृत आरक्षण सुविधाओं की सूची, जिन्हें अभी खोला जाना है, संलग्न विवरण में दी गयी है।

कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं का विस्तार एक सतत एवं चालू प्रक्रिया है। धन की उपलब्धता, तकनीकी व्यवहार्यता और गैर-रेल शीर्ष जिला मुख्यालयों के मामले में राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराए जाने के अध्यधीन प्रत्येक वर्ष अनेक नए स्थलों पर ये सुविधाएं स्वीकृत की जाती हैं। इसलिए यात्री आरक्षण केंद्रों का कार्य पूरा करने/चालू करने के लिए कोई नियत समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कर्नाटक राज्य में कार्यरत कंप्यूटरीकृत बुकिंग कार्यालयों की सूची 15.8.2005 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	स्थल
1	2
1.	आस्टिन टाउन
2.	बंसनकरी (बेंगलूरु)
3.	बेंगलूरु

1	2
4.	बेंगलूरु छावनी
5.	बेंगलूरु शहर
6.	बेंगलूरु इंदिरानगर
7.	बंगारपेट
8.	बेलगाम
9.	बेल्लारी
10.	भद्रावती
11.	बीदर
12.	बिजापुर
13.	चित्रादुर्ग रेलवे स्टेशन
14.	देवनगेरे
15.	धारवाड़
16.	गदग
17.	घाटप्रभा
18.	गुलबर्गा
19.	हसन
20.	हवेरी
21.	होपेजट
22.	हुबली
23.	जयनगर (सिकंदराबाद)
24.	के आर मार्किट बेंगलूरु
25.	कनकानाडि
26.	कारवाड़
27.	कंगेरी
28.	कोप्पल
29.	कोरमंगला (बेंगलूरु)
30.	माडिकेरी
31.	मल्लेश्वरम
32.	मंडया
33.	मंगलौर
34.	मैसूर
35.	रायचूर
36.	सीरम
37.	शिमौगा शहर
38.	तुमकुर
39.	विजयनगर (सिकंदराबाद)
40.	वाडि
41.	व्हाइटफील्ड (बेंगलूरु)
42.	यादगीर
43.	यलहंका
44.	यशवंतपुर

कर्नाटक राज्य में स्वीकृत लेकिन जिन्हें अभी खोला जाना है, कंप्यूटरीकृत बुकिंग कार्यालयों की सूची

1.	अरसीकेरे
2.	बगलकोट
3.	बीजापुर शहर

1	2
4.	चल्लेकेरे रेलवे स्टेशन
5.	चामराजनगर
6.	चिकमगलूर
7.	इलेक्ट्रानिक सिटी बेंगलूरु
8.	इंदी रोड़ रेलवे स्टेशन
9.	काडूर
10.	कोलार
11.	लोंडा
12.	मंगलौर सैटेलाइट
13.	मेराकरा
14.	एसएसपीएन रेलवे स्टेशन
15.	तोरंगाल्लू

ग्राम संसाधन केन्द्रों की स्थापना

3527. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्राम संसाधन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या प्रस्तावित केन्द्रों के स्थानों की पहचान की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय किसान आयोग ने 29 दिसम्बर, 2004 को केन्द्रीय कृषि मंत्री को भेजी गयी अपनी पहली रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें की है जिसमें ग्रामीण विकास के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी और संचार के अन्य माध्यमों को काम में लाने के लिए ग्रामीण/ग्राम ज्ञान केन्द्रों की स्थापना करना शामिल है। जयपुर में 17-19 दिसम्बर, 2004 को आयोजित राज्यों के पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों के सातवें गोलमेज सम्मेलन में निष्कर्षों के पैरा 8 के जरिए यह प्रस्ताव किया गया था कि केन्द्र में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे सामुदायिक सेवा केन्द्रों को पंचायत कार्यालयों में ग्रामीण कार्यालयों में स्थापित किया जाए ताकि पंचायत सेवाएं समान सेवा केन्द्रों के माध्यम से आसानी से प्रदान की जा सकें। केन्द्रों की संख्या तथा स्थिति, जिस सीमा तक ये केन्द्र ग्राम पंचायतों के लिए मददगार होंगे और उन्हें स्थापित करने के लिए वित्तीय आवश्यकता के बारे में केवल तभी पता चल पाएगा जब आयोग की सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई हो और इन्हें सरकार द्वारा पारित कर दिया गया हो।

पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस के लिए मिशन मोड परियोजना भी तैयार कर रहा है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि इससे देश की सभी पंचायतें पंचायत स्तर पर दी गई निर्धारित सेवाओं के संदर्भ में ई-गवर्नेंस समाधानों को कार्यान्वित करने में सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों को क्रमिक रूप से प्राप्त कर पाएंगें। यह एक नई पहल है। राज्य की कुछेक पंचायतें संबंधित राज्यों की पहलों के तहत पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस की प्रायोजित परियोजनाओं को कार्यान्वित करती रही हैं। तथापि, यह केन्द्रीय योजना के अंतर्गत है कि सामान्य मानक और बेंचमार्क तैयार किए जाएं ताकि पंचायत स्तर पर सु-शासन को आगे बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का समेकित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।

रूस के साथ सांस्कृतिक संबंध

3528. श्री अनन्त नायक : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किन देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का रूस के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) भारत सरकार ने सांस्कृतिक करारों, समझौता ज्ञापनों तथा संयुक्त सांस्कृतिक आयोग के माध्यम से अनेक देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए है। 115 देशों के साथ सांस्कृतिक करार किए गए हैं इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जापान के संबंध में एक संयुक्त सांस्कृतिक आयोग की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने रूस के साथ सौहार्दपूर्ण सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए हैं। रूस के साथ 1993 में सांस्कृतिक करार किया गया था। भारत और रूस के बीच पिछली बार सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर वर्ष 2000 में हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2005-2008 के लिए नए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने के प्रयास जारी हैं। इस समय सरकार 25 सितंबर से 4 अक्तूबर, 2005 तक रूस में "भारतीय संस्कृति के दिन" उत्सव आयोजित करने जा रही है।

विवरण

विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक करार

क्र.सं.	देश का नाम	हस्ताक्षर की तारीख
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	04.01.1963
2.	अल्जीरिया	01.06.1976
3.	अर्जेन्टिना	28.05.1974
4.	अर्मेनिया	14.12.1995
5.	आस्ट्रेलिया	21.10.1971
6.	बहरीन	08.01.1975
7.	बांग्लादेश	30.12.1972
8.	बेलारूस	14.05.1993
9.	बेल्जियम	21.09.1973
10.	बेलिज	15.06.1994
11.	बेनिन	17.07.1986
12.	बोलिविया	08.12.1997
13.	बोस्निया और हर्जेगोविना	20.09.2002 (यूगोस्लाविया)
14.	बोत्सवाना	14.05.1997
15.	ब्राजील	23.09.1969
16.	बुल्गारिया	02.02.1963
17.	बुर्किना-फासो	12.12.1983
18.	कम्बोडिया	31.01.1996
19.	चिली	13.01.1993
20.	चीन	28.05.1988
21.	कोलम्बिया	22.05.1974
22.	कोएशिया	05.03.1999
23.	क्यूबा	21.07.1976
24.	साइप्रस	24.10.1980
25.	चेक	11.101996
26.	जीबूटी	31.01.1989
27.	मिस्र	25.09.1958
28.	एस्टोनिया	15.10.1993
29.	इथोपिया	09.02.1983
30.	फिनलैंड	10.06.1983
31.	फ्रांस	07.06.1966
32.	जर्मनी	20.03.1969

1	2	3
33.	घाना	12.10.1981
34.	ग्रीस	22.06.1961
35.	गुयाना	30.12.1974
36.	हंगरी	03.03.1962
37.	इंडोनेशिया	29.12.1955
38.	इरान	10.12.1956
39.	इराक	19.04.1973
40.	इस्राइल	18.05.1993
41.	इटली	12.07.2004
42.	जमैका	05.10.1992
43.	जापान	29.10.1956
44.	जोर्डन	15.02.1976
45.	कज्जाकिस्तान	22.02.1981
46.	केन्या	24.02.1981
47.	कुवैत	02.11.1970
48.	किर्गिस्तान	14.03.1992
49.	लाओस	17.08.1994
50.	लातिविया	01.09.1995
51.	लेबनान	07.04.1997
52.	लेसोथो	05.10.1976
53.	लीबिया	24.08.1985
54.	लिथुआनिया	20.02.2001
55.	लेक्समवर्ग	10.09.1996

1	2	3
56.	मेडागास्कर	17.06.1997
57.	मलेशिया	03.03.1978
58.	मालदीव	07.09.1983
59.	माल्टा	14.01.1992
60.	मॉरिशस	06.02.1976
61.	मेक्सिको	23.07.1975
62.	मोलडोवा	19.03.1993
63.	मंगोलिया	09.02.1978
64.	मोरोक्को	12.01.1981
65.	मोजाम्बिक	09.02.1978
66.	म्यांमार	25.01.2001
67.	नामीबिया	25.01.1991
68.	नीदरलैंड	24.05.1985
69.	निकारागुआ	09.09.1986
70.	नाइजिरिया	14.09.1982
71.	उत्तर कोरिया (डी पी आर के)	02.07.1976
72.	नार्वे	19.04.1961
73.	ओम्मान	03.08.1991
74.	पाकिस्तान	31.12.1988
75.	पनामा	02.02.2001
76.	पेरू	25.01.1987
77.	पोलैंड	27.03.1957
78.	पुर्तगाल	07.04.1980

1	2	3
79.	फिलिपिंस	06.09.1969
80.	कतर	04.06.1980
81.	रोमानिया	03.04.1957
82.	रवांडा	04.07.1975
83.	रूस	28.01.1993
84.	सेनेगल	21.05.1974
85.	सर्बिया और मानटेनेग्रो	20.09.2002 (यूगोस्लाविया)
86.	सेशेल्स	22.12.1987
87.	सिंगापुर	05.02.1993
88.	स्लोवाक	11.03.1996
89.	स्लोवेनिया	16.12.1996
90.	सोमालिया	02.04.1979
91.	दक्षिण अफ्रिका	04.12.1996
92.	दक्षिण कोरिया	12.08.1974
93.	स्पेन	16.09.1982
94.	श्रीलंका	29.11.1977
95.	सूडान	28.11.1974
96.	सुरीनाम	22.09.1992
97.	सीरिया	13.11.1975
98.	तंजानिया	17.01.1975
99.	तजाकिस्तान	15.02.1993
100.	थाईलैंड	29.04.1997
101.	त्रिनिडाड एंड टोबैगो	13.03.1987
102.	ट्यूनिशिया	24.06.1969
103.	टर्की	29.05.1951
104.	तुर्कमेनिस्तान	24.04.1992
105.	संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई)	03.01.1975
106.	युगांडा	24.11.1981
107.	युक्रेन	27.03.1992
108.	उजबेकिस्तान	17.08.1991
109.	वेनेजुएला	13.09.1984
110.	वियतनाम	18.12.1976
111.	यमन	22.07.1999
112.	जायरे	04.07.1978
113.	जाम्बिया	26.01.1975
114.	जिम्बावे	22.05.1981
115.	नेपाल	30.09.2004

एचएमटी, श्रीनगर को विशेष पैकेज

3529. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एचएमटी, श्रीनगर को विशेष पैकेज उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकार का प्रस्ताव एचएमटी चिनार वाचिज लि. के पुनरूद्धार के विकल्पों की जांच कराने तथा इसके कार्यकलापों के विविधीकरण के लिए शक्यता अध्ययन कराने का है।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य सरकार ने नये रोजगार के सृजन करने की दृष्टि से पुनरूद्धार और विविधीकरण का पता लगाने का अनुरोध किया है।

सरकार कंपनी के पुनरूद्धार/कार्यकलापों के विविधीकरण के विकल्पों की जांच कराने हेतु अध्ययन करने पर विचार कर रही है।

राज्यों की राजधानी में शिकायत निवारण शिविर

3530. **श्री एम. अप्पादुरई** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राज्यों की राजधानी में शिकायत निवारण शिविर आयोजित करना शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों की राजधानी में ऐसे शिविर आयोजित करने के क्या कारण हैं;

(ग) राज्य सरकारों से रिपोर्ट के कारण कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) राज्य सरकारों से शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल प्रदेशों की राजधानियों में तथा केन्द्र शासित क्षेत्र पांडिचेरी में राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठकें की और 287 विचाराधीन मामलों में से 147 मामलों का अगस्त, 2004 तक निपटान किया।

पेट्रोल पंपों पर धुलाई घर

3531. **श्री ई.जी. सुगावनम** :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न पेट्रोल और डीजल पंपों पर धुलाई घर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन स्थानों की पहचान की गयी है; और

(ग) पंपों पर कब तक यह सुविधा उपलब्ध कराएं जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) बीपीसीएल ने मुंबई में निम्नलिखित चार खुदरा बिक्री केन्द्रों पर लान्ड्री सेवा आरंभ की है:-

(1) मैसर्स आटोपैट, सांताक्रूज (पश्चिम)

(2) मैसर्स चरकोप पैट्रोलियम, कांदी वली (पश्चिम)

(3) मैसर्स विखरोली आटो मोबिल्स, विखरोली

(4) मैसर्स बाहरी आटो सर्विस, चैम्बूर

अन्य स्थानों पर यह सुविधा आरंभ करने के लिए बाजार अध्ययन कार्य प्रगति पर है।

एचपीसीएल ने दिल्ली में प्रयोग के तौर पर निम्नलिखित तीन खुदरा बिक्री केन्द्रों पर लान्ड्री सेवा आरंभ की है:-

(1) मैसर्स हाईवे सर्विस स्टेशन

(2) मैसर्स राजीव सर्विस स्टेशन

(3) मैसर्स पंचशील सर्विस स्टेशन

आईओसीएल और आईबीपी की अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों/स्थलों पर लान्ड्री सेवाएं स्थापित करने की कोई योजना/प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय समुद्री सीमा का उल्लंघन

3532. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी पोतों ने अंडमान के पास भारतीय समुद्री सीमा का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ग) इस मामले में कोस्ट गार्ड/सुरक्षा बलों द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) विदेशी जलयानों द्वारा अंडमान के समीप भारतीय समुद्र के उल्लंघन की कोई सूचना नहीं है। तथापि, मछली पकड़ने वाले विदेशी जलयानों के भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मार्गच्युत होने की कुछ घटनाएं जानकारी में आई हैं।

(ख) और (ग) विगत एक वर्ष में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की समुद्री सीमा में 19 मछली पकड़ने वाले विदेशी जलयान, अवैध रूप से मछलियां पकड़ते हुए पकड़े गए थे।

(घ) अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के चारों और भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र की भारतीय तटरक्षक तथा भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा नियमित रूप से जमीनी और हवाई निगरानी की जा रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राऊ-पीतमपुर रोड पर रेल उपरिपुल

3533. **श्री गणेश सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को मध्य प्रदेश सरकार से राऊ-पीतमपुर रोड पर रेल उपरिपुल के निर्माण के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जिन समपारों पर यातायात का घनत्व एक लाख या अधिक टी.वी.यू. हो (टी.वी.यू.-एक इकाई है जो 24 घंटों में समपार से गुजरने वाले सड़क वाहनों की संख्या को वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है) वहां पर रेलें द्वारा लागत में भागीदारी के आधार पर अन्यथा निक्षेप शर्तों पर मौजूदा समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया जाता है। दोनों ही मामलों में प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कुछ प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं जैसे अपने हिस्से की लागत को वहन करने की वचनबद्धता, ऊपरी सड़क पुल के पूर्ण होने पर समपार को बंद करना, भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम कार्यवाही आदि को विधिवत् रूप से पूरा करते हुए प्रस्ताव प्रायोजित कराया जाना चाहिए। रेलें, रेलपथ के आर-पार पुल के भाग का निर्माण करती है तथा राज्य सरकार पहुंच मार्गों का निर्माण करती है। पहुंच मार्गों के निर्माण जो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, के साथ-साथ रेलवे अपने हिस्से का कार्य पूरा करने का हर संभव प्रयास करती है। मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, भोपाल से लागत में भागीदारी के आधार पर राऊ यार्ड में कि.मी. 505/1-2 पर समपार सं. 256 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस समपार पर यातायात का घनत्व 3 लाख टी.वी.यू. से ज्यादा है और यह लागत में भागीदारी के आधार पर निर्माण के लिए अर्हता रखता है। बहरहाल, जैसा कि ऊपर बताया गया है मध्य प्रदेश सरकार से एक पूर्ण प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

3534. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है;

(ख) राज्य में विद्युतीकरण किए गए रेल मार्ग की लंबाई का प्रतिशत कितना है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग की लंबाई कितनी है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई है;

(घ) दसवीं योजना के दौरान अब तक विद्युतीकरण किए गए रेल मार्ग की लंबाई कितनी है और इस पर कितना व्यय आया है; और

(ङ) इस संबंध में समय-सीमा के सख्त अनुपालन हेतु क्या उपाय किए गए हैं या करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) 31.3.2004 को उत्तर प्रदेश में कुल रेल लाइन 8566 मार्ग किलोमीटर है, जिसमें 16.90% विद्युतीकृत है।

(ग) रेल विद्युतीकरण का कार्यक्रम/लक्ष्य प्रदेश की सीमाओं के अनुसार नहीं होता है।

(घ) 10वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में 54 मार्ग किलोमीटर को विद्युतीकृत किया जा चुका है। विद्युतीकरण पर किया जाने वाला खर्च राज्य वार नहीं रखा जाता है।

(ङ) परियोजनाओं के समय पर पूरा होने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यों की प्रगति पर गहन निगरानी रखी जाती है।

कलुंगा में उत्कल और गीतांजली एक्सप्रेस का ठहराव

3535. श्री जुएल ओराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राऊरकेला के निकट कलुंगा में उत्कल एक्सप्रेस और गीतांजली एक्सप्रेस का ठहराव उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कलुंगा में पूर्ण सुविधायुक्त प्लेटफार्म का निर्माण करके यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, नहीं। 8477/8478 पुरी-हरीद्वार कलिंग उत्कल एक्सप्रेस और 2859/2860 हावड़ा-मुंबई गीतांजली एक्सप्रेस को कलुंगा में ठहराव के लिए जांच की गई थी लेकिन फिलहाल वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

(ग) और (घ) जी नहीं। मध्यम स्तर वाले प्लेटफार्म सहित मानदंड के अनुसार सभी सुविधाएं कलुंगा रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध हैं।

प्रतिधारिताओं के विनिवेश हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुमति

3536. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों की प्रतिधारिताओं के विनिवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विनिवेश हेतु क्या प्रक्रिया अपनाए जाने की संभावना है और इसका कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) ओएनजीसी के पास आईओसी में कुल इक्विटी अंशधारिता 9.11% और गेल में 4.83% है। बदले में आईओसी के पास ओएनजीसी में 9.6% की कुल इक्विटी तथा गेल में 4.83% की इक्विटी है। इसी प्रकार गेल के पास ओएनजीसी में कुल 2.4% की इक्विटी है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की इन तेल कंपनियों की प्रतिधारिताओं के विनिवेश पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

रेलवे क्वार्टरों के निर्माण/रख-रखाव हेतु धनराशि

3537. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण/रख-रखाव, जल निकासी, प्रणाली और सड़क निर्माण हेतु धनराशि देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में प्रत्येक मंडल को कुल कितनी राशि आबंटित और जारी की गयी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक मंडल द्वारा वास्तव में कितनी राशि व्यय की गयी;

(घ) क्या दानापुर मंडल में रेलवे क्वार्टरों के भीतरी मार्ग बुरी दशा में है और बरसात के दौरान उचित जल निकासी प्रणाली के अभाव में जल जमाव की समस्या का सामना कर रहे हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) क्वार्टरों, सड़कों और जल निकासी प्रणाली के लिए निधियों का आवंटन 'कर्मचारी क्वार्टर' और 'कर्मचारी सुविधाएं' के अंतर्गत और राजस्व मांगों के अंतर्गत भी किया जाता है। क्षेत्रीय रेलों की विभिन्न राजस्व मांगों के विभिन्न उपशीर्षों से निधि आवंटन/उनके अनुरक्षण के व्यय की व्यवस्था/व्यय किया जाता है। सामान्यत: क्वार्टरों के निर्माण योजना शीर्ष 'कर्मचारी क्वार्टर' के अंतर्गत और कालोनियों के लिए सड़कों तथा नालियों का निर्माण योजना शीर्ष 'कर्मचारी सुविधाएं' के अंतर्गत किया जाता है। पिछले 3 वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजना शीर्षों के अंतर्गत (क्षेत्रीय रेलवार क्योंकि मंडलवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं) आवंटित/खर्च की गई निधियों का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:

कर्मचारी क्वार्टर

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

वर्ष	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
रेलवे	संशोधित आवंटन	व्यय	संशोधित आवंटन	व्यय	संशोधित आवंटन	व्यय	बजट अनुदान	जून, 05 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य	7.99	5.39	3.42	2.47	2.11	1.31	3.40	0.41
पूर्व	1.86	2.60	1.39	0.75	2.05	1.19	2.92	0.28
उत्तर	8.89	9.12	7.62	6.01	7.13	5.76	6.92	0.89
पूर्वोत्तर	1.66	3.09	1.15	0.96	1.17	1.58	1.97	0.27
पूर्वोत्तर सीमा	5.45	5.53	7.32	4.44	7.26	4.88	11.23	1.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दक्षिण	6.12	4.54	6.56	3.82	5.42	3.09	6.86	0.46
दक्षिण मध्य	3.35	3.77	3.78	3.44	5.65	5.38	3.35	0.82
दक्षिण पूर्व	7.45	5.72	3.45	2.04	3.07	2.48	3.18	0.36
पश्चिम	20.26	14.14	13.29	6.10	9.19	5.67	14.40	1.15
पूर्व मध्य	3.39	0	2.96	1.92	3.03	1.89	4.08	0.65
पूर्व तटीय	0	0	3.26	1.92	2.57	1.93	1.81	0.92
उत्तर मध्य	0	0	3.74	2.72	2.28	2.23	2.21	0.60
उत्तर पश्चिम	0.78	0	5.41	3.78	3.25	2.94	5.55	0.65
दक्षिण पूर्व मध्य	0	0	1.39	0.79	2.99	1.15	7.52	0.22
दक्षिण पश्चिम	0	0	1.69	0.94	2.16	0.97	1.59	1.23
पश्चिम मध्य	0	0	1.96	1.96	3.04	2.02	1.04	0.36
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	0.60	0.25	0.45	0.14	0.85	0.63	0.20	0.11
डीजल कलपुर्जा कारखाना	0.12	0.10	0	0	0	0	0	0
सवारी डिब्बा कारखाना	1.68	1.44	0.81	0.66	0.36	0.25	0.35	0.01
रेल पहिया कारखाना	0.07	0.07	0.70	0.17	0.85	0.46	0.75	0.11
डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना	0.46	0.34	0.55	0.56	0.11	0.11	0	0
रेल डिब्बा कारखाना	0	0	0	0	0.90	0.12	0.80	0.62
रेल विद्युतीकरण	0.50	0.39	0	0	0	0	0	0

कर्मचारी सुविधाएं

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

वर्ष	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
रेलवे	संशोधित आवंटन	व्यय	संशोधित आवंटन	व्यय	संशोधित आवंटन	व्यय	बजट अनुदान	जून, 05 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य	5.26	7.38	3.99	3.11	3.01	3.26	3.15	0.84
पूर्व	5.83	5.31	5.03	3.99	5.51	5.21	9.82	0.42
उत्तर	10.31	8.77	5.60	4.72	4.25	5.60	7.31	1.36
पूर्वोत्तर	3.01	3.35	2.24	2.57	2.25	2.52	1.93	0.54
पूर्वोत्तर सीमा	8.73	7.07	9.14	6.52	10.30	11.29	10.45	1.09
दक्षिण	3.23	4.17	8.37	6.48	4.20	3.99	3.12	0.87
दक्षिण मध्य	3.86	3.44	3.90	4.06	6.57	7.32	4.32	2.18
दक्षिण पूर्व	7.66	6.42	4.70	3.37	4.47	4.50	5.08	1.06
पश्चिम	13.43	9.47	6.92	4.29	6.71	5.36	10.38	0.71
पूर्व मध्य	2.26	0	4.30	2.08	4.15	2.79	8.97	0.76
पूर्व तटीय	0	0	2.10	1.22	1.32	1.08	2.72	0.11
उत्तर मध्य	0	0	1.45	0.86	1.43	1.16	1.06	0.20
उत्तर पश्चिम	4.34	0	5.38	5.29	5.62	3.99	7.38	1.11
दक्षिण पूर्व मध्य	0	0	0.98	1.20	4.53	3.53	9.77	1.09
दक्षिण पश्चिम	0	0	1.68	1.17	1.12	1.15	2.59	0.61
पश्चिम मध्य	0	0	4.04	3.97	3.75	2.35	0.69	0.66
चितरंजन रेल इंजन कारखाना	0.56	0.27	0.28	0.12	0.30	0.20	0.63	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
डीजल कलपुर्जा कारखाना	0.10	0.07	0.77	0.25	1.45	1.60	1.51	0.32
सवारी डिब्बा कारखाना	0.20	0.13	0.28	0.26	0.69	0.35	1.61	0.05
रेल पहिया कारखाना	0	0	0	0	0	0	0	0
डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना	0	0	0	0	0	0	0	0
रेल डिब्बा कारखाना	0.22	0.09	0.17	0.12	0.37	0.23	0.30	0.01
रेल विद्युतीकरण	0	0	0	0	0	0	0	0

(घ) और (ङ) जी नहीं। सड़कें खराब हालत में नहीं हैं। बहरहाल, लगभग 1.4 करोड़ रुपये की लागत पर जल निकासी और सड़क प्रणाली सुधार संबंधी कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

130 एम.एम. गन का उन्नयन

3538. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या रक्षा मंत्री 130 एम. एम. गन का उन्नयन के बारे में 24 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3313 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 130 एम.एम. गन के उन्नयन हेतु संविदा में मैसर्स "सोलटम" द्वारा कथित अनियमितताओं के बारे में सी.बी.आई. द्वारा जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस जांच के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जांच पूरी करने हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

डीलरों के कमीशन का परिकलन

3539. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीलरों के कमीशन के परिकलन के मुद्दे पर विचार कर रही तेल विपणन कंपनियों के निदेशकों की समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सिफारिशों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा कार्यान्वित की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) पेट्रोल और डीजल पर डीलर कमीशन के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के निदेशकों (विपणन) की एक समिति का गठन किया गया था। तेल उद्योग के परामर्श से समिति की सिफारिश की जांच की गई। सरकार ने पेट्रोल के लिए डीलर कमीशन 707 रुपए प्रति कि.ली. से बढ़ाकर 848 रुपए प्रति कि.ली. करने तथा डीजल के लिए 425 रुपए प्रति कि.ली. से बढ़ाकर 509 रुपए प्रति कि.ली. करने की समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और ओएमसीज को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

राज्यों की राजधानी और दिल्ली के बीच विमान सेवा

3540. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की उन राजधानियों के नाम क्या हैं जो अब तक दिल्ली से वायु मार्ग से जुड़े नहीं हैं;

(ख) उन्हें विमान सेवा से जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन्हें विमान सेवा से कब तक जोड़े जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) वर्तमान समय में निम्नलिखित राज्यों की राजधानियों में दिल्ली से अनुसूचित विमान सेवाओं द्वारा सीधे सम्पर्क नहीं है।

अगरतला, ईटानगर, आइजवाल, दीमापुर/कोहिमा, शिलांग, गंगटोक तथा शिमला।

यद्यपि कोलकाता से अनुसूचित विमान सेवाएं अगरतला, आइजवाल, दीमापुर शिलांग जुड़े हुए हैं जहां से दिल्ली के लिए अनुसूचित वायु सेवाएं उपलब्ध हैं।

मैसर्स जगसन एयरलाइंस लिमिटेड एक गैर अनुसूचित प्रचालक है जो दिल्ली-शिमला-दिल्ली सैक्टर पर विमान सेवाएं प्रचालित कर रहा है।

सरकार द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए विमान परिवहन सेवाओं में बेहतर विनियमन को उपलब्ध कराने के मद्देनजर मार्ग संवितरण दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। अतः, यह अब एयरलाइंस पर निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर किसी स्थान विशेष पर विमान सेवाएं उपलब्ध कराए। इसी प्रकार देश में कहीं पर भी एयरलाइंस प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते वह सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का अनुपालन करे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एयर लाइन

3541. **डा. अरुण कुमार शर्मा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) हेतु एक समर्पित एयरलाइन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अवसंरचना के साथ-साथ एन.ई.आर. में हवाई संपर्कता को सुदृढ़ बनाने हेतु अन्य क्या उपाय किए गए हैं।

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) पूर्वोत्तर कौंसिल ने, सार्वजनिक निजी उपक्रम के रूप में संयुक्त उद्यम एयरलाइन को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित एयरलाइन बनाने हेतु एक प्रस्ताव पर विचार किया है। कौंसिल ने संबंधित मंत्रालयों के साथ, मामले को आगे बढ़ाने के लिए सिद्धांत रूप में स्वीकृति दे दी है। पूर्वोत्तर कौंसिल द्वारा, प्रस्ताव के ब्यौरे अभी तय किए जाने हैं।

इंडियन एयरलाइंस में स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत नियुक्तियां

3542. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत पांच वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस

में स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत नियुक्ति करने में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) जी, हां। सरकार मामले की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

सुल्तानगंज से देवघर के लिए रेल लाइन

3543. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000 में बिहार में सुल्तानगंज से देवघर तक रेल लाइन बिछाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) परियोजना पर आज तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां। परियोजना को 2000-01 के बजट में शामिल किया गया था। बांका-बरहट और बांका-भिटिया रोड को भी परियोजना के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है।

(ख) और (ग) बांका-बरहट खंड पर कार्य 2005-06 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। देवघर-सुल्तानगंज खंड पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य पुरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण और अन्य गतिविधियां शुरू कर दी गई है। 31.3.2005 तक इस परियोजना पर 60.67 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। 2005-06 के बजट में इस कार्य के लिए 8 करोड़ रु. का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

(घ) परियोजना को पूरा करने की तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

जी.आर.एस.ई. में जनशक्ति का उपयोग

3544. श्री रघुनाथ झा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड (जी.आर.एस.ई.) के मजदूर खाली बैठे रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अकार्य श्रम दिवसों और उसकी लागत सहत तत्संबंधी कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रबंधन उपलब्ध श्रम दिवसों का उपयोग करने में विफल रहा जिसके फलस्वरूप एक ओर तो वे खाली बैठे रहे और दूसरी ओर अपर्याप्त ओवरटाइम की अनुमति जारी रही; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को ओवर टायम का भुगतान करने पर कितनी धनराशि खर्च हुई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता एक श्रमसाध्य उद्योग है। इसके उत्पादन मूल्य का 86% भाग भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक बल के पोत निर्माण संबंधी आदेशों से प्राप्त होता है। हल उत्पादन के लिए प्लेट कटिंग, फैब्रिकेशन तथा उत्थापन (संपूर्ण स्टील से निर्मित) संबंधी कार्यकलाप पोतों के आर्डर पर निर्भर है। इसलिए उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए कार्मिक शक्ति का उपयोग, आर्डर पर निर्भर है।

2. वर्ष 1999 से 2002 की अवधि के दौरान गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड को पोत निर्माण के लिए कोई नया आर्डर नहीं मिला है इसलिए मुख्य निर्माण-कार्यों में उपलब्ध कार्मिक-शक्ति के उपयोग की प्रतिशतता सीमित थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान मुख्य निर्माण-कार्यों में अकार्य श्रम दिवसों तथा अकार्य श्रम दिवसों की लागत का ब्यौरा निम्नवत् है:—

मुख्य निर्माण-कार्य

वर्ष	आर्डर के अभाव के कारण अकार्य श्रम दिवस	अकार्य श्रम दिवस* की लागत (करोड़ रुपए में)
2000-2001	91262	2.00
2001-2002	98888	2.17
2002-2003	37671	0.83
2003-2004	12989	0.28
2004-2005	6145	0.135

*केवल मजदूरी पर विचार करते हुए।

3. पोत निर्माण में कार्मिक शक्ति का उपयोग, ट्रेड ढांचे पर निर्भर करता हैं ढांचागत कार्य, उसके जलावतरण चरण से पहले ही पूर्व प्रभावी होता है जबकि आउटफिटिंग का कार्य उसके जलावतरण चरण के बाद किया जाता हैं ट्रेड ढांचे के कारण, जलावतरण पूर्व और जलावतरण के बाद के कार्यकलापों के बीच कार्मिक शक्ति की उपयोगिता की बाध्यताएं हैं। नवंबर 2000 में, पिछले फ्रिगेट वाई डी नं. 3011 को लांच करने के साथ ही मुख्य निर्माण-कार्य में ढांचागत कार्य शून्य हो गया था जिसके परिणामस्वरूप चार तीव्र आक्रमण जलयानों के लिए आर्डर प्राप्त होने तथा नवंबर, 2003 से उत्पान शुरू किए जाने तक उपर्युक्त पैरा 2 में दर्शाए गए अकार्य श्रम दिवस रहे। दूसरी और, कार्वेटों (गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड यार्ड नं. 2039, 2041 तथा 2042) और फ्रिगेटों ((गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड यार्ड नं. 3009 तथा 3010) के जलावतरण के बाद के कार्यकलापों के साथ ही फिटिंग आउट जेटी पर कार्मिक शक्ति की उपयोगिता शत-प्रतिशत रही। प्रतिबद्ध सुपर्दगी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए उपर्युक्त के अनुसार दोहरी उपयोगिता में बाध्यता के कारण मुख्य निर्माण कार्य में मौजूद कार्यहीन कार्मिक-शक्ति के बावजूद पोतों के परीक्षण तथा सार-संभाल चरणों के दौरान जरूरत के आधार पर फिटिंग आउट जेटी से संबंधित कार्य के लिए समयोपरि भत्ता देना पड़ा था।

4. पिछले पांच वर्षों के दौरान फिटिंग आउट जेटी से संबंधित कार्य के लिए दिए गए समयोपरि भत्ते तथा व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	आर्डर के अभाव कारण अकार्य श्रम दिवस	समयोपरि भत्ते का प्रतिशत	समयोपरि भत्ते पर व्यय (करोड़ रुपए में)
2000-2001	शून्य	13.80	3.15
2001-2002	शून्य	16.90	3.28
2002-2003	शून्य	12.60	2.43
2003-2004	शून्य	19.00	3.39
2004-2005	शून्य	15.10	2.55

एयर चीफ मार्शल की फ्रांस यात्रा

3545. **श्री रेवती रमन सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एयर चीफ मार्शल ने फ्रांस की यात्रा की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त यात्रा के दौरान फ्रांस के अधिकारियों से हुई चर्चा का क्या परिणाम निकला?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) एयर चीफ मार्शल एस. पी. त्यागी ने जून, 2005 के दौरान फ्रांस का दौरा किया।

(ख) इस नेमी द्विपक्षीय दौरे के दौरान वायुसेनाध्यक्ष ने फ्रांस के वायुसेनाध्यक्ष के साथ बातचीत की और उनकी संक्रियात्मक तथा प्रशिक्षण स्थापनाओं का दौरा किया। उन्होंने चल रहे भारत-फ्रांस अभ्यास "गरूड़-II" के सहकार्य के लिए इस्ट्रस एयरबेस (फ्रांस) का भी दौरा किया।

रेलवे भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

3546. **श्री मदन लाल शर्मा :**
श्री अनंत गुढे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलवे की अतिरिक्त भूमि के वाणिज्यिक उपयोग हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को ऐसी भूमि देने हेतु विवेकपूर्ण शक्तियां दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी भूमि के उपयोग हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां। रेलवे अपनी खाली भूमि को तब तक विभिन्न उपयोगों में लाती हैं, जब तक परिचालन कार्यों की आवश्यकता न हो। ये कार्य रेलवे कार्यप्रणाली (अर्थात् लदान/उतराई के लिए वाणिज्यिक प्लॉट, थोक तेल संस्थापनाएं आदि) वनारोपण, अधिक अन्न उपजाओ, मत्स्य पालन आदि के वाणिज्यिक लाइसेंस देने से जुड़े हुए हैं। कुछ खाली पड़ी पार्सल भूमि जहां संभावना मौजूद होती है, पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से संपत्ति विकास की प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी लम्बे पट्टे के लिए भूमि दी जाती है।

(ख) और (ग) जी हां। क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों को 1000 वर्ग मीटर भूमि का वाणिज्य उपयोग के लिए शक्तियां प्रदान की गई है। महाप्रबंधकों को भूमि के रेलवे से संबंधित कार्यों जैसे वाणिज्यिक प्लॉट, थोक तेल डिपो आदि के लिए वाणिज्यिक लाइसेंस देने के लिए पूर्णतः शक्तियां प्रदान की गई है।

(घ) भूमि के वाणिज्यिक उपयोग हेतु विभिन्न संभव विकल्पों और इसकी संभाव्यता का पता लगाने के लिए चिह्नित निर्माण स्थलों का बाजार व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है। बहरहाल, भूमि का अंतिम उपयोग पारदर्शी बोली प्रक्रिया द्वारा भूमि डेवलपर पर छोड़ दिया जाता है।

अंगमालि-इरूमेलि रेल लाइन

3547. श्री लोनाप्पन नम्बाडन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से कोट्टायम-इरूमेलि और अंगमालि-सबरीमाला नई रेल लाइन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इन लाइनों के लिए अपेक्षित भूमि अधिगृहीत कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन परियोजनाओं पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(च) परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) स्थानीय लोगों के कड़े प्रतिरोध के कारण, कोट्टायम-इरूमेलि नई लाइन परियोजना को छोड़ने के लिए राज्य सरकार ने अनुरोध किया है। अंगमालि-सबरीमाला नई लाइन को शीघ्र पूरा करने के लिए भी अनुरोध किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इन परियोजनाओं पर मार्च 2005 तक 5.97 करोड़ रु. पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।

(च) अंगमालि-सबरीमाला (आजुथा) नई लाइन का अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा उहो चुका है और भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। कोट्टायम-इरूमेली नईर्ह लाइन पर कार्य रोक दिया गया है।

[हिन्दी]

मंदबुद्धि बच्चों के लिए सूचना केन्द्र

3548. श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री एम. अंजन कुमार यादव :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंदबुद्धि बच्चों के लिए न तो कोई सरकारी सुविधा है और न ही कोई सूचना केन्द्र है अथवा लोगों को ऐसे बच्चों का उचित प्रकार से पालन-पोषण करने की जानकारी दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) सरकार ने आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क

अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 अधिनियमित किया है। राष्ट्रीय न्यास के, दिल्ली में अपने कार्यालय के अतिरिक्त, 13 राज्यों में 22 राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र और 13 सूचना केन्द्र हैं, जो लाभार्थियों, माता-पिता और बच्चों को प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करते हैं। स्थान आदि का ब्यौरा वेबसाइट : www.nationaltrust.org.in में दिया गया है।

वर्ष 1984 में स्थापित, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान अन्य बातों के साथ पुनर्वास व्यावसायिकों और माता-पिता को प्रशिक्षण देता है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संसीन की वेबसाइट : nimhindia.org है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय आयुध डिपुओं का आधुनिकीकरण

3549. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय आयुध डिपुओं का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक जिन-जिन केन्द्रीय आयुध डिपुओं के बारे में परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) आधुनिकीकरण किए जाने वाले आयुध डिपुओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) शेष आयुध डिपुओं की परियोजना रिपोर्टों को कब तक अंतिम रूप दिए जाने तथा आधुनिकीकरण किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) भारत सरकार ने चरणबद्ध ढंग से आयुध डिपुओं का आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया है। केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा तथा केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने का कार्य मैसर्स मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टैंट्स (इंडिया) लिमिटेड, जो भारत सरकार का एक उद्यम है, को सौंपा गया। अब मेकॉन द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं तथा अनुमोदन हेतु सरकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं। केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर का आधुनिकीकरण, जिसपर 187 करोड़ रुपए का अनुमोदित व्यय अंतर्निहित है, पूरा होने के अंतिम चरण में है। शेष आयुध डिपुओं की परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप दिए जाने तथा आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किए जाने की निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

[हिन्दी]

एअर इंडिया में आरक्षण प्रणाली

3550. श्री एम. अंजन कुमार यादव :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ट्रेवल एजेंटों द्वारा एअर इंडिया के मल्टी एक्सेस आरक्षण बुकिंग प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या नियमों के अंतर्गत इसकी अनुमति है;

(घ) यदि नहीं, तो ट्रैवल एजेंटों को उक्त प्रणाली के उपयोग की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी अनुमति देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) किसी भी ट्रैवल एजेंट अथवा किसी भी कम्प्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम को किसी भी प्रकार की वरीयता नहीं दी जा रही है। कम्प्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम से जुड़े सभी ट्रैवल एजेंटों को, एअर इंडिया का रिजर्वेशन सिस्टम उपलब्ध है।

परियोजनाओं के विकास और विस्तार हेतु आंतरिक संसाधन

3551. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपनी परियोजनाओं के विकास और विस्तार हेतु आंतरिक संसाधन सृजित करने के कोई प्रयास किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके फलस्वरूप क्या परिणाम प्राप्त हुए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। आय को बढ़ाकर तथा खर्चों पर नियंत्रण करके आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक आय बढ़ाने का संबंध है तो इस संबंध में माल यातायात क्षेत्र में किए गए उपायों में उत्पादकता एवं कुशलता बढ़ाकर थ्रूपुट में सुधार संबंधी योजनाएं, माल डिब्बों के फेरों समय में कमी, अधिमान्य यातायात अनुसूची का सरलीकरण एवं युक्तिकरण, डीजल साइडिंगों का विद्युतीकरण, इंजन-ऑन-लोड योजना, टर्मिनल प्रोत्साहन योजना, भुगतान के लिए ई-भुगतान सुविधा की शुरूआत, माल दर सूची को सरल और युक्ति संगत बनाना, नई प्रीमियम पंजीकरण योजना, माल डिब्बा निवेश योजना, लागत में भागीदारी के आधार पर निजी साइडिंगों का विकास, एकीकृत गोदाम कॉम्पलेक्स आदि यात्री और पार्सल व्यवसाय क्षेत्र में पी आर एस और यू टी एस सुविधाओं का अधिकाधिक स्थलों पर विस्तार, रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना, कम लोकप्रिय रेलगाड़ियों की समीक्षा, अधिक लोकप्रिय गाड़ियों में अतिरिक्त यात्री डिब्बे लगाना, कतिपय निर्धारित गाड़ियों में अतिरिक्त पार्सल स्थान को लीज पर देना, एस एल आर सवारी डिब्बे के सामने गार्ड के खाली कंपार्टमेंट को लीज पर देना आदि उपाय किए गए हैं।

रेलों पर फालतू व्यय को कम करना और गैर योजनागत व्यय को नियंत्रित करना एक सतत् प्रक्रिया है। रेलवे ने बेहतर श्रम शक्ति नियोजन के द्वारा कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बेहतर करने, परिसंपत्तियों का सदुपयोग स्टॉक प्रबंधन, ईंधन की खतप आदि जैसे मितव्ययिता/किफायत संबंधी कई कदम उठाए हैं ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके।

इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप रेलवे के आंतरिक संसाधन बढ़े है और 2004-05 में 10,140 करोड़ रुपए के बजट की तुलना में विभिन्न निधियों में 1861 करोड़ रु. के विनियोग की वृद्धि हो गई है। इससे रेलवे अपनी 483 करोड़ रु. की अस्थगित लाभांश दायिता के निर्वहन में समर्थ हुई है। इसके अतिरिक्त 2004-05 में परिचालन अनुपात जो कि प्रणाली का वित्तीय हालात का सूचक है से स्पष्ट कि बजटीय प्रक्षेपण 92.58% की तुलना में 90.98% का सुधार हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में भी, आनुपातिक लक्ष्यों की तुलना में 700 करोड़ रु. की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16.7% की वृद्धि को दर्शाती है।

[अनुवाद]

डॉर्नियर विमानों की खरीद

3552. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना ने समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध हेतु हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से कुछ डॉर्नियर विमान खरीद थे;

(ख) यदि हां, तो विमानों को स्वदेशी उपकरणों से सुसज्जित करने, जो अभी भी डी.आर.डी.ओ.के विकासाधीन है, का निर्णय लेने से इन विमानों के संचालन में कोई विलंब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विमानों की तैनाती में कोई विलंब नहीं हुआ था। ये दस विमान नौसेना में फरवरी, 1998 से दिसंबर, 1999 तक की अवधि के दौरान शामिल किए गए थे। इन विमानों को समुद्री निगरानी और पनडुब्बी-रोधी युद्ध-पद्धति भूमिका के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों हेतु वी.आर.एस. में परिवर्तन

3553. श्री सीताराम सिंह : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों हेतु शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी एसोसिएशनों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार वी.आर.एस. में कोई परिवर्तन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना सबसे पहले वर्ष 1988 में शुरू की गई थी। इसकी समीक्षा की गई थी तथा दिनांक 5 मई, 2005 को संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। सरकार ने दिनांक 6 नवंबर, 2001 तथा 26 अक्तूबर, 2004 के दिशानिर्देशों के माध्यम से इसकी और समीक्षा की गई थी तथा इसे संशोधित किया था। दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस योजना के प्रारंभ से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अनेक उद्यमों के लगभग 5.33 लाख कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठा चुके हैं।

[अनुवाद]

कोचों/वैगनों की मांग और आपूर्ति

3554. श्री अनंत कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्रियों और माल ढुलाई हेतु कोचों/वैगनों की मांग और आपूर्ति की जोनवार स्थिति क्या है;

(ख) रेलवे द्वारा बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या वैगनों की कमी के फलस्वरूप वर्ष 2004-05 के दौरान माल भाड़ा राजस्व में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) सवारी डिब्बों की जोनवार आवश्यकता और उपलब्धता (01.04.2005 की स्थिति के अनुसार) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं माल डिब्बों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) प्रत्येक वर्ष सवारी डिब्बों और माल डिब्बों का निर्माण, निधि की उपलब्धता और उत्पादन कारखानों की उत्पादन क्षमता के अध्यधीन आवश्यकता को देखते हुए किया जाता है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

सवारी डिब्बों की जोनवार आवश्यकता और उपलब्धता

रेलवे	सवारी डिब्बे	
	आवश्यकता	उपलब्धता
मध्य	2854	2868
पूर्व	3049	3095
पूर्व मध्य	2093	2142
पूर्व तटीय	1210	1242
उत्तर	4152	4200
उत्तर मध्य	649	632
पूर्वोत्तर	1334	1465
पूर्वोत्तर सीमा	1412	1474
उत्तर पश्चिम	1075	1122
दक्षिण	4243	3962
दक्षिण मध्य	3080	3131
दक्षिण पूर्व	1885	2051
दक्षिण पूर्व मध्य	624	569
दक्षिण पश्चिम	1727	1650
पश्चिम	2857	2951
पश्चिम मध्य	745	692

[हिन्दी]

ऊना-चुरुडु रेल खंड का विद्युतीकरण

3555. श्री सुरेश चन्देल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उना-चुरुडु रेल खंड का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त रेल खंड का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्तमान में अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण के लिए सापेक्ष प्राथमिकता के कारण, उना-चुरुडु रेल खंड के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विकलांग व्यक्तियों हेतु बजटीय आबंटन

3556. **श्री बापू हरी चौरे** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विकलांग व्यक्तियों हेतु उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटन बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए बजट आवंटन में वृद्धि निधि की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

रेल दावा अधिकरण

3557. **श्री प्रह्लाद जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के संबंधित रेलवे जोनों के मुख्यालयों में रेल दावा अधिकरण की पीठ स्थित है और कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बंगलौर स्थित रेल दावा अधिकरण की पीठ को हुबली स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, इसे कब तक स्थानांतरित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) 18 स्थानों पर रेल दावा अधिकरण की 21 पीठें हैं। इनमें 12 पीठें क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालयों में है। रेल दावा अधिकरण पीठों के स्थानों का निर्णय दावाकर्त्ताओं की सुविधा अर्थात् महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों और न्यायालय जहां अधिकांश मामले दर्ज किए गए है, की निकटता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय रेलों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद किया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भुवनेश्वर में रेलवे मुख्यालय भवन का निर्माण

3558. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर स्थित ईस्ट-कोस्ट रेलवे हैडक्वार्ट्स भवन निर्माण हेतु कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई;

(ख) भवन के निर्माण कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) मुख्यालय इमारत का निर्माण नए जोन के लिए अवसंरचना के सृजन के भाग के रूप में किया जा रहा है। मुख्यालय इमारत के लिए अलग से निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं। भुवनेश्वर में नए जोन के लिए अवसंरचना के सृजन पर 2005-06 में अब-तक 40.12 करोड़ रु. की निधियां आवंटित की गई हैं। इनमें से लगभग 32.00 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं।

(ख) मुख्यालय इमारत की प्रगति 50% है।

(ग) कार्य को 31.12.2006 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

बी.एस.सी.एल. की परिसम्पत्ति को बेचा जाना

3559. श्री चन्द्र शेखर दुबे :
श्री महबूब जाहेदी :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बर्न स्टैन्डर्ड एंड कंपनी लिमिटेड (बी.एस.सी.एल.) को अपनी परिसम्पत्ति बेचने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड से इस बारे में अनुमति मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) बर्न स्टैन्डर्ड एंड कंपनी लिमिटेड (बी.एस.सी.एल.) को वर्ष 1994 में बीआईएफआर, जो एक न्यायिक-कल्प प्राधिकरण है, को संदर्भित किया गया था। यदि किसी कंपनी को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया जाता है, तो कंपनी की किसी भी परिसम्पत्ति को बीआईएफआर के अनुमोदन के बिना नहीं बेचा जा सकता। तद्नुसार, कंपनी ने जबलपुर, कोलकाता और अन्य स्थानों पर बंद इकाइयों के व्यर्थ परिसम्पत्तियों को बेचने के लिए नये सिरे से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जून, 2005 में बीआईएफआर से सम्पर्क किया है।

[अनुवाद]

किसान सेवा केन्द्र

3560. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री जोआकिम बखला :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री सी. कुप्पुसामी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसी) "किसान सेवा केन्द्र" नाम से ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा विक्रय केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार ऐसे कितने खुदरा विक्रय केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने ग्रामीण क्षेत्रों में इन केन्द्रों के बारे में जागरूकता पेदा करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने "किसान सेवा केन्द्र" नाम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न लागत खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए उपाय आरंभ किए हैं। उनकी योजना वर्तमान वर्ष 2005-06 के दौरान देशभर में लगभग 1000 खुदरा बिक्री केन्द्र विकसित करने की हैं तथापि, इन खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करना और राज्यवार आबंटन भूति की उपलब्धता, स्थानों की व्यवहार्यता, सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करेगा। डीजल और अन्य पेट्रोलियम उतपादों की आपूर्ति करने के अलावा इन खुदरा बिक्री केन्द्रों द्वारा उर्वरकों, बीजों, कीटनाशकों, आटे, साबुन आदि जैसे दिन प्रति दिन की आवश्यकता वाली वस्तुओं की बिक्री जैसे गैर तेल सुविधाएं तथा बैंकिंग, इन्टरनेट किआस्क, संचार सुविधाओं आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।

अनुमान है कि ऐसे प्रत्येक खुदरा बिक्री केन्द्र के खोले जाने पर लगभग 5 लाख रुपये की लागत आएगी।

(ङ) और (च) किसान सेवा केन्द्रों के विषय में ग्रामीण क्षेत्रों में जागृति उत्पन्न करने के लिए आईओसी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन, पंचायत कार्यालयों में नोटिस/विज्ञापन की प्रतिलिपि का प्रदर्शन, सरपंचों/सभापतियों/ग्राम पचायतों के अध्यक्षों को पत्र लिखना शामिल हैं।

[अनुवाद]

केबल नेटवर्क कंपनियों की निगरानी

3561. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार द्वारा विभिन्न गैर-सरकारी केबल नेटवर्क कंपनियों से कुल कितनी आय अर्जित की गयी;

(ख) क्या सरकार के पास इन केबल नेटवर्क कंपनियों की कार्य प्रणाली की निगरानी करने के लिए कोई निगरानी एजेंसी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये/किये जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता हैं

(ख) और (ग) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 का उद्देश्य देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के परिचालन और इससे संबंधित अथवा इस संदर्भ में प्रासंगिक मामलों को विनियमित करना है, इसमें प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन के उद्देश्यार्थ जिलाधिकारी या उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस आयुक्त अपने अधिकार- क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे में अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाना

3562. श्री सुब्रत बोस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में जोन-वार कितने अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन्हें नियमित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कच्चे तेल पर रायल्टी

3563. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल के संबंध में नयी रायल्टी योजना तैयार करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी हां। प्रशासित मूल्य निर्धारण प्रणाली (एपीएम) की चरणबद्ध समाप्ति को देखते हुए सरकार ने 1.4.1998 से कच्चे तेल पर रायल्टी के लिए नई योजना तैयार करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयीन समिति का गठन किया। समिति ने मुख्य तेल और गैस उत्पादक क्षेत्रों में राज्य सरकारों, राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एमओसीज) और राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) वित्त मंत्रालय द्वारा समर्थित एक विख्यात स्वायत्त निकास से भी विशेषज्ञ राय सहित सभी पणधारकों से परामर्श किया। समिति ने नवंबर 2001 में सरकार को

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार थीं:

(1) कच्चे तेल पर रायल्टी यथामूल्य आधार पर नियत की जाए।

(2) रायल्टी का निर्धारण करने के लिए विचार किए जाने वाला क्रूड मूल्य बाजार प्रचालित मूल्य होना चाहिए जो नियंत्रणमुक्त मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादकों द्वारा प्राप्त/प्राप्त करने योग्य होता है।

(3) रायल्टी की गणना मासिक आधार पर की जानी चाहिए।

(4) अपतटीय और तटीय क्षेत्रों के लिए कूप शीर्ष पश्चात लागत के रूप में कच्चे तेल के मूल्य की क्रमश: 7.5% और 10% छूट रायल्टी लगाने के उद्देश्य के लिए क्रूड के कूप शीर्ष मूल्य का आकलन करने के लिए दी जानी चाहिए।

(5) रायल्टी की दरें नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के अंतर्गत लागू दरों के साथ समायोजित करने के लिए धीरे-धीरे कम की जानी चाहिए।

(6) 25 डिग्री एपीआई और इससे कम के भारी कच्चे तेलों के लिए रायल्टी की दर सामान्य कच्चे तेलों के लिए लागू दरों की अपेक्षा 2.5% कम होनी चाहिए।

(7) ये सिफारिशें राष्ट्रीय तेल कंपनियों का नामांकन आधार पर दिए गए क्षेत्रों, उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं जहां राष्ट्रीय तेल कंपनियां लाइसेंसधारी हैं और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों को प्रदान किए जाने वाले जमीनी खोजे गए क्षेत्रों पर लागू होंगी।

(ग) समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 17 मार्च, 2003 को रायल्टी की नई योजना अधिसूचित की है।

रक्षा परियोजनाओं और आयुध कारखानों का निजीकरण

3564. श्री हंसराज जी. अहीर :
श्री राकेश सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा परियोजनाओं और आयुध कारखानों के निजीकरण का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिजय हान्डिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर आवारा पशु

3565. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ज्यादातर विमानपत्तन धावनपट्टियों पर आवारा पशुओं के आने की समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिससे विमानपत्तनों पर सुरक्षा संबंधी बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी धावनपट्टियों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने बड़े और संवेदनशील विमानपत्तनों पर विद्युतीकृत घेरा बाड़ा लगा दी है;

(घ) यदि हां, तो इन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है और ये प्रबंध आवारा पशुओं को दूर रखने में कितने सफल रहे हैं;

(ङ) क्या कुछ स्थानों पर विमानपत्तन भूति पर अतिक्रमण ऐसे खतरों के लिए जिम्मेदार हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। हालांकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

ने एहतियात के तौर पर अधिकांश हवाईअड्डों के प्रचालनात्मक क्षेत्रों के चारों ओर बाउंडरी दीवार बन दी है। प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा कर्मी भी नियुक्त किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कभी-कभी, कुछ हवाईअड्डों की जमीन परन अथवा उसके निकट अतिक्रमण किया जाना भी खतरा उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक कारक हो सकता है।

(च) एयरपोर्ट निदेशक, स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मिलकर, अतिक्रमण हटवाने तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी कार्य करते हैं।

राजकोट से दिल्ली के लिए उड़ान

3566. डा. वल्लभभाई कथीरिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान आरंभ करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना राजकोट से दिल्ली तक सीधी उड़ान आरंभ करने की है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) सरकार को विगत दिनों, दिल्ली और राजकोट के बीच यातायात संभाव्यता के आकलन के लिए सर्वेक्षण प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) वर्तमान में, निजी अनुसूचित प्रचालकों सहित अनुसूचित प्रचालकों द्वारा राजकोट-दिल्ली सेक्टर पर किसी हवाई सेवा का प्रचालन नहीं किया जा रहा है।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार ने मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग तथा वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करें। इस प्रकार सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर एयरलाइनें देश में कहीं पर भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पंजाब में रेल ऊपरि पुल

3567. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सरहिंद रेलवे स्टेशन के निकट खन्ना और ब्राह्मण माजरा रेलवे स्टेशन के पास लालहेड़ी रोड फाटक पर रेल ऊपरि पुल के निर्माण के प्रस्ताव रेलवे के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) पंजाब में खन्ना रेलवे स्टेशन के पास लालहेरी में 332-19 कि.मी. पर समपार सं.155 बी और सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास ब्राहिमन माजरा पर 314/13-15 कि.मी. पर समपार सं.145 बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुलों का कार्य 2003-04 को स्वीकृत कार्य हैं। ये कार्य लागत में भागीदारी के आधार पर किए जाएंगे अर्थात् रेलपथ के ऊपर पुल खास का कार्य रेलवे और पहुंच मार्गों का कार्य निष्पादन राज्य सरकार करेगी। दोनों ही मामलों में पहुंच मार्गों और सामान्य व्यवस्था आरेख के लिए विस्तृत अनुमान राज्य सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुए है। सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य के साथ-साथ रेलवे अपने हिस्से के कार्य को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेगी।

[हिन्दी]

ओएनजीसी द्वारा तेल शोधक कारखाने में निवेश

3568. डा. चिन्ता मोहन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का विचार काकीनाडा के एक तेल शोधक कारखाने में 4000 करोड़ रुपये का निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या ओएनजीसी को मुख्य रूप से देश में तेल की खोज और तेल उत्पादन का उत्तरदायित्व ही सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तेल शोधक कारखाना क्षेत्र में निवेश करने के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने काकीनाडा सी पोर्ट लिमिटेड (केएसपीएल) और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंग फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) काकीनाडा के साथ गहरे जल बन्दरगाह से सटे हुए काकीनाडा में एक बन्दरगाह आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य काकीनाडा स्थित एसईजेड के वृद्धिशील विकास के माध्यम से इस राज्य के समुद्री क्षेत्र में आर्थिक और प्रौद्योगिक वृद्धि को तेज करना हैं ओएनजीसी ने काकीनाडा में एक निर्यातोन्मुखी रिफाइनरी परियोजना में निवेश करने का प्रस्ताव रखा है।

(ग) और (घ) ओएनजीसी अपने प्रमुख सक्षमता के क्षेत्रों पर ध्यान देने के अलावा अग्रगामी और पश्चगामी एकीकरण द्वारा अपने कार्यकलापों के विविधीकरण के लिए विकल्पों की खोज-बीन कर रही है। इस प्रयास में ओएनजीसी को सुझाव दिया गया है कि ओएनजीसी की एक सहायक कंपनी, मंगलौर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के माध्यम से काकीनाडा में निर्यातोन्मुखी रिफाइनरी की स्थापना करने की व्यवहार्यता का पता लगाएं।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

3569. श्री जी.वी. हर्ष कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान निर्यात से कितनी वास्तविक आय प्राप्त हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) वर्ष 2005-06 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों को अनुमानित निर्यात 13.305 मि.मी.टन है, जिसका मूल्य 20374.0 करोड़ रुपए है।

(ग) वर्ष 2005-06 की प्रथम तिमाही के दौरान वास्तविक निर्यात आय की राशि 8962.0 करोड़ रुपए है।

रेलवे द्वारा चलाये जा रहे विद्यालय

3570. डा. के. धनराजू :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में रेलवे द्वारा जोन-वार कितने विद्यालय चलाये जा रहे हैं;

(ख) क्या रेलवे द्वारा चलाये जा रहे अधिकांश विद्यालय आठवीं कक्षा तक के हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इनमें से कुछ विद्यालयों को क्रमोन्नत करके इन्हें उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालय बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन विद्यालयों के कब तक क्रमोन्नत किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करना मूलतः राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व हैं बहरहाल, संसाधनों की तंगी के दायरे में एक कल्याण उपाय के रूप में कक्षा 8 तक स्कूल वहां उपलब्ध

कराए गए हैं जहां रेलवे कर्मचारियों की अधिक आबादी है और अन्य एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई शिक्षा सुविधाएं एकदम अपर्याप्त हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश के विभिन्न भागों में रेलों द्वारा संचालित स्कूलों के नामों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

रेलवे जोन/ उत्पादन इकाई	स्कूलों की संख्या	8वीं कक्षा तक स्कूल
1	2	3
मध्य रेलवे	19	15
पूर्व रेलवे	52	45
उत्तर रेलवे	12	10
पूर्वोत्तर रेलवे	5	1
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	28	20
दक्षिण रेलवे	13	2
दक्षिण मध्य रेलवे	40	22
दक्षिण पूर्व रेलवे	33	20
पश्चिम रेलवे	37	32
उत्तर पश्चिम रेलवे	18	14
पूर्व मध्य रेलवे	53	49
पूर्व तटीय रेलवे	11	9
दक्षिण पश्चिम रेलवे	5	3
पश्चिम मध्य रेलवे	15	12
उत्तर मध्य रेलवे	9	7
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	14	09
रेल पहिया कारखाना	कोई नहीं	कोई नहीं
डीज़ल कलपुर्जा कारखाना	कोई नहीं	कोई नहीं
डीज़ल रेलइंजन कारखाना	3	2
सवारी डिब्बा कारखाना	कोई नहीं	कोई नहीं
रेल डिब्बा कारखाना	कोई नहीं	कोई नहीं
चितरंजन रेलइंजन कारखाना	22	17
जोड़	389	289

खड़गपुर रेलवे कार्यशाला का आधुनिकीकरण

3571. **श्री प्रबोध पाण्डा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल स्थित खड़गपुर रेलवे स्टेशन कार्यशाला के आधुनिकीकरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यशाला में इस समय कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(घ) क्या आधुनिकीकरण के कारण बहुत से मजदूर अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे;

(ङ) यदि हां, तो इससे अनुमानतः कितने कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा अतिरिक्त कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं,

बहरहाल, खड्गपुर रेल कारखाना सहित सभी कारखानों के लिए चालू प्रक्रिया के भाग के रूप में आवश्यकता आधारित इनपुट उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान में, कारखाने में कुल 9517 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में पेट्रोल/डीजल खुदरा विक्रय केन्द्र खोले जाना

3572. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्थान में खोले जाने वाले प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल खुदरा विक्रय केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) आज की तिथि तक खोले गये विक्रय केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने राजस्थान राज्य मे अप्रैल से जून 2005 की अवधि के दौरान 31 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपे स्थापित की हैं। इन खुदरा बिक्री केन्द्रों के स्थलवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों को चालू करने की प्रक्रिया को विभिनन चरणों से गुजरना पड़ता है, अर्थात् स्थलों के लिए विज्ञापन, विनिर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार डीलरों का चयन, चुने गए उम्मीदवारों का क्षेत्र सत्यापन, चुने गए डीलरों को आशय पत्र जारी करना, खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए उचित भूमि अर्जित करना, आवश्यक सांविधिक अनुमोदन/लाइसेंस, प्राप्त करना विनिर्माण आदि। इस प्रकार, वर्ष की शेष अवधि के दौरान राज्य में स्थापित होने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या इन कारकों पर निर्भर करेगी।

विवरण

राजस्थान शहर में अप्रैल से जून, 2005 की अवधि के दौरान सार्वजिनक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) द्वारा चालू किए गए खुदरा बिक्री केन्द्र।

क्र. स.	ओ एम सी का नाम	खुदरा बिक्री केन्द्र निम्न स्थलों पर चालू किये गये	
		स्थल	जिला
1	2	3	4
क.	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड		
1.		सेरना	बीकानेर
2.		अनादा-गुलाबगंज	सिरोही
3.		सानखाला पाटा	बीकानेर
4.		रिठोला	चितौड़गढ
5.		नींदार	जयपुर
6.		मंग्रोल	चितौड़गढ
7.		मावाल	सिरोही
8.		एम पी बार्डर एन एच-79	चितौड़गढ
9.		कोर्ती मोड	टोंक
10.		खतौली	कोटा
11.		मालाहा	भरतपुर
12.		बेहज	भरतपुर
13.		झुनझुन	झुनझुनू
14.		गंगापुर शहर	संवाई माधोपुर
15.		अंतेला	जयपुर

1	2	3	4
16.		बाचेरन	भरतपुर
17.		दादीया	सीकर
18.		अजमेर बाई-पास	अजमेर
19.		मेहर कलां	जयपुर
20.		खिमसार	नागौर
21.		शम्भूपुरा	चितौड़गढ
ख. आई बी पी कंपनी लिमिटेड			
22.		हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
ग. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.			
23.		भागोत	नागौरु
24.		झडोली	सिरोही
25.		पचगांव	धौलपुर
26.		पटेल सर्किल स्टेशन रोड	उदयपुर
27.		किशनगढ़ अजमेर	अजमेर
28.		पंचगांव	धौलपुर
घ. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.			
29.		कापरेन	बूंदी
30.		हिन्दोली	बूंदी
31.		मकराना टाउन (डब्ल्यू एम एल)	नागौर

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

3573. श्री गिरिधारी यादव :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में किसी नागरिक वर्ग को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने हेतु प्राप्त सभी अनुरोधों की जांच करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष के दौरान प्राप्त और मंजूर किये गये अनुरोधों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय आयोग के पास लंबित अनुरोधों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) लंबित अनुरोधों पर कब तक गौर फरमाये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त आयोग के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विगत एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्राप्त अनुरोधों, निपटाए गए मामलों तथा आयोग के पास लंबित मामलों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) चूंकि राज्य सरकारों से सूचना की प्रतीक्षा है, इसलिए मामले पर कोई समय सीमा देना संभव नहीं है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

विवरण

विगत एक वर्ष के दौरान प्राप्त अनुरोधों/मामलों, निपटाए गए मामलों तथा लंबित मामलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जातियों/समुदाय/सह-जातियां/उप जातियां	पंजीकृत/लंबित मामले की तिथि	स्थिति (भारत सरकार द्वारा दी गई सलाह)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार समूह	1. रंचिज	08.04.2005	लोक सुनवाई की गई
		2. करेंसे	08.04.2005	-वही-
2.	बिहार	1. दर्वेश (फकीर)	09.06.2005	प्रश्नावली संबंधी सूचना/उत्तर राज्य/प्रतिनिधियों से प्रतीक्षित है।
3.	बिहार	1. शाह	29.11.2004	-वही-
4.	दिल्ली	1. रावत/राजपूत रावत	03.03.2005	-वही-
5.	हिमाचल प्रदेश	1. जट/जाट	20.05.2005	-वही-
6.	झारखंड	1. तेली-मलिक (मुस्लिम)	08.06.2005	-वही-
7.	कर्नाटक	1. नादर	29.11.2004	-वही-
		2. कुंचिटिगा		सलाह 26.10.2004 को दी गई
8.	केरल	1. बधेई	12.01.2005	प्रश्नावली संबंधी सूचना/उत्तर राज्य/प्रतिनिधियों से प्रतीक्षित है।
		2. कुरुम	01.07.2005	-वही-
9.	राजस्थान	1. मेव	30.11.2004	-वही-
		2. मोयला/मुस्ला (मुस्लिम कुम्हार)	28.03.2005	-वही-
		3. नागौरी (मुस्लिम)	28.03.2005	-वही-
		4. सिंधी मुसलमान	28.03.2005	-वही-
		5. देशवारी मुस्लिम	28.03.2005	-वही-
		6. चरनिया	13.07.2005	-वही-

1	2	3	4	5
10.	तमिलनाडु	1. गजूला बलिजा	14.10.2004	-वही-
11.	उत्तरांचल	1. राय सिख (महतम्स)	16.08.2004	लोक सुनवाई की गई
		2. रावणलता जौनपुरी समुदाय	29.06.2005	प्रश्नावली संबंधी सूचना/उत्तर राज्य/प्रतिनिधियों से प्रतीक्षित है।

(राज्य सूची में आने वाली जातियों/समुदायों को केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए राज्य/संघ सरकार से प्राप्त अनुरोध

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जातियों/समुदाय/सह-जातियां/उप जातियां	पंजीकृत/लंबित मामले की तिथि	स्थिति (भारत सरकार द्वारा दी गई सलाह
1	2	3	4	5
1.	दमन व दीव	1. लुहार (पंचल)	12.05.2005	संघ राज्य क्षेत्र से सूचना प्रतीक्षित है।
		2. कंसारा		
		3. कुम्हार (प्रजापति)		
		4. दसनाम गोस्वामी, गोसेन		
		5. राना		
		6. कपडी		
		7. खत्री (वंकर)		
		8. खत्री (रंगारा)		
		9. मंगेला		
		10. बरिया		
		11. सोरठी		
		12. सोनी, सोनार		
		13. कोली पटेल		
		14. कोली मांछी		
		15. कोली काडिया		

1	2	3	4	5
		16. कोली खानिया		
		17. माली		
		18. कस्बती (मुस्लिम)		
		19. मंसूरी (मुस्लिम)		
		20. दर्जी		
		21. सलत		
		22. भोई		
		23. वंजा		
		24. खारवा		
		25. खटकी (कसाई)		
		26. कुरैसी (मुजावर), मोगल, थपानिया, वधेल, (मुस्लिम),		
2.	पश्चिम बंगाल	1. बंशी बर्मन	29.06.2005	राज्यों से सूचना प्रतीक्षित है।
		2. भड़भूंजा		
		3. दिवान		
		4. गंगोट		
		5. पतिदार		
		6. पशाड़िया-मुस्लिम		
		7. राय (चैमलिंग सहित)		
3.	असम	1. मरम, नेवार (नेपाली समुदाय	07.07.2005	राज्यों से सूचना प्रतीक्षित है।
		2. खौंड (पूर्व चाय बागान मजदूर/जनजाति)		
		3. सवार (चाय बागान और पूर्व चाय बागान जनजाति)		

1	2	3	4	5
4.	मध्य प्रदेश	1. ....बरगाही, बरगाह, गोवारी, महाकुल (राउत), महाकुल	06.07.2005	राज्यों से सूचना प्रतीक्षित है।
		2. ....असादा		
		3. वैष्णव		
		4. दावेज		
		5. वारी		
		6. थरवार		
		7. जम्मालोंधी		
		8. माधव		
		9. (कश्यप, निषाद, बाथम), सिंग्रहा, जलारी (बस्तर जिले में जलारनालू)		
		10. पनवर		
		11. भोपा, मांधव		
		12. बट्ठी बरेठा, रजक		
		13. मीणा (रावत), मीणा (विदिशा की शिरोंज तहसील, लटेहरी तहसील को छोड़कर)		
		14. घारिया, घोसी (गड़रिया), (पाल, बहेल)		
		15. कोडार		
		16. कोशकटी (लिंगायत). ढुंकार, कोल्हाटी		
		17. धोली, दमामी		
		18. नूंगा, लोहार		

1	2	3	4	5
		19. हरिदास		
		20. ज्ञानी, सोनी (स्वर्णकार)		
		21. कोयरी		
		22. जोशी (भददारी), डकोथा, डाकोटा		
		23. कोटारी, गढ़वा, झरिया		
		24. खाठिया, काफेर		
		25. कुर्म-वंशी, चंद्रकार, चंद्रनाहू, कुंभी, शिरवी		
		26. डडसेना		
		27. कलोठा		
		28. उसरेटे		
		29. पंका		
		30. किसरी, कासरी		
		31. वोवेरिया		
		32. नाहल		
		33. खैरुवा		
		34. तनवर		
		35. मोवार		
		36. अघारिया		
		37. टिऊर, तूरी		
		38. सूत, सारथी		
		39. तेलंगा, तिलगा		

1	2	3	4	5
		40. राजभर		
		41. सरग्रा		
		42. गोलन, ग्वालन, गौलन		
		43. रज्जभ, रज्झध		
		44. जाडम		
		45. गयार/परधानिया		
		46. कुडमी		
		47. वाया,महरा/कौशल, वाया		
		48. विलोपित		
		49. अंजना		
		50. धोरिया		
		51. रेवाड़ी		
		52. रौला/रोहेला		
		इस्लाम समूह		
		53. साह, साई, कब्बाकोटू		
		54. कंकड़		
		55. सिशगढ़		
		56. गोली		
		57. राजगीर		
		58. डफली		
		59. घोशी या गवाली गोली		
		60. शिकलीगर		

1	2	3	4	5
		61. संतरास खराडी कमलीगार		
		62. शेख मेहताब		
		63. मुकेरी, मकरानी		
		64. वैशवार		
		65. वानी		
		66. विशनोई जाट		
		67. राठौर जाति		

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन.बी.सी. एफ.डी.सी.) द्वारा पारंपरिक रूप से पिछड़े हुए कारीगरों को ऋण

3574. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्री मो. ताहिर :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के माध्यम से पारंपरिक रूप से पिछड़े हुए कारीगरों के दर्ज का मूल्यांकन कराया है जैसा कि दिनांक 25 जुलाई, 2005 के 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किये गये है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पारंपरिक रूप से पिछड़े हुए कारीगरों में ऐसे कुल कितने लाभार्थी हैं जिन्हें राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ऋण दिया गया है और उन्हें कुल कितनी धनराशि संवितरित की गयी है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितने लाभार्थियों को ऋण प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है और कितनी धनराशि संवितरित किये जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के माध्यम से पारंपरिक रूप से पिछड़े हुए कारीगरों के स्तर का मूल्यांकन नहीं किया है। तथापि, पारंपरिक रूप से पिछड़े हुए कारीगरों की जातियां/समुदाय जोकि अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल हैं, विभिन्न आय सृजन कार्यकलापों को करने के लिए रियायत ब्याज दर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। गत तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा ऋण प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.), राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के पूर्व निष्पादन और निगम के पास उपलब्ध निधि के आधार पर राज्य पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निगम द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (ए.ए.पी.) और चालू वित्त वर्ष के दौरान ऋण प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम

क्र. स.	राज्य का नाम	2002-03		2003-04		2004-05	
		संवितरण लाख रुपए	लाभार्थी संख्या	संवितरण लाख रुपए	लाभार्थी संख्या	संवितरण लाख रुपए	लाभार्थी संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1750.00	41917	1150.00	24065	250.00	135
2.	असम	327.44	241	95.68	274	80.20	220
3.	बिहार	175.00	180	7.50	10	170.00	523
4.	छत्तीसगढ़	101.50	203	25.00	40	108.19	137
5.	चंडीगढ़ (यूटी)	0.00	0	15.00	25	24.70	72
6.	दिल्ली (यूटी)	100.00	200	50.00	55	50.00	78
7.	गुजरात	2210.42	3136	350.00	615	350.00	880
8.	गोवा	122.56	72	46.67	26	28.45	15
9.	हरियाणा	0.00	0	200.00	940	175.00	769
10.	हिमाचल प्रदेश	199.75	176	182.84	256	250.00	500
11.	जम्मू व कश्मीर	10.00	40	15.00	30	40.60	97
12.	झारखंड	0.00	0	270.30	540	0.00	0
13.	कर्नाटक	1200.98	9276	1690.77	7757	1000.00	6528
14.	केरल	3133.40	17635	3068.50	11900	1697.50	5362
15.	मध्य प्रदेश	275.50	993	492.50	1292	148.75	507
16.	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
17.	महाराष्ट्र	1169.65	3088	2684.00	5570	1950.00	5941
18.	उड़ीसा	5.00	50	50.00	105	50.00	495

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	पंजाब	100.00	196	43.00	629	200.00	321
20.	पांडिचेरी	50.00	170	50.00	173	50.00	176
21.	राजस्थान	199.75	397	114.68	278	293.40	792
22.	सिक्किम	60.00	230	125.00	170	257.90	300
23.	तमिलनाडु	325.00	2146	1075.00	28717	800.00	29799
24.	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	99.03	190
25.	उत्तर प्रदेश	700.00	1894	550.00	1138	616.00	4770
26.	उत्तरांचल	0.00	0	9.00	40	52.75	74
27.	पश्चिम बंगाल	377.00	2442	750.00	1675	600.00	2857
	कुल	12592.95	84682	13109.44	86320	9342.47	61538

विवरण-II

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित ए.ए.पी. (लाख रुपए)	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	400.00	13718
2.	बिहार	957.48	2146
3.	छत्तीसगढ़	150.00	343
4.	गोवा	100.00	104
5.	गुजरात	690.73	2027
6.	हरियाणा	300.00	1299
7.	हिमाचल प्रदेस	200.00	326
8.	जम्मू और कश्मीर	100.00	243
9.	कर्नाटक	1005.00	8066
10.	केरल	950.00	4164
11.	मध्य प्रदेश	300.00	777
12.	महाराष्ट्र	1200.08	3076
13.	उड़ीसा	369.56	1090
14.	पंजाब	300.00	651
15.	राजस्थान	400.00	867
16.	तमिलनाडु	850.00	25850
17.	उत्तर प्रदेश	2000.00	8298
18.	पश्चिम बंगाल	882.25	3150

1	2	3	4
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	दिल्ली	50.00	122
2.	पांडिचेरी	49.96	161
	पूर्वोत्तर (कुल/आबंटन का 10%)		
1.	असम	150.00	299
2.	त्रिपुरा	150.00	276
	कुल	11555.06	77053

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का बंद होना

3575. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें सरकार शीघ्र ही बंद करने का विचार रखती है;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की इन उपक्रमों की संपत्तियों का कोई वैज्ञानिक मूल्यांकन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 29 उद्यमों को बंद करने की सिफारिश की है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को बंद करने/समापन करने तथा उनकी परिसंपत्तियों के मूल्यांकन/निपटान आदि के लिए समय-समय पर प्रत्येक मामले के आधार पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, इस संबंध में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

अल्ट्रा-सोनिक फलॉव डिटेक्टर्स

3576. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटरियों/जोड़ों में छिपी हुई दरारों का पता लगाने वाले अल्ट्रा-सोनिक फ्लॉव डिटेक्टर्स और सेल्फ-प्रोपेल्ड अल्ट्रा-सोनिक रेल टेस्टिंग कार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन उपकरणों को पर्याप्त संख्या में खरीदने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं, निर्धारित बारम्बारता के अनुसार, पटरियों/जोड़ों की पराश्रव्य दोष संसूचक जांच मैनुली पराश्रव्य दोष संसूचक उपस्कर द्वारा की जाती है। ये उपस्कर रेलों में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। बहरहाल, पटरियों के दोषों की शीघ्र जांच करने और मैनुअल परीक्षणों का कार्य भार कम करने के लिए स्पर्ट कार को एक अतिरिक्त उपस्कर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली में, स्पर्ट कार द्वारा ढूंढे गए दोषों की पुष्टि मैनुअल परीक्षण द्वारा की जाएगी। एक स्पर्ट कार, 1987 में खरीदी गई थी जो 2004-05 में नाकारा हो गई और यह पुन: ठीक नहीं हो सकती थी।

दो स्वनोदित पराश्रव्य पटरी परीक्षण कारों की खरीद के लिए एक खरीद आदेश पहले ही दिया जा चुका है और इन कारों के परीक्षण के शुरूआत की संभावना सितम्बर, 2005 तक है। इसके अलावा, तीन और स्पर्ट कारों का प्रापण खरीद/परिचालन पट्टे के आधार पर जिसकी अनुमानित लागत लगभग 60 करोड़ रु. है। 2002-03 की ग्रीन बुक के शीर्ष ''विशेष रेल संरक्षा निधि'' (एमआरएसएफ) में शामिल हैं। इन प्रबंधों से, भारतीय रेलपथ पर पटरियों के पराश्रव्य परीक्षण जांच में और बढ़ोत्तरी होगी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एच.आई.वी./एड्स पीड़ित रेलवे कर्मचारी

3577. **डा. एम जगन्नाथ** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित है जैसाकि दिनांक 7 जून, 2005 के 'दि एशियन एज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके फैलने को रोकने हेतु और इस रोग से पीड़ित लोगों का पुनर्वास करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के निर्देशानुसार इस बीमारी से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन और इसके फैलाव को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान

3578. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के सकल घरलू उत्पाद में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान कितना है;

(ख) इस क्षेत्र में किए गए निवेशों के अनुपात में इसका योगदान कम होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तथा सकल अचल पूंजी गठन (जीएफसीएफ) के रूप में निवेश में सरकारी क्षेत्र के गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का हिस्सा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	अखिल भारतोय जीडीपी	जीडीपी में एनडीसीयू का हिस्सा	जीडीपी में एनडीसीयू का %	अखिल भारतीय जीएफसीएफ	जीएफसीएफ में एनडीसीएफ का हिस्सा	जीएफसीएफ में एनडीसीयू का %
2000-01	1902999	213157	11.2	498179	83938	16.8
2001-02	2081474	244569	11.7	513543	72287	14.1
2002-03	2254888	281219	12.5	610288	71610	11.7

[अनुवाद]

गुजरात में रक्षा उत्पादन इकाइयों की स्थापना

3579. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या रक्षा मंत्री गुजरात में उत्पादन इकाइयों की स्थापना के बारे में दिनांक 23 दिसंबर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3809 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृतिक बल की रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात में उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने हेतु कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, हां।

(ख) आयुध निर्माणियों की स्थापना सशस्त्र सेनाओं की हथियारों और गोलाबारूद तथा अन्य मिलिटरी सामान की निरंतर चली आ रही दीर्घकालिक मांग पूरी करने के लिए की गई है। आयुध निर्माणियों की मौजूदा क्षमता सशस्त्र सेनाओं की विद्यमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए उत्पादन यूनिट स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुकंपा आधार पर नियुक्ति

3580. श्री देविदास पिंगले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देवलाली छावनी बोर्ड में कितने असैनिक कर्मचारियों का निधन हुआ है;

(ख) क्या मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के कितने मामले लंबित हैं; और

(ङ) मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पांच

(ख) और (ग) जी, हां। दो मृतक कर्मचारियों के निकट संबंधियों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया गया है। एक मामले में मृतक कर्मचारी के निकट संबंधी ने आवेदन नहीं किया है। दो मामलों में, पूरे दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) देवलाली छावनी बोर्ड में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति संबंधी कोई मामला लंबित नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

धौलपुर विद्युत संयंत्र को गैस की आपूर्ति

3581. श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड ने प्रस्तावित धौलपुर संयुक्त चक्रीय गैस विद्युत संयंत्र को एलपीजी की आपूर्ति करने हेतु राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विद्युत संयंत्र को कब तक गैस उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, गेल और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) ने, आरआरवीयूएनएल के प्रस्तावित धौलपुर संयंत्र को प्राकृतिक गैस की 1.7 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) मात्रा के लिए शीर्ष करार (एचओए) किया है। शीर्ष करार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः—

— गैस का सुपुर्दगी केन्द्र - हजीरा/दाहेज

— मात्रा - 1.7 एमएमएससीएमडी

— प्रारंभ करने की तिथि - बाद में सूचित की जाएगी।

गैस का स्रोतीकरण, आपूर्तिकर्ताओं से सीधे आरआरवीयूएनएल द्वारा किया जाना है।

अनुसूचित जाति की बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधी सर्वेक्षण

3582. श्री मो. ताहिर :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान अनुसूचित जाति की बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां अनुसूचित जाति की बालिकाओं की साक्षरता दर निम्नतम है;

(घ) क्या सरकार ने इन राज्यों में अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के लिए शैक्षणिक परिसरों को स्थापित करने की कोई योजना आरंभ की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां उक्त योजना पहले ही आरंभ की जा चुकी है; और

(च) चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना पर कितना व्यय किया जाना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनगणना 2001 के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और ((च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अनुसूचित जाति की महिलाओं को राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार साक्षरता दर दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	43.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	55
3.	असम	57.1
4.	बिहार	15.6
5.	छत्तीसगढ़	49.2
6.	गोवा	62.1
7.	गुजरात	57.6
8.	हरियाणा	42.3
9.	हिमाचल प्रदेश	60.4
10.	जम्मू-कश्मीर	47.5
11.	झारखंड	22.5
12.	कर्नाटक	41.7
13.	केरल	77.6
14.	मध्य प्रदेश	43.3
15.	महाराष्ट्र	60
16.	मणिपुर	63.0*
17.	मेघालय	45.2
18.	मिजोरम	92.2
19.	नागालैंड	#
20.	उड़ीसा	40.3
21.	पंजाब	48.3
22.	राजस्थान	33.9
23.	सिक्किम	55.7
24.	तमिलनाडु	53
25.	त्रिपुरा	67.2
26.	उत्तर प्रदेश	30.5
27.	उत्तरांचल	48.7
28.	पश्चिम बंगाल	46.9

1	2	3
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	#
30.	चण्डीगढ़	57.2
31.	दादरा और नागर हवेली	67.1
32.	दमन और दीव	75.8
33.	दिल्ली	59.1
34.	लक्षदीप	#
35.	पांडिचेरी	60

स्रोतः भारत की जनगणना 2001: अंतरिम

* मणिपुर के सेनापति जिले के माओमारम, पाओमाता और पुरुल उप मंडलों को छोड़कर

कोई अनुसूचित जाति अधिसूचित नहीं है।

[अनुवाद]

रेल गलियारा

3583. **श्री एम. शिवन्ना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयनगर से यशवंतपुर तक उत्तर-दक्षिण गलियारा और ब्याप्पन हल्ली से विजयनगर तक पूर्व-पश्चिम गलियारे का निर्माण-कार्य आरंभ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय किए जाने की संभावना है;

(घ) इन परियोजनाओं की लागत को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कितना वहन किया जाएगा; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। ऐसे कोई गलियारे नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल सेवा का स्थगन/विलंब

3584. **श्री ललित मोहन शुक्ल वैद्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एनएफ रेलवे के चेनिंग लमडिंग-बदरपुर रेल खण्ड पर बांदरखेल और दमछेरा के बीच भूस्खलन के कारण प्रतिवर्ष मानसून के दौरान रेल सेवा विलंबित/स्थगित होती है;

(ख) क्या रेलवे ने प्रतिवर्ष मलबा हटाने पर भारी धनराशि खर्च करने की बजाए उपरोक्त रेल मार्ग की सुरक्षा हेतु कोई स्थायी उपचारात्मक कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्रियान्वयन की समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लमडिंग मंडल पर लमठिंग-बदरपुर हिल खण्ड में मानसूनी मौसम में भूस्खलन होता रहता है जिसके कारण क्षेत्र में रेल यातायात प्रायः ठप्प रहता है।

(ख) और (ग) लमडिंग-बदरपुर खण्ड का आमान परिवर्तन स्वीकृत किया गया है और इसे मार्च, 2009 तकपूरा किए जाने का लक्ष्य है। भूगर्भीय विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार इस आमान परिवर्तन कार्य में प्रस्तावित संरेखण पर भूस्खलन को रोकने/कम करने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जा रही है।

उस समय तक उपयुक्त पूर्व सावधानी संबंधी उपायों जैसे मानसून के शुरू होने के पहले नालियों एवं नालों की सफाई तथा संवेदनशील स्थानों पर अन्य बचाव कार्य किए जा रहे हैं ताकि ऐसे भूस्खलन के अवसर कम से कम हो सके एवं यातायात कम से कम बाधित हो।

उत्पादकता प्रोत्साहन

3585. **श्री पी.सी. थामस :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों में प्रबंधन एवं गैर प्रबंधन श्रेणी के कर्मचारियों को उत्पादकता प्रोत्साहन के रूप में कंपनी-वार अलग-अलग कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) देश की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बगैर उक्त योजना को क्रियान्वित करने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार की योजना इस योजना का विस्तार करने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा प्रबंधन एवं गैर प्रबंधन वर्ग के कर्मचारियों को उत्पादकता प्रोत्साहन देने के लिए व्यय की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उत्साहित करना, संगठनात्मक निष्पादन में सुधार करना, तेल कंपनियों की ओर योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करना तथा उन्हें बनाए रखना तथा वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए आवधिक लक्ष्य प्राप्त करना है।

(ग) और (घ) न्यायमूर्ति मोहन वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने दिनांक 25.6.1999 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(49)/98-डीपीई (डब्ल्यूसी) के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर व बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यकारियों के लिए वेतनमानों आदि के पुनर्निर्धारण से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ कार्यनिष्पादन संबंधित भुगतान जुड़े हैं जो उस उद्यम के वितरण योग्य लाभ के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये पुनर्निर्धारित वेतनमान दिनांक 1.1.1997 से 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू थे।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

तेल पीएसयू का नाम	2002-03			2003-04			2004-05		
	प्रबंधक वर्ग	गैर प्रबंधक वर्ग	कुल	प्रबंधक वर्ग	गैर प्रबंधक वर्ग	कुल	प्रबंधक वर्ग	गैर प्रबंधक वर्ग	कुल
ओएनजीसी	224.11	120.68	344.79	212.20	114.27	326.47	अभी भुगतान नहीं किया गया		
ओआईएल	3.35	9.09	12.44	4.56	12.53	17.09	अभी भुगतान नहीं किया गया		
आईओसी	41.27	48.49	89.76	46.04	48.87	94.91	अभी भुगतान नहीं किया गया		
गेल	16.19	5.59	21.78	18.19	5.36	23.55	19.18	4.92	24.10
एचपीसीएल	14.28	15.39	29.67	17.06	18.33	35.39	अभी भुगतान नहीं किया गया		
बीपीसीएल	15.67	22.73	38.40	18.73	22.13	40.86	अभी भुगतान नहीं किया गया		
ईआईएल	7.92	0.92	8.84	7.82	0.97	8.79	7.98	0.83	8.81

जारी रेल टिकट प्रतिदाय घोटाला

3586. श्रीमती निवेदिता माने : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में जाली रेल टिकट प्रतिदाय से संबंधित घोटाले का पर्दाफाश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे रेलवे को कितने राजस्व का घाटा हुआ;

(ग) क्या इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसी अनियमितता से बचने हेतु क्या निवारात्मक उपाय कए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। रेल सुरक्षा बल, वडोदरा मंडल, पश्चिम रेलवे द्वारा जाली रेल टिकटों के एक घोटाले का पता लगाया गया जिसके लिए 29.12.2004 को रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध सं. 16/2004 द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले में, दो बाहरी व्यक्तियों सहित 4 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और 139 जाली रेलवे आरक्षण टिकटें, 8 गलत ढंग से मुद्रित जाली रेलवे आरक्षण टिकटें, 5,000 रुपए नकद और इसके लिए इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर सिस्टम बरामद किए जिनकी कुल कीमत 4,49,618 रुपए थी। बहरहाल, हानि की सही राशि की जानकारी नहीं है क्योंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(ग) और (घ) जी हां, रेल सुरक्षा बल, वडोदरा पश्चिम रेलवे रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 की धारा 3 और 4 के तहत जांच-पड़ताल कर रही है। इस मामले में दो बाहरी व्यक्तियों सहित 4 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल, गुजरात की माननीय उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के कारण इस मामले में जांच पड़ताल रोक दी गई है।

(ङ) ऐसे घोटाले को उजागर करने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा निवारक जांचें की जाती हैं। इस जांचों के दौरान हासिल अनुभव के आधार पर और निवारक उपायों और प्रणाली में सुधार करने संबंधी सुझाव वाणिज्यिक निदेशालय को भेजे जाते हैं ताकि उन्हें लागू करने की व्यवहारिकता की जांच की जा सके।

निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(i) धन वापसी पर जांच गहन की गई है।

(ii) यात्री आरक्षण प्रणाली को आशोधित किया जा रहा है ताकि ऐसे छल-कपट की संभाव्यता को यथा संभव दूर किया जा सके।

नए एयरबेसों की स्थापना

3587. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना का विचार देश में नए एयरबेसों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इनकी स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण में किसी समस्या का सामना कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन एयरबेसों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) देश में एयर बेसों की स्थापना, प्रत्येक स्थान की संक्रियात्मक आवश्यकता के आधार पर की जाती है। यह मूल्यांकन एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

पेट्रोलियम डिपो

3588. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न हिस्सों में घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पेट्रोलियम डिपो स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे डिपुओं को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) शुरूआत में, तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) पेट्रोलियम डिपो के लिए स्थलों का चुनाव सामान्यतः घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर किया करती हैं। तथापि, देश के विभिन्न भागों में शहरों/कस्बों के विकास और विस्तार के कारण इनमें से कुछ अब घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आ गए हैं। ओ एम सीज द्वारा स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और ऐसे डिपुओं को किसी अन्य स्थान पर पुनर्स्थापित करने अथवा इन्हें बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। आई ओ सी, बी पी सी एल तथा एच पी सी एल द्वारा पिछले कुछ समय में बंद किए गए/अन्य स्थान पर पुर्नस्थापित/आपूर्ति स्थानांतरित किए गए डिपुओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज.) का नाम	बन्द किए गए/अन्य स्थान पर पुर्नस्थापित/आपूर्ति स्थानांतरित डिपो
1	2	3
1.	आई.ओ.सी.एल.	अमृतसर
2.	आई.ओ.सी.एल.	मेरठ
3.	आई.ओ.सी.एल.	पालम
4.	आई.ओ.सी.एल.	झांसी
5.	आई.ओ.सी.एल.	सहारनपुर
6.	आई.ओ.सी.एल.	गोरखपुर
7.	आई.ओ.सी.एल.	आगरा
8.	आई.ओ.सी.एल.	जयपुर
9.	आई.ओ.सी.एल.	बालासोर
10.	आई.ओ.सी.एल.	खंडवा
11.	आई.ओ.सी.एल.	सतना
12.	आई.ओ.सी.एल.	भादली
13.	आई.ओ.सी.एल.	गुलबर्गा
14.	आई.ओ.सी.एल.	बेलगाम
15.	आई.ओ.सी.एल.	राजाहमुन्द्री
16.	आई.ओ.सी.एल.	तेडेपल्ली
17.	आई.ओ.सी.एल.	इरोड
18.	बी.पी.सी.एल.	आगरा
19.	बी.पी.सी.एल.	अजमेर
20.	बी.पी.सी.एल.	बयापनहली (बैंगलोर)
21.	बी.पी.सी.एल.	चन्द्रपुर
22.	बी.पी.सी.एल.	कोयम्बटूर
23.	बी.पी.सी.एल.	एर्नाकुलम
24.	बी.पी.सी.एल.	गोरखपुर
25.	बी.पी.सी.एल.	ग्वालियर
26.	बी.पी.सी.एल.	हुबली
27.	बी.पी.सी.एल.	इन्दौर
28.	बी.पी.सी.एल.	जयपुर
29.	बी.पी.सी.एल.	जालंधर (ओल्ड)
30.	बी.पी.सी.एल.	जोधपुर
31.	बी.पी.सी.एल.	मदुरै
32.	बी.पी.सी.एल.	मनमाड
33.	बी.पी.सी.एल.	निजामाबाद

1	2	3
34.	बी.पी.सी.एल.	पटियाला
35.	बी.पी.सी.एल.	रायपुर
36.	बी.पी.सी.एल.	राजाहमुन्द्री
37.	बी.पी.सी.एल.	सहारनपुर
38.	बी.पी.सी.एल.	संकरी
39.	बी.पी.सी.एल.	शोलापुर
40.	बी.पी.सी.एल.	शोलापुर
41.	बी.पी.सी.एल.	सूरत
42.	बी.पी.सी.एल.	तिरची
43.	एच.पी.सी.एल.	बालाशेर
44.	एच.पी.सी.एल.	बरेली
45.	एच.पी.सी.एल.	मोरादाबाद
46.	एच.पी.सी.एल.	पटियाला
47.	एच.पी.सी.एल.	गुंटाकल
48.	एच.पी.सी.एल.	संतनगर
49.	एच.पी.सी.एल.	बेलगांम
50.	एच.पी.सी.एल.	गुलबर्गा
51.	एच.पी.सी.एल.	हुबली
52.	एच.पी.सी.एल.	कोयम्बटूर
53.	एच.पी.सी.एल.	तेडेपल्ली
54.	एच.पी.सी.एल.	शोलापुर
55.	एच.पी.सी.एल.	रायपुर
56.	एच.पी.सी.एल.	मनमाड
57.	एच.पी.सी.एल.	मदुरै

स्वतंत्राता सेनानियों को पेट्रोल पम्पों का आबंटन

3589. श्री बसुभाई धानाभाई बारड : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों को पेट्रोल पम्पों/गैस एजेंसियों/मिट्टी के तेल डिपो आबंटित करने की नीति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को आबंटित पेट्रोल पंपों/गैस एजेंसियों/मिट्टी के तेल के डिपुओं की राज्य-वार/कंपनी वार संख्या कितनी है;

(ग) वर्तमान में स्वतंत्रता सेनानियों को पेट्रोल पंप/गैस एजेंसी/मिट्टी के तेल डिपो आबंटित करने से संबंधित कितने आवेदन सरकार के पास लंबित हैं; और

(घ) आवेदनों का शीघ्र निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) द्वारा सुझाए गए कुछ विस्तृत मानदण्डों के आधार पर, ओ एम सीज ने खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप (पेट्रोल पम्प), एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप (गैस एजेंसी) तथा एस के ओ - एल डी ओ डीलरशिप के चयन के लिए अपने अपने दिशानिर्देश तैयार किए हैं और वे इन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार चयन/आबंटन कर रहे हैं। इन दिशानिर्देशों में स्वतंत्रता सेनानियों को डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन में 2% के आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। ऐसे व्यक्ति से, जो स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के लिए आरक्षित डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करते हैं, उनके स्वतंत्रता सेनानी होने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त मंजूरी पत्र के अनुपालन में एक प्रमाणपत्र अथवा ताम्रपत्र अथवा महालेखाकार द्वारा जारी पेंशन आदेश की एक सत्यापित प्रति संलग्न करने की आवश्यकता होती है। कुछ दिए गए प्राचलों तथा अधिमानों की तुलना में उम्मीदवारों की उपयुक्तता के मूल्यांकन

के आधार पर संबंधित आम एम सी की चयन समिति द्वारा चयन किया जाता है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की ओ एम सी वार संख्या की स्थिति में संलग्न विवरण दी गई हैं। इस अवधि के दौरान इस वर्ग के तहत एस के ओ - एल डी ओ डीलरशिप का कोई आबंटन नहीं हुआ। इस प्रकार के आबंटनों का राज्यवार ब्यौरा और डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन के लिए स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या ओ एम सीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(घ) डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों, जिसमें वे भी शामिल हैं जो स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, के चयन में कई अवस्थाएं शामिल हैं जैसे चयन समितियों का गठन, उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अवसंरचना की व्यवस्था के लिए चयनित उम्मीदवारों की क्षमता स्थल का सत्यापन, आशय पत्र जारी करना, उपयुक्त भूमि/आवश्यक सांविधिक अनुमोदन/लाइसेंस पाना, विनिर्माण आदि। ओ एम सीज को स्वतंत्रता सेनानियों के लंबित पत्रों को शीघ्रता से निपटाने की सलाह दी जा रही है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान स्वतंत्राता सेनानियों को खुदरा बिक्री केन्द्र (आर ओ) डीलरशिप तथा एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप (एल पी जी) का आबंटन

तेल विपणन कंपनी	वर्ष	निम्न के संबंध में किए गए आबंटनों की संख्या	
		खुदरा बिक्री केन्द्र	एल पी जी
1	2	3	4
इंडियन आयल कारपोरेशन लि.			
	2002-03	7	1
	2003-04	4	7
	2004-05	15	5
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.			
	2002-03	0	1
	2003-04	0	2
	2004-05	6	1
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.			
	2002-03	2	1
	2003-04	5	2
	2004-05	18	2
आई बी पी कं. लिमिटेड			
	2002-03	0	1
	2003-04	4	0
	2004-05	12	0
योग		73	23

[हिन्दी]

राजस्थान में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक

3590. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन स्मारकों के निर्माण, संरक्षण और अनुरक्षण पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन स्मारकों से सरकार द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) राजस्थान में 160 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं। स्मारकों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण, परिरक्षण तथा रखरखाव पर व्यय की गई धनराशि इस प्रकार है:—

लाख रुपए में

2002-03	186.04 रुपए
2003-04	341.34 रुपए
2004-05	279.97 रुपए

(ग) राजस्थान के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों से उक्त अवधि के दौरान अर्जित राजस्व इस प्रकार है:—

2002-03	30,38,972.00 रुपए
2003-04	40,04,030.00 रुपए
2004-05	56,51,943.00 रुपए

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के राजस्थान मण्डल के कार्यक्षेत्र में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची

क्र. सं.	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
1	2	3
अजमेर जिला		
1.	अजमेर	अढाई दिन का झोंपड़ा
2.	अजमेर	बादशाही हवेली
3.	अजमेर	एक तोरण सहित दिल्ली दरवाजा
4.	अजमेर	तारागढ़ पहाड़ी का प्रवेश द्वार
5.	अजमेर	अना साग बांध पर संगमरमर का पेवेलियन तथा वालू स्ट्रेड और अना सागर बांध के पीछे मार्वल हम्मान के अवशेष
6.	अजमेर	दौलत बाग में सहेली बाजार की इमारतें
7.	अजमेर	अबदुल्ला खान और उसकी बीबी का मकबरा
8.	अजमेर	सोला थंवा के नाम से मशहूर अलाउद्दीन खान का मकबरा
9.	अजमेर	त्रिपोलिया गेट
10.	अजमेर	सम्राट अकबर द्वारा खड़ी की गई कोस मीनार
11.	अजमेर	सम्राट अकबर द्वारा खड़ी की गई कोस मीनार
12.	अजमेर	जयपुर अजमेर मार्ग पर बावली
13.	चतरी	सम्राट अकबर द्वारा खड़ी की गई कोस मीनार
14.	चतरी	सराय
15.	घूगरा	सम्राट अकबर द्वारा खड़ी की गई कोस मीनार
16.	हुशियारा	सम्राट अकबर द्वारा खड़ी की गई कोस मीनार
17.	हुशियारा	सम्राट अकबर द्वारा खड़ी की गई कोस मीनार
18.	कैर	सम्राट अकबर द्वारा खड़ी की गई कोस मीनार
19.	खान पुरा	सम्राट अकबर द्वारा खड़ी की गई कोस मीनार

1	2	3
20.	पुष्कर	महल बादशाली
21.	पुष्कर	ब्रह्मा मंदिर
अलवर जिला		
22.	भानगढ़	प्राचीन स्थल
23.	नील कंठ	शिव मंदिर
24.	पंडरूपोल	प्राचीन अवशेष
25.	तिजारा	लाल मस्जिद
बंसवाड़ा		
26.	अरथुना	शिव मंदिर तथा अवशेष
27.	विट्ठल देवा	प्राचीन अवशेष
बारन जिला		
28.	अटरू/गणेशगंज	मंदिरों के अवशेष
29.	वदवा	यूपा खम्भे
30.	वारन	मंदिर (12वीं शताब्दी)
31.	कृष्णा विलास	प्राचीन खंडहर तथा संरचनात्मक अवेशष
32.	शेरगढ़	प्राचीन मंदिर, मूर्तिया तथा उत्कीर्ण लेख
भरतपुर जिला		
33.	बयाना	अकबर की छतरी
34.	बयाना	प्राचीन किला तथा इसके स्मारक
35.	बयाना	जहांगीर का रास्ता
36.	बयाना	झजरी
37.	बयाना	लोधी की मीनार

1	2	3
38.	बयाना	सरज सद-अल-लाह
39.	बयाना	उषा मंदिर
40.	भरतपुर	किला के बाहर दिल्ली गेट
41.	भरतपुर	अन्हा गेट के पास फतेह बुर्ज
42.	भरतपुर	किला दीवार जिसमें चौबुर्ज गेट तथा चौबुर्ज में संपर्क पुल तथा अष्ठधातु दरवाजा है।
43.	भरतपुर	जवाहर वुर्ज तथा अष्ठधातु दरवाजा
44.	भरतपुर	किला दीवार के चारों ओर मोट
45.	ब्रहमाबाद	ईदगाह
46.	ब्रहमाबाद	इस्लाम शाह का दरवाजा
47.	डीग	डीग भवन
48.	डीग	लूटी गई बंदूक
49.	डीग	संगमरमर का झूला
50.	कमान	चौरासी खम्भा मंदिर
51.	मल्लाह	प्राचीन टीला
52.	नोह	प्राचीन टीला
53.	नोह	यक्ष की आदमकद मूर्ति
54.	रूपवास	लाल महल
भील वाड़ा		
55.	बिजोलिया	महाकल तथा दो अन्य मंदिर
56.	बिजोलिया	शैल उत्कीर्ण लेख (12वीं शताब्दी)
57.	बिजोलिया	पार्श्वनाथ मंदिर अहाता के भीतर शैल उत्कीण लेख (12वीं शताब्दी ई.)

1	2	3
58.	खादीपुर	कनरे की पुतली के नाम से विख्यात प्राचीन मंदिर
	बीकानेर जिला	
59.	बीकानेर	भंडासर जैन मंदिर
60.	मोरखाना	सूसानी देवी के जैन मंदिर
	बूंदी जिला	
61.	बूंदी	महल में हरदौती स्कूल के दीवार-चित्र
62.	केशवरायपाटन	प्राचीन टीला
63.	नैनवा	प्राचीन टीला
	चित्तौगढ़गढ़ जिला	
64.	बदोली	घटेश्वर मंदिर
65.	बदोली	कुंड
66.	बदोली	श्रृंगार चावड़ी
67.	बदोली	अष्टमाता का मंदिर
68.	बदोली	गणेश का मंदिर
69.	बदोली	शेषशयन का मंदिर
70.	बदोली	शिव मंदिर तथा कुंड
71.	बदोली	त्रिमूर्ति का मंदिर
72.	बदोली	नारद मंदिर के नाम से विख्यात वामन अवतार का मंदिर
73.	चित्तौड़गढ़	संपूर्ण रूप से क़िला
74.	मेनल	महानाल मंदिर तथा मठ
75.	नागरी	प्राचीम स्थल तथा अवशेष
76.	नागरी	हाथीवाड़ा अहाता तथा उत्कीर्ण लेख
77.	निलोध/जियोरा	पुरातात्विक स्थल और अवशेष
	दौसा जिला	
78.	अवनेरी	प्राचीन टीला
79.	अवनेरी	वावड़ी
80.	अवनेरी	हर्षत माता का मंदिर
81.	लाल सोट	बंजारों की छतरी जिसमें भरहट स्तूप के रैलिंग खम्भों के समान खम्भे हैं
82.	महेश्रा	प्राचीन टीला
83.	रानीवास	प्राचीन टीला
84.	सिकराय	प्राचीन टीला
	धौलपुर जिला	
85.	धौलपुर/झोर	बाबूर के बगीचे
86.	सोने का गुर्ज	जोगनी जोगना मंदिर
87.	धौलपुर	शेरगढ़ किला
	डूंगरपुर जिला	
88.	बड़ौदा	जैन मंदिर उत्कीर्ण लेख
89.	देव सोमनाथ	सोमनाथ मंदिर
	गंगा नगर जिला	
90.	बरोर	प्राचीन टीला
91.	भन्नेरथेरी	प्राचीम टीला
92.	बिंजोर	प्राचीम टीला (2)
93.	चाक 86	प्राचीन टीला

1	2	3
94.	माथुला	प्राचीन टीला (2)
95.	रंग महल	प्राचीन टीला
96.	तरखन वाला डेरा	प्राचीन टीला
हनुमानगढ़ जिला		
97.	वादोपाल	प्राचीन टीला
98.	‹द्रकाली	प्राचीन टीला
99.	ढोकल	प्राचीन टीला
100.	हनुमानगढ़	भाटनेर किला
101.	कालीबंगन	प्राचीन टीला
102.	मानक	प्राचीन टीला
103.	मूंडा	प्राचीन टीला
104.	पीर सुल्तान	प्राचीन टीला
105.	पीली बंगन	प्राचीन टीला
जयपुर जिला		
106.	अम्बेर	जामा मस्जिद
107.	अम्बेर	लक्ष्मी नारायण जी मंदिर
108.	अम्बेर	श्री जगत शिरोमणि जी का मंदिर
109.	अम्बेर	सूर्य मंदिर
110.	वैरत	उत्खनित स्थल
111.	ब्रह्मपुरी	पुंडरीक जी की हवेली - एक कक्ष में चित्र
112.	गलताजी	फ्रेस्को पैंटिंग्स वाला मंदिर
113.	सांभर	उत्खनित स्थल

1	2	3
जैसलमेर जिला		
114.	जैसलमेर	प्राचीन मंदिरों सहित किला
115.	लौद्रवा	प्राचीन स्थल
झालावाड़ जिला		
116.	विन्नायागा	बौद्ध गुफाएं तथा खम्भे
117.	विन्नायागा	निरंजनी आदि की गुफाएं
118.	दलसागढ़/गंगाधर	प्राचीन खंडहर
119.	दुधलिया	प्राचीन खंडहर
120.	हथियागौर	बौद्ध गुफाएं
121.	झालरापाटन	चन्द्रभाग के निकट प्राचीन मंदिर
122.	कोल्वी	बौद्ध गुफाएं-खम्भे, मूर्तिया
जोधपुर		
123.	मंदौर	किला
करौली जिला		
124.	करौली	महाराजा गोपाल लाल के महल में भित्ती चित्र
कोटा जिला		
125.	चरचोमा	शिव मंदिर तथा दो अप्रकाशित गुप्त उत्कीर्ण लेख
126.	दारा	मंदिर किला दीवार तथा मूर्तियां
127.	कंसवा	उत्कीर्ण लेख सहित मंदिर
राजसमंद जिला		
128.	जिलुंद	पुरातात्विक स्थल और अवेशष

1	2	3
129.	कुंभलगढ़	समग्र रूप में किला
130.	नवचौकी/राजसमंद	उत्कीर्ण लेख, पेविलियन तथा तोरणों सहित घाट
131.	बलीचा	चेतक समाधि
132.	खमनूर	बादशाही बाग
133.	खमनूर	हल्दी घाटी
134.	खमनूर	रक्त तलाई
सवाई माधेपुर जिला		
135.	रणथम्भोर	किला
136.	आलनपुर	जैन मंदिर
137.	आलनपुर	बावरी में फारसी में उत्कीर्ण लेख
सीकर जिला		
138.	हर्षनाथ	हर्षनाथ मंदिर
टोंक जिला		
139.	बीसलपुर	बीसलदेव जी का मंदिर
140.	बूंदवली डूंगरी	प्राचीन टीला
141.	गरियाग्रह/नेवाई	प्राचीन टीला
142.	झालाई	देवपुरा वरोडिया टीले
143.	खेड़ा/काकोर	हाथी भट्टा
144.	नागर	प्राचीन टीला
145.	नागर	उत्खनित स्थल
146.	नागर	मांड किला ताल उत्कीर्ण लेख
147.	नागर	विचपुरिया मंदिर में यूपा खम्भे
148.	नागर	किला में उत्कीर्ण लेख
149.	पंवार	उत्कीर्ण लेख
150.	रैथ/नेवई	उत्खनित स्थल
151.	टोडारायसिंह	काला पहाड़ मंदिर
152.	टोडारायसिंह	कल्याण राय जी मंदिर
153.	टोडारायसिंह	स्थानीय रूप से गोपी नाथ मंदिर के नाम से विख्यात लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर
154.	टोडारायसिंह	स्थानीय रूप से हदी रानी का कुंड के नाम से विख्यात प्राचीन वावली
155.	टोडारायसिंह	पीपी जी का मंदिर
उदयपुर जिला		
156.	कल्याणपुर	प्राचीन खंडहर
157.	नागदा	सास बहू मंदिर
158.	चावंद	महाराणा प्रताप का क्षतिग्रस्त महल
159.	वीरपुरा (जयसमंद)	रूठी रानी का महल के नाम से प्रसिद्ध हवा महल
160.	वीरपुरा (जयसमंद)	हवा महल के नाम से प्रसिद्ध महल

[अनुवाद]

हिसार-जयपुर रेल लाइन का आमान-परिवर्तन

3591. **श्री कुलदीप बिश्नोई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की हिसार-सदलपुर-चुरू-सीकर-रिंगस-जयपुर मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस लाइन को ब्रॉड गेज में शीघ्र बदलने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) हिसार-सादूलपुर-चुरू-सीकर-रिंगस-जयपुर में से, सिर्फ हिसार-सादूलपुर खण्ड आमान परिवर्तन कार्य को ही मंजूरी दी गई है। शेष खण्ड के लिए, आमान परिवर्तन हेतु अद्यतन सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ग) हिसार-सादूलपुर खण्ड के आमान परिवर्तन का कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रहा है, जो एक स्वीकृत कार्य है। चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सामान्य बजटीय संसाधनों के अलावा अन्य संसाधन जुटाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल इंजनों का निर्यात

3592. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विदेशों को रेल इंजनों का निर्यात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देशवार कितने रेल इंजनों का निर्यात किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा रेल इंजनों का और अधिक संख्या में निर्यात करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। बहरहाल, रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यथा राइट्स लिमिटेड और इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड विदेशों को रेल इंजनों का निर्यात/लीज पर दे रहे हैं।

(ख) राइट्स ने 2003.04 में 5 रेल इंजन वियतनाम को और 3 रेल इंजन बंगला देश को और 2004-05 में 4 रेल इंजन सूडान को सप्लाई किये है। पिछले तीन वर्ष के दौरान इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड ने अस्थायी रूप से मलेशिया को मीटर आमान के रेल इंजनों को पट्टे एवं अनुरक्षण के आधार पर निर्यात किये हैं। वर्तमान में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के मीटर आमान के 25 रेल इंजन मलेशिया में कार्यरत है।

(ग) राइट्स लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने पिछले तीन वर्ष के दौरान क्रमशः 3.13 मिलियन अमेरिकी डालर और 19.9 मिलियन अमेरिकी डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

(घ) रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेल इंजनों के अधिकाधिक निर्यात के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट का पता लगा रहे हैं।

सागर समृद्धि परियोजना

3593. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गहरे पानी में उत्खनन हेतु सागर-समृद्धि योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) अगस्त, 2003 में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने भारत के पूर्व और पश्चिम तटों से दूर गहन जल क्षेत्रों में, जहां उनके पास 29 गहन जल रकबे हैं, तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण कार्य को तेज करने के लिए ''सागर समृद्धि'' नाम से एक बड़े अभियान की शुरुआत की है।

900 मीटर तक वेधन क्षमता वाले अपने स्वयं के वेधन पोत ''सागर विजय'' के अलावा, ओ एन जी सी ने दो वेधन पोतों को भाड़े पर लिया है नामतः ''बेलफोर्ड डाल्फिन'' जो इंग्लैंड की मैसर्स डाल्फिन ड्रिलिंग लि. के स्वामित्व में है, जिसकी वेधन क्षमता 3000 मीटर तक की है और ''डिस्कवरर सैवन सीज' जो अमरीका की मैसर्स ट्रासओशन इंक के स्वामित्व में है, जिसकी वेधन क्षमता 1800 मीटर तक जल गहराई तक है।

(ग) "सागर समृद्धि" कि तहत ओ एन जी सी ने 1.4.2005 तक 18 गहन जल कूपों का वेधन कार्य किया है जिनमें से 3 हाइड्रोकार्बन से युक्त हैं। 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार गहन अन्वेषण प्रयासों के परिणामस्वरूप कृष्णा गोदावरी गहन जल में जी-4 तथा वशिष्ठ, दो गैस खोजों का पता लगा जिससे 33.48 मिलियन टन गैस के समतुल्य तेल (ओ ई जी) के स्थानिक हाइड्रोकार्बन भण्डार सिद्ध हुए हैं।

तेल कंपनियों हेतु न्यास

3594. **श्री ए.के. मूर्ति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल कंपनियों के लिए एक न्यास गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) डा. वी. कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता में, ऊर्जा में सहक्रिया पर गठित सलाहकार समिति ने नीतिगत व ढांचागत परिवर्तनों पर सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और सार्वजनिक क्षेत्र में तेल कंपनियों के निष्पादन में सुधार के लिए कुछ प्रबंध संबंधी सुझाव भी दिए हैं। इस समिति की एक प्रमुख सिफारिश सिंगापुर के तेमासेक व मलेशिया के खजाना के माडल पर राष्ट्रीय शेयर होल्डिंग न्यास स्थापित करने की है, इस संशोधन के साथ कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम (पी एस यूज), जो इस न्यास में शामिल होंगे को अपना पी एस यू का चरित्र बनाए रखना होगा और इस न्यास को, समिति रजिस्ट्रेशन अधिनियम अथवा कंपनी अधिनियम के तहत अथवा एक स्वायत्त निकाय के रूप में गैर लाभकारी न्यास के रूप में कार्य करना होगा। न्यास के बोर्ड में सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की कई प्रसिद्ध हस्तियां शामिल होंगी। समिति यह आशा करती है कि इस न्यास को दी गई अधिक स्वायत्तता प्रचालनों में सहक्रिया को सुनिश्चित करेगी।

(ग) सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

महाराष्ट्र में पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेन्सियों का खोला जाना

3595. **श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 2005-06 के दौरान आबंटन हेतु प्रस्तावित पेट्रोल पम्प/रसोई गैस एजेन्सियां स्थानवार कितनी हैं; और

(ख) इन स्थानों में रसोई गैस/पेट्रोल/डीजल एजेन्सियों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य सहित, देश के विभिन्न भागों में, सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सी) द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप (पेट्रोल पम्प) और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन को विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है अर्थात उन स्थानों का विज्ञापन दिया जाना जहां इन डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को स्थापित किया जाना है, ओ एम सीज के प्रस्तावित दिशानिर्देशों के अनुसार डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन, चुने हुए अभ्यर्थियों का क्षेत्रीय सत्यापन, चुने हुए अभ्यर्थियों का क्षेत्रीय सत्यापन चुन गए डीलर इत्यादि को आशय पत्र जारी करना। आगे आबंटित डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना इन तथ्यों पर निर्भर करेगी जैसे उपयुक्त भूमि का अधिग्रहण आवश्यक सांविधिक अनुमोदनों/लाइसेंसों की प्राप्ति निर्माण इत्यादि। इस प्रकार चालू वर्ष अर्थात 2005-06 के दौरान राज्य में स्थापित किए जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या इन कारकों पर निर्भर करेगी। तथापि, महाराष्ट्र राज्य सहित विभिन्न राज्यों में खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए चुने गए स्थानों का ब्यौरा संबंधित ओ एम सीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध है।

क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को प्रोत्साहन

3596. **श्री अनन्त नायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) भारत के संविधान के अनुसार, फिल्मों के प्रमाणन को छोड़कर, जो कि संघ सूची में शामिल हैं, 'सिनेमा' राज्य का विषय है। तथापि, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. जो कि क्षेत्रीय सिनेमा को वित्त प्रदान करता है, के जरिए, बालचित्र

समिति, भारत जो कि क्षेत्रीय भाषाओं सहित विभिन्न भाषाओं में बाल फिल्मों का निर्माण करती है, के जरिए दूरदर्शन के जरिए जो कि ऐसे सिनेमा को प्रदर्शित करता है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा श्रेष्ठ क्षेत्रीय सिनेमा की पहचान के जरिए भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के भारतीय पैनोरमा खण्ड के जरिए क्षेत्रीय सिनेमा सहित सिनेमा के विकास के लिए अनेक प्रोत्साहनात्मक उपाय किए हैं।

कोलकाता और जापान के बीच उड़ान

3597. श्री सुनील खां : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोलकाता और जापान के बीच उड़ान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार अपने मार्गों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं इस समय किसी भी भारतीय वाहक द्वारा कोलकाता और जापान के बीच उड़ानें शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

एच.बी.जे. पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति

3598. श्री गणेश सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश में उद्योगों को एच.बी.जे. पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश ने इस मंत्रालय को मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एम पी एस आई डी सी) के प्रस्तावित 150 मे.वा. के विद्युत संयंत्र को गैस आपूर्तियों की प्रतिबाध्यता करने और इंदौर; उज्जैन और ग्वालियर में सी एन जी परियोजनाओं के लिए प्रशासित गैस व्यवस्था (ए पी एम) गैस के आबंटन के लिए लिखा है।

(ख) और (ग) गेल और एम पी एस आई डी सी के बीच 5.5.2005 को एक गैस सहयोग एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दो प्रमुख गैस पाइपलाइन नामत: जगोती-पीतमपुर पाइपलाइन और कैलारस-मलानपुर पाइपलाइन विभिन्न उद्योगों को गैस की आपूर्ति करने के लिए मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। चूंकि फिलहाल घरेलू प्राकृतिक गैस उपलब्धता की कमी है इसलिए गेल आयातित एल एन जी के माध्यम से इस क्षेत्र में गैस की जरूरतें पूरी करने की संभावना तलाश रही है। तदनुसार गेल पदाधिकारी पुन गैसीकृत एल एन जी मूल्य निर्धारण और आर एल एन जी उपलब्धता के आधार पर नई विद्युत परियोजनाओं और अन्य उद्योगों की जरूरत पूरी करने के लिए एम पी एस आई डी सी के साथ संपर्क में हैं गेल मध्य प्रदेश राज्य में नगर गैस परियोजनाएं और सी एन जी क्रियान्वित करने के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम का गठन करने की प्रक्रिया में है। इसमें परिकल्पित है कि संयुक्त उद्यम कंपनी इंदौर के परिवहन, घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का सृजन करेगी और बाद में इसका विस्तार मध्य प्रदेश के उज्जैन और ग्वालियर जैसे अन्य शहरों तक किया जाएगा।

[अनुवाद]

ट्रेड्समेन की भर्ती

3599. श्री मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में 'नान मैट्रिक केटेगरी' में मेसवेटर और मशालची आदि जैसे ट्रेड्समेन भर्ती किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस श्रेणी में कौन-कौन से विभिन्न ट्रेड शामिल हैं;

(ग) क्या इन पदों हेतु भर्ती संबंधित रेजीमेंटल सेन्टर्स में की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो भर्ती की वर्तमान प्रणाली क्या है और इसे कब से शुरू किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) जिन विभिन्न ट्रेडों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है उनके नाम नीचे दिए गए अनुसार हैं:—

(i) नाई (ii) लुहार (iii) बढ़ई (iv) रसोईया (अस्पताल) (v) रसोइया (पाकशाला) (vi) रसोइया (विशेष) (vii) रसोइया (यूनिट) (viii) उपस्कर मरम्मतकर्ता (ix) कुत्ता पालक (केनलमेन) (x) मशालची (xi) संगीतकार (xii) पेंटर (xiii) जीनसाज (सेडलर) (xiv) सफाई कर्मचारी (xv) साईस (xvi) दर्जी (xvii) कलईगर (टिन-स्मिथ) (xviii) वेटर मेस (xix) धोबी।

(ग) इन श्रेणियों के लिए भर्ती, शाखा भर्ती कार्यालयों और रेजीमेंटल केंद्रों, दोनों जगह, की जाती है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप और रांची के बीच पाइपलाइन

3600. श्री जुएल ओराम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप और रांची के बीच एक पाइपलाइन शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को शुरू करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) उक्त परिनयोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) द्वारा वर्ष 1996 में पारादीप से रांची तक एक उत्पाद पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव पर व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी। सरकार ने वर्ष 1997 में आई ओ सी एल को सलाह दी थी कि प्रस्ताव पर पाइपलाइन धारक कंपनी, पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड (पी आई एल) द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। पीर आई एल ने परियोजना का कार्यान्वयन नहीं किया है।

तथापि, आई ओ सी वर्तमान में प्रस्तावित पारादीप रिफाइनरी से उत्पादों की निकासी के लिए रेंगाली के रास्ते पारादीप से रायपुर तक उत्पाद पाइपलाइन बिछाए जाने के एक वैकल्पिक प्रस्ताव की जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें बूंदू (रांची के पास) तक एक ब्रांच पाइपलाइन शामिल है। यह प्रस्ताव अभी संकल्पनात्मक स्तर पर है और प्रारम्भिक अध्ययन किए गए हैं। यह पारादीप रिफाइनरी परियोजना के चालू होने से संबद्ध है जिसके वर्ष 2009-10 तक पूरा होने की संभावना है।

ए एल आई एम सी ओ से प्रचार की कमी

3601. श्री मनोरंजन भक्त : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आर्टिफिशियल लिम्बस मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर से व्यापक प्रचार की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आम जनता के लिए व्यापक प्रचार और उत्पादन को तीन गुना बढ़ाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित अधिकांश जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में नियतन/वितरण शिविर लगाकर अपने उत्पादों और सेवाओं का व्यापार प्रचार करता है। उक्त निगम ने भुवनेश्वर (उड़ीसा), बंगलौर (कर्नाटक), जबलपुर (मध्य प्रदेश) और चनलों (पंजाब) में सहायक केन्द्र स्थापित करके अपने उत्पादन आधार में वृद्धि की है।

विमान कंपनियों पर बाढ़ का प्रभाव

3602. श्री सुग्रीव सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हाल की बाढ़ के कारण विमान कंपनियों को हुई क्षति/घाटे का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) बाढ़ के कारण कितनी उड़ानें रद्द/निलंबित की गई हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप विभिन्न विमान कंपनियों को कितना घाटा हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मदुरई विमानपत्तन का विस्तार

3603. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुरई विमानपत्तन के विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या मदुई विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन में बदलने और मुदुरई से नई दिल्ली और श्रीलंका से सीधी उड़ाने शुरू करने की कोई मांग है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) रनवे के विस्तार तथा उसे मजबूत करने का कार्य एवं तत्संबंधी कार्य प्रगति पर है तथा इनके जुलाई, 2006, तक सम्पन्न होने की संभावना है।

(ख) और (ग) मदुरई हवाईअड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित करने तथा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेषतः खाड़ी तथा दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को मदुरई से उड़ानें आरंभ करने की भी मांगें है। मदुरई को/से अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के प्रचालन की पर्याप्त संभावनाएं नहीं हैं। श्रीलंका अथवा अन्य देशों की किसी भी विदेशी एयरलाइंस द्वारा मदुरई को/से प्रचालन में रुचि नहीं दिखाई गई है। अतः, वर्तमान में सरकार मदुरई हवाईअड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाईड्डा घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मदुरई में वर्तमान यातायात मांग को विभिन्न एयरलाइंसों द्वारा प्रबंध किया जाता है तथा दिल्ली सहित घरेलू क्षेत्रों को अधिक सीधी उड़ान के आश्वासन हेतु कोई पर्याप्त यातायात संभावना नहीं है बहरहाल, इंडियन एयरलाइंस पहले से ही गल्फ तथा दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के लिए चेन्नई, त्रिची, कोयम्बतूर, कोच्ची तथा त्रिवेन्द्रम हवाईड्डों से सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित करती हैं, जो कि मदुरई के आसपास के हवाईअड्डे हैं।

उच्च शिक्षा में विकलांगों हेतु आरक्षण

3604. श्री सनत कुमार मंडल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा में दाखिला लेने के लिए विकलांगों हेतु आरक्षण समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 39 में प्रावधान है कि सरकार से सहायता प्राप्त सभी सरकारी शैक्षिक संस्थाएं और अन्य शैक्षिक संस्थाएं न्यूनतम 3% सीटें विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित करेंगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डी टी एच सेटों का लगाया जाना

3605. प्रो. एम. रामदास : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सार्वजनिक में निःशुल्क डी टी एच सेट लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक राज्य-वार कितने डी टी एच सेट लगाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) दूरदर्शन की के यू बैंड (डी टी एच) परियोजना के एक भाग के रूप में हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल, गुजरात के राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र

में सार्वजनिक संस्थानों अर्थात् आंगनवाड़ियों, स्कूलों, जनस्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायतों, युवा क्लबों, सहकारी समितियों आदि को निशुल्क डी टी एच अभिग्रहण यूनिटों के वितरण के प्रावधान को अनुमोदित किया गया था।

(ग) अब तक स्थापित किए गए डी टी एच सैटों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

राज्य का नाम	स्थापित किए गए डी टी एच सैटों की संख्या
1. छत्तीसगढ़	524
2. गुजरात	1242
3. हिमाचल प्रदेश	94
4. कर्नाटक	1500
5. मध्य प्रदेश	1901
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	170
7. राजस्थान	1926
8. उत्तरांचल	280

[हिन्दी]

बोफोर्स मामला

3606. **श्री मोहन सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोफोर्स मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिन्दुजा भाइयों और बोफोर्स कंपनी के विरुद्ध सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय में उक्त आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 31.5.2005 के अपने निर्णय के द्वारा अभियुक्त हिंदुजा बंधुओं और बोफोर्स कंपनी के विरुद्ध सभी कार्य-वाहियां मंसूख कर दी हैं तथा उन्हें इस मामले से मुक्त कर दिया है।

(ग) और (घ) केंद्रीय जांच ब्यूरो दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 31.5.2005 के निर्णय की जांच कर रही है और यदि उचित समझा जाएगा तो केंद्रीय जांच ब्यूरो, सरकार से उच्चतम न्यायालय में उक्त आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने का अनुरोध करेगी।

[अनुवाद]

निःशक्तता संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

3607. **श्री ई. पोन्नुस्वामी :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 जून, 2005 को निःशक्ता संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से निःशक्त व्यक्तियों हेतु कोई सिफारिशें प्राप्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विकलांगता सम्मेलन का आयोजन किया था और इस सम्मेलन की सिफारिशें उनकी वेबसाइट www.hrc.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे की भूमि पर 'लग्जरी' होटलों का निर्माण

3608. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे आतिथ्य क्षेत्र में प्रवेश करने पर विचार कर रही है जैसा दिनांक 24 जुलाई, 2005 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो लग्जरी होटलों के निर्माण हेतु किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) क्या रेलवे की भूमि पर बाजार परिसर और माल्स् निर्माण का कोई प्रस्ताव भी रेलवे के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजन हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) भारतीय रेल पहले से ही आतिथ्य क्षेत्र में है और रेल यात्री निवास और विश्राम कक्षों का परिचालन कर रही है। अब भारतीय रेल की चुनिंदा स्थानों पर बजट होटलों के निर्माण की योजना है।

(ख) बजट होटलों के लिए स्थानों की पहचान 6 स्थलों पर की गई है जिनके नाम इस प्रकार है मदुरै, बैंगलोर, भोपाल (हबीबगंज), चंडीगढ़, सियालदह और सिकंदराबाद भारतीय रेल लग्जरी होटलों का निर्माण नहीं कर रही है।

(ग) और (घ) रेलवे भूमि पर मार्किट कॉम्प्लेक्स और मॉल्स के निर्माण का कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बहरहाल, रेलों द्वारा किए गए भूमि के वाणिज्यिक विकास में स्थलों के बाजार व्यावहारिकता अध्ययन के माध्यम से निर्धारित भूमि के विभिन्न उपयोग शामिल है। भूमि के इस प्रकार के उपयोगों में मार्किट कॉम्प्लेक्स मॉल्स आदि भी शामिल है।

विमानपत्तनों में कर्मचारियों का व्यवहार

3609. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर तैनात विभिन्न एजेंसियों विशेषकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और आप्रवास विभाग के कर्मचारी शालीन और दक्ष नहीं है और यात्रियों से तत्परता से व्यवहार नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अब तक उपर्युक्त तरह की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) हवाईअड्डों पर विभिन्न राज्य एजेंसियों द्वारा लगाए गए कार्मिकों की सेवाएं कुल मिलाकर संतोषजनक हैं। तथापि, कभी-कभी कुछ शिकायतें मिलती रहती हैं।

(ख) गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग को 21 शिकायतें तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 6 शिकायतें प्राप्त हुई थी। तथापि, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(ग) हवाईअड्डों पर कार्यरत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्टाफ को उपभोक्ता देखभाल तथा यात्री हैंडलिंग पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता हैं उपभोक्ता देखभाल में अंतर्ग्रस्त कार्मिकों के लिए हवाईअड्डों पर तथा दिल्ली में एन आई ए एम ए आर द्वारा नियमित विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाईअड्डों पर कार्यरत सी आई एस एफ कार्मिक के लिए उपभोक्ता देखभाल पर विन्यास कार्यक्रम भी आयोजित करता हैं गृह मंत्रालय, विदेशी प्रभाग आब्रजन स्टाफ के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशालएं चलाता है, जिससे व्यवहार कुशलता में सुधार लाया जा सके। तेजी से क्लीयरेंस के लिए आब्रजन जांच पोस्टों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। कुछ हवाईअड्डों पर तेजी से आब्रजन क्लीयरेंस के लिए पासपोर्ट पठनीय मशीनें लगाई गई हैं। आब्रजन क्षेत्र में सी सी टी वी कैमरे भी लगाए गए हैं। विडियो रिकार्डिंग की जांच से काऊंटर अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता जांचने में मदद मिलती है। प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है तथा चूककर्ता अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाती है।

निजी एयरलाइनों द्वारा पायलटों और तकनीकी कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करना

3610. श्री बालासाहिब विखे पाटील :

श्री खारबेल स्वाईं :

श्री कुलदीप विश्नोई :

श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी एयरलाइनें सरकारी क्षेत्र की एयरलाइनों के पायलटों और तकनीकी कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने पायलटों और तकनीकी कर्मचारियों ने सरकारी क्षेत्र की एयरलाइनों से अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं;

(ग) क्या सरकार ने निजी एयरलाइनों द्वारा पायलटों और तकनीकी कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करने से रोकने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, एअर इंडिया एक्सप्रेस सहित एअर इंडिया लिमिटेड के कुल 17 विमानचालक तथा 32 तकनीकी स्टाफ नौकरी छोड़कर चले गये, 7 विमानचालक तथा 11 तकनीकी स्टाफ इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड की नौकरी छोड़कर चले गए, 75 विमानचालक तथा 43 तकनीकी स्टाफ एलाइंस एयर तथा 10 विमानचालक तथा 4 तकनीकी स्टाफ पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की नौकरी छोड़कर चले गए। इन आंकड़ों में वे भी शामिल हैं जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का भी विकल्प दिया।

(ग) और (घ) विमानचालकों के पलायन की समस्या का समाधान निकालने की दृष्टि से नागर विमानन मंत्रालय में बैठकें बुलाई गई थीं तथा एयरलाइनों को अपने आप एक आचार-संहिता को अंतिम रूप देने को कहा गया था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उड़ानों में अचानक व्यवधान न आए, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

चुराए गए पहचान-पत्र

3611. श्री उदय सिंह :

श्री अधीर चौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में सैन्य-कर्मियों के पहचान-पत्र रेलगाड़ियों/बसों में चुरा लिए गए हैं या उग्रवादियों/आतंकवादियों द्वारा लूट लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उग्रवादी/आतंकवादी ऐसे चुराए गए/लूटे गए पहचान-पत्रों का रक्षा प्रतिष्ठानों में और आम जनता के बीच इस्तेमाल कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(घ) सैन्यकर्मियों के ऐसे चुराए गए/लूटे गए पहचान-पत्रों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई गई हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) परिचय-पत्र खोने के कुछेक मामलों की रिपोर्ट समय-समय पर मिलती रहती है। परिचय-पत्र एक जवाबदेही वाला दस्तावेज है, जिसके खो जाने को गंभीरता से लिया जाता है तथा इसकी जांच अदालत द्वारा की जाती है और इसे खोने वाले कर्मियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। चुराए गए परिचय-पत्रों का आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। तथापि, रेलगाड़ियों/ बसों में यात्रा करते समय सैन्य-कर्मियों द्वारा परिचय-पत्र खोने से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

– रेलवे स्टेशनों/बस अड्डों पर क्लोज सर्किट टी वी तथा श्रव्य उपस्करों पर बेहोशी की दवा खिलाने के खतरे के प्रति चेतावनी संदेश देना।

– संचलन नियंत्रण अफसर (एस सी ओ) के कार्यालय में इस विषय पर उपयुक्त पोस्टर प्रदर्शित करना। सैन्य-दलों को उन विभिन्न संरक्षा संबंधी सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी जाती है, जो उन्हें संचलन के दौरान बरतनी होती है।

– सैनिक सम्मेलनों के दौरान सैन्य-दलों को शिक्षित करना, जिसमें बेहोशी की दवा खिलाने के खतरे के प्रति उपयुक्त

शब्दों में चेतावनी के साथ छुट्टी प्रमाण-पत्र जारी किया जाना शामिल है।

– जहां संभव हो, यूनिटों/मुख्यालयों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा के दौरान सैन्य-दल पैकेटबंद खाना तथा पानी साथ लेकर चलें ताकि बेहोशी की दवा खिलाने के मामलों को न्यूनतम किया जा सके।

– संवेदनशील रेलवे स्टेशनों/बस अड्डों की चुनिंदा गश्त लगाने के भी अनुदेश जारी किए गए हैं।

परिचय-पत्र पर धारक का फोटो, हस्ताक्षर तथा अंगूठे का निशान होता है, जिसकी रक्षा स्थापना में प्रवेश करते समय जांच की जाती है। सैन्य-कर्मी को परिचय-पत्र जारी करने से पूर्व उसे लेमिनेट किया जाता है तथा फोटो को कार्यालय की मुहर से विधिवत् अधिप्रमाणित किया जाता है। लेमिनेशन हटाने तथा जालसाजी के किसी प्रयास से परिचय-पत्र क्षतिग्रस्त हो जाएगा तथा यह असंभाव्य है कि चुराए गए परिचय-पत्र में जालसाजी की जाएगी और उसका दुरुपयोग किया जाएगा।

[हिन्दी]

स्टेशनों का आदर्श स्टेशनों के रूप में विकास

3612. श्री मुन्शी राम :
मोहम्मद शाहिद :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री मो. ताहिर :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने रेलवे स्टेशनों को जानकर "आदर्श स्टेशनों" के रूप में विकसित करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है;

(ख) अब तक जोनवार कितने स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित किया गया है;

(ग) क्या रेलवे ने चालू वित्त वर्ष के दौरान "आदर्श स्टेशनों" के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित स्टेशनों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो इन स्टेशनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे ने "आदर्श स्टेशनों" के रूप में विकसित करने के लिए सूचीबद्ध स्टेशनों पर कार्य पूरा करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) बेहतर यात्री सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयोजन से मॉडल स्टेशनों के रूप में चुने गए स्टेशनों की जोनवार संख्या नीचे दी गई है:-

मध्य-17, पूर्व-41, पूर्व मध्य-29, पूर्व तट-17, उत्तर-40, उत्तर मध्य-10, उत्तर पूर्व-16, पूर्वोत्तर सीमा-31, उत्तर पश्चिम-9, दक्षिण-31, दक्षिण मध्य-14, दक्षिण पूर्व-21, दक्षिण पूर्व मध्य-3, दक्षिण पश्चिम-8, पश्चिम-24, पश्चिम मध्य-11 और कोंकण रेलवे-1।

(ख) अब तक 101 स्टेशनों को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। रेलवे-वार स्थिति निम्नानुसार है:- मध्य-14, पूर्व मध्य-2, पूर्व तट-10, उत्तर-11, उत्तर मध्य-4, पूर्वोत्तर-11, उत्तर पश्चिम-2, दक्षिण-13, दक्षिण मध्य-10, दक्षिण पूर्व-2, दक्षिण पूर्व मध्य-3, दक्षिण पश्चिम-6, पश्चिम-5, पश्चिम मध्य-7 और कोंकरण रेलवे-1।

(ग) से (च) स्टेशनों का आदर्श स्टेशनों के रूप में विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है। 2004-05 तक चयनित किए गए 319 स्टेशनों के विकास के लिए मार्च, 2008 की लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है।

[अनुवाद]

मैसर्स स्पेस टी वी लिमिटेड का डी टी एच आवेदन

3613. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मैसर्स स्पेस टी वी लिमिटेड के डी टी एच आवेदन को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां। सरकार ने दिनांक 17 मई, 2005 को मैसर्स स्पेस टी.वी. लि. को आशय पत्र जारी कर दिया है।

(ख) आशय-पत्र भारत में डी टी एच सेवा के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों जो मंत्रालय को वेब साइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध हैं, में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार जारी किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

क्षेत्र प्रचार निदेशालय की इकाइयों को बंद किया जाना

3614. **मोहम्मद शाहिद :**
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री वाई.जी. महाजन :
श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री सुनील खां :
श्री मो. ताहिर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्र प्रचार निदेशालय की कुछ इकाइयों को बंद करने का निर्णय लिया है जैसा कि दिनांक 24 जुलाई, 2005 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन इकाइयों के अनुमानतः कितने कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर तैनात किया जायेगा;

(घ) क्या इन इकाइयों को बंद करने का निर्णय लेने से पूर्व कर्मचारी संघों से परामर्श किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां। सचिवों की समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में और व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के आंशिक कार्यान्वयन में सरकार ने क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के 22 (बाइस) क्षेत्रीय प्रचार एककों को बंद करने का निर्णय लिया है।

(ख) 22 (बाइस) क्षेत्रीय प्रचार एककों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन 22 एककों में इस समय कार्यरत 75 (पचहत्तर) कर्मचारियों को क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के उन्हीं क्षेत्रों, जहां वे कार्यरत हैं, के अन्य एककों में समायोजित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में कोई पंजीकृत कर्मचारी यूनियन नहीं है।

विवरण

बंद किए जाने वाले क्षेत्रीय प्रचार एककों की सूची

क्र.सं.	एकक	क्षेत्र
1	2	3
1.	मुजफ्फरपुर	बिहार
2.	अहमदाबाद	गुजरात
3.	बंगलौर	कर्नाटक
4.	तिरूवंनतपुरम	केरल
5.	कालीकट	केरल
6.	भोपाल	मध्य प्रदेश
7.	पुणे	महाराष्ट्र
8.	मुंबई	महाराष्ट्र

1	2	3
9.	दिल्ली-1	उत्तर पश्चिम
10.	दिल्ली-2	उत्तर पश्चिम
11.	चंडीगढ़	उत्तर पश्चिम
12.	लुधियाना	उत्तर पश्चिम
13.	अंबाला	उत्तर पश्चिम
14.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
15.	धेनकनाल	उड़ीसा
16.	जयपुर	राजस्थान
17.	चैन्नई	तमिलनाडु
18.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
19.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
20.	मुजफ्फरनगर	उत्तरांचल
21.	कोलकाता-1	पश्चिम बंगाल
22.	कोलकाता-2	पश्चिम बंगाल

दलितों पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में विशेष न्यायालय

3615. श्री ब्रजेश पाठक : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रयोजना क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी केन्द्रीय सहायता आबंटित और जारी की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उपयोग में लायी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों पर शीघ्र कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं और उनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर अब तक विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शीघ्र ऐसे न्यायालय स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है। वर्ष 2002-06 (16 अगस्त, 2005 की स्थिति के अनुसार) के दौरान निर्मुक्त और प्रयुक्त सहायता का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (च) अधिनियम के तहत अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि, मामलों के तेजी से परीक्षण और निपटान के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया है। आंध्र प्रदेश (08 न्यायालय), बिहार (11 न्यायालय), छत्तीसगढ़ (07 न्यायालय), मध्य प्रदेश (29 न्यायालय), राजस्थान (17 न्यायालय), तमिलनाडु (04 न्यायालय) और उत्तर प्रदेश (40 न्यायालय) राज्यों में अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं जहां प्राय: अत्याचार मामलों की कुल संख्या का लगभग 90% मामला है।

विवरण

वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (16.08.2005 की स्थिति के अनुसार) के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और उसके उपयोग का ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06
		निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	प्रयुक्त केन्द्रीय सहायता	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	प्रयुक्त केन्द्रीय सहायता	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	प्रयुक्त केन्द्रीय सहायता	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता (16.08.2005 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	328.13950	382.89500	464.41500	433.46500	615.75500	200.020000	117.00000
2.	बिहार	65.00000	5892000	85.82000	29.28128	0	32.86250	13.00000
3.	छत्तीसगढ़	88.27000	30.59500	30.09500	46.09000	71.74500	48.88000	16.00000
4.	गोवा	0	0.35000	0.72500	0.50000	1.00000	0.35000	0.10000
5.	गुजरात	226.62109	244.31500	256.63792	253.43500	337.79000	33.44500	88.19500
6.	हरियाणा	27.27950	27.14000	22.23000	18.37525	14.84450	13.35400	9.46025
7.	हिमाचल प्रदेश	4.72000	20.71212	0	36.745720	37.00000	एनआर	0
8.	झारखंड	105.97500	8.54500	0	8.54500	0	एनआर	0
9.	कर्नाटक	567.05000	353.66000	0	300.62500	531.17350	एनआर	92.00000
10.	केरल	73.15350	42.42535	43.69575	45.03250	30.39700	87.29036	117.52020
11.	मध्य प्रदेश	435.98000	613.64000	1280.97000	517.94000	314.96500	774.38500	820.01000
12.	महाराष्ट्र	772.52261	114.08010	150.40000	217.95901	343.49000	एनआर	0
13.	उड़ीसा	0.81200	0.89200	4.95000	0.08750	08.18000	2.08913	1.20000
14.	पंजाब	0	33.85000	40.43300	0	57.50000	एनआर	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	राजस्थान	19.28500	24.14500	33.67844	54.28500	200.00000	एनआर	21.00000
16.	सिक्किम	1.90500	1.45000	0.95000	0.95000	1.50000	1.25000	1.75000
17.	तमिलनाडु	336.66680	152.78000	124.61000	184.62500	218.34000	172.57000	160.72000
18.	उत्तरांचल	22.42000	16.02000	0	12.39500	22.00000	एनआर	0
19.	उत्तर प्रदेश	886.64000	927.78000	1030.22000	570.20450	610.70000	553.10500	210.00000
20.	दादरा व नागर हवेली	26.32510	29.02000	33.42000	32.39646	30.00000	30.00000	12.00000
21.	पांडिचेरी	29.23102	33.71265	34.63000	30.88924	28.62000	31.26457	37.94500
	कुल	4017.99612	3116.92722	3637.88011	2793.82643	3475.00000	1981.76556	1717.90045

टिप्पणी: 1. वर्तमान वित्त वर्ष के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करने हेतु विचार करते समय पिछले वित्त वर्ष की अव्ययित केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय सहायता बकाया समायोजित किया जाता है।

2. एनआर = आंकड़ा प्राप्त नहीं।

3. अन्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने योजना के तहत केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

[अनुवाद]

ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम

3616. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने वर्ष 1998 के दौरान ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम-असिसटिड इम्पूण्ड नेविगेशन सिस्टम खरीदा है और इसे चालू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सिस्टम को खरीदने और चालू करने पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या ओ एन जी सी इस समय सिस्टम का प्रयोग कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इस सिस्टम का प्रभावी ढंग से प्रयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी चूकों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) ओ.एन.जी.सी. ने अपने ग्लोबलाइजेशन पोजीशनिंग सिस्टम- असिस्टेड इम्पूण्ड नैविगेशन सिस्टम की प्राप्ति और प्रारम्भ (कमीशनिंग) करने पर 3,74,89,849 रुपए की राशि व्यय की है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त प्रश्न (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-महानगरीय विमानपत्तन पर उतराई प्रभार में कमी

3617. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान यातायात में 25 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है और महानगरीय विमानपत्तनों पर इस भार में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-महानगरीय शहरों को अपना केन्द्र बनाने के लिए एयरलाइन्सों को कुछ प्रोत्साहन देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गैर-महानगरीय विमानपत्तनों पर उतराई प्रभार में कमी करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) पिछले वर्ष की तुलना में 2004-05 में अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू यात्रियों में कुल वार्षिक वृद्धि 21.5 प्रतिशत थी। कुछ महानगरीय हवाईअड्डों पर टर्मिनल तथा एयरसाइड पर क्षमता वहन करने में अड़चनें महसूस की जा रही हैं।

(ग) और (घ) गैर-महानगरीय हवाईअड्डों पर पार्किंग शुल्क रियायत के लिए घरेलू अनुसूचित प्रचालकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे रसोई गैस सिलेन्डरों का
अवैध विनिर्माण

3618. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में छोटे रसोई गैस सिलेन्डरों के अवैध विनिर्माण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान कितनी मामले ध्यान में आए हैं.

(ग) क्या इन सिलेन्डरों के विनिर्माण को रोकने के लिए कोई रोक लगाने से संबंधित कार्य किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) इस मंत्रालय को पिछले दो वर्षों में इस संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) के सामने भी पिछले दो वर्षों के दौरान जब देश में मिनी एल पी जी सिलिंडरों का प्रापण किया गया था ऐसा कोई दृष्टांत सामने नहीं आया।

(ग) और (घ) ओ एम सीज भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस), मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (सी सी ओ ई) तथा तेल उद्योग तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त वैध लाइसेंस रखने वाले सिलिंडर निर्माताओं से एल पी जी सिलिंडर प्राप्त करती हैं। इन सिलिंडरों का निर्माण बी आई एस के सूक्ष्म पर्यवेक्षण के तहत किया जाता है। ओ एम सीज ने कठोर उपाय और निरीक्षण कार्य प्रक्रियाएं अपनाई हैं। ताकि भरण संयंत्रों पर केवल प्रमाणिक सिलिंडरों को ही भरा जाना तथा बाजार में वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

भारत और बांग्लादेश के बीच
रेल लिंक

3619. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेत्रापोल के रास्ते यात्रियों के आवागमन के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच रेल लिंक पुन: खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय आकाशवाणी समाचार चैनल

3620. श्रीमती अर्चना नायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नए क्षेत्रीय आकाशवाणी समाचार चैनल शुरू करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निर्णय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन चैनलों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नागपुर में कार्गो केन्द्र

3621. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री सुबोध मोहिते :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर में प्रस्तावित कार्गो केन्द्र की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ख) उक्त परियोजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है अथवा प्रदान किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) महाराष्ट्र सरकार, नागपुर में एक मल्टी-मोडल इंटरनेशनल पैसेंजर एवं कार्गो हब एयरपोर्ट बनाने के लिए महाराष्ट्र एयरपोर्ट विकास कंपनी के नाम से एक स्पेशल पर्पज वेहिकल पहले से ही बना चुकी है। इस परियोजना की लागत, अन्तर सरकारी परामर्श द्वारा तय की जानी है।

(ख) इस परियोजना को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उड़ानों का रद्द किया जाना

3622. श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :
कुंवर मानवेन्द्र सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और एलायंस एयर में पायलटों/सह पायलटों की अनुपलब्धता के कारण अनेक उड़ाने रद्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया/एलायंस एयर की महीने-वार कितनी उड़ानें रद्द की गई;

(ग) इन एयरलाइंसों में रिजर्व पायलटों/सी-पायलटों को न रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप उड़ानों को रद्द करने के कारण इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया/एलायंस एयर को कितना घाटा हुआ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स ने विमानचालकों की गैर उपलब्धता के कारण, कोई उड़ान रद्द नहीं की है।

तथापि, इंडियन एयरलाइंस की एक अनुषंगी एलाइंस एयर को जनवरी, 2005 से प्रचालक कर्मी दल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तद्नुसार, उपलब्ध संसाधनों के अधीन, सेवाओं की नियमितता को बनाए रखने की दृष्टि से, अनुसूची में कटौती सामंजस्य बनाए रखा गया है।

(ग) एयरलाइनें लगातार उद्योग मानकों के अनुसार तथा नेटवर्क की अनुसूची की आवश्यकता के अनुसार विमानचालक विमान अनुपात बनाए रखने का प्रयत्न करती रहती है।

(घ) पिछले 6 महीने के दौरान एलायंस एयर को हुआ अनुमानित घाटा 80 लाख रुपए है।

[अनुवाद]

स्टेशनों पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों का आबंटन

3623. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ आबंटित करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निविदा प्रणाली के माध्यम से आबंटित इन एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों के लिए कितना प्रतिशत कमीशन निर्धारित किया जा रहा है; और

(घ) विकलांगों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आबंटियों द्वारा चलाए जा रहे एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों के आवंटन हेतु नीति संबंधी दिशानिर्देशों में प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर मुहैया कराए जाने वाले बूथों की संख्या, विभिन्न कोटि के व्यक्तियों के लिए आवंटन में पूर्ण आरक्षण, बूथ परिचालकों के चयन के लिए पात्रता संबंधी मानदण्ड, चयन की प्रक्रिया, लाइसेंस शुल्क और वसूल किए जाने वाले अन्य प्रभारों आदि का उल्लेख है।

(ग) टेकंडर प्रणाली के तहत रेलवे को देय कमीशन प्राधिकृत सेवा मुहैया कराने वाले द्वारा बूथ आपरेटर को यथा देय न्यूनतम 10% हो सकती है।

(घ) 27.4.2007 तक एसटीडी/पीसीओ बूथों के ठेके शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दिए जाने संबंधी अनुदेश जारी कर दिए गए हैं, बशर्ते उनका कार्य संतोषजनक रहे। इस संबंध में यह भी अनुदेश जारी किए गए हैं कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से इतर व्यक्तियों जिनकी 27.4.2005 को कुल ठेका अवधि 10 वर्ष से कम है, उनके ठेके की अवधि 10 वर्ष पूरी होने अथवा 27.4.2007 तक जो भी पहले हो, कतिपय शर्तों के अध्यधीन उनके ठेके का विस्तार किया जाएगा।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन

3624. श्रीमती मनोरमा माधवराज :
श्री प्रह्लाद जोशी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क में भारत के स्थायी मिशन में वर्ष 2003-04 के दौरान शांति मिशन खाते में बिना दीर्घकालीन निवेश के लगभग 400 करोड़ रुपए रहे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इससे आय/ब्याज का अनुमानतः कितना घाटा हुआ?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) न्यूयार्क स्थित भारत के स्थायी मिशन द्वारा रक्षा मंत्रालय की ओर से संचालित किए जा रहे शांति मिशन खाते में वर्ष 2003-04 के दौरान 505 करोड़ रुपए (अनुमानित) की राशि थी।

(ग) आय/ब्याज की कोई हानि नहीं हुई थी क्योंकि इन खातों में शेष राशि रखी गई थी ताकि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभियानों में तैनात/तैनात किए जाने वाले सैनिकों को विदेशी भत्ते का संवितरण करने के लिए धन नियमित आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इन खातों में मासिक आधार पर ब्याज अर्जित हुआ।

[हिन्दी]

अवेरी में सैन्य छावनी की स्थापना

3625. श्री सुरेश चन्देल : क्या रक्षा मंत्री अवेरी में नई सैन्य छावनी की स्थापना के बारे में दिनांक 16 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित

प्रश्न संख्या 2573 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में अवेरी में सैन्य छावनी की स्थापना के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त सैन्य छावनी कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) मिलिटरी स्टेशन, अवेरी के लिए 1259 बीघा, 16 बिस्वा भूमि का अर्जन करके उसे 18.12.1998 को सेना प्राधिकारियों को सौंप दिया गया है। 261 बीघा, 10 बिस्वा वन भूमि के अंतरण के लिए 1,47,54,150/- रुपए के लिए 31 मार्च, 2005 को सरकारी मंजूरी दी गई है। यह राशि प्रभागीय वन अधिकारी के पास जमा करा दी गई है। वन प्राधिकरण द्वारा वन भूमि के औपचारिक अंतरण की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार से वन भूमि का कब्जा लेने के उपरांत मिलिटरी स्टेशन, अवेरी के लिए जोनल योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

हाई टेंशन पावर लाइन के पुनः सरेखण से संबंधित कार्य के लिए 170.51 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

(ख) मिलिटरी स्टेशन की स्थापना करना एक दीर्घकालिक परियोजना है जो आधारभूत संरचना और धन की उपलब्धता पर निर्भर होती है। इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

आरसीटी में पीठासीन अधिकारियों की रिक्तियां

3626. श्री प्रहलाद जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक रेल दावा अधिकरण आरसीटी में पीठासीन अधिकारियों की रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आरसीटी, बैंगलोर में पीठासीन अधिकारी का पद पिछले चार वर्षों से नहीं भरा गया है जिसके फलस्वरूप दावों के निपटान में विलम्ब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह पद कब तक भरे जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल दावा अधिकरण (आरसीटी) में पीठासीन अधिकारी का कोई पद नहीं है। प्रत्येक आरसीटी बैंच में एक न्यायिक और एक तकनीकी सदस्य होता है जो रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में, न्यायिक सदस्यों के पद कोलकाता (दो पीठें) गुवाहाटी, पटना, चेन्नै, बंगलोर और नागपुर में तथा इसी तरह तकनीकी सदस्यों के पद दिल्ली, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कोलकाता, पटना और बैंगलोर की रेल दावा अधिकरण की बैंचों में खाली पड़े हैं।

(ख) और (ग) आरसीटी की बेंगलोर बैंच के सदस्य (न्यायिक) तथा सदस्य (तकनीकी) के पद क्रमशः 7/5/05 और 21/5/04 से रिक्त हैं, ना कि पिछले चार वर्षों से. ये रिक्तियां स्थानान्तरण के कारण हुई है। जहां तक दावों के निपटान का सम्बन्ध है, जहां ये पद रिक्त हैं, अध्यक्ष, आरसीटी द्वारा अन्य बैंचों के सदस्यों को मनोनीत कर समय-समय पर सर्किट बैंचों द्वारा काम किया जाता है।

(घ) आरसीटी की बैंगलोर बैंच सहित सदस्य (तकनीकी) के पदों को भरने के लिए चयन समिति की अनुशंसाओं को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति का इंतजार है। आरसीटी की बैंगलोर बैंच सहित, सदस्य न्यायिक के पदों को भरने के संबंध में पदों को अधिसूचित कर चयन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

रांची से मुम्बई तक विमान सेवा

3627. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई-दिल्ली-रांची मार्ग पर उड़ानों की बारंबारता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) सरकार द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में विमान परिवहन

सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए विमान परिवहन सेवाओं में बेहतर विनियमन को उपलब्ध कराने के मद्देनजर मार्ग संवितरण दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। अतः, यह अब एयरलाइन्स पर निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर किसी स्थान विशेष पर विमान सेवाएं उपलब्ध कराए। बहरहाल, इंडिया एयरलाइन्स का मुंबई-दिल्ली-रांची मार्ग पर अपने प्रचालन की आवृत्ति बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। चूंकि वर्तमान शेड्यूल में सेवाओं के प्रचालन में इसके बेड़े के एयरक्राफ्ट पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

[अनुवाद]

ईएमयू का पुनः डिजाइन तैयार करना

3628. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि यात्रियों को ईएमयू में शौचालय सुविधा के अभाव के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ईएमयू का पुनः डिजायन तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) ईएमयू छोटी दूरी के यात्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। नीति अनुसार, 160 कि.मी. की दूरी तक या चार घंटे की यात्रा तक चलने वाली रेल गाड़ियों को बगैर शौचालय के चलाया जा सकता है। बहरहाल, स्टेशनों पर शौचालय उपलब्ध है। शौचालय की व्यवस्था के संबंध में ईएमयू के पुनः डिजाइन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मालडिब्बों का आबंटन

3629. **श्री अधीर चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने वर्ष 2003 में एक घोटाले का पता लगाया था जिसमें खाद्यान्न निर्यातक रेलवे और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अधिकारियों की मिलिभगत से जाली साख पत्र और बैंक पृष्ठांकन का उपयोग मालडिब्बों के आबंटन के लिए करते थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) रेलवे ने दोषी अधिकारियों/दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। 2003 में रेलवे द्वारा ऐसे किसी घोटाले का पता नहीं लगाया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा हेतु अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों को अध्येतावृत्ति

3630. **श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :**
श्री हंसराज जी. अहीर :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे छात्रों को प्रदान की गई अध्येतावृत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए नई शर्तें लगा दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को इन नई शर्तों को लागू करने की वजह से अध्येतावृत्ति प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो उपरोक्त समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद मानविकी, विज्ञान और समाज विज्ञान में कनिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्ति तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्ति योजना के तहत एम.फिल./पीएच.डी के लिए नवीनतम अध्ययनों और अनुसंधान करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ए आई आर और दूरदर्शन का कार्य निष्पादन

3631. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में निजी चैनलों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो नेटवर्क के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई राजनीति तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निजी चैनलों की चुनौतियों का सामना करने के लिए आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के बीच प्रभावशाली समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि निजी चैनलों से बढ़ रही प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती बोर्ड द्वारा देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क के कार्यनिष्पादन की निरंतर समीक्षा की जाती है, तथापि प्रसार भारती का शासनादेश निजी चैनलों के वाणिज्यिक क्रियाकलाप केन्द्र के विपरीत एक लोक सेवा प्रसारक का है। प्रसार भारती को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से दीर्घकालिक कार्यनीति के रूप में अनेक कदम उठाए गए हैं जो कि निम्नानुसार हैं:-

(i) प्रसार भारती के लिए एक व्यवहार्य वित्तीय संरचना विकसित करने हेतु भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

(ii) प्रसार भारतीय ने दूरदर्शन और आकाशवाणी की कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने तथा अनेक कार्यकरण में सुधार लाने के लिए यथावश्यक नीतिगत एवं अन्य निर्णय लेने हेतु नीति एवं कार्यकारी समितियों तथा प्रबन्ध समिति का गठन किया है।

(iii) प्रसार भारती ने वाणिज्यिक अर्जन की दृष्टि से अपने कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए छः विपणन प्रभागों की भी स्थापना की है।

(iv) उपलब्ध टाइम स्लॉटों के पूर्ण उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए समय-समय पर आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों की वाणिज्यिक दर सूची को तर्कसंगत बनाया जाता है।

(v) जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त आबंटन किए जा रहे हैं।

इन उपायों के फलस्वरूप वर्ष 2004-05 के दौरान दूरदर्शन का राजस्व अर्जन बढ़कर 665.27 करोड़ रुपये हो गया है।

(ङ) दूरदर्शन द्वारा आकाशवाणी के और आकाशवाणी द्वारा दूरदर्शन के कार्यक्रमों के पारस्परिक संवर्धन के जरिए तथा अच्छी पैकेजिंग के जरिए प्रसारण समय का उपयोग करके तथा प्रसार भारतीय के डी टी एच प्लेटफार्म पर दोनों के कार्यक्रमों को साथ-साथ प्रस्तुत करके आकाशवाणी और दूरदर्शन के बीच कारगर समन्वयन किया जा रहा है। डी डी डायरेक्ट प्लस डी टी एच प्लेटफार्म का एक मात्र फ्री-टु-एयर चैनल है जिसके पास इस समय 33 टी वी चैनल और आकाशवाणी के 12 रेडियो चैनल हैं जिनके

लिए उपभोक्ताओं को किसी प्रकार भी आवृत्ति लागत वहन नहीं करनी पड़ती है।

शिल्पग्राम परियोजना

3632. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुवाहाटी में शिल्पग्राम परियोजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस परियोजना को आरम्भ करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी हां। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के माध्यम से पहले ही गुवाहाटी में शिल्पग्राम योजना शुरू की है।

(ख) गुवाहाटी में कशल्पग्राम परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। मुख्य निर्माण कार्य पूरे हो गये हैं। भू-दृश्य सुधार/सौंदर्यीकरण तथा भवन संघटकों की सजावट का कार्य प्रगति पर है। पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र का लक्ष्य शीघ्र ही शिल्पग्राम परियोजना को चालू करना है।

पाण्डिचेरी और विलुपुरम के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण

3633. डा. के. धनराजू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पाण्डिचेरी और विलुपुरम के बीच रेल लाइन के विद्युतीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) आमान परिवर्तन अनुमान के वस्तुपरक आशोधन के रूप में दक्षिण रेलवे के विलुपुरम-पाण्डिचेरी खण्ड पर विद्युतीकरण कार्य को 08.60 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकार्य किया गया है।

(ग) कार्य प्रारंभ हो चुका है और चालू वित्त वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

तेल और गैस की खोज

3634. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में तेल और गैस संबंधी नई खोजों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कंपनियों द्वारा परियोजना-वार किया गया/किया जाने वाला कुल निवेश कितना है;

(ग) परियोजना-वार अनुमानतः कितने तेल और गैस के उत्पादन की संभावना है; और

(घ) घरेलू उपलब्ध और आयात बिल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी), आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात अप्रैल, 2002 से मार्च, 2005 तक तेल व गैस की, की गई खोजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ओ एन जी सी व ओ आई एल द्वारा अन्वेषण गतिविधियों पर किया गया कुल निवेश निम्नानुसार है-

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

	2002-03	2003-04	2004-05
ओ.एन.जी.सी.	1927.61	2542.3	3277.69
ओ.आई.एल.	276.1	314.9	327.75

ओ एन जी सी तथा ओ आई एल का 10वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय क्रमश: 33,418.95 करोड़ रुपए तथा 5000 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स कैर्न एनर्जी (इंडिया) प्रा. लि. ने उन चार खोजों, जिन्हें राजस्थान में वाणिज्यिक घोषित किया गया है, के विकास के लिए 1.44 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने की योजना बनाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) परिसंघ द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में की गई गैस खोजों के विकास हेतु लगभग 2.5 बिलियन अमरीकी डालर कि निवेश योजना को अनुमोदित किया गया है।

(ग) यह उल्लेखनीय है कि किसी नई खोज के पश्चात भंडारों के आधार पर इसकी वाणिज्यिकता और तत्पश्चात तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए इसका मूल्यांकन किया जाता है। एक बार वाणिज्यकता सिद्ध होने पर, तेल व गैस भण्डारों का दोहन करने के लिए एक विकास व उत्पादन योजना तैयार की जाती है।

कैर्न एनर्जी इंडिया प्रा. लि. द्वारा प्रचालित राजस्थान ब्लाक में की गई तेल की खोजों से वर्ष 2007-08 के दौरान तेल उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है और सार्वाधिक उत्पादन 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक पहुंच सकता है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रचालित कृष्णा गोदावरी गहन जल ब्लाक में की गई गैस खोजों से गैस का उत्पादन कार्य, वर्ष 2008-09 के दौरान से 40 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम एम एस सी एम डी) की उच्चतम उत्पादन दर पर आरम्भ होने की संभावना है।

(घ) घरेलू तेल व गैस उत्पादन में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी, देश की आयात निर्भरता को, उस हद तक, घटाने में सहायक सिद्ध होती है।

विवरण

ओएनजीसी, ओआईएल और निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों द्वारा 2002-03 में की गई खोजें

ओएनजीसी (6 खोजें)

क्र.सं.	खोज का नाम	प्रकार
1	2	3
1.	चिन्नेवाला टिब्बा (राजस्थान)	गैस
2.	जीएस-49 (के जी अपतट)	गैस
3.	जीएस-केडब्लयू (केजी अपतट)	तेल और गैस
4.	बनमाली (असम)	तेल
5.	लेपलिंग गांव (असम)	तेल
6.	वसई पश्चिम (मुंबई अपतट)	तेल और गैस

ओआईएल (5 खोजें)

क्र.सं.	खोज का नाम	प्रकार
1.	मेटीमेखाना (असम)	तेल और गैस
2.	पूर्वी देवहाल (असम)	तेल और गैस
3.	उत्तरी डिकोम (असम)	तेल और गैस
4.	मेटीमेखाना-2 (असम)	तेल और गैस
5.	बागजन (असम)	गैस

निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियां (7 खोजें)

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	प्रचालक	खोज का नाम	प्रकार
1	2	3	4	5
1.	राजस्थान (आरजे-ओएन-90/1)	कैर्न	रागेश्वरी	तेल
2.	पूर्वी अपतट (केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3)	आरआईएल	धीरूभाई-1	गैस
3.			धीरूभाई-2	गैस
4.			धीरूभाई-3	गैस
5.			धीरूभाई-4	गैस

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	निको	भीमा-1	गैस
7.	(सीबी-ओएनएन-2000/2)		एनएस	गैस

ओएनजीसी, ओआईएल और निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों द्वारा 2003-04 में की गई खोजें

ओएनजीसी (6 खोजें)

क्र.सं.	खोज का नाम	प्रकार
1.	जी-4 (केजी अपतट)	गैस
2.	सोनामुरा (त्रिपुरा)	गैस
3.	एनएमटी (मुंबई अपतट)	गैस
4.	सीतारामपुरम (आन्ध्र प्रदेश)	तेल और गैस
5.	देगम (गुजरात)	तेल
6.	पूर्वी लखीबारी (असम)	तेल और गैस

ओआईएल (3 खोजें)

क्र.सं.	खोज का नाम	प्रकार
1.	मेचाकी-1 (असम)	तेल और गैस
2.	उत्तरी चांदमारी (असम)	तेल और गैस
3.	उत्तरी राजाली (असम)	तेल और गैस

निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियां (7 खोजें)

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	प्रचालक	खोज का नाम	प्रकार
1	2	3	4	5
1.	राजस्थान (आरजे-ओएन-90/1)	केर्न	मंगला	तेल
2.			ग्रेटर रागेश्वरी (जीआर-एफ)	तेल
3.			कामेश्वरी	तेल
4.			एनए (ऐश्वर्य)	तेल
5.	पश्चिम अपतट (सीबी-ओएस-2)	केर्न	सीबीएक्स ढांचा	गैस
6.	पूर्वी अपतट (केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3)	आरआईएल	धीरूभाई-5	गैस
7.			धीरूभाई-6	गैस

ओएनजीसी, ओआईएल और निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों द्वारा 2004-05 में की गई खोजें

ओएनजीसी (4 खोजें)

क्र.सं.	खोज का नाम	प्रकार
1.	तिपुक (असम)	तेल और गैस
2.	वामाज (गुजरात)	तेल
3.	डी-33 (पश्चिम तट अपतट)	तेल और गैस
4.	वशिष्टा (पूर्वी तट अपतट)	तेल

ओआईएल (3 खोजें)

क्र.सं.	खोज का नाम	प्रकार
1.	उत्तरी तिनाली (असम)	तेल और गैस
2.	पश्चिमी जलोनी (असम)	तेल और गैस
3.	समडंग (असम)	तेल और गैस

निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियां (12 खोजें)

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	प्रचालक	खोज का नाम	प्रकार
1.	राजस्थान	केर्न	एनसी (शक्ति)	तेल
2.	(आरजे-ओएन-90/1)		एनवी (भाग्यम)	तेल
3.			विजया (एनआर-1)	तेल
4.			वंदना (एनआर-2)	तेल
5.	गुजरात (सीबी-ओएनएन-2000/1)	जीएसपीसी	पीके-2	तेल
6.	पूर्वी अपतट (केजी-डीडब्ल्यू-98/3)	आरआईएल	धीरूभाई-7	गैस
7.			धीरूभाई-8	गैस
8.			धीरूभाई-16	गैस
9.	पूर्वी अपतट (एनईसी-ओएसएन-97/1)		धीरूभाई-9	गैस
10.			धीरूभाई-10	गैस
11.			धीरूभाइ-11	गैस
12.			धीरूभाई-15	गैस

[हिन्दी]

आरपीएसएआर, 1985 और आरटीएआर, 1980 का उल्लंघन

3635. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल यात्री सेवा एजेंट नियम, 1985 और रेल पर्यटन एजेंट नियम, 1980 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन नियमों के उल्लंघन से सम्बन्धित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सरकार ने दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल यात्री सेवा अभिकर्त्ता (आरटीएसए) नियम, 1985 और रेल पर्यटक अभिकर्त्ता (आरटीए) नियम, 1980 के मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) ओर (ग) जब कभी इन नियमों के उल्लंघन से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त होती है तो इनकी विधिवत् रूप से छानबीन की जाती है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, ऐसी शिकायतों के लिए कोई अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

रेल यात्री सेवा एजेन्ट (आरटीएसए) नियम, 1985 और रेल पर्यटक एजेन्ट (आरटीए) नियम, 1980 की विशेषताएं निम्नानुसार हैं

1. रेल यात्री सेवा एजेन्ट (आरटीएसए) नियम, 1985

(i) आरटीएसए को नियुक्त करने की शर्तें इस प्रकार है:-

(क) आवेदक के पास अद्यतन आयकर क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

(ख) आवेदक के पास शहर में पर्याप्त सुविधाओं वाला दफ्तर होना चाहिए ताकि पर्याप्त संख्या में ग्राहकों को समायोजित किया जा सके।

(ग) आवेदक अनैतिक कार्यों के साथ किसी आपराधिक मामलों में सजा न पाया हो।

(ii) लाइसेंस जारी करने या नवीकरण पर 15000/- रु. की नकद रूप में सिक्युरिटी डिपोजिट और इसके अतिरिक्त 40,000/-रु. की बैंक गारंटी हो।

(iii) आरटीएसए द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले में वे अपने ग्राहकों से निर्धारित शुल्क वसूल करेंगे।

2. **रेल पर्यटक एजेन्ट (आरटीए) नियम, 1980**

रेलवे में रेल पर्यटक एजेन्ट (आरटीए) के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों/ आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, जैसे:-

(क) भारत में पर्यटक एजेन्ट का कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से व्यापार लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए।

(ख) आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए और भारत के आयकर प्राधिकरण से नवीनतम आयकर क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र प्राप्त होना चाहिए।

(ग) पर्यटक एजेन्ट के रूप में कार्य करने के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

(घ) कम से कम एक वर्ष की अवधि से पर्यटक एजेन्ट का कार्य कर रहा होना चाहिए।

(ङ) भारत में विदेशी विनिमय का कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मुद्रा विनिमय प्रमाण-पत्र प्राप्त होना चाहिए।

(च) केन्द्रीय स्थल में पर्याप्त सुविधाओं के साथ समुचित रूप से अनुरक्षित कार्यालय और परिसर होना चाहिए ताकि पर्याप्त संख्या में ग्राहकों के आगमन के लिए स्थान दिया जा सके और उन्हें समुचित सुविधा मुहैया कराई जा सकें।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन में अधिक सामान ले जाना

3636. श्री एम. जगन्नाथ : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस अपनी उड़ानों में कतिपय वर्ग के यात्रियों को अधिक सामान ले जाने की अनुमति देती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे यात्रियों को अधिक सामान ले जाने की अनुमति देने के क्या मानदंड हैं;

(ग) ऐसे यात्रियों को औसतम कितना अधिक सामान ले जाने की अनुमति है; और

(घ) इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में अधिक सामान को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(i) फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम के सदस्यों के लिए यह निम्नलिखित सदस्यता पर आधारित है:-

सामान्य एफ एफ पी सदस्य-इंडिया एयरलाइन्स की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सैक्टरों पर 10 किलोग्राम अतिरिक्त सामान ले जाने की अनुमति है।

सिल्वर एज क्लब सदस्य-घरेलू सैक्टर में 20 किलोग्राम अतिरिक्त सामान की अनुमति है तथा इंडिया एयरलाइन्स की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 10 किलोग्राम अतिरिक्त सामान की अनुमति है।

गोल्डन एज क्लब सदस्य-इंडियन एयरलाइन्स के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सैक्टरों पद 20 किलोग्राम अतिरिक्त सामान की अनुमति है।

तथापि, लोडिंग विनियमों के कारण, एटीआर-42 तथा डोर्नियर-228 विमान के साथ प्रचालन कर रही सभी उड़ानों पर गोल्डन एज/सिल्वर एज/एफएफपी सदस्यों को अतिरिक्त सामान अनुमति उपलब्ध नहीं है।

(ii) इंडियन एयरलाइन्स के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस तथा एबीएन एमरो बैंक को-ब्रांड कार्डधारी: 10 किलोग्राम अतिरिक्त सामान अनुमति (यदि यात्री एक फ्लाइंग रिटर्न सदस्य भी होता है, तब यह लागू नहीं होता है)

(घ) यात्रियों से इस समय पूर्व-निर्धारित दरें वसूली जाती हैं, जब वे उनकी अनुमति से अधिक सामान ले जा रहे होते हैं।

[हिन्दी]

रेल जंक्शनों का निर्माण

3637. श्री देविदास पिंगले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये रेल जंक्शनों के निर्माण के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर कितने नये जंक्शनों का निर्माण किया गया और मंजूरी हेतु कितने जंक्शन लम्बित पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नासिक रोड रेलवे स्टेशन को रेलवे जंक्शन में बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए निर्माण कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल परिवहन के संदर्भ में जंक्शन एक ऐसा स्थान है जहां मुख्य लाइन से एक शाखा लाइन या पृथक मार्ग निकलते हैं। रेल जंक्शन निर्माण के लिए अलग से कोई मानदंड नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वीरंगम से राजकोट तक रेल लाइन का दोहरीकरण

3638. डा. वल्लभभाई कथीरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वीरंगम से राजकोट तक रेल लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अलंग शिप रीसाइक्लिंग यार्ड

3639. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से गुजरात में अलंग शिप रीसाइक्लिंग याडर्स में विस्फोटक पदार्थ विभाग का पृथक कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) सरकार को गुजरात सरकार द्वारा पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 43 में संशोधन करते हुए जहाज तोड़ने संबंधी गतिविधियां शामिल करने के लिए सुझाव दिया गया है ताकि विस्फोटक विभाग द्वारा जहाज के किनारे पर लगने के पश्चात उसका निरीक्षण किया जा सके। गुजरात सरकार ने गुजरात में अलंग शिप रिसाइक्लिंग यार्डस में विस्फोटक विभाग का एक अलग कार्यालय खोलने का भी अनुरोध किया है।

यह मंत्रालय पेट्रोलियम नियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधन पर संबंधित मंत्रालयों/विभाग से उनके विचारों को जानने के लिए परामर्श की प्रक्रिया में है। अलंग शिप रिसाइक्लिंग यार्ड में अलग से विस्फोटक विभाग का कार्यालय खोलने पर एक उपयुक्त दृष्टिकोण केवल तभी बनाया जा सकता है जब पेट्रोलियम नियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधन पर निर्णय ले लिया जाए।

बंगाली समाचारों का प्रसारण

3640. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारक घाटी के लोगों ने सिलचर दूरदर्शन केन्द्र से बंगाली में दैनिक समाचारों के प्रसारण की कोई मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उन्हें गत वर्ष इस आशय के अनुरोध प्राप्त हुए थे लेकिन जन-शक्ति, अवसंरचना और संसाधनों की कमी के कारण दूरदर्शन अभी तक ऐसे बुलेटिनों को शुरू नहीं कर पाया है।

किराया प्रणाली

3641. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए विमान कंपनियों की किराया प्रणाली में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। वायु निगम अधिनियम, 1953 के निरस्त होने के पश्चात अंतर्देशीय विमान किरायों को सरकार द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है।

स्टीम हेरिटेज पर्यटन

3642. **श्री कुलदीप बिश्नोई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्टीम हेरिटेज पर्यटन शुरू करने के अपने अभियान के भाग के रूप में स्टीम लोकोमोटिव चलाने के लिए कतिपय रूटों की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन हेतु किन रूटों की पहचान की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष ध्यान रखा गया है कि स्टीम लोकोमोटिव से आ रहे प्रदूषकों को सोख लिया जाए या कालिख को रोकने के लिए कोयला आधारित आग की बजाए तेल आधारित आग को अपनाया जाए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) इस समय, भाप रेल इंजनों से गाड़ियों के चालन के लिए निम्नलिखित खंडों की पहचान की गई है:-

(i) दिल्ली कैंट और अलवर के बीच फेयरी क्वीन सेवा

(ii) दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर न्यू जलपाइगुड़ी-दार्जिलिंग

(iii) नीलगिरि माउंटेन रेलवे पर मेट्टूपलायम-उदगमंडलम

(iv) कालका-शिमला रेलवे पर शिमला-कांडाघाट

(v) माथेरन लाइट रेलवे पर नेरल माथेरन

(vi) कांगड़ा वैली रेलवे पर पठानकोट-पालमपुर

(ग) कोयला आधारित अग्नि के स्थान पर आयल आधारित अग्नि का इस्तेमाल करने की संभावना का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

कटक-दुबरी तथा नौपद-गुनपुर रेल लाइनों का विस्तार

3643. **श्री अनन्त नायक :**
श्री जुएल ओराम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कटक-दुबरी तथा नौपद-गुनपुर रेल लाइनों के विस्तार के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विकास निगम लि. द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) क्या दाइतरी-बांसपानी तथा हरिदासपुर-पारादीप रेल लाइनों को जल्द पूरा करने के लिए रेल विकास निगम लि. द्वारा कोई योजना बनाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) उड़ीसा में मैसर्स पोस्को के तैयार हो रहे इस्पात संयंत्र और अन्य संयंत्रों को देखते हुए यातायात सृजन और संचलन में प्रत्याशित वृद्धि को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से रेल अवसंरचना के विकास के लिए उड़ीसा सरकार की और से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव में दैतारी-बांसपानी और हरीदासपुर-पाराद्वीप का दोहरीकरण और अंगल-सुकिंदा नई लाइन को शी.घ्र पूरा करना तथा नौपाडा-गुनपुर लाइन का तेरुवेली तक विस्तार भी शामिल है।

(ख) और (ग) जी हां। इस संबंध में रेल विकास निगम लि. ने एक संकल्पना प्रपत्र तैयार किया है। उड़ीसा सरकार द्वारा उद्योग के साथ हस्ताक्षरित विभिन्न समझौता ज्ञापनों को ध्यान में रखते हुए चार परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले संभावित यातायात का विश्लेषण किया गया है। अनुमानित यातायात की सम्हलाई अवसंरचना और अन्य परिसंपत्तियों के विकास की लागत का आकलन कर लिया गया है।

(घ) से (च) दैतारी-बांसपानी को 31/03/2007 तक और हरीदासपुर-पाराद्वीप परियोजना को 31-03-2008 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। दैतारी-बांसपानी नई लाइन पर तल्प संबंधी कार्य पूरा होने वाला है और शेष कार्यों के लिए निविदाओं पर कार्रवाई की जा रही है। हरीदासपुर-पाराद्वीप नई लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं तथा विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है।

टिकट काउंटर

3644. श्री सुनील खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के पानागढ़ तथा मनकर के बीच हाल्ट स्टेशन पर कोई टिकट कांउटर उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त हाल्ट स्टेशन पर टिकट कांउटर न होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियां हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त हाल्ट स्टेशन पर एक टिकट कांउटर खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के पानागढ़ और मनकर स्टेशन के बीच कोई हाल्ट स्टेशन नहीं है, इसलिए टिकट काउंटर की स्थापना करने का प्रश्न नहीं उठता।

वाहन देख-रेख केन्द्र

3645. श्री जुएल ओराम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल/डीजल रिटैल आऊटलेटों पर वाहन देख रेख केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गेस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार की वाहन देखरेख संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इन वाहन देख रेख सुविधाओं में प्राधिकृत सर्विस केन्द्र, सामान्य वाहन सर्विस केन्द्र, कलपुर्जों की दुकानें आदि शामिल हैं, जो खुदरा बिक्री डीलरों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और उनकी देखरेख की जाती है। ये सुविधाएं स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए खुदरा केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ग) ओ एम सीज द्वारा अपने वाणिज्यिक प्रतिफलों के अनुसार इन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है।

पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र

3646. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर में नए पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र खोलने

के लिए अण्डमान और निकोबार प्रशासन का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणिशंकर अय्यर) : (क) जी, नहीं। पोर्ट ब्लेयर में नए पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए पंचायती राज मंत्रालय में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करता है। ताकि वे संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार अपने कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों का कारगर रूप से निर्वहन कर सकें। इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए कुल 29.40 करोड़ रु. निर्धारित किए हैं।

ठेके पर पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र

3647. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां अपने पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों को ठेके पर चला रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा श्रमिक ठेकेदारों की नियुक्ति के संबंध में तेल कंपनियों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या कितनी है जहां श्रमिक ठेकेदारों की नियुक्ति तथा तेल कंपनियों के साथ समझौतों की अवधि में काफी अंतर था; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) संबंधित तेल कंपनी के किसी अधिकारी की देख-रेख में कंपनी के स्वामित्व में कपनी द्वारा प्रचालित (कोको) आधार पर, नियमित डीलरों की नियुक्ति होने तक, अपने कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों को चला रही हैं, जिनमें श्रमिक सहायता श्रमिक ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) सरकार ने ओ एम सीज को सलाह दी है कि वे श्रमिक ठेकेदारों की नियुक्ति की प्रक्रिया सहित कोको आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्रों के प्रचालन के लिए अपनी स्वयं की नीति और प्रक्रिया तैयार करें।

(ग) और (घ) श्रमिक ठेकेदार के साथ करार की शुरूआत उसकी नियुक्ति की तारीख से होती है और इसलिए, संविदा की अवधि और नियुक्ति के बीच कोई अंतर नहीं होता।

भारतीय विमान क्षेत्र का उल्लंघन

3648. श्री उदय सिंह :
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री अधीर चौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ देशों द्वारा भारतीय विमान क्षेत्र के उल्लंघन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अब तक विमान क्षेत्र के उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उल्लंघनों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों द्वारा भारतीय विमान-क्षेत्र के उल्लंघन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) स्थिति की आकस्मिकताओं के आधार पर, यथापेक्षित हवाई रक्षोपायों की सतत् समीक्षा करके इनका मूल्यांकन किया जाता है। राजनयिक माध्यमों से समुचित स्तरों पर संबंधित देश के साथ विरोध भी दर्ज कराया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (10 अगस्त, 2005 तक) के दौरान अन्य देशों द्वारा भारतीय विमान-क्षेत्र के उल्लंघन का ब्यौरा इस प्रकार है

क्र. सं.	देश का नाम	उल्लंघन का वर्ष				
		2002	2003	2004	2005 (10.8.05 तक)	जोड़
1.	पाकिस्तान	7	5	3	3	18
2.	बांग्लादेश	शून्य	1	1	2	4
3.	नेपाल	1	शून्य	शून्य	शून्य	1
4.	म्यांमार	शून्य	3	शून्य	शून्य	3
	जोड़	8	9	4	5	26

पलानी-चमराज नगर के बीच नई रेल लाइन

3649. **श्री एस.के. खारवेनथन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्यमंगलम-गोपीचेट्टीपलयम से होकर पलीनी-चमराज नगर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण की कोई मांग सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) सत्यमंगलम, पुलियामपट्टी, अन्नुर, अवनाशी, पल्लडम एवं धारापुरम के रास्ते चामराजनगर और पलानी को जोड़ने वाली नई लाइन के निर्माण के लिए मांग प्राप्त हुई थी।

(ग) बैंगलौर-सत्यमंगलम नई लाइन परियोजना के एक भाग के रूप में चामराजनगर से सत्यमंगलम तक नई लाइन के निर्माण के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण और धारापुरम के रास्ते इरोड से पालानी के बीच नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

पेंशन की भागीदारी

3650. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीस सेना के शहीदों की विधवाओं को जीवन बीमा की राशि, मुआवजा राशि, पैंशन और कृषि भूमि, आवास, इत्यादि के आबंटन जैसे लाभ मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ऐसे सभी लाभ प्राप्त करने के कुछ समय बाद ऐसी कई विधवाएं विवाह कर लेती हैं और अपने नये पतियों के साथ रहने लग जाती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि शहीदों के माता-पिता के पास अपनी वृद्धवस्था के दौरान आजीविका का कोई साधन नहीं रहता;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पेंशन को विधवा और शहीदों के माता-पिता के बीच बांटने हेतु उपबंध करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्द्रिक) : (क) विधवाओं/शहीदों द्वारा नमित किए गए व्यक्तियों को जीवन बीमा के लाभ, उदारीकृत परिवार पेंशन, मृत्यु उपदान, अनुग्रह राशि आदि मिलती हैं।

कृषि भूमि, मकान आदि राज्य सरकारों द्वारा उनकी संबंधित नितियों के आधार पर दिए जाते हैं।

(ख) शहीदों की विधवाएं अपने विवाह के बाद भी पूर्ण उदारीकृत परिवार पेंशन की हकदार हैं यदि वे विवाह के बाद भी अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों के मामले में नामांकन माता-पिता के पक्ष में होने पर उदारीकृत परिवार पैंशन उन्हें फर्स्ट लाइफ अवार्ड के रूप में प्रदान की जा सकती है।

आश्रित माता-पिता द्वारा मांग किए जाने पर, उदारीकृत परिवार पेंशन के बंटवारे का प्रावधान है।

(ग) और (घ) उदारीकृत परिवार पेंशन के एक हिस्से को शहीदों के माता-पिता को दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसकी कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि इस प्रस्ताव की अन्य संबद्ध एजेंसियों/मंत्रालय/विभागों से परामर्श करके जांच करना अपेक्षित है।

अहमदनगर-बीद-पार्ली नई रेल लाइनों के लिए निधियां

3651. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदनगर-बीद-पार्ली बैजनाथ नई रेल लाइन के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति की गई है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अहमदनगर-बीद-पार्ली बैजनाथ नई रेल लाइन के लिए कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए उक्त प्रस्ताव हेतु आबंटन बढ़ाने का कोई अनुरोध मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नई रेल लाइन पर निर्माण कार्य के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। 15 कि.मी. लम्बाई अर्थात् अहमदनगर-नारायणदोह खंड पर भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस खंड में 71% मिट्टी संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है। 1 बड़े और 10 छोटे पुलों का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ख) 10.38 करोड़ रुपए।

(ग) और (घ) चालू रेल परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से 24.6.2004 को एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ङ) यह कार्य पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

महिलाओं के डिब्बों में पुरुष यात्रियों का प्रवेश

3652. श्री मुन्शी राम :
मोहम्मद शाहिद :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्री मो. ताहिर :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि ई एम यू में महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरुष यात्री बिना रुकावट यात्रा करते हैं जैसाकि दिनांक 11 जून, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले सामने आए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या रेलवे द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष अभियान शुरू किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। परन्तु यह सत्य नहीं है कि पुरुष यात्री महिला सवारी डिब्बों में अतियंत्रित रूप से यात्रा करते हैं। अन्य सवारी डिब्बों में अत्यधिक भीड़-भाड़ के कारण यह समस्या मुख्यतः दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों के उपनगरीय खंडों में, स्थानीय उपनगरीय गाड़ियों में देखने को मिलती है।

(ग) ऐसे अभियानों के कारण रेल सुरक्षा बल द्वारा चालू वर्ष के दौरान अर्थात् 1 जनवरी, 2005 से 30 जून, 2005 तक महिला सवारी डिब्बों में यात्रा करते हुए कुल 16852 पुरुष यात्रियों को पकड़ा गया था जिनमें से 15,990 के विरुद्ध अदालत में मुकदमा चलाया गया था। उनमें जुर्माने के रूप में 20,99,479/-रु. की राशि वसूल की गई है।

(घ) और (ङ) ऐसे अपराधों को रोकने के लिए गाड़ियों में चल टिकट परीक्षकों की तैनाती के अलावा, सुरक्षणी/तेजस्विनी/भैरवी विशेष दस्ते बनाए गए हैं जिनमें महिला टिकट जांचकर्ता कर्मचारी (जहां कहीं उपलब्ध हैं) और रेलवे सुरक्षा बल/राजकीय रेल पुलिस के महिला कर्मचारी शामिल हैं। प्रभावित खंडों में महिला सवारी डिब्बों का रात्रि के दौरान सशस्त्र पुलिस कार्मिकों द्वारा मार्गरक्षण किया जाता है। ऐसे शरारती तत्वों को रोकने के लिए जहां कहीं अपेक्षित होता है प्रभावित खंडों/गाड़ियों में अन्य विशेष दस्ते भी तैनात किए जाते हैं।

[अनुवाद]

सैन्य न्याय प्रणाली में सुधार

3653. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न सिविल न्यायलय सशस्त्र बलों की न्याय प्रणाली में हस्तेक्षेप कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सैन्य न्याय प्रणाली में सुधार करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों ने कार्मिकों और अनुशासनिक मामलों से संबंधित अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई है। ऐसे कुछ मामलों में न्यायालयों ने हस्तक्षेप करके शिकायतों का निवारण किया है।

(ख) और (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय और भारत के विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने सिद्धांत रूप में कोर्ट मार्शल और साथ ही सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के सेवा संबंधी मसलों के न्यायनिर्णयन के संबंध में आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए सशस्त्र सेना अधिकरण बनाए जाने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित अधिकरण को विधि और तथ्य-दोनों के प्रश्नों पर निर्णय करने की शक्तियां होंगी। विधायी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

वैगनों का लदान और उतराई

3654. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडल निविदा प्रणाली के मानदडों के अनुसार रेलवे द्वारा स्वीकृत मुक्त अवधि में वैगनों के लदान तथा उतराई की जिम्मेदारी रेलवे के ठेकेदारों की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ठेकेदारों को रेलवे को कोई मुआवजा अथवा विलम्बन शुल्क/घाट शुल्क देना होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या समय-समय पर ठेकेदारों के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए तथा विलम्बन शुल्क की वसूली हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करने के निए कोई प्रणाली/पद्धति प्रचलन में नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) रेलवे द्वारा निर्धारित अनुमेय निःशुल्क समय के भीतर मालडिब्बे (डिब्बों) के लदान/उतराई के लिए परेषक/परेषिती जिम्मेदार हैं। अनुमेय निःशुल्क समय से ज्यादा मालडिब्बे की रुकौनी के लिए विलम्ब शुल्क लगाया जाता है। बहरहाल, भारतीय रेल के इंजीनियरी विभाग द्वारा मालडिब्बों की रुकौनी के लिए विलंब शुल्क नहीं लगाया जाता है।

लोहगदा में रिफाइनरी

3655. श्री रेवती रमन सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद के निकट लोहगदा में प्रस्तावित रिफाइनरी पर कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और चारों ओर दीवार बना दी गई है, परन्तु निर्माण कार्य अभी आरम्भ होना है।

(ग) आज की स्थिति में, उत्तर प्रदेश में रिफाइनरी परियोजना का कार्यान्वयन, बीना (मध्य प्रदेश) में मध्य भारत रिफाइनरी परियोजना का कार्य पूरा होने के पश्चात प्रारम्भ किया जाना है। मध्य रिफाइनरी परियोजना का वर्ष 2009-10 तक पूरा होने का कार्यक्रम है।

विशेष रेल सुरक्षा निधि

3656. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री किसनभाई वी. पाटील :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक, पुलों, रोलिंग स्टाक, सिगनलिंग सिस्टम तथा सुरक्षा को बढ़ाने से संबंधित कार्यों की पुरानी परिसम्पत्तियों के नवीकरण/को बदलने की बकाया राशि को समाप्त करने के लिए अक्तूबर, 2001 में एक अव्यपगत विशेष रेल सुरक्षा निधि (एस आर एस एफ) बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो एस आर एस एफ की शुरूआत से अब तक प्रत्येक वर्ष में कितना आबंटन तथा किराया व्यय किया गया;

(ग) उक्त निधि के अंतर्गत प्रत्येक मद के लिए निर्धारित लक्ष्यों को देखते हुए किए गए कार्य की प्रगति क्या है; और

(घ) शेष कार्य के कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। रेल पथ की गतायु परिसंपत्तियों, पुलों, चल स्टाक, सिगनल गियर और कुछ संरक्षा संवर्द्धन कार्यों के बकाया को 2001-02 से 2006-07 की निर्धारित समय सीमा में निपटाने के लिए एक 1.10.2001 से 17000/- करोड़ रुपए की एक अव्यपगत "विशेष रेल संरक्षा निधि" (वि.रे.सं.नि.) की स्थापना की गई है।

(ख) वि.रे.सं.नि. से वर्षवार आबंटन और खर्च (शुद्ध) इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटन (शुद्ध)	खर्च (शुद्ध)
2001-02	1400 (संशोधित अनुमान)	1434.58
2002-03	2310 (संशोधित अनुमान)	2486.31
2003-04	2350.66 (संशोधित अनुमान)	2583.77
2004-05 (अनंतिम)	3645 (संशोधित अनुमान)	3677.80
2005-06	3522 (बजट अनुमान)	248.88 (मई, 2005 तक)

(ग) वि.रे.सं.नि. के अंतर्गत विभिन्न परिसंपत्तियों को बदलने और वास्तविक निष्पादन के लिए निर्धारित किया गया वास्तविक लक्ष्य इस प्रकार है :-

(i) 2001-02 से 2004-05 तक

परिसंपत्तियों का प्रकार	2001-07 के लिए वास्तविक लक्ष्य	मार्च, 2001-02 से मार्च 2005 तक वास्तविक निष्पादन
1	2	3
रेल पथ नवीकरण	16538 पूर्ण रेलपथ नवीकरण (सी.टी.आर) कि.मी.	11740.54 पूर्ण रेल पथ नवीकरण (सी.टी.आर) कि.मी.
पुलों के कार्य	2700 पुल	1681 पुल
सिगनल एव दूरसंचार	1448 पूर्ण स्टेशन, 911 स्टेशनों का आंशिक नवीकरण	पूर्ण नवीकरण-637 स्टेशन आंशिक नवीकरण-374 स्टेशन

1	2	3
चल स्टाक	डीजल इंजन	
	– बड़ी लाइन-93	
	– छोटी लाइन-6	68 इंजन
	सवारी डिब्बे	सवारी डिब्बे
	– मीटर लाइन-520	– 54 मीटर लाइन सवारी डिब्बे
	– छोटी लाइन-157	– 36 छोटी लाइन सवारी डिब्बे
	– बड़ी लाइन-186	– 330 बड़ी लाइन सवारी डिब्बे
	– डी एम यू-12	(ईएमयू,डीएमयू, सिरोपरि बिजली कारों सहित)
	– ई एम यू-599	
	– सिरोपरि बिजली निरीक्षण कार-52	
	माल डिब्बे 7698 (वाहन इकाइयां)	3875 माल डिब्बे
	स्वनोदित दुर्घटना राहत गाड़ियां-60	

(ii) 2005-06

परिसंपत्तियों का प्रकार	वास्तविक लक्ष्य 2005-06	अप्रैल, 2005 से जून, 2005 तक संचयी वास्तविक निष्पादन
1	2	3
रेल पथ नवीकरण	1650 सी टी आर कि.मी.	324.60 सी टी आर कि.मी.
पुलों संबंधी कार्य	325 अदद	56 अदद
सिगनल एवं दूर-संचार	सिगनल गियर नवीकरण	
	– पूर्ण नवीकरण-433 स्टेशन	– पूर्ण नवीकरण-29 स्टेशन
	– आंशिक नवीकरण 300 स्टेशन	– आंशिक नवीकरण 30 स्टेशन
चल-स्टाक	– छोटी लाइन इंजन-4	–
	– बड़ी लाइन सवारी डिब्बे-12	– बड़ी लाइन सवारी डिब्बे-12

1	2	3
	– मीटर लाइन सवारी डिब्बे-20	– मीटर लाइन सवारी डिब्बे-11
	– छोटी लाइन सवारी डिब्बे-20	– छोटी लाइन सवारी डिब्बे-1
	– ओ.एच.ई. कार-10	
	– ए सी ई एम यू-79	
	– ए सी/डी सी ई एम यू-90	– ए सी/डी सी ई एम यू-15
	– माल डिब्बे-3095	– माल डिब्बे-565

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का पुनर्गठन

3657. श्री निखिल कुमार :
श्री बापू हरी चौरे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विमानपत्तनों पर विमानन सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी सी ए एस) को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसका पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले कुछ महीनों में विमानन क्षेत्र में खतरे की संभावना और बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विमानपत्तनों पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) देश के सभी हवाईअड्डों पर, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के अनुबंध 17 के दिशानिर्देशों तथा भारत के राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसार, पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध लागू हैं। विमानन सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण की सतत प्रक्रिया के एक भाग के रूप में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की पुनर्संरचना के लिए एक प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है।

(ग) से (ङ) संबंधित आसूचना एजेंसियों की ओर से कोई विनिर्दिष्ट फीडबैक नहीं प्राप्त हुआ है। तथापि, हवाईअड्डों पर सुरक्षा प्रबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) देश में सभी प्रचालनिक हवाईअड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की समयबद्ध तैनाती।

(ii) बड़े हवाईअड्डों पर त्वरित प्रतिक्रिया बलों की तैनाती।

(iii) जब कभी और जहां कभी भी आवश्यक हो लैडर प्वाइंट फ्रिस्किंग की शुरूआत।

(iv) इंडियन एयरलाइन्स, जेट एयरवेज तथा एयर सहारा की सभी घरेलू अनुसूचित उड़ानों पर औचक आधार पर स्काई मार्शलों की तैनाती।

(v) निरीक्षणों तथा छद्म जांचों के द्वारा सुरक्षा प्रबंधों की नियमित निगरानी।

(vi) महत्वपूर्ण हवाईअड्डों पर क्लोज सर्किट टेलीविजनों की संस्थापना।

(vii) सुरक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण।

आई ए सी के साथ समझौता

3658. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने इंटरनेशनल एविएशन कारपोरेशन के साथ अपने पायलटों को फ्रेंच जेट पर प्रशिक्षण देने के संबंध में कोई समझौता किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी निबंधन व शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने अपने पायलटों को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इंटरनेशनल एविएशन कारपोरेशन ने इंडिया एयरलाइन्स से अपने पायलटों को प्रशिक्षण हेतु भेजने में कथित उल्लंघन के लिए हर्जाना मांगा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर इंडियन एयरलाइन्स की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। यह करार जो अन्य बातों के साथ 15 अक्टूबर, 2004 से एक वर्ष के लिए विधिमान्य था, में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं:-

- इंडियन एयरलाइन्स को पहले 3 महीनों में कम से कम 66 प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध कराने हैं।
- प्रति प्रशिक्षणार्थी (11,380 जी बी पी का भुगतान।
- ट्रेनिंग आरंभ होने से 30 दिन पहले से अधिक में इंडियन एयरलाइंस द्वारा ट्रेनिंग को रद्द करने की स्थिति में, 50 प्रतिशत प्रभार ऐसी ट्रेनिंग के लिए देना होगा। यदि ट्रेनिंग 30 दिनों के अंदर महीने के पहले दिन, जिसमें कि यह आरंभ होने के लिए अनुसूचित है, रद्द की जाती है तो इस संबंध में पूरा भुगतान देय होगा।

(ग) और (घ) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 10 वरिष्ठ प्रशिक्षु पायलटों (प्रथम बैच) को इंटरनेशनल एविएशन कारपोरेशन (आई ए सी) को उक्त सिमुलेटर ट्रेनिंग के लिए नियुक्त किया गया है।

(ङ) और (च) आई ए सी द्वारा अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 2004 में ट्रेनिंग के लिए अनुसूचित 56 पायलटों, जिनको कि इंडियन एयरलाइन्स द्वारा ट्रेनिंग पर नहीं भेजा गया था, के संबंध में ब्याज के दावे के साथ, 4,95,031 जी बी पी के रद्द किए जाने के प्रभार का दावा किया गया है। यह मामला वर्तमान में लंदन की कमर्शियल अदालतों में निर्णयाधीन है। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा इस मामले के लिए वकीलों की तैनाती की गई है।

अमरीका के साथ समझौता

3659. श्री प्रहलाद जोशी : क्या नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका के साथ उड़ानों और विमानपत्तन आपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से नागर विमानन के क्षेत्र में तकनीकी सहायता से संबंधित कम्प्रीहेन्सिव अम्ब्रेला एग्रीमेन्ट करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते में भारत में नागर विमानन सुधारों संबंधी नरेश चन्द्र समिति की सिफारिशें जैसे डीजीसीए का पुनरुद्धार को भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) अमरीका सरकार द्वारा, नागर विमानन क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन प्रस्तावित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता के लिए प्रावधान है:

- नागर विमानन अध:संरचना, मानकों, प्राविधियों, नीतियों, प्रशिक्षण और उपस्करों के विकास, उन्नयन व प्रचालन में तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षता प्रदान करना।
- नागर विमानन कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- हमारे नागर विमानन उपस्कर और हवाई विमान-संचालन सुविधा का निरीक्षण और अंशांकन।
- भारत में हवाईअड्डा प्रमाणन में सहायता प्रदान करना।
- हेलीकॉप्टर प्रचालनिक संरक्षा संबंधी पहलों के क्षेत्र में सहायता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्तेमाल न किए जाने वाले विमानपत्तन

3660. **श्री गणेश सिंह :**
श्री सुब्रत बोस :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री हितेन बर्मन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार इस्तेमाल न किए जाने वाले कितने विमानपत्तन हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस्तेमाल न किए जाने वाले इन विमानपत्तनों के अनुरक्षण पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार को इन विमानपत्तनों के इस्तेमाल न किए जाने के कारण कितनी हानि हुई है;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस्तेमाल न किए जाने वाले विमानपत्तनों को इस्तेमाल योग्य बनाने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान इस्तेमाल न किए जाने वाले विमानपत्तनों को इस्तेमाल योग्य बनाने संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) देश में वर्तमान समय में प्रयोग नहीं किए जा रहे राज्य/संघ शासित-वार विमानपत्तनों की संख्या इस प्रकार है:- महाराष्ट्र-3, पश्चिम बंगाल-5, छत्तीसगढ़-1, झारखंड-1, आंध्रप्रदेश-3, गुजरात-1, कर्नाटक-2 उत्तर प्रदेश-2, उड़ीसा-1, बिहार-3, त्रिपुरा-3, मध्य प्रदेश-3, अरुणाचल प्रदेश-1, असम,-2 तमिलनाडु-1।

(ख) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान प्रयोग नहीं किए जा रहे विमानपत्तनों के अनुरक्षण पर किया व्यय क्रमशः वर्ष 2002-03 में (1.31 करोड़ रुपए) 2003-04 (1.29 करोड़ रुपए) तथा वर्ष 2004-05 (1.37 करोड़ रुपए) है।

(ग) चूंकि इन मिानपत्तनों को प्रयोग में नहीं लाए जाने के कारण अधिक हानि हो रही है तथा अन्य आर्थिक उपाय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) द्वारा किए जा रहे हैं।

(घ) पिछले 2 वर्षों के दौरान जबलपुर, हुबली तथा बेलगाम स्थित एयरपोर्ट एवं ग्वालियर, इलाहाबाद तथा गोरखपुर स्थित सिविल इन्क्लेव पर प्रचालन किया गया था।

(ङ) पश्चिम बंगाल में कूच बिहार एयरपोर्ट तथा कर्नाटक में मैसूर एयरपोर्ट पर क्रमशः वर्ष 2006-07 तथा 2005-06 के दौरान इन विमानपत्तनों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए विकास कार्यों की योजना है।

भाप के इंजनों का प्रयोग

3661. **डा. के. धनराजू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने पुरानी किस्म के भाप इंजिनों को आयल फायर्ड भाप इंजिनों से चलाने हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संबंधित परियोजना का वित्तपोषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे लागत में कितनी कमी आएगी;

(ग) क्या यह डीजल और विद्युत इंजिनों की तुलना में लाभप्रद हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पुराने भाप के इंजिनों को स्क्रैप के रूप में बेच दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, दक्षिण रेलवे की गोल्डन रॉक वर्कशाप ने भाप रेल इंजनों को आयल फायर्ड में बदला है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। सफल परीक्षण के बाद इनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) डीजल/बिजली कर्षण की तुलना में भाप रेल इंजन कर्षण का कुशल साधन नहीं है। अतः धरोहर के रूप में प्रदर्शन

और पर्यटक गाड़ियों के कर्षण के लिए कुछ भाप रेल इंजनों को परिरक्षित किया गया है। शेष नकारा भाप रेल इंजनों का स्क्रैप के रूप में निपटान कर दिया गया है।

बौने व्यक्तियों को शारीरिक रूप से विकलांग का दर्जा देना

3662. **श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने बौने व्यक्तियों को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का दर्जा दिया है, जैसाकि दिनांक 20 जुलाई, 2005 के "एशियन एज" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बौने व्यक्तियों को किस प्रकार सुविधाएं/रियायतें देने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास बौने व्यक्तियों को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का दर्जा देकर उन्हें पूरे देश मे इसी प्रकार की सुविधाएं/रियायतें देने संबंधी कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ङ) देश में बौने व्यक्ति, चलने संबंधी विकलांगता (अस्थि विकलांगता) वाले व्यक्तियों की तरह निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के तहत सुविधाओं का लाभ उठाने के पात्र हैं। दिनांक 14.7.2005 के अपने आदेश के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को बौने व्यक्तियों के लिए भी कर दिया है।

ट्रेनों का ठहराव

3663. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रेन का ठहराव प्रदान करने के लिए मानक/मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या रेलवे को विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन/मांगें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने अभ्यावेदन/मांगे प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई/किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) वाणिज्यिक औचित्य, परिचालनिक व्यावहारिकता, सेवा का पैटर्न और वैकल्पिक सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर ठहरावों की व्यवस्था की जाती है।

(ख) और (घ) जी हां, स्टेशन से लेकर मंत्रालय तक रेल प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इनकी जांच की जाती है और व्यावहारिकता और औचित्य के आधार पर कार्यवाई की जाती है। ये आंकड़े इतने ज्यादा हैं कि इनको संकलित नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

समपार पर रेलवे उपरि पुल का निर्माण

3664. **श्री देविदास पिंगले :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को संसद सदस्यों से मध्य रेलवे मंडल, भुसावल के अंतर्गत आने वाली मनमाड-मुंबई रेल लाइन पर एकलाहारा-किर्लोस्कर पंम्पिग स्टेशन के बीच के समपार पर रेलवे उपरि पुल के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम नियम, 2002 में संशोधन

3665. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री पेट्रोलियम नियम, 2002 के बारे में 17 मार्च, 2005

के अतारांकित प्रश्न संख्या 2282 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोत भंजन कार्यों को शामिल करने के लिए पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम, 43 में संशोधन करने संबंधी कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) सरकार को गुजरात सरकार द्वारा पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 43 में संशोधन करते हुए जहाज तोड़ने संबंधी गतिविधियां शामिल करने के लिए सुझाव दिया गया है ताकि विस्फोटक विभाग द्वारा जहाज के किनारे पर लगने के पश्चात उसका निरीक्षण किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन पर अपना मत देने के लिए संबद्ध मंत्रालयों/विभाग से परामर्श किए जा रहे हैं। मंत्रालय द्वारा उनके मतों पर विचार करने के पश्चात संशोधन को अधिसूचित करने का निर्णय लिया जाएगा।

विशेष ट्रेनें

3666. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को वर्ष 2004 और 2005 के दौरान विशेष ट्रेनें शुरू करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जोन-वार कितनी ट्रेनें मंजूर की गई हैं;

(घ) विशेष ट्रेनों को मंजूर करने के क्या मानदंड हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान ट्रेनों को मंजूर न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) अधिक विशेष ट्रेन चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। स्टेशन से लेकर मंत्रालय तक रेल प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर विशेष गाड़ियों के लिए अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इनकी जांच की जाती है और यथा व्यावहारिक एवं औचित्यपूर्ण कार्रवाई की जाती है। इसके आंकड़े अत्यंत अधिक होने के कारण संकलित नहीं किए जा सकते।

(ग) 2004 और 2005 के दौरान चालित सभी विशेष गाड़ियों का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :

रेलवे	2004-05	2005 (1.4.2005 से 30.6.2005 तक)
मध्य रेलवे	1028	574
पूर्व रेलवे	282	127
पूर्व मध्य रेलवे	173	130
पूर्व तटीय रेलवे	91	125
उत्तर रेलवे	1029	691
उत्तर मध्य रेलवे	250	कोई नहीं
पूर्वोत्तर रेलवे	1334	594
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	76	93
उत्तर पश्चिम रेलवे	61	36
दक्षिण रेलवे	1702	504
दक्षिण मध्य रेलवे	716	57
दक्षिण पूर्व रेलवे	185	59
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	12	कोई नहीं
दक्षिण पश्चिम रेलवे	2288	1031
पश्चिम रेलवे	1758	365
पश्चिम मध्य रेलवे	819	59
कुल जोड़	11804	3845

(घ) से (च) विशेष गाड़ियों का चालन एक सतत प्रक्रिया है जो सवारी डिब्बा स्टाक और यातायात की अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए सवारी डिब्बा स्टाक की उपलब्धता और वाणिज्यिक लाभप्रदता सहित मांग, परिचालनिक व्यावहारिकता पर निर्भर करती है।

कटक में बाराबती किला

3667. **श्री अनन्त नायक :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में कटक में बाराबती किले में खुदाई का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या अब खुदाई कार्य रोक दिया गया है; और

(घ) यदि हां, इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 1989-90 से 1996-97 तक तथा 2003-2004 के दौरान बाराबती किला, जिला कटक, उड़ीसा में उत्खनन किया था। उत्खनन से लगभग 13वी. शताब्दी ई. से 18वीं शताब्दी ई. के कीमती पुरावशेषों के साथ-साथ किला के मध्य में एक महल के अवशेष, एक मंदिर, असंख्य वास्तुकलात्मक टुकड़े, स्तम्भ के भागों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (ध) स्थल पर सरकारी क्वार्टर होने के कारण बाराबती किले में उत्खनन कार्य जारी नहीं रखा जा सका। जिला प्रशासन से उपरोक्त को हटाने का अनुरोध किया गया है ताकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगे उत्खनन कार्य कर सके।

यशवंतपुर तुमकुर रेल मार्ग का दोहरीकरण

3668. **श्री एस. मल्लिकार्जुनैया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यशवंतपुर से तुमकुर तक के रेलमार्ग के दोहरीकरण संबंधी कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक इस परियोजना पर कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) इस परियोजना पर बड़े पुल पहले ही पूरे हो गए हैं और मिट्टी, छोटे पुल, ऊपरी सड़क पुल तथा गिट्टी एकत्रित करने संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। यशवंतपुर-गोल्लाहल्ली (26 कि.मी.) को 2005-06 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। शेष खण्ड के पूरा होने की लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

मार्च, 2005 तक 48.76 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल में आकाशवाणी/ दूरदर्शन केन्द्र

3669. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने आकाशवाणी स्टेशन/दूरदर्शन केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन केन्द्रों के डिजीटलीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय पश्चिम बंगाल में छह आकाशवाणी केन्द्र और तीन दूरदर्शन केन्द्र कार्यशील हैं।

(ख) से (घ)जी, हां। कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु केन्द्रों का डिजिटलीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और सिलीगुड़ी नामक दो स्थानों पर आकाशवाणी निर्माण सुविधाएं पूर्णतः डिजिटलीकृत हैं जबकि कोलकाता और कुर्सियांग स्थित रेडियो स्टेशन आंशिक रूप से डिजिटलीकृत हैं। पश्चिम बंगाल के सभी स्टेशनों के वर्ष 2006-07 तक डिजिटलीकृत हो जाने की आशा है।

कोलकाता स्थित दूरदर्शन केन्द्र पहले से ही पूर्णतः डिजिटलीकृत हैं। दोनों के लिए 17 करोड़ रुपये की अनुमति लागत पर जलपाईगुडी स्थित दूरदर्शन केन्द्र के वर्ष 2006 तक आंशिक रूप से डिजिटलीकृत किए जाने की आशा है। शांतिनिकेतन स्थित दूरदर्शन केन्द्र का डिजिटलीकरण भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

"रेक फार रेन्ट" में घोटाला

3670. श्री उदय सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने वर्ष 2003 के "रेक फार रेन्ट" घोटाले का भंडाफोड किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इस मामले में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) रेलवे द्वारा दोषी अधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। 2003 में रेलवे द्वारा ऐसे किसी घोटाले का पता नहीं लगाया गया है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

नए रेल मंडल का सृजन

3671. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास कोएम्बटूर अथवा इरोड में मुख्यालय वाले नए रेल मंडल के सृजन की मांग लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नए मंडलों की स्थापना आकार, कार्यभार, सुगम्यता, यातायात का स्वरूप और अन्य परिचालनिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था तथा कुशलता की आवश्यकताओं के अनुरूप की जाती है क्षेत्रीयता के आधार पर नहीं। कोएम्बटूर अथवा इरोड में नए रेल मंडल के सृजन के लिए प्रस्ताव को जब उपरोक्त आधारों के प्रकाश में देखा गया तो इसे परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया। इस संबंध में अनेक बार कई अतिविशिष्ट व्यक्तियों/मंचों से मांग की गई है और तदनुसार उन्हें नकारात्मक उत्तर दे दिया गया।

द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता

3672. श्री ई. पोनुस्वामी :
श्री जी.वी. हर्ष कुमार :
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान कोई द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो जिन देशों के साथ यह समझौता किया गया है उसका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले 3 माह के दौरान वर्तमान विमान सेवा प्रचालन के विस्तार के लिए कतर, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, कनाडा, भूटान, फिलीपींस तथा ब्राजील/दक्षिण अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा परामर्श बैठकें आयोजित की गई थी।

उक्त द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान अतिरिक्त प्वाइंट आफ काल के साथ प्रदत्त अतिरिक्त क्षमता का विवरण निम्नानुसार है:-

देश का नाम	द्विपक्षीय वार्ताओं की तारीख	प्रदत्त अतिरिक्त क्षमता प्रति सप्ताह	अतिरिक्त उड़ानों का स्थान
1	2	3	4
कतर	12/5/2005	नागरपुर के लिए 2500 सीट + 7 फ्रीक्वेंसियां	दिल्ली तथा नागपुर

1	2	3	4
नीदरलैंड	17.5.2005	7 सेवाएं शरदकाल, 05 तथा दूसरी 7 सेवाएं ग्रीष्मकाल, 06 से	हैदराबाद तथा कोचीन
बेल्जियम	18.5.2005	8400 सीट	मुंबई या चेन्नई के स्थान पर मुंबई तथा चेन्नई
जर्मनी	25.5.2005	8400 सीट	हैदराबाद, गोवा तथा कोचीन
कनाडा	3.6.2005	35 सेवाएं	बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई तथा हैदराबाद
भूटान	6.7.2005	37 सेवाएं	चेन्नई, मुंबई तथा गुवाहाटी
फिलीपींस	21.7.2005	7 सेवाएं	मुंबई, दिल्ली, चेन्नई तथा कोलकाता
ब्राजील/दक्षिण अफ्रीका	26.7.2005	14 सेवाएं	—

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों में विमानपत्तनों की स्थापना

3673. श्री मुन्शी राम :
मोहम्मद शाहिद :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पर्वतीय क्षेत्रों में विमानपत्तनों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्माण कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 50 सीटों वाले विमान खरीदने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन विमानों के कब तक खरीदे जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। सिक्किम में गंगकोट के निकट पाकयोंग तथा नागालैंड में कोहिमा के निकट चीथू में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की सरकार की योजना है, जो अभी आरंभिक चरण में है।

(ग) हवाईअड्डों का निर्माण फंड की उपलब्धता, अपेक्षित भूमि तथा विभिन्न एजेंसियों से विधिक अनुमति पर निर्भर होगा। कार्य सम्पन्न करने की अवधि कार्य आरंभ होने से अनुमानतः 30-36 माह होगी।

(घ) से (च) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा फ्रांस से 6 एटीआर 42-320 एयरक्राफ्ट ड्राई लीज पर लेना प्रस्तावित है, जिसके लिए अनेक दौर में विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव की वर्तमान वैधता 2 सितम्बर, 2005 तक मान्य है।

[अनुवाद]

विदेशी एयरलाइन्स को अनुमति

3674. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री बाडिगा रामकृष्णा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका तथा आसियान देशों की डेजिगनेटेड एयरलाइंस को भारत स्थित विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए अपनी उड़ानें भरने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एयरलाइंसों द्वारा उक्त गंतव्यों तक कब तक अपनी उड़ानें आरंभ कर देने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) सभी 10 आसियान देशों तथा श्रीलंका की नामित एयरलाइनों द्वारा भारत में स्थित 18 पर्यटक प्रवेश द्वारों पर असीमित पहुंच के लिए प्रस्ताव किए हैं जिनके नाम हैं:- पटना, लखनऊ गुवाहाटी, गया, वाराणसी, भुवनेश्वर, खजुराहो, औरंगाबाद, गोवा, जयपुर, पोर्ट ब्लेयर, कोची, कालीकट, तिरुवनन्तपुरम, अमृतसर, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद, तथा तिरुचिरापल्ली।

(ग) हालांकि एक विदेशी एयरलाइन्स द्वारा उनके वाणिज्यिक निर्णय लिए जाने के आधार पर इन मार्गों पर वास्तविक प्रचालन शुरू कर दिया गया है।

रक्षा भूमि का राजस्व भूमि के रूप में परिवर्तन

3675. श्री मनोरंजन भक्त : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सूनामी से हुए विनाश के बाद सरकार ने रक्षा भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु कोई आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कार्यवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी टी वी चैनलों के लिए पूर्व अनुमति

3676. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राकृतिक आपदाओं की खबर देने के लिए विदेशी टेलीविजन चैनलों को पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) अपलिंकिंग दिशा-निर्देशों में यह निर्धारण है कि सस्थायी अवधि के विशिष्ट कार्यक्रम (मों)/आयोजन/आयोजनों के लिए बाहर से अपलिंक किए गए चैनलों द्वारा फुटेज/समाचार के संग्रहण हेतु सभी उपस्कर/मंचों के प्रयोग पर पत्र सूचना कार्यालय। की अनुशंसा पर विचार किया जाएगा तथा गृह मंत्रालय और अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इसकी अनुमति दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, बाहर से अपलिंक किए जाने वाले विदेशी चैनलों के अनुरोध पर मामला-दर-मामला आधार पर अल्पावधि के लिए प्राकृतिक आपदाओं सहित विशिष्ट आयोजनों की सीधी अपलिंकिंग के सम्बन्ध में अस्थायी अनुमति दिए जाने के लिए विचार किया जाता है।

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन पर होने वाला व्यय

3677. श्री प्रहलाद जोशी :
श्री राम कृपाल यादव :
श्री वाई.जी. महाजन :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ख) उक्त परियोजना पर सरकार द्वारा पहले ही किए जा चुके कुल निवेश का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) पाकिस्तान के रास्ते ईरान से भारत तक गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव चर्चा के प्रारम्भिक चरणों में है। परियोजना के लागत अनुमान, विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट के तैयार होने के बाद ज्ञात होंगे।

कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं

3678. श्री गणेश सिंह :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री ए.के. मूर्ति :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय ऐसे विमानपत्तन कौन-कौन से हैं, जहां कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं हैं;

(ख) क्या सरकार कुछ और विमानपत्तनों पर कार्गो सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, लखनऊ, नागपुर तथा कोयम्बटूर हवाईअड्डों पर कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं स्थापित की हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अमृतसर, जम्मू तथा इन्दौर हवाईअड्डों पर कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं उपलब्ध करवायी हैं।

बेड़ों की संख्या

3679. डा. के. धनराजू :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इंडियन एयरलाइन्स, एअर इंडिया तथा एलाइंस एयर के बेड़ों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने विमान उड़ान भरने योग्य हैं तथा नियमित रूप से उड़ान भरते हैं;

(ग) शेष विमानों को उड़ान योग्य न बनाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन विमानों की मरम्मत तथा उन्हें उड़ान योग्य बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स तथा एलाइंस एयर के विमान बेड़े की संख्या का विवरण निम्मानुसार है:-

एयर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रैस सहित

विमान का प्रकार	कुल विमान बेड़ा संख्या
ए-310-300	20
बी-747-300	02
बी-747-400	11
बी-747-400 (काम्बी)	01
बी-777-200 ई आर	03
बी-747-200	02 (चरणबद्ध रूप से बाहर किए गए तथा निपटान की प्रतीक्षा में)
बी-737-800	03
इंडियन एयरलाइन्स एलाइंस एयर सहित	
ए-300	03
ए-320	47
बी-737	11
एटीआर-42	04
डोर्नियर-228	02

एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स तथा एलाइंस एयर विमान के सम्पूर्ण विमान बेड़े का रख-रखाव उड़ान योग्य स्थिति में किया जा रहा है तथा अनुसूची के अनुसार नेटवर्क पर नियमित उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा है।

रेल परियोजनाएं

3680. श्री बसुभाई नानाभाई बारड : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक इन परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करने के लिए समहत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) धनराशि कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एच सी एल का पुनरुद्धार

3681. श्री जुएल ओराम : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हिंदुस्तान केबल लिमिटेड (एच सी एल) के पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या एच सी एल के पुनरुद्धार की तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) हिंदुस्तान केबल लिमिटेड (एच सी एल) सरकारी क्षेत्र का एक रुग्ण उपक्रम है जो नवम्बर, 2002 से ही बीआईएफआर के पास संदर्भित है। प्रचालन एजेंसी (आईडीबीआई) ने 1448 करोड़ रुपये की एक मसौदा पुनरुद्धार स्कीम तैयार की है। मसौदा पुनरुद्धार स्कीम पालिथिन इन्स्यूलेटिड जेली फिल्ड केबिलों की मांग से संबंधित अयथार्थवादी पूर्वधारणाओं पर आधारित था।

आईआईटी, खड़गपुर को भी एच सी एल का तकनीकी अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था जिन्होंने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 2004 में प्रस्तुत की। आईआईटी, खड़गपुर द्वारा तैयार किया गया तकनीकी अध्ययन रिपोर्ट में संबद्ध और असंबद्ध उत्पादों में विविधीकरण की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में मसौदा पुनरुद्धार स्कीम में सुझाए गए 1448 करोड़ रुपये के अलावा 195 करोड़ रुपये के अतिरिक्त रोकड़ निवेश करने की भी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में सिफारिश किए गए उत्पादों की संभाव्यता और विपण्यता से संबंधित मामलों पर कोई अध्ययन किए बिना वैकल्पिक उत्पादों के नामों का उल्लेख किया गया था।

किसी उपयुक्त सिफारिश के अभाव में, कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

कंपनी ने अब विस्तृत तकनीकी आर्थिक अध्ययन करने के लिए मैसर्स टाटा कंस्लटेन्सी सर्विसेज लिमिटेड की नियुक्ति की है। जांच के बाद, रिपोर्ट को लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) के समक्ष उनकी सलाह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। कंपनी के संबंध में अंतिम निर्णय लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की सिफारिशों के आधार पर लिया जाएगा।

रेलवे में संसाधनों की कमी

3682. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को देश में अपने सबसे बड़े नेटवर्क के बावजूद संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने संसाधनों की इस कमी के कारणों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) हालांकि, गैर-योजना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, रेलें किसी संसाधन तंगी का सामना नहीं कर रही हैं बल्कि योजनागत निवेशों द्वारा सतत्

विकास और विस्तार कार्यक्रमों के लिए हमेशा अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता रहेगी।

योजनागत वित्त के लिए संसाधनों को बढ़ाने का प्रयत्न किए जा रहे हैं चाहे यह आंतरिक संसाधनों से या चाहे बजटीय समर्थन से। केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों, राज्य सरकार के साथ लागत में भागीदारी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसे नए कदम अपनाए गए हैं। ''राष्ट्रीय रेल विकास योजना'' के अंतर्गत कतिपय चिन्हित कार्यों को रेल विकास निगम लिमिटेड, इस प्रयोजन हेतु स्थापित एक विशेष प्रयोजन योजना के माध्यम से भी धन मुहैया कराया जा रहा है। विशिष्ट क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए, वित्त मंत्रालय से 2005-06 के बजट में एक विशेष प्रयोजन योजना स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। कतिपय रेल परियोजनाओं को एस पी वी से वित्त पोषण के लिए चिन्हित किया गया है। सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित चार परियोजनाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय परियोजना के रूप में अलग से अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

आई.ओ.सी. द्वारा तेल शोधन प्रक्रिया में सुधार

3683. श्री अनन्त नायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने तेल शोधन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो आई.ओ.सी. द्वारा तेल शोधन क्षेत्र में क्या प्रौद्योगिकी अपनाई गई है; और

(ग) नई प्रौद्योगिकी में आई.ओ.सी. द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) द्वारा शोधन क्षेत्र में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के ब्यौरे निम्नवत् हैं-

1. फल्यूडाइज्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग
2. हाइड्रोक्रैकिंग
3. डीजल हाइड्रोट्रीटमेंट
4. रीसिड फल्यूडाइज्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग
5. कैटेलिटिक आइसो-डिवैक्सिंग
6. वैक्स हाइड्रोफिनिशिंग
7. साल्वेंट डिवैक्सिंग/डिआयलिंग
8. हाइड्रोजन उत्पादन
9. सल्फर प्राप्ति
10. आई एस ओ एस आई वी
11. सोकर विस्ब्रेकिंग
12. विलंबित कोकिंग
13. कैटेलिटिक रिफार्मिंग
14. आइसोमेराइजेशन
15. आई एन डी एम ए एक्स
16. हैक्सेन हाइड्रोजेनेशन
17. एन-मिथाइल 2-पाइरोलाइडोन (एनएमपी) निष्कर्षण
18. रेसीडम आयल सुपरक्रिटिकल निष्कर्षण—प्रोपेन डिअसफार्स्टिंग
19. फल्यूडाइज्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग (एफ सी सी) गैसोलीन डिसल्फराइजेशन

(ग) आई ओ सी द्वारा शोधन क्षेत्र में लगाई जाने वाली प्रस्तावित नई प्रौद्योगिकियों के अर्जन के लिए रायल्टी/लाइसेंस शुल्क तथा मूल इंजीनियरी शुल्कों की प्रत्याशित लागत 155 करोड़ रुपए (लगभग) है।

ओ.एन.जी.सी. तथा मित्तल समूह के बीच समझौता

3684. श्री ई. पोन्नुस्वामी :

कुंवर मानवेन्द्र सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ. एन. जी. सी. ने तेल और गैस की खोज के लिए मित्तल समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जैसा कि दिनांक 24 जुलाई, 2005 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके कार्य के लिए किन-किन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया है; और

(घ) उनके क्रियान्वयन के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है तथा इससे क्या-क्या लाभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) 23.7.2005 को आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ओ एन जी सी-विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) ने मित्तल समूह की कंपनियों के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य पहचाने गए क्षेत्रों, विशेष रूप से मध्य एशियाई और पश्चिम अफ्रीकी देशों, जो तेल और गैस संसाधनों से समृद्ध हैं और जहां मैसर्स मित्तलस की अपने सफल विश्वव्यापी इस्पात व्यवसाय के माध्यम से मजबूत उपस्थिति है, में साथ मिलकर काम करते हुए ऊर्जा सुरक्षा की खोज में उनकी पारस्परिक शक्तियों के साथ सह-क्रिया करना है।

(ग) और (घ) समझौता-ज्ञापन, जो संबंधित कंपनियों के निदेशक मंडलों और सरकार के अनुमोदन के अधीन हैं, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में पारस्परिक हितों के क्षेत्रों की पहचान करने और पक्षकारों के लिए साझा लक्ष्यों के अनुसरण में उनकी संबंधित शक्तियों की सहक्रिया के लिए रीतियां स्थापित करने हेतु ढांचा स्थापित करते हैं। समझौता ज्ञापनों में पहचाने गए क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन व्यवसाय में संयुक्त प्रतिभागिता परिकल्पित है। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पक्षकार दो संयुक्त उद्यम कंपनियों नामतः (1) ओ एन जी सी - मित्तल एनर्जी लिमिटेड; और (2) ओ एन जी सी-मित्तल एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड का गठन करने पर सहमत हो गए हैं।

एनआईएएमएआर द्वारा 'कार्यक्रम/सेमिनार

3685. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री बाडिगा रामकृष्णा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल इंस्टीटयूट आफ एविएशन मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च (एनआईएएमएआर) द्वारा 2004-05 के दौरान आयोजित किए गए कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों/सेमिनारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन देशों ने प्रत्येक कार्यक्रम/पाठ्यक्रम/सेमिनार में भाग लिया;

(ग) इन कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों/सेमिनारों में विभिन्न संगठनों के कितने अधिकारियों ने भाग लिया; और

(घ) भारतीय विमानन उद्योग के कार्यकरण को सुधारने में इस प्रकार के कार्यक्रम/पाठ्यक्रम/सेमिनार कितने सफल रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) राष्ट्रीय विमानन प्रबन्धन और अनुसंधान संस्थान ने 2004-05 के दौरान, आईएसओ प्रमाणनन, हवाईअड्डा टर्मिनल प्रबन्धन, कम्प्यूटर कार्यक्रमों, प्रबन्धन विकास, परियोजना प्रबन्धन, सामान्य और कार्मिक प्रबन्धन, कार्य और लेखा, वैमानिकी सूचना तथा सर्वेक्षण, विमानन सुरक्षा, खतरनाक वस्तुओं तथा लोक शिकायत इत्यादि जैसे विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम/पाठ्यक्रम/संगोष्ठिया आयोजित की।

(ख) भारत के प्रतिनिधियों के अलावा, श्रीलंका, तंजानियां, युगाण्डा तथा मालदीव से भी प्रगतिभागियों ने इस अवधि के दौरान कार्यक्रम में भाग लिया।

(ग) इस अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों से कुल 1435 प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों/पाठ्यक्रम/संगोष्ठियों में भाग लिया।

(घ) राष्ट्रीय विमानन प्रबन्धन और अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों/संगोष्ठियों से कार्य निष्पादन दक्षता में सुधार दिखाई दिया, चूंकि प्रशिक्षण से कार्य निष्पादन के तीन मुख्य संघटक (कम्पोनेंट) में वृद्धि हुई अर्थात कुशलतम कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित ज्ञान तथा व्यवहार।

विमानन यातायात

3686. श्री गणेश सिंह :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नागर विमानन क्षेत्र संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुल विश्व विमानन यातायात में भारत का हिस्सा बहुत ही कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं। चूंकि विमान यातायात में वृद्धि लगभग 17% दर्ज की गई है। अतः, भारतीय नागर विमानन के क्षेत्र में कोई संकट की स्थिति नहीं है।

(ख) विश्व का कुल अनुसूचित यातायात लगभग 1.7 बिलियन यात्री है, जिसमें से भारत का अंश लगभग 36 मिलियन है।

(ग) पूरे विश्व में विकासशील देशों के पास विकसित विश्व की तुलना में, उनकी समग्र आर्थिक स्थितियों के कारण विमान यातायात की मात्रा कम है।

(घ) अन्य बातों के साथ, किए गए उपाय :

1. नए भारतीय घरेलू कैरियरों को प्रचालन आरंभ करने के लिए अनुमति प्रदान करना।

2. एएसए के द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत विदेशी कैरियरों को संवृद्ध क्षमता की पात्रताएं प्रदान करना।

3. भारतीय निजी कैरियरों को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भारत की द्विपक्षीय पात्रताओं के उपयोग को अभिहीत करना।

4. हवाईअड्डों के आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाना तथा एटीसी की क्षमताओं में सुधार।

5. सार्वजनिक/निजी सहभागिता के साथ नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण को अनुमति प्रदान करना।

ओ.बी.सी. रेलवे कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक

3687. **डा. के. धनराजू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरक्षण लागू करने की मानीटरिंग करने के साथ-साथ ओ.बी.सी. कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) रेलवे कर्मचारी संगठनों के साथ आवधिक बैठकें करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 2004-05 के दौरान कितनी बैठकें हुईं; और

(ग) सरकार द्वारा आवधिक रूप से बैठक होना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी हां। ओ.बी.सी. परिसंघ/संघ के साथ उनकी मांगों/शिकायतों पर विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श के लिए अनौपचारिक बैठकें वर्ष में दो बार से ज्यादा नहीं की जाती हैं बशर्ते इस संबंध में अनुरोध किया जाए। इस प्रकार वर्ष 2004-05 के दौरान क्षेत्रीय मुख्यालयों/उत्पादन इकाइयों पर 15 अनौपचारिक बैठकें और 39 बैठकें संबंधित मंडलों में की गई।

[हिन्दी]

शिष्टमंडलों के लिए रियायती टिकटें

3688. **श्री सुनील कुमार मोदी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित "जमायत-उलेमा-ए-हिन्द" नामक एक धार्मिक संगठन के सम्मेलन में भाग लेने आए शिष्टमंडल को रियायती टिकटें दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी तक इससे पूर्व किसी धार्मिक संगठन के सम्मेलन में भाग लेने वाले शिष्टमंडल को कभी ऐसी सुविधा दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संगठन को उक्त सुविधा देने का औचित्य क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में अन्य धार्मिक संगठनों को भी ऐसी सुविधा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) मई, 2005 को दिल्ली में संपन्न जमायत उलेमा-ए-हिंद की 28वीं आम बैठक में भाग लेने आए शिष्टमंडल को रियायत दी गई थी।

(ख) और (ग) हाल ही में जमायत उलेमा-ए-हिंद के शिष्टमंडल को वर्ष 1983, 1986, 1991 1993, 1995 तथा 2000 में रियायत दी गई थी। अन्य संगठनों/संस्थानों को भी रियायत दी गई थी जिसमें धार्मिक संगठन भी शामिल हैं जैसे संत निरंकारी मंडल, श्री स्वामीनाथ स्वामी सेवा समाज, माता अमृतानंदमयी मठ, कांची कामकोटि पीटाधिपति, कैथोलिक बिशप कांफ्रेंस आफ इंडिया इत्यादि।

(घ) और (ङ) रियायतें नेमी तौर पर नहीं दी जाती है जब तक इस संबंध में इंडियन रेलवे कांफ्रेंस एसोसिएशन की कोचिंग दर सूची भाग-1 (खंड-II) में उल्लेख न हो। सभी अन्य मामलों में, धर्म, जाति या किसी विशेष सम्प्रदाय के अनुसार नहीं बल्कि मामला दर मामला के आधार पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

एचएमटी फैक्टरी, टुमकुर का पुनरुद्धार

3689. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एचएमटी फैक्टरी, टुमकुर का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कर्मचारियों को बकाया वेतन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) एचएमटी वाचिज जिसकी एचएमटी वाच फैक्टरी, टुमकुर विनिर्माणी इकाइयों में से एक है, के लिए सरकार के विचारार्थ एक पुनरुद्धार योजना तैयार की जा रही है।

(घ) सरकार ने टुमकुर स्थित इकाई सहित अपनी सभी इकाइयों के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए एचएमटी वाचिज लिमिटेड को ऋण के रूप में 22.10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करायी है। दिनांक 31.03.2005 तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

कार निकोबार में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

3690. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के कार निकोबार क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्र में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के कार निकोबार क्षेत्र को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्तियां इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा की जाती हैं। आई ओ सी ने यह बताया है कि इस क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। उसने यह भी बताया है कि अंडमान और निकोबार प्रशासन ने विद्युत विभाग के लिए हाई स्पीड डीजल के भण्डारण हेतु कार निकोबार और अन्य द्वीपों में भंडारण टैंकों के निर्माण के लिए आई ओ सी में अनुरोध किया है। यह परियोजना दिसम्बर, 2005 के अन्त तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है।

डाक्टरों के लिए तैनाती/स्थानांतरण नीति

3691. चौधरी विजेन्द्र सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व रेलवे में अस्पतालों/औषधालयों/केन्द्रों में कार्यरत डाक्टरों के लिए कोई तैनाती/स्थानांतरण नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ ऐसे डाक्टर है जो उत्तर पूर्व रेलवे में 20 वर्षों से अधिक समय से एक ही रेलवे अस्पताल/केन्द्र में कार्यरत हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) प्रत्येक डाक्टर के कार्य निष्पादन, उसकी उपयोगिता तथा उसकी लोकप्रियता का नियमित रूप से आकलन किया जाता है और तत्पश्चात उसके तबादले/तैनाती इत्यादि के बारे में फैसला लिया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) पूर्वोत्तर रेलवे के सात डाक्टर उसी रेलवे अस्पताल/सेंटर में 20 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं जोकि उपरोक्तलिखित नीति के अंतर्गत है।

उत्पादन/विनिर्माण इकाइयां

3692. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में कितनी उत्पादन/विनिर्माण इकाइयां हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन उत्पादन/विनिर्माण इकाइयों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल मंत्रालय के अधीन छह उत्पादन इकाइयां हैं। इन इकाइयों के नाम और कार्यस्थल नीचे लिखे अनुसार हैं :

1. चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना, चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल
2. डीजल रेलइंजन कारखाना, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
3. सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै, तमिलनाडु
4. रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला, पंजाब
5. रेल पहिया कारखाना, बेंगलूरु, कर्नाटक
6. डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला

(ख) जी हां।

(ग) एक संशोधित समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है, जिस पर उत्पादन इकाइयों और रेल मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर होने हैं। इसमें कारखानों के लिए कार्यनिष्पादन संसूचकों और इन संसूचकों को हासिल करने के लिए कारखानों के महाप्रबंधकों को प्रत्यायोजित संवर्धित शक्तियों को निर्दिष्ट किया गया है। यह संशोधित समझौता ज्ञापन स्वीकृति हेतु सभी उत्पादन कारखानों के महाप्रबंधकों के पास भेजा गया है ताकि हस्ताक्षर हेतु औपचारिक समझौता ज्ञापन पर संव्यवहार किया जा सकें।

कलपुर्जों की कमी

3693. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सशस्त्र सेना बल पूर्ववर्ती यू.एस.एस.आर. के विघटन के समय से कलपुर्जों की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या रक्षा क्षेत्र की भारतीय तथा विदेशी कंपनियों ने भारतीय सशस्त्र सेना बलों को उपकरणों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कलपुर्जों की कमी की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) यू एस एस आर के विघटन के बाद पूर्व सोवियत मूल के अतिरिक्त हिस्से पुर्जों तथा उपस्करों की प्राप्ति में समस्याएं आई हैं। रूसी मूल के कुछ उपस्कर पुराने हो गए हैं तथा उनके अतिरिक्त-हिस्से-पुर्जों का उत्पादन नहीं किया जा रहा है।

पूर्व यू एस एस आर मूल के अतिरिक्त हिस्से पुर्जों तथा उपस्करों की कमी को दूर करने के लिए रूसी संघीय सरकार ने भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मुंबई में रोसोबोरनसर्विस (इंडिया) के नाम से एक भारत-रूसी संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की है। इस संयुक्त उद्यम को रूसी सैन्य उपस्करों के संबंध में भारत में लाइफ साइकिल उत्पाद सहायता सेवा की सम्पूर्ण रेंज मुहैया कराने के लिए डिजाइन किया गया है।

आंतरिक विनिर्माण तथा भारत में स्वदेशीकरण के माध्यम से कतिपय कलपुर्जों की अनुपलब्धता से निपटा जा रहा है। नई अर्जन संविदाओं में उपस्कर की पूर्ण कार्यकाल सहायता देने तथा यदि मूल उपस्कर

विनिर्माता उपस्कर का उत्पादन रोकना चाहता है तो इस संबंध में भारतीय पक्ष को अग्रिम नोटिस देने के लिए रूसी पक्ष की वचनबद्धता का उल्लेख किया गया है ताकि भारतीय पक्ष, उपस्कर सहायता के लिए सम्पूर्ण कार्यकाल के लिए कलपुर्जों की अधिप्राप्ति करने में सक्षम हो सके। सरकार ने यह मामला बेहतर उत्पाद सहायता हेतु मूल उपस्कर विनिर्माता के साथ सीधी बातचीत करने की अनुमति के लिए रूसी संघीय सरकार के साथ उठाया है। रूसी पक्ष ने अब 21 मूल उपस्कर विनिर्माताओं के साथ ऐसी बातचीत करने की अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

राजस्थान में एलपीटी/एचपीटी प्रसारण केन्द्र

3694. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राजस्थान में किन-किन स्थानों पर कम क्षमता वाले ट्रांसमीटर (एलपीटी) और उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर (एचपीटी) प्रसारण केन्द्र स्थित हैं;

(ख) उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को दूरदर्शन और विभिन्न अन्य चैनलों से घटिया प्रसारण से सम्बन्धित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) राजस्थान में स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों और अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) बीकानेर स्थित मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को वर्ष 2006-07 तक 1 कि.वा. से 10 कि.वा. की संवर्धित शक्ति क्षमता वाले एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की परिकल्पना है। बांसवाड़ा चितौड़गढ़ डूंगरपुर हनुमानगढ़, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली सीकर, सिरोही, गंगानगर और उदयपुर स्थित अल्पशक्ति ट्रासमीटरों (100 वा.) को दसवीं योजना की शेष अवधि के दौरान चरणबद्ध ढ़ंग से स्वचालित अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों (500 वा.) द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की परिकल्पना है।

पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित कवर न किए गए तथा कम कवर किए गए क्षेत्रों में दूरदर्शन की कवरेज का विस्तार करने के लिए सरकार सतत रूप से प्रयासरत है। इसके दृष्टिगत तैंतीस टी.वी. और बारह रेडियो चैनलों के समूह वाली दूरदर्शन कही के.यू.बैंड प्रसारण सेवा (फ्री-टु-एयर डी.टी.एच) 16 दिसम्बर, 2004 को शुरू की गई थी। इस सेवा को देश में कहीं भी (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों को छोड़कर) एक लघु आकार की डिश अभिग्रहण प्रणाली की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) दूरदर्शन के प्रसारणों की गुणवत्ता स्थलीय और उपग्रह प्रणाली दोनों ही में समान्यतया संतोषजनक पाई गई है। तथापि, अभिग्रहण से संबंधित शिकायतें जब भी प्राप्त होती हैं तो उन पर मुस्तैदी के साथ ध्यान दिया जाता है।

विवरण

राजस्थान में टी.वी. ट्रांसमीटर

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (एच.पी.टी)			
अजमेर	बूंदी	जयपुर	जोधपुर
अजमेर (डी.डी. न्यूज)	बूंदी (डी.डी. न्यूज)	जयपुर (डी.डी. न्यूज)	जोधपुर (डी.डी. न्यूज)
बाड़मेर (अन्तरिम)	जैसलमेर		
(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (एल.पी.टी.)			
अलवर	अनूपगढ़	बाली बाड़मेर	बांसवाड़ा

बारण/भद्रा	बारी सदरी	भीलवाड़ा	बसावा
बीकानेर	भरतपुर	चितौड़गढ़	भीनमल
डीग	चिड़ावा	गंगानगर	चुरू
हनुमानगढ़	डुंगरपुर	जैसलमेर	गंगापुर
झालावाड़	हिंडोन	करणपुर	(सवाईमाधोपुर)
केसरियाजी	झुझुनू खेतड़ी	किशनगढ़-वास (अलवर)	जालौर
कुशलगढ़	मकराना	मांऊट आबू	करौली
नागौर	नाथवाडा	नवलगढ़	कोटपुतली
नोहार	नौखा	पाली	नागर
पिलानी	पिरावा	प्रतापगढ़	नीमज
राजगढ़ (चुरू)	रतनगढ़	रावतसर	फलोदी
सलूमबेर	सरदारशहर	सवाईमाधोपुर	रायसिंह नगर
सीकर	सिरोही	सोजात	सगवाडा
सुजानगढ़	सूरतगढ़	तारानगर	शाहपुरा
उदयपुर	वल्लभनगर	अलवर (डी.डी. न्यूज)	रीहूंगरगढ़
बीकानेर	उदयपुर (डी.डी. न्यूज)		टोंक
			बंसी (डी.डी. न्यूज)

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी. द्वारा तेलशोधन कारखानों की स्थापना

3695. **श्री रघुराज सिंह शाक्य :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ एन जी सी) का विचार देश में तेल शोधन कारखानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कौन-कौन से स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) प्रत्येक तेल शोधक कारखाने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इन तेलशोधन कारखानों का कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है;

(घ) क्या इन तेल शोधन कारखानों की स्थापना का निर्णय लेने से पहले कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) वर्तमान में, आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) ने राजस्थान में एक रिफाइनरी स्थापित करने तथा काकीनाडा में एक निर्यातोन्मुख रिफाइनरी स्थापित करने में अपनी रुचि का संकेत दिया है। इस कार्य को ओ एन जी सी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मैंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एम आर पी एल) द्वारा या उसके सहयोग से पूरा किया जा सकता है।

(ग) ये परियोजनाएं मूल्यांकन के अत्यन्त प्रारम्भिक चरण में हैं।

(घ) और (ङ) राजस्थान के जिला बाड़मेर में कैर्न एनर्जी परिसंघ द्वारा की गई तेल खोजों के आधार पर ओ एन जी सी/एम आर पी एल ने 7.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता से एक रिफाइनरी स्थापित करने में रुचि व्यक्त की है। दो अन्य तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों नामत: इंडियन आयल कारपारेशन लिमिटेड (आई ओ सी) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) ने राजस्थान में उक्त स्थल पर एक कूप शीर्ष रिफाइनरी स्थापित करने में भी रुचि व्यक्त की है। इन कंपनियों ने अपने आप को उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी एस सी) के तहत ब्लाक आर जे-ओ एन-90/1 के लिए कच्चे तेल की खरीद हेतु सरकारी नामिती के रूप में नाम निर्दिष्ट करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है।

ऐसी किसी रिफाइनरी के लिए किसी निवेश योजना की पुष्टि पी एस सी के तहत कच्चे तेल की खरीद के लिए उनके नामिती को सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने के बाद ही की जा सकती है।

काकीनाडा गहरे पानी वाले पत्तन के समीप काकीनाडा, में एक पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए ओ एन जी सी, काकीनाडा सीपोर्ट्स लिमिटेड (के एस एल) और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज (आई एल एण्ड एफ एस) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के भाग के रूप में ओ एन जी सी का प्रस्ताव निर्यातोन्मुख रिफाइनरी परियोजना में निवेश करने का है। ओ एन जी सी को अपनी सहायक कंपनी एम आर पी एल के माध्यम से ऐसी एक रिफाइनरी स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने की सलाह दी गई है।

अस्पतालों/औषधालयों में मेडिसिन स्टोर

3696. चौधरी बिजेन्द्र सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अस्पतालों/केंद्रों/औषधालयों में मेडिसिन स्टोरों का संचालन योग्य फार्मासिस्टों द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में अस्पतालों/केंद्रो/औषधालयों में कुछ मेडिसिन स्टोरों का संचालन भेषजज्ञों द्वारा नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में काठगोदाम रेलवे अस्पताल में मेडिसिन स्टोर का संचालन भेषजज्ञों द्वारा किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) बहुत कम अपवादों को छोड़कर, सभी रेलवे अस्पतालों/औषधालयों में, फार्मेसिस्ट का एक पद है जो दवाई भंडार का कामकाज देखते हैं।

(ग) जी नहीं। काठगोदाम पर एक रेलवे औषधालय को छोड़कर, पूर्वोत्तर रेलवे के सभी रेलवे अस्पतालों और रेलवे औषधालयों में फार्मेसिस्ट हैं जो चिकित्सा भंडार का काम संभालते हैं।

(घ) पूर्वोत्तर रेलवे पर सिर्फ काठगोदाम रेलवे औषधालयों में फार्मेसिस्ट का पद नहीं है। लगभग 5 वर्ष पूर्व फार्मेसिस्ट के पद का अभ्यर्पण किया जा चुका है।

(ङ) जी नहीं।

(च) पूर्वोत्तर रेलवे पर काठगोदाम रेलवे औषधालय में दवाई भंडार का प्रबंधन फार्मेसिस्ट द्वारा नहीं किया जाता क्योंकि फार्मेसिस्ट का पद मौजूद नहीं है। इसे एक नर्स द्वारा संभाला जा रहा है।

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, 12 अगस्त, 2005 को माननीय सदस्य, श्री रामजीलाल सुमन ने एक समाचार पत्र "दि पॉयनियर" में 7 अगस्त, 2005 को "स्पीकर ऑस्कस फॉर ट्रबल" शीर्षक से छपे एक लेख के संदर्भ में उसके संवाददाता श्री सपन दासगुप्ता के विरुद्ध लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 222 के अंतर्गत विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी। अपनी सूचना में श्री रामजीलाल सुमन ने बताया था कि यह घोर आपत्तिजनक लेख था क्योंकि इसमें अध्यक्ष के उच्च पद की गरिमा और मान मर्यादा पर प्रतिकूल टिप्पणी की गयी थी और इसमें अध्यक्ष की नीयत पर सन्देह व्यक्त करने के साथ-साथ उन्हें विवादों के घेर में लाने का प्रयास किया गया था। संबद्ध प्रकाशन की एक प्रति उनकी सूचना के साथ संलग्न थी।

माननीय सदस्यों श्री देवेन्द यादव, श्री सीताराम सिंह, श्री राम कृपाल यादव, श्री गणेश प्रसाद सिंह और श्री रघुनाथ झा ने भी इसी प्रकाशन के संबंध में इस आधार पर उक्त समाचार के सम्पादक, मुद्रक और उक्त संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचनाएं दी थीं कि इस आपतित्तजनक लेख में अध्यक्ष की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया था ओर यह कि ऐसा लेख सदन और अध्यक्ष के उच्च पद को बदनाम करने का एक सुविचारित प्रयास था।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार ने भी उक्त लेख की विषय वस्तु के दृष्टिगत उक्त संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी।

श्री रामजीलाल सुमन, जिन्होंने इस सभा में यह मामला उठाया था कि बात सुनने के पश्चात् मैंने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:—

"इस मामले को उठाने और सभा के समक्ष विचार हेतु लाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब मुझे इस पर विचार करने दें। आप लोगों ने अपनी टिप्पणी कर दी है। मै, इसे बढ़ाना नहीं चाहता। मैंने पहले ही इसे पढ़ लिया है। मेरे विचार में कुछ लोग संसदीय लोकतंत्र को लेकर बातें बनाते हैं, परन्तु इस महान संस्था को नीचा दिखाने के हर संभव प्रयास करते हैं। हमें कुंठा और घोर निराशा के कारण की गई इन गैर जिम्मेदार और अपरिपक्व अभिव्यक्तियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं परोक्ष रूप से की गई सभी छींटाकशी की घोर निन्दा करता हूं और इस मामले को यहीं समाप्त करता हूं।"

तत्पश्चात्, कई अन्य माननदीय सदस्यों, अर्थात्, प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, प्रो. रामगोपाल यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, श्री प्रभुनाथ सिंह, श्री मोहम्मद सलीम और एन.एन. कृष्णदास ने इस विषय पर अपने निवेदन रखे और कार्यवाही में व्यवधान के कारण मैंने 12.26 बजे सभा को स्थगित कर दिया और अपने कमरे में सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। सभा 12.47 बजे पुनः समवेत हुई, जब श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने इस मुद्दे पर अपना निवेदन रखा। तब मैंने यह टिप्पणी की कि मैं आगामी सप्ताह में अपना विनिर्णय दूंगा।

इसके अनुसरण में, मैं निम्न रूप में अपना विनिर्णय देना चाहता हूं—

इस आपत्तिजनक लेख में अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप भी लगाए गए हैं कि वर्तमान लोक सभा अध्यक्ष किसी पक्ष विशेष के प्रति निष्ठा रखते हैं, उनका रवैया पक्षपातपूर्ण और व्यवहार निरंकुश है और उन्हें मर्यादा का कोई ख्याल नहीं, है, न ही निष्पक्षता का कोई मान है।

यह सुस्थापित तथ्य है कि इस तरह के भाषण और लेख जो अध्यक्ष द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में उनके चरित्र और निष्पक्षता पर लांछन लगाते है, विशेषाधिकार हनन और इस सदन की अवमानना है [कौल और शकधर-संसद में प्रक्रिया एवं व्यवहार (पांचवा संस्करण) पृष्ठ 279-280]।

"मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस" (20वां संस्करण) के पृष्ठ 159 में बताया गया है कि अध्यक्ष के चरित्र पर लांछन लगाना और उनके कर्तव्य के निर्वहन में उन पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप, विशेषाधिकार हनन अथवा अवमानना हैं 'मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस' के इसी संस्करण के पृष्ठ 235 में कहा गया है कि "अध्यक्ष के चरित्र अथवा कार्य प्रणाली पर लांछन लगाने पर विशेषाधिकार हनन का दंड दिया जा सकता हैं उनकी कार्यप्रणाली की आलोचना केवल एक स्वतंत्रा प्रस्ताव लाकर की जा सकती है न कि आकस्मिक रूप से किसी वाद-विवाद अथवा कार्यवाही के किसी अन्य रूप में।"

मेरे विचार में, इस बारे में कानून की स्थिति पर कोई संदेह नहीं है और संसदीय प्रणाली का कोई भी जानकार स्पष्ट रूप से इस ज्ञात से अवगत है कि इस आपत्तिजनक लेख से न केवल विद्वेष की बू आती है अपितु यह अपनी विषय-वस्तु और अवधारणा में पूर्ण रूप से दुराग्रहपूर्ण है। इसमें जानबूझकर अध्यक्ष पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया गया है और अध्यक्ष के रूप में उनके चरित्र और कार्य पर उंगली उठायी गयी है। यह अध्यक्ष और इस सदन दोनों के विशेषाधिकार का घोर हनन है।

इस सभा में कई माननीय सदस्यों ने यह मत प्रकट किया है कि पत्रकारों को प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है और उन्हें अध्यक्ष की आलोचना करने का भी अधिकार हैं वर्तमान अध्यक्ष वास्तविक आलोचना से उन्मुक्ति का कोई दवा नहीं करते हैं परन्तु इस महान संस्थान के विशेषाधिकारों का भी, निःसन्देह, ध्यान रखा जाना चाहिए।

"प्रेस की स्वतंत्रता", जैसा कि हमारे संविधान में दिया गया है, हमारे देश में एक सुविचारित मौलिक अधिकार है। परन्तु यह उचित पाबंदियों से परे नहीं है और इसका उपयोग करके इस गणराज्य की महान संस्थाओं और उनके अधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के प्रति जानबूझकर तरफदारी का आरोप लगाना और अभिप्रेरित आघात करना उचित नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता का यह मतलब भी नहीं है कि कोई ऐसे बे-सिर-पैर के आरोप लगाए जो सच नहीं है और वास्तविकता से परे हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयोग के नाम पर प्रेस ऐसा कोई मुकदमा नहीं चला सकता जिसमें वह आरोप लगाने वाला और न्याय करने वाला, दोनों की भूमिका निभाए।

प्रेस की स्वतंत्रता में प्रेस के मूलभूत कर्त्तव्य भी निहित हैं जिनके अंतर्गत दूसरों के प्रति आदर रखना और जिम्मेदाराना व्यवहार करना शामिल है और इसके अंतर्गत संवैधानिक निकायों और संस्थाओं तथा उनके महत्वपूर्ण अंगों को मलिन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

यद्यपि इस सभा के पीठासीन अधिकारी पर सार्वजनिक रूप से अनुचित और पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है, तथापि, वह किसी सार्वजनिक विवाद में भाग नहीं ले सकते। सबसे अधिक निराशाजनक बात यह है कि जब यह मामला सदन में उठाया गया और अध्यक्ष ने अपना विनिर्णय सुरक्षित रखा, इसके संबंध में इलेक्ट्रानिक मीडिया और उक्त समाचार पत्र में खुली चर्चाएं की जा रही है, जिनमें संबंधित संवाददाता और उनके संपादक ने इन आरोपों को न्यायोचित ठहराने की चेष्टा की है और इस प्रकार विशेषाधिकार हनन को और हवा दी है। तथापि, अध्यक्ष इन तथाकथित चर्चाओं में केवल दृष्टा बन सकते हैं, भाग नहीं ले सकते। अध्यक्ष को इस सभा के माननीय सदस्यों, जो इस महान संस्था की गरिमा और मान-मर्यादा को सुरक्षित रखने में काफी रुचि दिखाते हैं, की वचनबद्धता पर निर्भर रहना होगा। इसी कारण मैने उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद दिया जिन्होने 12 अगस्त, 2005 को मामला सभा में उठाया क्योंकि केवल ऐसे दृष्टांत के द्वारा ही दुराग्रहपूर्ण कार्यों को सामने लाया जा सकता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि ऐसे अपमानित लेख द्वारा पक्षपात के गंभीर आरोप न्यायपालिका के विरुद्ध लगाए गए होते तो यह न्यायालय की अवमानना का ज्वलंत उदाहरण बनता।

आरोपों के बारे में अपने विचार दोहराते हुए मैं मामले को तूल देने के लिए आपत्तिजनक लेख में जानबूझकर दिए गए गलत बयानों का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यों और देश को सच्चाई का पता लग सके।

उक्त आपत्तिजनक लेख में संसदीय एजेंडा के मामले में अध्यक्षपीठ और एक माननीय सदस्य के बीच तथाकथित मतभेद का हवाला दिया गया है और यह आरोप लगाया गया है कि उक्त माननीय सदस्य ने महसूस किया कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और इसीलिए उन्होंने नाटकीय रूप से विरोध किया। यह स्पष्ट रूप से एक उद्देश्यपूर्ण आरोप हैं जहां तक मुझे सूचित किया गया है वह माननीय सदस्य चालू मानसून सत्र के दौरान केवल एक दिन सभा में उपस्थित हुयीं। उन्होंने एक ऐसे विषय पर स्थगत प्रस्ताव की सूचना दी जिस पर विगत 26 जुलाई को स्थगन प्रस्ताव के रूप में कई घंटों तक चर्चा की गयी थी और इसीलिए नियम 58 (पांच) के अंतर्गत इसी सत्र में दोबारा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। उन्होंने इस चर्चा में भाग नहीं लिया था और उस माननीय सदस्य ने लोक सभा को अथवा अध्यक्ष के कार्यालय को कोई अन्य मामला उठाने के आशय की कोई सूचना नहीं दी थीं। अतः, किसी मामले, जिसे वह माननीय सदस्य चौदहवीं लोक सभा के दौरान उठाना चाहती थीं, पर अनुमति न दिए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। इस तथ्य के बावजूद किसी सदस्य विशेष को अपनी बात उठाने की अनुमति न दिए जाने के आधारहीन आरोप लगाए गए हैं और इसके पीछे की मंशा साफ है।

इसके अतिरिक्त, इस आपत्तिजनक लेख में यह आरोप भी लगाया गया है कि किसी अवसर विशेष पर कुछ माननीय सदस्यों ने अध्यक्ष

के विरुद्ध तानाशाही रवैये का आरोप लगाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के माननीय उप-नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके दल के कुछ सदस्यों द्वारा जो नारे लगाए गए थे, वे अध्यक्ष के लिए नहीं अपितु सरकार के विरुद्ध लगाए गए थें इस वक्तव्य को जोर-शोर से प्रचारित किया गया और ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि उक्त संवाददाता तथा अन्य लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी और फिर भी उन्होंने अध्यक्ष के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए।

एक आरोप यह भी लगाया गया है कि मानसून सत्र के दौरान 34 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर किए गए जिनमें से 22 केवल वाम दलों ने उठाये और यह कि नियम 193 के अधीन 21 अल्पकालिक चर्चाओं में से 14 चर्चाएं वाम दलों द्वारा आरंभ की गयी। ये केवल काल्पनिक विवरण हैं और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि पीठासीन अधिकारी पर पक्षपात के आरोप को सुदृढ़ बनाया जा सके। सच और वास्तविकता में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे बे-सिर-पैर के आरोप नहीं लगा सकता जिनके कारण इस प्रकार का धृष्टतापूर्ण व्यवहार और जटिल हो गया है।

जबकि आपत्तिजनक लेख की विषय वस्तु प्रत्यक्ष रूप में एक गंभीर अपमानजनक लेख है और इस सभा के पीठासीन अधिकारी तथा संपूर्ण संपूर्ण सभा और इसके माननीय सदस्यों का घोर अपमान है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए। यह आश्चर्य की बात है कि जब इस माननीय सदन का पीठासीन अधिकारी इस आपत्तिजनक लेख में बताए गए तथ्यों के अनुसार पक्षपातपूर्ण और नकारात्मक चरित्र का है तो इस माननीय सदन की गरिमा और मान मार्यदा क्या रह जाती है? मैं स्वयं से पूछता हूं— क्या इस प्रकार का प्रकाशन इस में देश में मीडिया की गरिमा को बढ़ाता को बढ़ाता है? मैं मीडिया और इसके द्वारा रचनात्मक और सकारात्मक रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के अधिकार का आदर करता हूं।

इस पद पर पीठासीन होने के पश्चात् मैं नियमित रूप से मीडिया के अग्रणी संवादकों और संवाददाताओं से मिलता रहा हूं और उनसे सहयोग तथा मूल्यवान सुझाव मांगता रहा हूं। निश्चित रूप से प्रेस को देश का चौथा स्तम्भ कहा गया है क्योंकि अपने कर्त्तव्यों के प्रति सचेत और सत्य तथा ईमानदारी में विश्वास रखने वाले एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के बिना हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली लगभग समाप्त हो चुकी होती। मैं आशा करता हूं कि उक्त संवाददाता जिस संघ के हैं वह इस मामले पर उचित दृष्टिकोण से विचार करेगा।

जहां तक कार्यवाही करने की बात है मैंने 12 अगस्त, 2005 की अपनी टिप्पणी में कहा है और मैं उसे पूरे विश्वास के साथ दोहराता हूं कि मैं समझता हूं कि आपत्तिजनक लेख की विषय-वस्तु की अनेक माननीय सदस्यों द्वारा भर्त्सना किए जाने से यह स्पष्ट होता है कि उनके विचार में यह प्रकाशन धृष्टतापूर्ण और इस माननीय सदन की जानबूझकर की गयी अवमानना और इसके विशेषाधिकार का घोर हनन है। इस पर पूरा बल देते हुए निवेदन किए गए हैं और इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने की न्यायोचित मांग की गई है।

तथापि, इस सदन में की गयी घोर निंदा के दृष्टिगत इस आपत्तिजनक लेख में लगाए गए आरोपों पर आगे कार्यवाही करना इस महान संस्था की गरिमा के अनुरूप नहीं होगा। अत: मैं उनके निवेदन पर अपनी सहमति न देते हुए इस मामले को समाप्त करता हूं। हालांकि मैं यह कहना चाहूंगा कि भविष्य में इस तरह के निराधार और धृष्टतापूर्ण व्यवहार, चाहे किसी के द्वारा किया जाए, पर समुचित कार्यवाही की जायेगी ताकि इस देश की सर्वोच्च सार्वजनिक संस्था की गरिमा को बनाए रखा जा सके और उसमें वृद्धि की जा सके।

अपराह्न 12.12 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं तटरक्षक अधिनियम 1978 की धारा 123 की उपधारा (3) के अंतर्गत तटरक्षक अनुशासन (संशोधन) नियम, 2005 जो 15—21 मई, 2005 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 33 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी 2640/05]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : महोदय, मैं श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,

मुंबई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 2641/05]

(ख) (एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी 2642/05]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : महोदय, मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2005 जो 20 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 330(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(2) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 16 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 400(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(3) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 16 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 401(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी 2643/05]

(4) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 10 के अंतर्गत चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी 2644/05]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : महोदय, मैं बारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:—

बारहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या उनतीस — तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी 2645/05]

2. विवरण संख्या बत्तीस — चौथा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी 2646/05]

तेरहवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या इकतीस — दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी 2647/05]

4. विवरण संख्या बत्तीस — तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी 2648/05]

5. विवरण संख्या सत्ताईस — चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी 2649/05]

6. विवरण संख्या छब्बीस पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 2650/05]

7. विवरण संख्या पच्चीस छठासत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 2651/05]

8. विवरण संख्या तैंतीस सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 2652/05]

9. विवरण संख्या बीस आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 2653/05]

10. विवरण संख्या अठारह नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 2654/05]

11. विवरण संख्या प्रन्द्रह दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 2655/05]

12. विवरण संख्या तेरह ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 2656/05]

13. विवरण संख्या ग्यारह बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 2657/05]

14. विवरण संख्या आठ तेरहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 2658/05]

15. विवरण संख्या सात चौदहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 2659/05]

चौदहवीं लोक सभा

16. विवरण संख्या पांच दूसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 2660/05]

17. विवरण संख्या तीन तीसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 2661/05]

18. विवरण संख्या एक चौथा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 2662/05]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 2663/05]

(2) संविधान के अनुच्छेद 350ख (2) के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के जुलाई, 2003 से जून, 2004 तक की अवधि के लिए बयालीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित प्रतिवेदन के व्याख्यात्मक टिप्पण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी 2664/05]

अपराह्न 12.13 बजे

राज्यसभा से संदेश और राज्यसभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 16 अगस्त 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2005, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे बिहार विनियोग (लेखानुदान) संख्या 2 विधेयक, 2005 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 5 अगस्त 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नही करनी हैं।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2005 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 5 अगस्त 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नही करनी हैं।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम 6 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2005 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 8 अगस्त 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नही करनी हैं।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 16 अगस्त 2005 को यथा पारित हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2005 को भी सभा-पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.14 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गुरुदास कामत (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैं विद्युत मंत्रालय के "जल विद्युत-एक समीक्षा" विषय पर बयालिसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2005-2006) का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.14½ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा) : महोदय, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) "श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों—2003-2004 के संबंध में बत्तीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर पूर्ववर्ती श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति (2003-2004 (तेरहवीं लोक सभा) के चौंतिसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(2) "श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के संबंध में पहले प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों श्रम संबंधी स्थायी समिति (2004-2005 (चौदहवीं लोक सभा) के तीसरे कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण; और

(3) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के संबंध में दूसरे प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों श्रम संबंधी स्थायी समिति (2004-2005) (चौदहवीं लोक सभा) के चौथे की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.14½ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ पैंसठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर) : महोदय मैं "बाल अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, 2005" के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 165वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें वक्तव्य देने का अधिकार हैं।

(व्यवधान)

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरुर) : उन्हे लोकसभा से त्यागपत्र दे देना चाहिए।...*(व्यवधान)* *[हिन्दी]* प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी है, इसके बावजूद भी ये जस्टिफिकेशन दे रहे है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह आपकी मांग हो सकती है। लेकिन उन्हें भी अधिकार है। मैने उन्हे वक्तव्य देने के लिए अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री ढींडसा जी, आप एक जिम्मेदार सदस्य है आपने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी है मैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त से नही हटाऊंगा। लेकिन उन्हे नियमों के अधीन वक्तव्य देने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : ठीक है मैं और मेरी पार्टी के माननीय सदस्य सदन से वाक आउट करते हैं।

अपराह्न 12.15 बजे

(तत्पश्चात् श्री सुखदेव सिंह ढींडसा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन के बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। लेकिन उन्हे भी बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सभा की गरिमा बढ़ा रहे है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.15¼ बजे

नियम 199 के अधीन वक्तव्य

अपने त्यागपत्र के संबंध में मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर मुझे इस सम्माननीय सदन में वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान की ताकि मैं उन परिस्थितियों को बता सकूं जिसने मुझे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्वाधीन मंत्रिपरिषद से बिना शर्त के त्याग पत्र देने के लिए मजबूर किया ताकि इस देश के लोगो और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगो जिन्होने मुझे इस सम्माननीय सदन में चुनकर भेजा है पूरे सिख समुदाय और 1984 में हुए शर्मनाक दंगों के दौरान प्रभावित सिख समुदाय के उन लोगों को

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेरे से संबंधित और उसमें मेरे शामिल होने से संबंधित तथ्यों का पता चल सके। वर्ष 1984 के दंगे में पीड़ितों के दुख और दर्द से मैं भली भांति समझ सकता हूं क्योंकि विभाजन के निर्गमन के दौरान मैने अपने पिता के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा था।

महोदय, मुझे यह कहने की भी अनुमति दी जाए कि 31 अक्तूबर 1984 को श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के परिणाम ने जो निशान छोड़े है उसे आने वाली पीढ़ियां आसानी से नहीं भूल पाएंगी और मैं माननीय प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी की उन बातो से जो उन्होने सभी पीड़ितों को शान्त करने और क्षतिपूर्ति के लिए कही हैं सहमत हूं।

मुझ पर दंगा भड़काने वालों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। हर एक व्यक्ति आत्मपरीक्षण के क्षणो से गुजरता है और आज मैं भी उसी क्षण से गुजर रहा हूं मेरा नाम जब इसमें घसीटा गया है तो मै बहुत खिन्न और दुखी हूं क्योंकि पिछले 21 वर्षों में मेरे राजनीतिक विरोधी मुझे इसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। गैर कांग्रेसी सरकारों के दौरान भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो सहित विभिन्न आयोगो ने, उन आरोपों को खारिज कर दिया था...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उन्होंने यह नहीं कहा है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह अपना वक्तव्य दे रहे है। आप उसमें बंधे हुए है। यह नियमों के अधीन सही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : वह इसकी सफाई दे रहे है...*(व्यवधान)* यह उनका निर्णय था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सभी काफी वरिष्ठ सदस्य है उन्हे बोलने का अधिकार हैं मैं उन्हे कैसे रोक सकता हूं?

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : उन्होंने स्वयं त्यागपत्र दे दिया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश टाइटलर, कृपया अपनी बात जारी रखे। श्री जगदीश टाइटलर के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया जाए।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें नियमों के अधीन अनुमति दे रहा हूं प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, आपको भली भांति मालूम है कि नियमों के अधीन उन्हे वक्तव्य देने का अधिकार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नानावती आयोग के बारे में कुछ नही कहा हैं। मुझे खेद है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : नानावती कमीशन की रिपोर्ट में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी आप जानते है *[अनुवाद]* मुझे नियमों के अनुसार अपना कार्य करना होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : ठीक हैं तो हम सदन से वाक आउट करते है।

अपराह्न 12.19 बजे

(तत्पश्चात् प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिभाऊ राठौड़ कृपया यह मत कीजिए।

श्री जगदीश टाइटलर के भाषण के अलावा एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह नियमों के अधीन वक्तव्य देने के हकदार हैं। मैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जगदीश टाइटलर : मेरे प्रतिपक्ष द्वारा उकसाये जाने पर जब कभी मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित हुई, मैंने उनके साथ तर्क करने की बजाए हमेशा संबंधित जांच एजेंसियों से सच सामने लाने के लिए कहा और महोदय, मैं यहां यह बता दूं कि जांच के दौरान दो बार पुलिस आयुक्त कार्यालय, दिल्ली ने मुझे लिखित में सूचित किया कि उन्हें इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं मिली है।

महोदय, मैं आपको तथा आपके माध्यम से देश को यह बताना चाहता हूं कि जब उच्च न्यायालय ने जुलाई, 1996 में दिल्ली पुलिस को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पुलिस आयुक्त कार्यालय, डी.सी.पी. मुख्यालय ने उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें लिखा था कि मैं उन दंगों में तथा उन्हें भड़काने में किसी भी तरह शामिल नहीं था। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल देव सिंह ने भी 26 अगस्त, 1997 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के आदेश दिए और उस रिपोर्ट में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह कहते हुए मुझे निर्दोष करार दिया कि मैं दंगों में शामिल ही नहीं था।

महोदय, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के दिन मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में था और वहां अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति, भूतपूर्व रक्षा राज्य मंत्री, श्री अरुण सिंह, भूतपूर्व संचार मंत्री श्री संजय सिंह, तथा राज्य सभा के मानीय सदस्य श्री अहमद पटेल, भी उपस्थित थे।

दिल्ली लौटने के तत्काल बाद मैं अन्य लोगों के साथ श्रीमती इंदिरा गांधी के निवास पर व्यस्त हो गया और यदि मुझे ठीक से याद है तो मैं प्रातः पहले अकबर रोड गया था और शेष दिन मै तीन मूर्ति में उनके पार्थिव शरीर के पास था।

जस्टिस नानावती आयोग की रिपोर्ट विचाराधीन आने तक इन आरापों का कोई अर्थ नहीं हैं जिसे मुख्यतः मेरे विरुद्ध कुछ भी नहीं मिला है लेकिन आयोग ही वह कारण जानता है कि उसने अनावश्यक रूप से मेरा नाम उसमें घसीटना ठीक समझा मेरे विरोधियों द्वारा लगाए गए आधारहीन और घटिया आरापों पर केवल विश्वास जताने के लिए मेरा नाम घसीटा गया। महोदय, लेकिन निश्चित रूप से झूठी बात को बार-बार दोहराने से वह सच नहीं हो जाती है और ''शायद'' यह सच है कि आयोग ने मेरे संलिप्त होने के लिए ''शायद'' शब्द का प्रयोग किया है।

महोदय, न्यायमूर्ति नानावती आयोग की रिपोर्ट ने कुछ लोगों की बात पर भरोसा किया और अन्य लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। महोदय, आरोप अजीब हैं क्योंकि मेरी रगों में सिख-कपूर परिवार का खून है। मेरे बड़े भाई ने सिख परिवार में शादी की है और श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के तत्काल बाद दिल्ली के विख्यात सिख परिवारों में से एक सिख परिवार जो मेरा पड़ोसी था वह अन्य सिख परिवारों के साथ दस दिन से अधिक समय तक मेरे घर पर रहे।

जहां तक दंगों में मेरे शामिल होने का संबंध है, संसद के पटल पर रखी गई सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट में मेरे विरुद्ध आगे कोई भी कार्यवाही न करने का प्रस्ताव किया गया था। महोदय, जैसाकि आपको पता है, मौजूदा राजनैतिक बाध्यताओं तथा जोरदार अभ्यावेदनों के कारण - जैसाकि आज आपने देखा - माननीय प्रधानमंत्री ने सभा को वचन दिया कि मामले की पुनः जांच की जाएगी। मैंने अंतरात्मा की आवाज सुन कर अपना त्यागपत्र दिया है ताकि जांच निष्पक्ष रूप से हो सके तथा माननीय प्रधानमंत्री; संप्रग की नेता श्रीमती सोनिया गांधी तथा कांग्रेस पार्टी में मेरे सहयोगी और संसद-जिसका मैं पिछले 32 साल से अधिक समय से विश्वासपात्र सदस्य रहा हूं — को किसी भी तरह की परेशानी न हो।

महोदय, मुझे भरोसा है और मैं ईमानदारी से विश्वास करता हूं कि पुनः दिए जा रहे जांच के आदेश निर्धारित समय पर पूरे हो जाए ताकि मैं निर्दोष साबित हो सकूं।

मैं उन्हें ऐसा करने की चुनौती देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में और चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) **:** महोदय, हमें बोलने का अधिकार है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। नियमों के अधीन वाद-विवाद की अनुमति नहीं हैं मुझे खेद है हम मद संख्या 12 लेंगे श्री [illegible] मंत्री अनुवाद

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, हम सच में विरोध कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सभी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। नियमों के अधीन त्यागपत्र देने वाला मंत्री वक्तव्य दे सकता हैं नियमों में स्पष्ट रूप से इसका उपबंध हैं उनके वक्तव्य पर वाद-विवाद करने की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, यह वाद-विवाद नहीं है लेकिन हम टिप्पणी कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : टिप्पणी करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : हमें अपनी बात कहने का अधिकार है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। श्री गुलाम नबी आजाद वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों के हनन में शामिल नही हो सकता हूं। मुझे खेद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह पूर्णत: आप पर है कि वक्तव्य को स्वीकार करे या अस्वीकार। यदि आपको यह कहना है तो आप इसे कहीं और कहें।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री

(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, नियमों के अधीन हमें टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आप टिप्पणी करने के हकदार नहीं हैं आप गलत हैं। मुझे दिखाइए कि किस नियम के अधीन आप टिप्पणी करने के हकदार हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। श्री आचार्य, आप भली-भांति जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधानमंत्री ने सभा को आश्वासन दिया है कि सरकार...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उनकी केवल एक अपेक्षा.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनका केवल यह अनुरोध है कि जांच शीघ्रता से होनी चाहिए। इसमें क्या गलत है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रधानमंत्री के अधिकार से इन्कार नहीं किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के निर्णय पर आपत्ति नहीं की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप बहुत जिम्मेदार और वरिष्ठ सदस्य हैं। आप जानते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद। अब सभा का कार्य शुरू करें। हमें अभी बहुत सारा काम करना है एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

अपराह्न 12.17 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि 22 अगस्त, 2005 से आरम्भ-होने वाले सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्य में निम्नलिखित सम्मिलित है:

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005 पर विचार तथा पारित करना।

3. राज्य सभा द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:—

   (क) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2005;

   (ख) विस्थापित व्यक्ति दावे और अन्य विध (निरसन) विधेयक, 2005;

   (ग) आप्रवास (वाहक दायित्व) संशोधन विधेयक, 2005; और

   (घ) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) विधेयक, 2005;

4. राज्य सभा द्वारा यथा पारित किए जाने के पश्चात् रेल (संशोधन) 2004 पर विचार और पारित करना।

5. "वर्ष 2005-06 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगिक विषयों" पर रेल अभिसमय समिति (2004) की उसके दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर विचार और उन्हें स्वीकार किया जाना।

6. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2005 पर विचार और पारित करना।

7. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् भाण्डागाहण निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार और पारित करना।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही में निम्नलिखित कार्य को शामिल किया जाये, जो लोक हित में है।

1. पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर, बिन्द, मल्लाह, प्रजापति एवं केवट जाति बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उनका जीवन स्तर बहुत ही निम्नस्तर का है एवं वे बहुत ही पिछड़ी अवस्था में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने का अनुरोध किया है, जो काफी समय से लंबित है। इस प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने का कार्य।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

2. सलेमपुर रेलवे स्टेशन के दक्षिणी ढाले पर एक लाख से अधिक यातायात के कारण बराबर जाम लगा रहता है जनहित में ओवरब्रिज बनाये जाने के कार्य को स्वीकृत किये जाने का कार्य।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद, श्री शैलेन्द्र कुमार। मैं आपकी दृढ़ता की प्रशंसा करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए:—

1. देश में बढ़ती आबादी रोकने के लिए एक वृहद कानून बनाने की आवश्यकता है जिसमें यह प्रावधान हो कि तीन से अधिक बच्चे पैदा करने वालों के ऊपर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. देश में रोजगारपरक शिक्षा की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य एवं शिक्षा को मुफ्त देने की कानूनी (संवैधानिक) प्रक्रिया लागू होनी चाहिए।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जाएं:—

देश के पर्वतीय भू-भाग, विशेषकर उत्तरांचल के रांथी क्षेत्र, विकास खंड धारचूला तथा मदकोट क्षेत्र, विकास खंड मुन्स्यारी में हाल में हुई अतिवृष्टि तथा बाढ़ से हुए जानमाल के नुकसान तथा बेघर हुए लोगों के पुनर्वास हेतु तात्कालिक बचाव व राहत कार्य के साथ-साथ दीर्घकालिक उपाय किये जाने की आवश्यकता। देश के महाविद्यालियों, विशेषत उत्तरांचल के राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट, बागेश्वर बलुवाकोट, गंगोलीहाट, चौखुटिया, मानिला, स्यालदे, जैंती, मुन्स्यारी आधि स्थानों में आंदोलनरत छात्र संगठनों तथा अभिभावकों की मांग के अनुसार प्रवक्ताओं की नियुक्ति सहित उचित पठन-पाठन व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र किये जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाएं:

1. झारग्राम और पुरुलिया, जो एक आदिवासी क्षेत्र है, के बीच एक नई रेल लाइन बिछाई जाए। इस पहाड़ी और जनजातिय क्षेत्र के विकास हेतु एक रेल लाइन की आवश्यकता है।

2. पुरुलिया जिले और झारखंड राज्य के पश्चिम बंगाल से लगते हुए क्षेत्रों को दूरदर्शन के बंगाली चैनल का प्रसारण।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाएं:—

1. छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले उसलापुर स्टेशन पर निम्न रेल गाड़ी नहीं रोकने से बिलासपुर शहर में आने-जाने को 50/- रुपये से 100/- रुपये रिक्शा तथा ऑटो रिक्शा किराया देना पड़ रहा है तथा समय भी 3 घंटे लग जाते हैं जिससे प्रतिदिन 3 लाख रुपये का नुकसान पहुंच रहा है। बिलासपुर के उसलापुर स्टेशन पर निम्न गाड़ी रोकी जाए:—

   उत्कल बुलिगा एक्सप्रेस, अपर करंट एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस, हीराकुण्ड एक्सप्रेस, दुर्ग-कानपुर एक्सप्रेस, दुर्ग-गोरखपुर एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़-संपर्क क्राति एक्सप्रेस।

2. प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से बने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को जिनकी हालात जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है। प्रथम श्रेणी मार्ग को भी प्रधान मंत्री सड़क निर्माण योजना में शामिल कर नया कार्य प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है।

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल करने की कृपा करें:—

1. ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारी एवं शिक्षक गणों को पेंशन सुविधा दिये जाने

2. मराठवाड़ा क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. की असंतोषजनक दूरसंचार सेवा को दुरस्त एवं बी.एस.एन.एल. की मोबाईल सेवा के लिए सिमकार्ड उपलब्ध करवाये जाने का कार्य।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री काशीराम राणा-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : महोदय, अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही में निम्नलिखित कार्य को शामिल किया जाए जो लोक हित में है।

1. उत्तर गुजरात में अभी तक कोई आदर्श रेलवे स्टेशन नहीं है। अतः उत्तर गुजरात के पालनपुर को आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित कर आदर्श रेलवे स्टेशन की सारी सुविधाएं दिये जाने कार्य,

2. गांधीधाम एवं पालनपुर रेलवे प्रखंड में चांडसर और पिपराला में गैट फाटक लगाने का कार्य

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला) : महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्य सूची में सबमिशन के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का अनुरोध कर रहा हूं:—

1. हिमाचल प्रदेश में दिनांक 26 जून, 2005 को आई भारी बाढ़ से हुई तबाही की क्षतिपूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार को नेशनल कैलेमिटी कंटिनजेंसी फंड से तत्काल 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त धनराशि के रूप में जारी किए गए।

2. हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हुए क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 22 हेतु प्राथमिकता के आधार पर धनराशि देकर उसे अविलम्ब दुरुस्त किया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. मोहन (मदुरै) : अगले, सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:—

(1) प्रत्येक देश में उनकी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक के रूप में बहुत से स्मारक होते हैं। पर्यटन स्थलों के रूप में उनकी अच्छी तरह से सुरक्षा, संरक्षण और रखरखाव किया जाता है। हमारा देश भी इस सम्पत्ति के मामले में इतना ही समृद्ध है। लेकिन इनका और अधिक अच्छी तरह से संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, मदुरै दक्षिण भारत का एथेन्स है और जबकि पर्यटन वैश्विक रूप से एक उद्योग का दर्जा लेता जा रहा है। तो वाराणसी, महाबली पुरम, ताज महल आदि एक आदर्श सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्थापित होने चाहिए।

(2) हमारी सरकार यह कहती है कि प्रत्येक घर में एक पेड़ होना चाहिए। आजकल छात्रों से पेड़ों की पौध लगाने का परामर्श दिया जा रहा है। विद्युत बोर्ड बिजली की लाइनों के आसपास के पेड़ों में काटने/गिराने/छंटाई करने में लगे हैं। अतः वायु प्रदूषित हो रही है। वातावरण में आक्सीजन की कमी होती जा रही है जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और ग्रीन-हाउस असंतुलन पैदा हो रहा है। इसकी गंभीर रूप से समीक्षा करने और पेड़ों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 13, श्री एन.एन. कृष्णदास द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेंगे।

हम मद संख्या 14 को अगले सप्ताह लेंगे। मैं इसे श्री गुरूदास दासगुप्त को शीघ्रातिशीघ्र सोमवार या मंगलवार, को लेने का प्रयास करूंगा।

अपराह्न 12.36 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में रसोई गैस (एल.पी.जी.) की कमी से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि वे इसपर वक्तव्य दें:

"देश में एल.पी.जी. की कमी से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) :** महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने यह सूचित किया है कि देश में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति की कोई कमी नहीं है, सिवाए प्रचालन के कतिपय क्षेत्रों में कुछ अस्थायी कमियों के, जो केवल इन क्षेत्रों के लिए विशेष परिस्थितियों के कारण है।

उदाहरण के लिए केरल राज्य के कुछ भागों में 18.7.05 से 22.7.05 तक थोक एलपीजी परिवहन कर्त्ताओं की हड़ताल और उसके बाद 31.7.05 से 3.8.2005 तक अखिल केरल माल परिवहनकर्त्ता संघ द्वारा आह्वान की गई हड़ताल के कारण एलपीजी की आपूर्ति में बैकलाग की सूचना दी गई है। तथापि, ओ एम सीज ने रिपोर्ट दी है कि इस बैकलाग का निपटान कर दिया गया है और फिलहाल इस राज्य में एलपीजी आपूर्तियों में कोई कमी नहीं है।

इसी प्रकार मुंबई और महाराष्ट्र में शोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे और नासिक जिलों में बैकलाग की सूचना है क्योंकि ये क्षेत्र भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। इस बैकलाग का निपटान करने के लिए ओ एम सीज हजीरा, जामनगर, गंधार, वगोड़िया, विजयपुर और कांडला से थोक एलपीजी महाराष्ट्र में एल पी जी भरण संयंत्रों पर ले जा रही है। इस समय महाराष्ट्र में बैकलाग 3-8 दिन का है। स्थिति की ध्यानपूर्वक निगरानी की जा रही है और अगले दस दिनों में स्थिति सामान्य हो जाने की आशा है।

मणिपुर में एल.पी.जी. वितरकों के पास रसोई गैस की कमी है। "ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसियेशन ऑफ मणिपुर" द्वारा 19 जून, 2005 से 11 अगस्त, 2005 के अपराह्न तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39 और 53 की आर्थिक नाकेबंदी के कारण इस प्रकार की सूचना दी गई हैं। यद्यपि यह नाकेबंदी 11.08.2005 के अपराह्न से हटा ली गई थी अस्थायी रूप से हटा ली गई है फिर भी ऐसी सूचना है कि "सदर हिल्स डिस्ट्रीक्ट डिमांड्स कमिटी ऑफ मणिपुर" द्वारा 16.8.2005 से 21.08.2005 तक बंद का आह्वान किया गया है जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39 पर एल.पी.जी. वाले ट्रकों का आवागमन प्रभावित हुआ। स्थिति की गंभीरता के बारे में मुख्य मंत्री द्वारा सचेत किए जाने पर मैंने भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अध्यक्ष को राज्य सरकार के प्रशासन से विचार-विमर्श कर मणिपुर में एल.पी.जी. सहित पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने को कहा। गृह मंत्रालय द्वारा इस स्थिति की निगरानी की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मणिपुर में रसोई गैस (एल पी जी) आपूर्ति 20 से 30 दिन पीछे है।

श्री एन.एन. कृष्णदास : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा उनके बयान में बताई गई स्थिति दुर्भाग्यवस सही नहीं है। देश के विभिन्न भागों में विशेषकर घरेलू उपयोग के लिए। एल.पी.जी. की भारी कमी है। समाचार पत्रों में एल.पी.जी. और रसोई गैस की कमी के बारे में हररोज खबर छप रही हैं बंगलौर में जुलाई में एक समाचार पत्र में यह खबर छपी थी कि बंगलौर शहर के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानो पर वाहनो हेतु एल.पी.जी. की खरीद के लिए हजारों वाहनो की लाइन लग जाने के कारण कई दिनों से भारी यातायात जाम की स्थिति बनी हुई थी। बंगलौर में भी रसोई गैस की आपूर्ति भी बहुत पीछे चल रही है।

एक समाचार पत्र में दूसरी गंभीर खबर भी छपी है कि अमरनाथ यात्रा के महत्वपूर्ण अवसर पर कश्मीर घाटी और जम्मू के विभिन्न भागों में भी रसोई गैस की भारी कमी थी। मैं समझता हूं कि सभी लोगों ने उस समाचार को पढ़ा होगा। केरल के संबंध में मंत्री महोदय ने कहा कि 18 जुलाई से 22 जुलाई तक एल.पी.जी. ट्रांसपोर्टरों ने एक और हड़ताल का आह्वान किया था और तत्पश्चात केरल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसियेशन द्वारा 31 जुलाई से 3 अगस्त 2005 तक हड़ताल की गई। मंत्री जी ने यह भी कहा कि इस समय राज्य में एल.पी.जी. की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई है। यह सत्य नहीं हैं मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र अर्थात पालघाट में लोग आज भी रसोई गैस के लिए गैस एजेंसियों के सामने पंक्तियों में खड़े हो रहे हैं। आज भी उनको सिलेंडर मिलने में 20-30 दिन लग जाते है। मुझे ज्ञात हुआ है कि केवल रसाई गैस की ही कमी नहीं है बल्कि सिलेंडरों की भी कमी है। इसलिए, जो मंत्री जी ने कहा है वह सत्य नहीं है।

मुझे ज्ञात हुआ है कि एजेंसियां और तेल विपणन कंपनियों की दुकाने भी इस कदाचार में लिप्त हैं। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इन दुकानों द्वारा दुर्विनियोजन या कदाचार को रोकने के लिए किसी प्रकार की गंभीर निगरानी प्रणाली को क्रियान्वित किया है। कया सच्चाई जानने के लिए माननीय मंत्री तेल विपणन कंपनियें द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की जांच कराने के लिए तैयार हैं। यह सत्य है कि आज भी भरे हुए

*ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी.2665/05

[श्री एन.एन. कृष्णदास]

सिलेंडर पाने में 20 से 30 दिन लग जाते है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि रसाई गैस की आपूर्ति के अभाव में खाना बनाने हेतु तथा जीविका के लिए लोगो के पास कोई अन्य ईंधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए, सरकार इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए क्या करने वाली है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यही जानना चाहता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मंत्री महोदय के बयान से ऐसा लगता है कि देश में एल.पी.जी. की कोई कमी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मणिपुर को छोड़कर।

श्री बसुदेव आचार्य : हां, मणिपुर को छोड़कर। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे देश के कई भागों में एल.पी.जी. की कमी है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव केरल राज्य में एल.पी.जी. की भारी कमी के कारण पाया गया है क्योंकि वहां कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्टरो की हड़ताल थी। लेकिन उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद स्थिति सामान्य हो गई है और एल.पी.जी. की कोई कमी नहीं है। लेकिन सच्चाई यह नहीं हैं हड़ताल खत्म हो जाने के बाद भी केरल राज्य के कई हिस्सों में एल.पी.जी. की कमी है।

उन्होने यह भी बताया है कि महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भागों में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण एल.पी.जी. की आपूर्ति में कमी आई है। उन्होंने स्वीकार किया है कि महाराष्ट्र में इन्हें प्राप्त करने में तीन से आठ दिन तक की देरी हुई है। मैं माननीय मंत्री से यह बात जानना चाहता हूं। क्या आज स्थिति सामान्य हो गई है। उन्होंने कहा है कि अगले 10 दिनो में स्थिति सामान्य हो जाने की उम्मीद है। क्या महाराष्ट्र और गुजरात के उन भागों में 10 दिन में एल.पी.जी. की आपूर्ति पुनः सामान्य हो जाएगी। जो बाढ़ से प्रभावित हुए थे?

मणिपुर में, मुझे पता है क्योंकि इस सदन में मैने मणिपुर की स्थिति के बारे में चर्चा की थी - 11 अगस्त, 2005 को नाके-बंदी हटा ली गई थी लेकिन 16 अगस्त, 2005 से 21 अगस्त, 2005 तक बंद का आहवान किया गया था। इसलिए, 11 अगस्त, 2005 से 15 अगस्त, 2005 तक आई.ओ.सी. द्वारा पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किया गया जिससे कि वहां संकट उत्पन्न न हो। नाकेबंदी के दौरान दोनों ही राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षेत्र में एक सिलेंडर 600 रुपये से 700 रुपये तक में बिका। ऐसा क्यों हुआ नाकेबंदी के दौरान और उसकी समाप्ति के बाद पर्याप्त प्रबंध नहीं किया गया था। मैं माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब नाकेबंदी होने वाली थी तो एक सप्ताह पहले ही इस प्रकार का प्रंबध क्यों नहीं किया गया था?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ अति महत्वपूर्ण मामलों पर भी विचार होना है। मुझे उनके लिए अनुमति देनी होगी।

श्री बसुदेव आचार्य : एल.पी.जी. की कमी के कारण लदाख के लोगों को साल में कम से कम छः महीने तक इस संकट का सामना करना पड़ता है। काश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में भी यही स्थिति हैं सिलेंडर ऊंच्चे दामों पर बेचा जाता हैं मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रबंध किए गए हैं कि देश के उन भागों में जहां हर वर्ष लोग एल.पी.जी.के अभाव की समस्या से जूझते रहते हैं, एल.पी.जी. का अभाव न हो। सिलेंडरों के उत्पादन में भी समस्या है। सिलेंडरों का भी अभाव है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं सिलेंडरों की कमी संबंधी संकट से निपटने के लिए सरकार क्या करना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष जी, एक प्रश्न पूछना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज नहीं। हमने पहले ही फैसला कर लिया हैं जब समय मिलेगा, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। लेकिन आज समय नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अब तक तो एक प्रश्न हम पूछ भी लेते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप हर रोज प्रश्न पूछते रहे हैं। आप बहुत

ही सचेत (सतर्क) सदस्य हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं अपना रिकार्ड खराब न करें।

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछने और विशेषकर घरेलू एल.पी.जी. के उपयोग के संबंध में कदाचार को रोकने की महत्ता की ओर ध्यान आकर्षिक तरने के लिए मैं माननीय सदस्य, श्री कृष्णदास का सच्चे मन से आभारी हूं। मुझे दु:ख सिर्फ इस बात का है कि उन्होंने इस विषय को विस्तार से नहीं रखा जो हमारे समक्ष समस्या का मूल है। हमने पाया कि पिछली सरकार के कुछ वर्षों के दौरान वितरको से एल.पी.जी. आपूत्ति के लिए इतनी अधिक मांगे आई – मैं उपभोक्ताओं की बात नहीं करता– कि यह वास्तविक उपभोक्ताओं की मांग में होने वाली वृद्धि से मेल नहीं खा रहा था। इस स्थिति से निपटने के लिए जून, 2004 में यह तया किया गया कि हम यह शुरू करने वाले है कि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : महोदय, अब कंज्यूमर डबल हो गए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। मैंने इस विषय को उठाने की अनुमति दे रखी है। कृपया सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : जून, 2004 में यह निर्णय लिया गया था कि हम वितरकों को की जाने वाली आपूर्ति पर कड़ी निगरानी शुरू करेंगे। हमने औसत बाजार खपत के पैटर्न पर विचार किया। हमने उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि पर विचार किया। हमने डबल सिलेंडर कनेक्शन देने के लिए आवश्यक सिलेंडारों की संख्या के बारे में विचार किया। हमने किसी वितरक को एल.पी.जी. उपलब्ध कराते समय होने वाले उस अतिरिक्त भार या उस एल.पी.जी. की बकाया संख्या के बारे में भी विचार किया जो विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध करवाई जाएगी।

हम उन वितरकों पर भी निगरानी रखते हैं जो उपभोग की असामान्य प्रवृत्ति दर्शा रहे थे और उन वितरकों के लिए रिफिल लेखा परीक्षा कराते हैं जो औसत उपभोग प्रवृत्ति से बहुत अधिक सिलिंडरों की मांग करते हैं। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल-जून, 2005 की तिमाही में हम एक साथ 14.5 लाख अतिरिक्त रसोई गैस कनेक्शन जारी करने में परन्तु रसोई गैस की उपभोग वृद्धि को केवल 0.5 प्रतिशत तक नियंत्रित रखने में सफल रहे हैं।

अब, मैं मानता हूं कि यहां दुविधा की जड़ है। ऐसे वितरक हैं जो उन उपभोक्ताओं के गिरोह में होते है जो रसोई गैस का प्रयोग अन्य विशेषकर मोटर कारों में कराना चाहते हैं। उनके पास इस उद्देश्य के लिए सुविधाएं नहीं हैं। हमारे यहां बहुत खतरनाक हालात पैदा से रहे हैं जिनमें इस प्रकार का अन्यत्र उपयोग हो रहा है क्योंकि मैं मानता हूं कि इसके लिए अधिक पैसे का भुगतान किया जाता है और वितरकों तथा उनके गिरोह द्वारा विशेष प्रकार के उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है जिससे अन्य उपभोक्ताओं को नुकसान होता है। इसलिए, मेरी दलील है कि वास्तविक अर्थों में वितरकों को रसोई गैस की आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। किंतु हमें घरेलू रसोई गैस, जो कि भोजन बनाने के उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई जाती है, के अनाधिकृत उपयोग को रोक पाने में राज्य सरकारों के सहयोग की जरूरत है। इस भूमिका के विरुद्ध मेरा सभा में यह निवेदन है जहां गैस की कमी की कोई व्यवस्थित परेशानी नहीं है प्रासंगिक चर्चा के तौर पर गैस की कमी हो सकती है जो समय समय पर पैदा हो जाती है। मैं समझता हूं कि ये उदाहरण हैं... *(व्यवधान)*

[हिंन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : गाड़ियों को एलपीजी... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, उन्होंने कहा है कि मिस-यूज हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : ये ऐसे उदाहरण हैं जिनकी ओर दोनो माननीय सदस्यों द्वारा ध्यान आकर्षित कराया गया है और मैं उनका समाधान करना चाहता है।

जुलाई के माह में देश में समग्र 0.5 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले में हमने पांच प्रतिशत वृद्धि की है हमने कर्नाटक राज्य को आपूर्ति में पांच प्रतिशत वृद्धि की थी।

इसलिए, सिंद्धात रूप में ऐसा कोई कारण नहीं है कि किसी प्रमुख वितरक के सामने मोटर कारें क्यों जमा होती हैं और मैं समझता हूं कि यह ऐसा विषय है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं अन्य

[श्री मणि शंकर अय्यर]

प्रासंगिक मामलों, जो हमारे ध्यान में लाये गए हैं, से निपटने के बाद एक मिनट में उस मुद्दे पर आता हूं।

महोदय, हमने लदाख में एक बाटलिंग संयत्र लगाया है जिसका क्षमता 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। जैसे ही मानसून सत्र के समाप्त होने के तुरंत पश्चात्, में लदाख की यात्रा करने पर विचार कर रहा हूं और मैं पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति से संबंधित सभी मामलों पर अधिकारियों से चर्चा करूंगा क्योंकि जैसा कि सभा को ज्ञात है और हमने कुछ दिन पूर्व ही चर्चा की है कि लेह में विद्यमान सेना को अम्बाला डिपो से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की समस्या भी रही है। इसलिए, इसके साथ ही हम इस पर भी विचार करेंगे और सुधार करने का प्रयास करेंगे।

जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है तो मैंने केवल सामान्य आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि हम इसमें कितने समय में सुधार कर लेंगे। मुझे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण देते हुए खुशी हो रही है। महोदय, मुंबई में अधिकांश क्षेत्रों में वितरकों द्वारा होम डिलीवरी बहाल कर दी गई है। तथापि, गोरेगांव, दहीसर, कुरला और भांडय के बीच बाजारों में पश्चिमी उपनगरों में और वसई। विराट और भमदंर बाजार क्षेत्रों में भी 5 दिन का बैकलॉग हैं अन्य बाजारों में दिन का बैकलांग है।

जहां तक शोलापुर का संबंध है तो बैकलॉग दो से तीन दिनों का है और कोल्हापुर में सात से आठ दिनों का बैकलॉग हैं सांगली में पांच दिनों का बैकलॉग है; सतारा में दो से तीन दिनों का बैकलॉग है; और पुणे में सात दिनों का बैकलॉग है। नासिक में लगभग तीन दिनों का औसत बैकलॉग है। अन्य क्षेत्रों और जिलों में कोई बैकलॉग नहीं है।

सम्पूर्ण बैकलॉग 3,000 मी. टन का प्रतीत होता है और हमने हजीरा, जामनगर, गंधार, वगोडिया विजयपुर तथा कांडला से महाराष्ट्र के रसोई गैस के बाटलिंग संयत्रों में थोक में रसोई गैस ले जाने के जो अच्छे प्रबंध किए हैं उनसे तथा तात्कालिक आधार पर मैसर्स एजीज से 2,000 मी.टन और अगले दो माह के भीतर 8,000 मी. टन तक का आयात की व्यवस्था करने से हमें आशा है कि हम उस कमी को पूरा कर पायेंगे जो उस क्षेत्र में वर्षा के कारण अस्थाई तौर पर हुई है। इसी हालत में हम महाराष्ट्र में अगले 10 दिनों में सामान्य स्थिति बहाल करने की उम्मीद करते हैं।

जहां तक मणिपुर का संबंध है हम बराक घाटी से जिराबाम से होते हुए मणिपुर के घाटी क्षेत्रों, जहां भारी कमी प्रतीत होती है में वह रसोई गैस ले जाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं जो सामान्यत: मणिपुर के लिए निर्धारित नहीं थी। किंतु बार-बार की बाधाओं और उस क्षेत्र में सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण जिसका सभा को अच्छी तरह पता है, हम कार्यों को उतना जल्दी नहीं कर पा रहे हैं जितना हम चाहते हैं। हमारा अनुमान है कि राज्य में बैकलॉग 1,578 मी.टन का है और अगले 20 से 30 दिनों में मुझे आशा है कि हम इसका समाधान कर लेंगे। जब नागा छात्रों के साथ समस्या का समाधान हुआ था तो हमने सोचा था कि वास्तव में हम चलकर समस्या का समाधान कर लेंगे परन्तु बीच में ही यह दूसरा बंद हो गया और यह आपूर्ति में बाधा पहुंचा रहा है।

मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि प्रासंगिक व्यवधानों को व्यवस्थित व्यवधान न समझें। मुझसे इस मामले में एक विशेष जांच कराने के लिए कहा गया हैं कुछ कमियां उन बहुत महत्वपूर्ण कार्यों का परिणाम है जो हमें अन्यत्र उपयोग को नियंत्रित करने के लिए करने चाहिए विशेषकर आज घरेलू रसोई गैस पर सरकार और तेल विपणन कंपनियों द्वारा दी जा रही राजसहायता 200 रुपए प्रति सिलिंडर हैं लगभग 200 रुपए प्रति सिलिंडर की राज सहायता का भुगतान किया जा रहा हैं मेरा भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से अनुरोध है कि सर्वहारा पार्टी के रूप में सर्वहारा वर्ग के हितों को मध्यम वर्ग, जो कि रसोई गैस का बड़ा उपभोक्ता वर्ग हे, के हितों के साथ तौलें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने मित्रों कामरेड कृष्णदास और कामरेड बसुदेव आचार्य की पार्टी का मध्यम वर्ग की पार्टी में बदलते हुए देखना अच्छा नहीं लगेगा। कृपया इस मुद्दे पर व्यापक नजरिये से ध्यान दें और वास्तव में गरीब लोगों को सस्ती कीमतों में केरोसीन की अधिक मात्रा की आपूर्ति जारी रखने में हमारी मदद करें भले ही इसका अर्थ रसोई गैस के मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं पर भार में कुछ वृद्धि करनी पड़े...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किंतु ये कमी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास : केरल में पूरा कामकाजी वर्ग केवल बुकिंग गैस का प्रयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मंत्री महोदय क्या आपने अपनी बात समाप्त कर ली।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं तुरंत बैठ गया क्योंकि यह चाहते थे कि मैं बैठ जाऊं। वास्तव में मैंने अपनी अधिकांश बात समाप्त कर ली है। मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूं कि ओ एम सी रिपोर्ट ने अपने कार्य निष्पादन के बारे में जो कहा है उसके साथ-साथ मेरे मंत्रालय द्वारा भी स्थिति की निगरानी रखना जरूरी है। और मैं अगले सत्र में सभा में वापस आऊंगा और स्पष्ट करूंगा कि इस संबंध में आगे और क्या किया जा रहा हैं धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब आपके सुझाव पर श्री आचार्य को प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है।

अपराह्न 1.01 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) सभा के सत्र के दौरान संसद के बाहर सरकार द्वारा वायुयान अपहरण निरोधक नीति की कथित घोषणा के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, हम 'अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले' लेंगे। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने ही दल के नेता की बात में व्यवधान उत्पन्न न कीजिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, वाम के लिए आपकी चिंता बहुत प्रशंसनीय है।

(व्यवधान)

[हिंन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, संसद का सत्र चल रहा है और लोकसभा का सत्र भी चल रहा है जो 25 जुलाई से शुरू होकर अभी तक चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, 14 अगस्त की रात को कैबिनेट ने एंटी हाईजैक पॉलिसी का फैसला किया है एंटी हाईजैक पॉलिसी क्या हे, इसके बारे में उसी रात लीडर ऑफ दि हाउस ने और गवर्नमेंट के स्पोक्समैन ने सार्वजनिक रूप से सबको बताया। नियम और सिद्धांत यह है कि अगर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट करनी हो तो लोकसभा या राज्यसभा का सत्र चल रहा हो तो उसके अंदर उसकी घोषणा की जानी चाहिए। 14 अगस्त के बाद 16 और 17 तारीख को हाउस की बैठक हुई और आज 18 तारीख है, लेकिन एक दिन भी सरकार ने यहां आकर बताना मुनासिब नहीं समझा कि हाईजैक पॉलिसी क्या है जबकि वहां पब्लिक में जाकर और टेलीविजन पर लीडर ऑफ दि हाउस ने बताया और स्पोक्समैन ने भी बताया। वैसे तो पॉलिसी का मामला ऐसा है क्योंकि इसके बहुत से कांसिक्वेन्सिस हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण हैं अगर सरकार चाहती तो सभी पार्टियों के लीडर्स से बात कर लेती, तो यह अच्छा होता। उसके अलावा हाउस में आकर पूरे विषय के बारे में जानकारी देती। मैं पॉलिसी के मैरिट में नहीं जाना चाहता ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी सराहना करता हूं; साधारणतया ऐसा केवल इसी प्रकार किया जाना चाहिए।

[हिंन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं इसलिए मैरिट में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसमें कहा गया है कि यदि सिविल एयरक्राफ्ट मिसाइल बनकर जाएगा तो उसे शूट कर दिया जाएगा। इस तरह से कुछ और बातें भी हैं, हो सकता है वे अच्छी हों, देशहित में हों परन्तु हमें जानकारी नहीं है। यह हाउस की प्रिविलेज है और प्रोपरायटी का सवाल है, इसलिए ऐसा कोई भी नीतिगत फैसला हाउस में पहले होना चाहिए, बाद में बाहर जाना चाहिए। हमें समाचार पत्रों से या किसी और माध्यम से मालूम नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

महोदय क्या आप कोई निदेश देना चाहते है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि साधारणतया सत्र के दौरान नीतिगत निर्णयों की घोषणा यहां सभा में की जानी चाहिए, और इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं इसे विस्तार से देखूंगा।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिजय हान्डिक) : मैं संबंधित मंत्री जी को माननीय सदस्य की भावनाओं से अवगत करा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : कल, हमारे पड़ोसी देश बंगलादेश के 63 जिलों में से 62 जिलों में 400 विस्फोट हुए। लोग मारे गए और बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। ये घटनाएं हमारे पड़ोसी देश में उभर रहे कट्टरपंथी आतंकवाद के उभरने का संकेत हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमें किसी दूसरे देश पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम एक मित्र देश हैं। हमें उनके आंतरिक मामलों में नहीं जाना चाहिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं उसपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि सरकार ने बंगलादेश के बारे में क्या कहा है। यह वहां उभर रहे कट्टरवादी आतंकवाद का संकेत है। यह हमारे लिए एक गंभीर चिंता का विषय है और यह निश्चित रूप से बंगलादेश के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि हमारे देश की सीमा का एक बहुत बड़ा भाग बंगलादेश से जुड़ा हुआ हैं ऐसी शिकायतें मिली है कि सीमा के उस पार बहुत से प्रशिक्षण शिविर हैं जिन्हें वहां की सरकार ने अनदेखा किया है; उनकी जांच करना उनके ऊपर है। मेरी चिंता क्या है? मेरी चिंता यह है कि वहां से भारत में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के रास्ते कट्टरवादी आंतकवाद की घुसपैठ हो सकती है। हम बहुत चिंतित हैं क्योंकि हम उस राज्य से आते हैं। उस राज्य की सरकार ने भी चिंता व्यक्त की है। राजनैतिक दल भी चिंतित हैं। अभी प्रश्न यह है कि सीमा की भली भांति सुरक्षा किए जाने की आवश्यकता है और सीमा की रक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी और सुरक्षा दल उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

मेरी एक बहुत छोटी और बहुत महत्वपूर्ण शिकायत है। कुल मिलाकर केवल यह अनुरोध है कि भारत-बंगलादेश सीमा की अच्छी तरह से सुरक्षा की जानी चाहिए। भारत सरकार इस कार्य हेतु पर्याप्त कर्मी उपलब्ध नहीं करा रही है। वहां जो कुछ हो रहा है उसके बाद हम आतंकवादी गतिविधियों से घिर गए हैं। कुछ दिन पहले ही हमने देखा है कि श्रीलंका में क्या हुआ है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? इसलिए मैं भारत सरकार से यह अपील करता हूं कि कल जो कुछ बंगलादेश में हुआ उस पर ध्यान दे, उससे समुचित सीख ले और यह सुनिश्चित करे कि आतंकवादी शिविर समाप्त किए जाएं तथा भारत की पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बंगलादेश से लगती हुई सीमा की अच्छी तरह से सुरक्षा की जाए तथा वहां तत्काल सुरक्षा बलों की आवश्यक टुकड़ियां भेजी जाएं।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रबोध पाण्डा स्वयं को इससे सम्बद्ध करना चाहते हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, यह एक गंभीर मामला हैं हम स्वयं को इससे सम्बद्ध करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभी नाम, सर्वश्री प्रबोध पाण्डा, लक्ष्मण सेठ और रामचन्द्र डोम, जो भी स्वयं को इससे सम्बद्ध करना चाहते हैं उनके विचार कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किये जाएंगे।

(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, आप कम से कम सरकार को हमारी भावनाओं से अवगत करा दें।

अध्यक्ष महोदय : सरकार यहां है।

(व्यवधान)

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : महोदय, सरकार को प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से वक्तव्य देने की अभी कोई संभावना नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम सभी अपनी सीमा की रक्षा के प्रति चिंतित हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार इसपर ध्यान देगी।

(व्यवधान)

डा. रामचन्द्र डोम : महोदय, सरकार को उत्तर देने दें।

अध्यक्ष महोदय : वे पहले ही संसदीय कार्य में उलझे हुए हैं। उनकी उलझन और मत बढ़ाइए।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, कृपया हमारी भावनाओं से सरकार को अवगत करा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर देना चाहते हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्डिक) : महोदय, यह दूसरे देश का मामला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है और इसीलिए मैंने इसे यहां उठाए जाने की अनुमति दी है। इसे ध्यान में रखना सरकार का कर्त्तव्य है।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची) : महोदय, एम.डी.एम.के. जिसके नेता हमारे विख्यात थीरु वैको हैं, की ओर से मैं सरकार का ध्यान समग्र रूप से तमिलनाडु के विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र पोल्लाची के नारियल उत्पादकों के सामने आ रही समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

गत तीन वर्षों से मानसून असफल रहा है और वहां वर्षा नहीं हुई जिसके परिणामस्वरूप नारियल की फसल बहुत कम हुई थी। इस वर्ष भारी वर्षा के कारण नारियल की फसल तो अच्छी हुई परन्तु कोपरा और नारियल का मूल्य गिर गया है। नारियल 2 या 3 रुपये प्रति नग और कोपरा 30 रुपये प्रति किलो बेचा जाता हैं मैं इतने कम मूल्य के कारण की जांच करने बाजार गया मुझे पता लगा कि ऐसा खली, जिसका पशु और कुक्कुट आहार के ब्रान्ड के अन्तर्गत आयात किया जाता है, को पुन: पेरा जाता है और उससे तेल निकाला जाता है। इस खली में 70 प्रतिशत तक तेल होता है। इस प्रकार हमारे देश में तेल की तस्करी हो रही है और इसके परिणामस्वरूप हमारे नारियल उत्पादकों द्वारा उत्पादित तेल का मूल्य बहुत कम हो गया है। नारियल भी काफी कम कीमत पर बेचा जा रहा है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि तेल रहित खली के आयात की उचित जांच करके इसे विनियमित किया जाए।

मेरा आग्रह है कि खाद्य तेल का आयात प्रतिबंधित हो और नारियल के निर्यात की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, तीन साल और चार महीने पूर्व न्यायमूर्ति नानावटी की अध्यक्षता में गुजरात दंगों की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया था। परन्तु इसने अभी अपना प्रतिवेदन नहीं दिया हैं इसी बीच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री कुमार ने दो शपथपत्र दाखिल किये है जिसमें उन्होंने कहा है कि ...*(व्यवधान)** वह इसमें प्रत्यक्षत: शामिल था।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कह सकते। आप ये बता सकते है कि उन्होंने आरोप लगाये हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने यह आरोप लगाये हैं क्योंकि उन्हें सरकार से निदेश मिला था कि अपराधियों को संरक्षण मिलना चाहिए, जिन लोगों ने अपराध किया है और 2000 से अधिक लोगों की हत्या की है उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न की जाए। लोगों को जिन्दा जलाया गया। भारत के उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी गुजरात सरकार पर आरोप लगाया हैं गुजरात के लोगों के संबंधी इसमें मारे गये है। बहुत से बच्चे अनाथ हो गए है। अभी भी लगभग 61,000 लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। उन्हें न्याय नही मिला है। न्याय में देरी का मतलब है न्याय न मिलना। इसमें और देर नही होनी चाहिए। आयोग को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि यह अपराध किसने किया है और कौन लोग इन 2000 लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है।

अध्यक्ष महोदय : आप न्यायिक आयोग को आदेश नही दे सकते।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरी मांग यह है कि भारत सरकार देखे कि यह आयोग गुजरात दंगे के संबंध में शीघ्र अपना प्रतिवेदन दे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आयोग को निदेश नही दिया जा सकता। मैं आपसे सहमत हूं। आप केवल इतना कह सकते है कि यह निर्धारित अवधि के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

श्री बसुदेव आचार्य : उस अपराध में शामिल और मानवता के विरुद्ध उस अपराध के उत्तरदायी लोगों को सजा मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सभा 2 बजकर 10 मिनट पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है। तब हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पर चर्चा करेंगे।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.10 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 2.11 बजे

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक, 2004

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 15 अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पर चर्चा करेगी। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह कहां हैं? मुझे आशा है कि वे बेरोजगार नहीं हैं।

[हिंदी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : माननीय मंत्री जी आ गए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे पूरी तैयारी के साथ आ रहे है

(व्यवधान)

[हिंदी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्द्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यसूची में भी 'अवयस्क' शब्द लिखा है जबकि 'वयस्क' होना चाहिए। मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं?

[हिंदी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के ऐतिहासिक बिल को इस सदन में इंट्रोडयूस करने, स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के बाद प्रतिवेदन प्राप्त करने और इस सदन में विचार तथा पारित करने के लिए आपने कृपा कर अनुमति दी। इसके बाद मैं हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता खासकर गांव-देहातों के 72 करोड़ गरीब लोगों की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी को तथा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, कोटि-कोटि ज़िन्दाबाद बोलना चाहता हूं कि इस तरह के ऐतिहासिक, ग्रामोन्मुखी, गरीबोन्मुखी तथा इतिहास का निर्माण करने वाले विधेयक को लाने के लिए प्रेरित किया, मंजूरी दी और हमें प्रोत्साहन दिया। हम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री कल्याण सिंह जी और उस समिति के सभी सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने गहन छानबीन करके अनुशंसा की जिससे हमें इस विधेयक को लाने और मंजूर कराने में बल मिला। महोदय, हम इस सदन के नेता श्री प्रणव मुखर्जी को इस विधेयक से संबंधित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष थे, उनके प्रति और उनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने गंभीर चिन्तन, बहस, मंथन और विचार-विमर्श के बाद इस विधेयक को और सबल तथा मजबूत बनाने का प्रयत्न किया, सहायता की और प्रोत्साहन दिया। हिन्दुस्तान के वामपंथ के सभी नेता, कॉमरेड और दोस्तों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से इस विधेयक को लाने में मदद की और मार्गदर्शन किया। हमारे यूपीए के सहयोगी सदस्य समाजवादी पार्टी और बीएसपी के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : आपको हमारी याद भी आ ही गई।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप सभी ने इंतजार किया कि कब विधेयक आ रहा है और जल्दी से इस विधेयक को पारित करना चाहिए। इसके लिए मैं पूरे सदन के प्रति आभार प्रकट करता हूं। सभी माननीय सदस्यों ने इसे पारित करने के लिए विशेष रुचि ली है। लोगों ने जागरूकता से प्रयत्न किया है कि यह विधेयक आए और मंजूर हो।

महोदय, मई, 2004 में यूपीए सरकार बनी, तो नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हिन्दुस्तान की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बनाया गया और हिन्दुस्तान में जो समस्यायें हैं, उनका समाधान करने के लिए नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया गया। उसके प्रति हम वचनबद्ध हैं और उस प्रोग्राम की यूएनओ के लोगों ने भी प्रशंसा की है और देशव्यापी और विश्वव्यापी स्तर पर उसकी प्रशंसा हुई है। उसके तहत नंबर एक पर हमारा कमिटमेंट हिंदुस्तान की दो प्रमुख समस्याओं का समाधान करना था, जो हिंदुस्तान के माथे पर कलंक हैं- बेरोजगारी और गरीबी। इन दोनों समस्याओं के खिलाफ किस तरह हमला किया जाए, इसके बारे में नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए प्रयास किया गया और बेरोजगारी को हटाने के लिए गांवों से जो व्यक्ति काम की खोज में शहरों की ओर पलायन करते हैं, उनके पलायन को रोकने के लिए और गांवों में लोगों को रोजगार देने के लिए एक परिवार में कम से कम सौ दिनों के रोजगार की गारंटी निश्चित करने का प्रयास किया है। उन्हें रोजगार का कानूनी अधिकार दिया जाए। काम के अधिकार के प्रति यह सबसे बड़ा कदम है और गरीबी और बेकारी के खिलाफ युद्ध और महायुद्ध में सबसे बड़े हथियार के रूप में ऐतिहासिक नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी कानून काम आएगा। गांव-गांव में इस बात की चर्चा है कि अब गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब यहीं हमें काम मिलेगा। यूपीए की सरकार ने इसे कानून बनाने का काम किया है, जिस कानून के तहत हमें अधिकार होगा कि एक परिवार में कम से कम सौ दिनों के काम की गारंटी हो। इसका विवरण हम दे रहे हैं। हिन्दुस्तान की समस्याएं क्या हैं, श्री गोपाल सिंह नेपाली की कविता की कुछ पंक्तियों को मैं सदन को बताना चाहता हूं:

दिन गए बरस गए यातना गई नहीं, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रहीं,
श्याम की बंसी बजी राम का धनुष चढ़ा,
बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा
निर्धनता गई नहीं, निर्धनता गई नहीं।

महोदय, हिंदुस्तान की क्या परिस्थिति है? एक से एक महान लोग आए, लेकिन निर्धनता, गरीबी, बेकारी अभी भी हमारे देश में मौजूद हैं। इसका एक कारण है, श्री मल्होत्रा जी यहां बैठे हुए हैं, राजकवि श्री दिनकर जी ने कहा है कि—

"श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे इठलाते हैं,
मां की छाती से चिपक-चिपक, बच्चे जाड़े में अकुलाते हैं।

इसकी अगली पंक्ति इस प्रकार है—

"दूध ही दूध हो, तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं,
हटो व्योम से मेघ पंथ, स्वर्ग लूटने हम आते हैं।

महोदय, जब तक गैर-बराबरी नहीं मिटेगी और गरीबों की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, तब तक गांव से गरीबी और बेरोजगारी कैसे हट सकती है? इसलिए इस तरह का विधेयक लाने का काम किया गया है। हमारे कामन मिनिमम प्रोग्राम में पुअर हाउस होल्ड था अब पुअर को हमने हटा दिया है। लोगों की मांग से, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटी आदि तमाम लोगों के सुझाव से हम सहमत हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने कहा कि नहीं पुअर हाउसहोल्ड ही नहीं बल्कि एवरी हाउसहोल्ड। किसी परिवार का कोई भी आदमी जो काम मांगने आएगा, उसे 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत फूड फॉर वर्क कार्यक्रम की शुरूआत राजसत्ता में आने के बाद सातवें महीने में, 14 नवम्बर, 2004 को पं. जवाहर लाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर आंध्रप्रदेश के रंगा जिले से प्रधान मंत्री जी द्वारा की जा चुकी है। उसके बाद यह ऐतिहासिक विधेयक आया है। मैं इस विधेयक को ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब से 14-15 वर्ष पहले जब स्व. राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे, तब उनके समय में वह मशहूर विधेयक, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतीराज का आया था। उसके माध्यम से पंचायतीराज को मुकम्मल करने, पांच वर्ष के अंदर अनिवार्य रूप से वोट के द्वारा पंचायत का चुनाव करने का नियम बनाया गया था। उसके तहत देश भर में 30 लाख चुने हुए प्रतिनिधि पंचायतराज के हैं। इसमें एक-तिहाई महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग भी हैं। पंचायतीराज की मजबूती के लिए देश भर में संविधान की धारा 243 में संशोधन कर के मुकम्मल किया गया कि हिन्दुस्तान में पंचायतीराज को बल दिया जाए। स्व. राजीव गांधी जी का सपना था, जिसके तहत 73वां संविधान संशोधन विधेयक आया, पारित हुआ और लागू हुआ।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

महोदय, मैंने इसलिए इसे ऐतिहासिक विधेयक कहा है क्योंकि जब से ग्रामीण विकास मंत्रालय का निर्माण हुआ है, तब से यह दूसरा विधेयक है। पहला विधेयक पंचायतीराज का था दूसरा राष्ट्रीय ग्रामीण निर्जोयन गारंटी विधेयक, 2004 है, जो आज आपके सामने विचार हेतु प्रस्तुत है। ग्रामीण विकास विभाग, गरीबों का विभाग है। इसमें कानून बनाने की अधिक गुंजाइश नहीं है। इसलिए इस विभाग को जो भी विधेयक बन रहा है, वह गांव के भले के लिए, गरीबों की सहायता के लिए, गरीब को छूने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए बन रहा है। इसीलिए हमने इसे ऐतिहासिक विधेयक कहा है।

महोदय, लोगों ने मांग की है कि इसे पूरे देश में लागू किया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि फूड फॉर वर्क कार्यक्रम देश के 150 जिलों में चल रहा हैं इसमें 50 जिले और जोड़कर इसे 200 जिलों में चलाया जाएगा। देश भर में 600 जिले हैं। पूरे देश में इसे पांच साल के अंदर चलाया जाएगा। इसके अंदर जो प्रावधान किया गया है, उसके जरिए गरीबों को रोजगार की गारंटी पूरे देश भर में दी जाएगी। ऐसा मौका नहीं आने दिया जाएगा कि बेरोजगारी भत्ता पड़े, लेकिन यदि खुदा-न-खास्ता ऐसा मौका आ भी जाए, जब किसी परिवार का कोई आदमी काम मांगने आए और उसे 15 दिन रोजगार उपलब्ध न कराया जा सके, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते की मात्रा कितनी होगी, अब मैं वह बताना चाहता हूं। एक साल में 100 दिन के रोजगार की जो मजदूरी होगी, उतना बेकारी भत्ता उसे बैठे-बैठे दिया जाएगा। इसलिए इसके कार्यान्वयन में पंचायतीराज की प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर अहम भूमिका होगी। जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, उन्हें मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने, योजनाओं का चयन करने, काम को मंजूरी देने का काम सौंपा गया है। उन्हें असिस्ट करने के लिए एक प्रोग्राम आफीसर बहाल होगा। जिसके चलते उसका कार्यान्वयन किया जायेगा। यह हुआ कि इसमें मजदूरी क्या मिलेगी। मजदूरी देश भर में भिन्न-भिन्न है, 40 रुपये भी है, 50 रुपये भी है और 134 रुपये भी है, सभी तरह की मजदूरी है। हमने ओरिजनल बिल में कहा था कि स्टेट में जो मिनिमम वेज है, उसी को हम लागू रखेंगे, लेकिन सभी लोगों से विचार-विमर्श के बाद हुआ कि नहीं, देश भर में एक तरह का मिनिमम वेज 60 रुपये एक दिन की मजदूरी को लागू किया जाये, वह हम संशोधन में लाये हैं और न्यूनतम मजदूरी 60 रुपये होगी, उससे कम नहीं होगा। देश भर में हम एक मजदूरी देंगे, इसका प्रावधान संशोधन में किया गया है।

आगे हुआ कि कौन-कौन से काम इसमें लिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में पानी के सवाल पर कमेटी का गठन हुआ है। उस दिन प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण कर रहे थे कि पानी के सवाल पर देश में जबरदस्त संकट आने वाला है, इसलिए टॉप प्रायरटी वाटर कंजर्वेशन को, ड्राउट प्रूफिंग को, फ्लड प्रूफिंग को, फोरेस्ट्री को, इर्रिगेशन को, नहर बनाने को दी गई है, यह सभी उसमें हैं, इसमें सभी तरह का काम होगा। इससे भी अधिक काम छूट जाये तो राज्य सरकार के परामर्श से और नया काम भी उसमें जोड़ा जा सकता है, लेकिन गांवों को रोजगार मिलना है, गांव के गरीबों को रोजगार मिलना है, किसी भी हालत में देना है, इस तरह का प्रावधान इसमें किया गया है।

फिर सवाल हुआ कि उसमें स्टेट के कंसलटेशन से केन्द्र सरकार उसमें नये काम को भी जोड़ने का काम है। किस जमीन में काम होगा, सरकारी जमीन में काम होगा। कहा कि नहीं, केवल सरकारी जमीन में ही नहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जमीन में भी काम हो सकता है। कहा कि नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, फिर लैंड रिफार्म्स के अधीन जो लाभार्थी हैं, जिनको 1-2 एकड़ जमीन मिलती है, उसमें भी काम होगा। इस तरह से इन्दिरा आवास योजना के लोग, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो उसके हकदार हैं, उनकी जमीनः में भी काम का प्रावधान किया गया है। किसी व्यक्ति को किसी भी हालत में काम की कमी नहीं होने पाये, लोगों को मजदूरी भी मिले, साथ ही साथ परमानेंट असेट्, स्थायी सम्पत्ति का भी सृजन हो, जिससे ससटेनेबल एम्पलायमेंट जनरेशन हो, उसके लिए इसमें प्रावदान किया गया है।

इसके आगे इसमें नियंत्रण, निगरानी की बात है। कहा गया कि फंड की कमी हो जायेगी। फंड की कमी नहीं होने दी जायेगी। इसमें स्टेट गारण्टी फंड का प्रावधान किया गया हे, उसमें फंड नहीं घटने देंगे। राज्य सरकारों को आशंका थी कि फंड घट जायेग, कहीं काम में देर हो जायेगी, अनएम्पलायमेंट एलाउंस हमको देना है तो फिर राज्य सरकार को पैसा देने में विलम्ब के चलते हमको अनएम्पलायमेंट एलाउंस देना पड़ेगा। कहा गया कि नहीं, हम एटार्नी फंड का एडवांस पैसा भुगतान करेंगे, राज्य में जमा रखेंगे, पैसे की कमी नहीं होने दी जायेगी और यदि हो जायेगी, यदि कहीं किसी भी हालत में कमी हो जाये तो रूल मे हम प्रावधान करेंगे कि हम उसका राज्य को दण्ड नहीं लगने देंगे, उसका कम्पेंसेशन भी हम देंगे। राज्य सरकार को हम घाटा उसमें नहीं लगने देंगे, उन पर बोझ नहीं बढ़ने देंगे, इसलिए कि यह जो ऐतिहासिक कानून गरीबों के लिए बनने जा रहा है, इस कानून

को लागू करने में हमें राज्य सरकारों का सहयोग चाहिए, पंचायती राज इंस्टीटयूशंस का, देश के तमाम बुद्धिजीवी, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री लोगों का, एन.जी.ओज. का, जितने लोग हैं, सभी के सहयोग और समर्थन की जरूरत है, क्योंकि यह गांव और गीरब का विषय है। बिना सत्र के सहयोग के यह काम नहीं होगा। निगरानी के लिए तमाम माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए। इसमें प्रावधान किया गया है, जब गांव में जाने का सवाल उठता है, जाने का बराबर सवाल उठता है, पैसा कहां से आयेगा। नम्बर एक यह सवाल उठता है कि पैसा कहां से आयेगा। कुछ लोगों का प्राण छूट रहा है कि पैसा कहां से आयेगा। देश कहां के पैसे से कैसे चलता हे, 70-72 करोड़ लोग 6 लाख गांवों में बसे हुए हैं। उनकी हिस्सेदारी हिन्दुस्तान के खजाने में है। लेकिन लोग कहते हैं कि पैसा कहां से आयेगा। यह चौड़ी छाती और बड़े दिमाग का काम है। इंडिया शाइनिंग से हिन्दुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से तीन-चार दिन पहले ऐलान किया था कि रोजगार बढ़ाओ, गरीबी हटाओ। केवल नारे से ही रूरल इंडिया का विकास नहीं होगा। जबानी जमा खर्च से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को ऐलान किया और आज आपके सामने रोजगार गारंटी विधेयक आ गया है। पिछले वर्षों का बजट मैंने देखा है दो हजार करोड़ रुपये, चार हजार करोड़ रुपये। यूपीए की सरकार आयी और ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट पिछले साल 16 हजार करोड़ रुपये था, इस साल 16 से बढ़ाकर 24 हजार करोड़ रुपये हो गया है। लोग कहते थे कि रोजगार गारण्टी विधेयक के लिए बजट कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? दूसरा सवाल है, पैसा गांव में जाता है, लेकिन खर्च नहीं होता है, उसमें हेरा-फेरी होती है। इस विधेयक में भ्रष्टाचार और हेराफेरी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। स्ट्रीक्ट विजिलेंस, लोगों की भागीदारी और पारदर्शिता तीन सूत्री फार्मूले को इसमें अपनाया गया हैं इसके साथ ही तमाम माननीय सदस्यों का सहयोग भी इसमें चाहिए, उनके दिशा-निर्देश चाहिए, सत्र की सक्रिय भागीदारी चाहिए। जो पैसा यहां से जाएगा, उसकी पाई-पाई गांव के गरीब के हाथ में जाएगी। इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है। इसमें पंचायतों की भी जिम्मेदारी होगी। ग्राम सभा को भी इसमें अधिकार दिया गया है, क्योंकि यह एक कंस्टिटयूशनल बॉडी है। धारा 343 में ग्राम सभा के बारे में कहा गया है। लाख दुखों की एक दवा ग्राम सभा। ग्राम सभा भंग नहीं की जा सकती है लोक सभा और विधान सभा भंग हो सकती है लेकिन ग्राम सभा को भंग करने का प्रावधान नहीं हैं वह अजय-अमर संस्था हैं ग्राम सभा गांव की असेम्बली है। उसमें सामाजिक भागीदारी का प्रावधान हैं इसमें कोई हेराफेरी न हो सके, गांव में सही ढंग से पैसा गरीब के पास पहुंच सके। परमानेन्ट एसट्स का सृजन हो। उसकी गुणवत्ता में कोई खराबी न आए। महात्मा गांधी जी का कहना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। हिन्दुस्तान गांवों में बसता है। जब तक गांव में समृद्धि नहीं आएगी तब तक वर्ष 2020 का सपना पूरा नहीं हो सकता है। वर्ष 2020 तक हिन्दुस्तान दुनिया के देशों की अगली पक्ति में आने का सपना देखता हैं जब तक हमारे गांवों का विकास नहीं होगा तब तक हम दुनिया के अगले देशों की पंक्ति में नही आ सकते हैं। बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ जंग नहीं महाजंग की जरूरत है और यह उसकी तरफ एक ठोस कदम है। इसमें एक प्रोग्राम अफसर भी होगा जिला पंचायत के लोग उसकी देखभाल और निगरानी के लिए रहेंगे। जो 50 मजदूर छूटेंगे, उन्हें अनिवार्य रूप से काम दिया जाएगा। गांव के सर्वांगीण विकास की एक योजना बनी हुई है, एक पर्सपेक्टिव प्लान बना हुआ है। फूड वार वर्क के तहत जो एक्शन प्लान बना हुआ है, उसके आधार पर काम की कमी नहीं होने दी जाएगी। उसमें पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी और इम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून लागू किया जाएगा। इसमें सबके सहयोग की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदस्यों की बात तो सुनिए।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम सदन से प्रार्थना करते हैं कि इस ऐतिहासिक विधेयक पर सदन में गंभीर बहस करके इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए। गांवों में यह संदेश चला जाए कि रोजगार गारंटी कानून आ गया और यूपीए सरकार की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो वचनबद्ध है, हमने उसे कार्यान्वित किया। इससे गांवों का विकास नहीं रुकेगा, गांवों की समृद्धि नहीं रुकेगी, देश में बेकारी, बेरोजगारी और गरीबी नहीं टिकेगी। इसमें बहुत विघ्न आ सकती हैं और आती हैं।

राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है-

वसुधा का नेता कौन हुआ
भूखंड विजेता कौन हुआ
अतुलित यशक्रेता कौन हुआ
नवधर्म प्रणेता कौन हुआ
जिसने न कभी आराम किया
विघ्नों में रहकर काम किया
गरीबों के लिए संग्राम किया
रोजगार कानून को अंजाम दिया।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

इम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून जिन्दाबाद, ग्रामीण विकास और ग्रामीण समृद्धि जिन्दाबाद, जिन्दाबाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर वर्द्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

श्री कल्याण सिंह (बुलन्दशहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े सम्मान के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। वैसे मैं इस लोक सभा में पहली बार कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे ऐसा लगा रहा है कि यूपीए की चेयरपर्सन माननीय श्रीमती सोनिया गांधी भी आज पहली बार लोक सभा में बोलेंगी। यह संयोग ही है।

मैं स्वीकार करता हूं कि सरकार की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक प्रस्तुत हुआ है। मैं मंत्री जी को दो बातों के लिए बधाई देना चाहता हूं। करीब पचास वर्षों के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। मैं केवल आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, केवल अपनी बात कहना चाहता हूं। पिछले 58 वर्षों में से शायद 45-50 वर्षों तक कांग्रेस का ही शासन रहा है आज जो देश की स्थिति है, गांव आज उजड़े हैं, पिछड़े हुए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह सही बात पहले से क्यों नहीं स्वीकार की गई कि जब तक देश के गांवों में रहने वाली तीन-चौथाई आबादी का उत्थान नहीं होगा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप चेयर को ऐड्रैस कीजिए।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह : मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि 45-50 वर्ष के बाद ही सही, लेकिन सही दृष्टिकोण अपनाया है। दूसरी बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूं कि अभी तक कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नारे से देश को भ्रम में डाल रखा था। इसके आधार पर चुनाव लड़ा और जीता भी गया। आम पब्लिक समझ ही नहीं पाई कि इस नारे का अर्थ क्या है। मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने आज स्वीकार किया है कि गरीबी हटाओ का नारा लगाने से गरीबी नहीं हट सकती। वह चीज हटती है, जो होती है। गरीबी अपने में कुछ नहीं है। गरीबी तो किसी चीज का नतीजा है। गरीबी बेरोजगारी का नतीजा है जिस हाथ को काम मिल जायेगा, उसकी जेब में दाम आ जायेगा, और उसके आंगन में खुशहाली आ जायेगी। जो हाथ खाली रह जायेगा, उसकी जेब खाली रह जायेगी, और उसके आंगन में कंगाली आ जायेगी। इसलिए यदि गरीबी मिटानी है, तो इस देश में जो भयंकर बेरोजगारी है, वह मिटानी होगी।

अध्यक्ष महोदय, यह जो ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल आया है, वह उस दिशा में एक कदम है, इसे मैं स्वीकार करता हूं आपने कहा कि यह बिल बड़ा ऐतिहासिक है। मैं मानता हूं कि यह बिल ऐतिहासिक है क्योंकि यह पहली बार आ रहा है। आपने कहा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नही है। यह बिल महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको ऐतिहासिक बनाने, महत्वपूर्ण बनाने, कारगर बनाने, बेहद प्रभावी बनाने और बेरोजगारी की इस विकराल समस्या का निदान करने के लिए इस बिल में जो कुछ आना चाहिए था। उसमें कुछ न कुछ खामियां, कुछ न कुछ कमजोरियां रह गयी हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से यह बिल हमारी स्थायी कमेटी के सामने आया था। इस पर स्टैंडिंग कमेटी ने पब्लिक, विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और राज्य सरकारों से इंटैरेक्शन किया और उसके आधार पर हमने 33 मुद्दों पर विचार करके 53 संस्तुतियां दीं। मुझे इस बात का फख्र है कि उस कमेटी की सारी संस्तुतियां और पूरी रिपोर्ट सर्वसम्मत है। किसी भी मुद्दे पर दो राय नहीं है। मैं आशा करता था कि कमेटी की इस सर्वसम्मत रिपोर्ट को सरकार महत्व देगी। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि चंद छोटी-छोटी चीजों के अलावा जो संस्तुतियां आर्थिक नीति पर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक नीतियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सकती हैं, मेजर चेंजिस ला सकती हैं, उनकी उपेक्षा कर दी गयी।

अध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि यह बिल बिना पूर्व तैयारियों के साथ पेश हुआ है इसके लिए तैयारियां चाहिए थी। मेरी जानकारी

के अनुसार सरकार के पास इस बिल से संबंधित कोई डाटा ही नहीं है कि बेरोजगारी कितनी है। भारत सरकार की तरफ से मोटे तौर पर जो छः योजनाएं चालू की गयी थीं, अगर तैयारी होती तो उन योजनाओं से भी यह सबक सीख सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि ये योजनाएं क्यों फेल हो गयीं? क्या डिलवरी मैकेनिज्म में कोई कमी थी? क्यों अरबों रुपया हमारा बेकार चला गया और लोगों को राहत नहीं मिल पायी?

अध्यक्ष महोदय, पहली जवाहर रोजगार योजना थी, जो फेल हो गयी। दूसरी, इम्प्लायमैंट ऐश्योरेंस स्कीम थी, वह भी फेल हो गयी। तीसरी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना थी, वह भी फेल हो गयी। चौथी, सुनिश्चित रोजगार योजना थी, वह भी फेल हो गयी। पांचवीं, काम के बदले अनाज की योजना थी, वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी। इसके बाद सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन योजनाओं के ऊपर कोई विचार हुआ? क्या उन योजनाओं की समीक्षा हुई? क्या मूल्यांकन किया और समय-समय पर उस मूल्यांकन की पृष्ठभूमि में सरकार ने इस बिल को तैयार करने में उन बिन्दुओं से कुछ सीखा है? मेरा इतना ही कहना है कि यह बिल पूर्व तैयारी के लाया गया है क्योंकि गत योजनाओं के कटु अनुभवों से सरकार ने कुछ नहीं सीखा।

अध्यक्ष महोदय, ये योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए बनायी गयी थीं, लेकिन रोजगार सृजन कहां हो रहा है? अगर इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन होता तो हमें खुशी होती। आज रोजगार सृजन नहीं हो सका इसलिए सरकार को यह ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल लाना पड़ा है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, यह मैंने पहले कह दिया है।

श्रीमन, न तो इनकी विफलताओं का मूल्यांकन हुआ है, न दोषपूर्ण डिलीवरी मैकेनिज्म पर कोई विचार व्यक्त हुआ है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितनी धनराशि खर्च की गई है, इसकी विफलता के लिए क्या कहीं केन्द्र सरकार दोषी है या क्या कहीं कोई संबंधित राज्य सरकारें दोषी हैं या क्या कहीं ब्यूरोक्रेसी दोषी है या इम्पलीमेंटेशन जिनके जिम्मे था, वहां उनका कहीं कोई दोष रह गया है? ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार देने के लिए अनेक योजनाएं बनायी जाती हैं और सब धीरे-धीरे करके फेल हो गई हैं। मैंने सारे बिल को पढ़ा है, इसमें इन योजनाओं की विफलता से कोई सबक सरकार ने नहीं सीखा है और बिना तैयारी के बिल पेश हो गया है।

महाराष्ट्र में महाराष्ट्र रोजगार योजना 1978 में बनी थी और तत्पश्चात जो बिल आया है, इसके मूल स्रोत में कोई चीज है। महाराष्ट्र की रोजगार योजना जो 1978 में बनी थी, लेकिन उसका क्या हाल है? समिति ने अधिकारियों से पूछा कि महाराष्ट्र के बारे में क्या आकलन है? इस पर बताया गया कि महाराष्ट्र को कई बार लिख चुके हैं लेकिन वहां से कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। मेरी जानकारी के अनुसार 1978 की इस योजना की समीक्षा या मूल्यांकन वहां के ऑडीटर जनरल ने केवल 1980 में एक बार की है। 1980 के बाद आज हम 2005 में चल रहे हैं यानी लगभग 24 साल तक उस योजना का न कोई मूल्यांकन हो पाया है, न कोई समीक्षा हो पाई है, योजना कितनी कारगर हुई है, कितने लोगों को उस योजना से काम मिला है, कितना पैसा खर्च हुआ है, सारे परिणाम या उसकी उपलब्धियां संतोषजनक थीं या नहीं थीं, ये पूरे 24 साल बीत जाने के बाद भी उसकी कोई समीक्षा मेरी जानकारी के अनुसार नहीं की गई है आप करैक्शन कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे मान गये हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : यह योजना 1974 से लागू है, 1978 से लागू नहीं है और यह आज तक चलती आ रही है इस योजना में कितने लोगों को काम मिला है, इसके पूरे मालूमात हैं। इतना ही नहीं, वहां की लेजिस्लेटिव असेम्बली की एक समिति है जो हर साल वहां जाकर मालूमात लेती है तथा हर साल रिपोर्ट लेकर असेम्बली के पटल पर रखती है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : मजदूरों को कुछ नहीं मिलता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल्याण सिंह जी, बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनके पहली बार किये गए भाषण में व्यवधान न करें। एक वरिष्ठ नेता यहां बोल रहे हैं। कृपया ध्यान से उनकी बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह : महोदय, महाराष्ट्र की उस योजना को थोड़ा-बहुत मैंने देखा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि महाराष्ट्र की वह योजना जिस उद्देश्य से बनाई गई है, उस उद्देश्य में पूरी तरह से विफल हुई है। माननीय शिवराज पाटील जी उसकी तरफदारी कर रहे हैं। अगर यही गलत तरफदारी न की होती तो 55 साल में देश की यह हालत न होती।..*(व्यवधान)* एक बहुत ही क्रांतिकारी सुझाव हम दे रहे हैं। आपने पहला जो बिल था, उसमें बीपीएल का चक्कर था। उसमें पूअर हाउस होल्ड था। आपने उसमें से पूअर शब्द निकाल दिया है। धन्यवाद, अच्छा किया है लेकिन अब जो एक परिवार है, वह चाहे एपीएल वाला है या बीपीएल वाला है, उसके सक्षम व्यस्क को, एक को काम देंगे। मै पिछले दिनों माननीया सोनिया गांधी जी ने जो कांग्रेस की रैली संबोधित की थी, उस भाषण को अखबार में मैंने पढ़ा था और उनके उस भाषण उसे यह ध्वनि निकल रही थी, अगर मेरा निष्कर्ष गलत है तो माननीय सोनिया गांधी जी मुझे करैक्ट कर दें। उससे यह ध्वनि निकल रही थी कि रोजगार गारंटी योजना यूनिवर्सल तरीके से एप्लाई की जाएगी। अर्थात् जो भी सक्षम व्यक्ति है, मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, जो भी काम के लिए आए, काम मांगे, उसे काम दिया जाएगा अब आपने इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं किया है। एक परिवार का केवल एक व्यक्ति होगा। इससे जो बड़े परिवार होंगे, वे घाटे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? भारतवर्ष में संयुक्त परिवार की परम्परा है, लेकिन ऐसे परिवार घाटे में रहेंगे। आपने परिवार की जो परिभाषा दी है, वह यह है:

[अनुवाद]

"आगे, संशोधन के बाद भी लक्षित लाभार्थी परिवार ही है।"

[हिन्दी]

इसमें परिवार बेनिफिशरी है, व्यक्ति नहीं। हम सोचते थे कि शायद आप व्यक्ति को इकाई मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

इस विधेयक का खंड 2 (च) कहता है:-

"'हाउस होल्ड' का मतलब है कि परिवार के सदस्यों के बीच खून का संबंध हो, शादी या गोद लिए जाने के बाद साधारणतया वे इकट्ठे रहते हों और एक साथ भोजन करते हों या उनका एक ही राशन कार्ड हो।"

[हिन्दी]

यह तो बहुत बड़ा परिवार हो गया और दूसरी बात यह है कि हमारे यहां जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था है, वह तो पहले से ही बहुत बड़ा है और आप उस परिवार में से केवल एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। इसमें आपने जो मिनिमम वेज रखा है, वह 60 रुपए प्रतिदिन है। 100 दिन में यह 6,000 रुपए होता है अर्थात 500 रुपए मासिक। हमारे प्रधानमंत्री जी वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ हैं और उनकी बगल में श्री प्रणब मुखर्जी जी बैठे हुए हैं, वे भी आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। आप दोनों, जो वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ महान व्यक्ति यहां बैठे हुए हैं, क्या आप इस बात से कंविन्स्ड हैं कि आज के इस घोर महंगाई के युग में 6,000 रुपए सालाना या 500 रुपए मासिक के वेतन में, जिस परिवार की आप परिभाषा दे रहे हैं, उसका भरण-पोषण हो सकता है? क्या उसकी जिन्दगी में कोई बदलाव आ सकता है? क्या उसके बच्चों को अच्छे कपड़े मिल सकते हैं? क्या उनके बीमार होने पर दवा मिल सकती है? क्या उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है? अगर हां, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मैं मोटे तौर पर यह जानता हूं कि आज के इस घोर महंगाई के युग को देखते हुए इतने पैसे में एक परिवार का भरण-पोषण नहीं हो सकता है। माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी, फिर यह ऐतिहासिक कहां हुआ?..*(व्यवधान)* हमें बोल लेने दीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि सरकार इस पर विचार करे कि इसको यूनिवर्सली एप्लाई किया, यूनिवर्सल एप्लीकेशन किया जाए।

दूसरी बात यह है कि इस स्कीम के तहत क्या किसी महिला को काम मिल पाएगा? परिवार में भी इस बात को लेकर झगड़ा होगा कि कौन एक व्यक्ति काम के लिए चयनित किया जाए, परिवार में किसका चयन किया जाए, किसे काम मिले? जिस किसी व्यक्ति को चयनित किया जाएगा, क्या यह जरूरी है कि उसे जो पैसा मिलेगा, वह उसे पूरे परिवार पर खर्च करेगा? ऐसी स्थिति में महिलाओं को तो कोई भी काम पाने के लिए नहीं चुनेगा। इसी तरह परिवार में जो विकलांग व्यक्ति है, उसे भी कोई नहीं चुनेगा। तब यह ऐतिहासिक कैसे है? जब विकलांगों ने काम नहीं मिलेगा, महिलाओं को नहीं मिल सकेगा, तो आप कैसे कहते हैं कि यह ऐतिहासिक है? परिवार में टूटन पैदा होगी, परिवार में कलह पैदा होगी। परिवार में जो शांति बनी हुई है, वह नहीं हो पाएगी। एक बात और

है। इस बिल के जरिए आप यह अधिकार लेना चाहते हैं कि सरकार जब चाहे इसमें परिवर्तन कर सकती है, जब चाहे किसी क्षेत्र से इसे समाप्त कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह अधिकार हम एक्जीक्यूटिव को देने को तैयार नहीं हैं। अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है, कोई संशोधन होता है, तो उसके लिए प्रॉपर फोरम है, संसद। चूंकि संसद एक्ट पास कर रही है, संसद ही कोई परिवर्तन कर सकती है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह मान लिया है।

श्री कल्याण सिंह : मान लिया है तो धन्यवाद, लेकिन हमें यह नहीं मिला है, तो हम क्या करें! पहले कोई समय सीमा नहीं थी कि पूरे भारतवर्ष में यह कितने दिनों में लागू किया जाएगा। आपने कहा कि पांच साल, तो चार साल क्यों नहीं! भविष्य के बारे में न मैं जानता हूं और न शायद आप जानते होंगे। सब अंदाजा लगा रहे हैं इसलिए मैं पिन पाइंट कर रहा हूं कि आपने अभी शायद 200 जिलों में लागू करने की बात कही है। बाकी जो जिले बचेंगे, उनमें भी आगामी चार वर्ष में शत-प्रतिशत इस योजना को लागू करना चाहिए। पहले तो कोई मियाद नहीं रखी थी। अब पांच साल तय किया है। हमारा सुझाव है कि इसे चार साल कर दें।..*(व्यवधान)* हम तो कहते हैं कि दो साल में कर दें। लेकिन ज्यादा से ज्यादा सबको इस योजना में लाना चाहते हैं तो वर्तमान सदन का जो कार्यकाल है, चार साल बाकी हैं, वह कर दें, इससे किसी को दुविधा नहीं रहेगी।

हमने एक बात का और संशोधन दिया था, जिसे आपने आंशिक रूप से स्वीकार किया है कि पंचायत राज को इसमें जो महत्व मिलना चाहिए था, वह नहीं था। अब आपने पंचायत राज को महत्व दिया है। ग्राम पंचायत को काम के चयन के बारे में, योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कहा है। यह अच्छी बात है। लेकिन आपने ग्राम पंचायत के ऊपर एक प्रोग्राम अधिकारी, एक नौकरशाह और बिठा दिया। 50 फीसदी काम का अलाटमेंट वह अधिकारी करेगा। ग्राम पंचायत के कौन-कौन से काम आवश्यक हैं, किन-किन कार्यों पर लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए, कार्मों का चयन और उनके इम्प्लीमेंटेशन, सुपरविजन, मानिटरिंग, इन सबका अधिकार ग्राम पंचायतों को होना चाहिए। आपने जो प्रोग्राम अधिकारी बिठा दिया है, नोट कर लीजिए कि किसी भी सिस्टम में जिसका ज्यादा ब्यूरोक्रैटाइजेशन होगा, वह सिस्टम फेल होकर रहेगा। ब्यूरोक्रैसी के चंगुल से इसे मुक्त कीजिए। भरोसा कीजिए ग्राम पंचायतों में चुने हुए सदस्यों पर, इसलिए यह उन पर छोड़ दीजिए। फिर आपने ग्राम सभा का जिक्र निकाल दिया है इसमें उसका जिक्र नहीं है हमारा कहना है कि जो सोशल ऑडिट करना होगा, उसके लिए ग्राम सभा को अधिकार देना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर होता है। ग्राम पंचायत में चुने हुए सदस्य होते हैं और ग्राम सभा में वोटल लिस्ट में जिनका नाम है, उसे ग्राम सभा कहते है। पंचायतें अपने सारे कार्यों का चयन करें, मानिटरिंग करें, इम्प्लीमेंटेशन को देखें कि क्या काम हुआ, क्या उपलब्धियां हुईं, कितना पैसा खर्च हुआ और कितने लोगों को काम मिला। वह काम समय के अंदर पूरा हुआ है या नहीं, इसका पूरा लेखाजोखा ग्राम पंचायत सभा के सामने रखे।

अपराह्न 3.00 बजे

इसी प्रकार से जब सोशल ऑडिट की बात हम करेंगे तो यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि सब बेईमान हैं। ग्राम सभा बैठेगी तो ईमानदारी सामने आ जाएगी। लेकिन इसमें ग्राम सभा आपने निकाल दी है। अतः ऑडिट के लिए आवश्यक है कि ग्राम सभा को इसमे अधिकार दिये जाएं तभी यह स्कीम पूरी तरह से होगी—

[अनुवाद]

"लोगों की योजना, लोगों के द्वारा बनाई गयी और लोगों के लिए बनाई गयी" होगी।

[हिन्दी]

ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण ईकाई है।

श्रीमान जी, व्यय-भार का जहां तक प्रश्न है और अगर आप इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सच्चाई के साथ गंभीर हैं तो चूंकि यह योजना केन्द्र सरकार की है, इसलिए इस योजना का शत-प्रतिशत व्यय-भार केन्द्र सरकार को अपने ऊपर लेना होगा। आपने 10 प्रतिशत व्यय-भार राज्य सरकारों पर डाल दिया है। हम सभी जानते हैं कि राज्य सरकारों की हालत क्या है? कुछ राज्य सरकारें तो ऐसी हैं कि अपने कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन भी नहीं दे पा रही हैं और उनके यहां विकास के काम ठप्प पड़े हुए हैं और ऊपर से आपने उनके ऊपर 10 प्रतिशत व्यय-भार और डाल दिया, तो यह स्कीम कैसे सफल होगी? नतीजा यह होगा कि वे सरकारें इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगी। यह अच्छी स्कीम है और केन्द्र द्वारा लाई जा रही है, इसलिए इसके उचित इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इसका सारा व्यय-भार केन्द्र सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए और इस व्यय-भार से राज्य सरकारों को मुक्त कर देना चाहिए।

जो बेकारी का भत्ता है, उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली जानी चाहिए। योजना इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है या काम नहीं मिल रहा है तो जो बेकारी भत्ता होगा, उसकी अदायगी का भार राज्य सरकारों

[श्री कल्याण सिंह]

पर इसलिए डाला जाना चाहिए जिससे राज्य सरकारें उस योजना को क्रियान्वित करें, अन्यथा उसे भत्ता देना होगा।

मुझे यह नहीं पता कि आपने यह बता दिया है कि अगर 15 दिन भी काम नहीं मिलेगा तो उसे पूरा भत्ता मिलेगा। अगर 15 दिन तक काम नहीं मिलेगा तो जो वेतन निर्धारित हुआ है, उसका 25 प्रतिशत भत्ता दिया जाएगा और शेष जो 100 दिन में समय बचेगा, उसके लिए जो वेतनमान नियत किया जा रहा है उसका 50 प्रतिशत भत्ता दिया जाएगा। आपने तो कह दिया कि पूरे का पूरा भत्ता दिया जाएगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह तब है, जब साल भर काम नहीं मिलेगा।

श्री कल्याण सिंह : अगर लगातार तीस दिन तक काम नहीं मिलता है तो मूल वेतन का आधा भत्ता दिया जाए और शेष समय में काम नहीं मिलता है तो 75 प्रतिशत भत्ता उसको दिया जाना चाहिए।

आपने कह दिया है कि नया काम शुरू करने के लिए 50 लोग चाहिए। यह संख्या किस ज्योतिषी से पूछकर निश्चित कर दी गयी है। गांव में ऐसे भी कितने ही काम होंगे जिसमें 10 लोगों की जरूरत होगी, 50 के लिए काम नहीं होगा, तो योजना तो शुरू ही नहीं होगी। इसको आप लचीला क्यों नहीं बना देते हो। ऐसा क्यों नहीं कर देते हो कि 10 लोगों के लिए भी काम है तो योजना शुरू हो जायेगी।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : नियमावली में आ जाएगा।

श्री कल्याण सिंह : जिस किसी नियमावली में लाओ, हमें अपनी बात को कहने दीजिएगा।

महोदय, जब पचास लोग होंगे, तभी काम शुरू होगा, तभी कोई प्रोजेक्ट शुरू होगा, जब पचास लोग तैयार हो जाएं। महोदय, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट हो, जिसमें पचास आदमी खप जाएं? इसके मायने यह है कि न पचास लोगों के लायक प्रोजेक्ट होगा और न वह प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। आप यह पचास की संख्या घटाइए और प्रैक्टिकल संख्या लाइए। महोदय, मेरा सुझाव यह है कि यदि कोई प्रोजेक्ट छोटा है और दस लोगों द्वारा उसका काम हो सकता है, तो पचास की जगह दस लोग हों तब भी वह प्रोजेक्ट रोका न जाए। इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जिससे महिलाओं को काम मिल सके। बड़ी चर्चा हो रही थी कि रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण किया जा रहा है। फ्रंट पेज पर समाचार छप रहे थे।..*(व्यवधान)* अभी तक तो अमेंडमेंट नहीं किया गया, यही हम कह रहे हैं, कृपया ऐसा ही करें। यदि आप कर रहे हैं, तो ठीक है। नबी साहब, जो आपने नहीं किया है, उसी ओर तो हम इंगित कर रहे हैं। अगर आप उसे करने जा रहे हैं, तो हम आपको बधाई दे देंगे। आपने कहा है कि यदि कहीं यह परियोजना लागू नहीं होगी, तो आप उस राज्य का पैसा रोक देंगे। जिस राज्य में कहीं पर योजना नहीं लागू होगी, एक जिले में लागू हो जाए, लेकिन दो जिलों में न हो पाए, तो आप का कहना है कि फिर उस प्रदेश के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, उसे आप रोक देंगे और इस स्कीम में पैसा नहीं देंगे – इसका क्या मतलब है? यदि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो किसी अधिकारी के कारण इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, किसी राज्य सरकार की कमी की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है या जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, उसकी कमी की वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, केंद्र सरकार समय पर पैसा नहीं भेज रही है इसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है – लेकिन इसकी सजा किसे मिल रही है? सजा उस गरीब आदमी को मिलती है, जिसका कोई कसूर नहीं है। वह फावड़ा लेकर तैयार खड़ा है। हां, यदि वह कहे कि मैं काम नहीं करूंगा, तो यह उसकी जिम्मेदारी है मैं पूछता हूं कि फिर जवाबदेह कौन है? जवाबदेह या तो अफसर होंगे या राज्य सरकारी होगी या जो डिलेवरी मैकेनिज्म है, उसमें कोई कमी होगी, केंद्र से पैसा नहीं गया होगा, पर इसकी सजा गरीब मजदूर को क्यों दी जाए? मैं चाहता हूं कि आप बिल में इस संबंध में कुछ संशोधन कीजिएगा।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि योजना के इम्प्लीमेंटेशन में कोई अधिकारी, कोई ब्यूरोक्रेट दोषी है और जांच के बाद उसका दोष सिद्ध हो जाता है, तो उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना और कम से कम तीन महीने की कैद की सजा का प्रावधान कीजिए, अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, अन्यथा जैसा हश्र अब तक योजनाओं का हुआ है, उससे अलग हश्र इस योजना का नहीं होगा। यदि पंचायत के जिम्मे कोई काम दिया और अगर पंचायत दोषी है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जिनका दोष है, उन्हें पांच वर्षों तक के लिए किसी पद पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। जब तक ऐसे कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे, तब तक इम्प्लीमेंटेशन को शतप्रतिशत सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, तब तक योजना का जो लाभ मिलना चाहिए, वह मिलना कठिन हो जाएगा।

श्रीमन, मैं अपना अंतिम वाक्य कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों की चिंता की जा रही है, लेकिन गरीब शहरों में सभी संपन्न नहीं हैं जब हमने सवाल उठाया था, उस समय बताया गया था कि सरकार शायद शहरी क्षेत्र के लिए इसी प्रकार की कोई और रोजगार गारंटी योजना अलग से लाने वाली है।

अच्छा रहता अगर ग्रामीण रोजगार की गारंटी के साथ, शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए भी रोजगार की गारंटी की स्कीम भी सरकार ले आती। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि शहरी क्षेत्रों के गरीबों के साथ अन्याय न किया जाए। उनके लिए भी ऐसी योजना लायी जाए।

श्रीमन्, इस बिल को वास्तव में ऐतिहासिक बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, कॉम्प्रीहैंसिव बनाने के लिए और सही अर्थों में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक सुधार लाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं, मैंने उन सब को संक्षेप में अपनी ओर से रखने का प्रयास किया है।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके पहली बार दिए गए भाषण पर आपको बधाई देता हूं

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सोनिया गांधी (रायबरेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं नेशनल रूरल एम्पलॉयमैंट गारंटी बिल का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

श्री मोहन सिंह : हिन्दी में बोलने के लिए धन्यवाद।

श्रीमती सोनिया गांधी : मैं पूरा भाषण हिन्दी में नहीं दूंगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : हिन्दी में 'माइनर' लिख दिया है। किसी भी हाउसहोल्ड्स में 'मेजर' को काम दिया जाए लेकिन 'माइनर' लिख दिया है। हिन्दी का कम से कम इतना ध्यान रखें।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे देख लीजिए।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी शुरू में यह बात उठायी थी।..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको इसकी जांच करनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। हर सदस्य ने श्री कल्याण सिंह का भाषण धैयपूर्वक सुना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सोनिया गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है। आज हम 2004 के कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का सबसे महत्वपूर्ण वायदा पूरा कर रहे है। आज हम अपने यूपीए सरकार के नेशनल कॉमन मीनिमम प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प पूरा कर रहे हैं जो लोग देश के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या फिर उन क्षेत्रों का खूब दौरा करते हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि वहां ऐसे लोगों की कितनी बड़ी संख्या है जिन्हें रोजगार की जरूरत है और वे सार्थक काम की खोज में किस तरह से भटक रहे हैं? इनफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है और वह कमी बिल्कुल साफ दिखायी देती है। नेशनल रूरल एम्पलायमैंट गारंटी के इस महत्वपूर्ण विधेयक के जरिए, हम इन दोनों मुद्दों का समाधान खोज रहे हैं और अपने गांवों में एक बुनियादी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं, हमें एहसास है कि हमारी दो तिहाई बहनें और भाई उन्हीं गांवों में रहते हैं। इस विधेयक के जरिए हम उन्हें उनका अधिकार, उनका जायज हक देने की शुरूआत कर रहे हैं जिससे वे भविष्य में एक बेहतर जिन्दगी जी सकें।

हमने नेशनल रूरल एम्पलॉयमैंट गारंटी प्रोग्राम के मौजूदा स्वरूप पर पहली बार 2002 में गुवाहटी के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया था। इसके बाद आबू में और 2004 में श्रीनगर के सम्मेलन में इस पर दोबारा चर्चा हुई। हम सब ने महसूस किया कि रोजगार की सुरक्षा देना और ग्रामीण इलाकों में मूलभूत ढांचे को बढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है। इस तरह से ऐसा विधेयक हमारी पार्टी के 2004 के घोषणापत्र का एक केन्द्रीय मुद्दा बना।

[श्रीमती सोनिया गांधी]

अध्यक्ष महोदय, 1970 के दशक में जब महाराष्ट्र में सूखे का संकट आया था, उस समय मुख्यमंत्री श्री वी.पी. नायक और गांधीवादी श्री वी.एस. पागनी ने इंदिरा जी के समर्थन से महाराष्ट्र में एक एम्पलाएमेंट गारंटी स्कीम लागू की थी। आने वाले वर्षों में इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रयास हुआ लेकिन किसी न किसी वजह से यह संभव नहीं हो सका। मुझे याद है कि वर्ष 1980 में इंदिरा जी ने रूरल लैंडलेस एम्पलाएमेंट गारंटी प्रोग्राम शुरू किया था और वर्ष 1987 में राजीव गांधी जी ने जवाहर रोजगार योजना का आरंभ किया था। उसके बाद वर्ष 1993 में डॉ. मनमोहन सिंह जी श्री पी.वी. नरसिंहराव जी के मंत्रिमण्डल में वित्त मंत्री थे, उस समय 120 पिछड़े जिलों में एम्पलाएमेंट एश्योरेंस स्कीम शुरू हुई थी। इतने सारे कार्यक्रमों में बुनियादी सिद्धांत रोजगार की एक्जीक्यूटिव गारंटी तक सीमित था लेकिन हमारा नेशनल रूरल एम्पलाएमैंट गारंटी प्रोग्राम महाराष्ट्र की एम्पलाएमेंट गारंटी स्कीम की तरह लीगल गारंटी के सिद्धांत पर आधारित है, यानी यह कानून की तरह लागू होगा।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल, जैसे कि रघुवंश जी ने कहा और कल्याण सिंह जी ने भी कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, अनुभवी प्रशासकों और खुद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार हुआ है। एनएसी को इसकी मुख्य बातों को विस्तार से देखने और समझने का मौका मिला है। स्टैंडिंग कमेटी और रघुवंश जी के मंत्रालय और बाकी अन्य मंत्रालयों ने भी इस पर गंभीरता से विचार किया है, इस पर बारीकी से पब्लिक डिबेट भी हुई थी। राजनीतिक भेदभाव के बगैर समाज और सरकार के बीच आपस में किस तरह सहयोग के साथ काम हो सकता है। मैं समझती हूं कि यह विधेयक उसका एक जीवंत उदाहरण और जीवंत मिसाल है। यह ठीक है कि इसे सदन में पेश होने में 14 महीने लगे लेकिन मैं समझती हूं कि इस समय का पूरा और सही इस्तेमाल हुआ है। एक तरह से नेशनल रूरल एम्पलाएमेंट गारंटी प्रोग्राम की शुरूआत के तौर पर यूपीए सरकार ने ''काम के बदले अनाज'' का राष्ट्रीय कार्यक्रम देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया था। ''काम के बदले अनाज'' कार्यक्रम की चर्चा करते हुए मैं सदन को याद दिलाए बगैर नहीं रह सकती कि आज से तीन साल पहले हमारा अनाज का भंडार 60 मिलीयन टन से भी जयादा था। उस समय अनेक राज्य, खास तौर से वे राज्य जहां कांग्रेस की सरकारें थीं, लगातार सूखे की मार झेल रहे थे। उस समय हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने एनडीए सरकार से बार-बार आग्रह किया था कि नेशनल एम्पलाएमेंट गारंटी स्कीम के वादे के तौर पर देश में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम ''काम के बदले अनाज'' शुरू किया जाए जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। हमारे गोदाम अनाज से भरे हुये थे मगर लोग भूख से बेहाल थे। एन.डी.ए. सरकार ने हमारे बार बार आग्रह को अनसुना कर दिया. .*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यह क्या पौलिटिक्स है?..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिये। मल्होत्रा जी, जब आपका वक्तव्य होगा, तब जवाब दीजियेगा, टिप्पणी करियेगा।

श्रीमती सोनिया गांधी : मलहोत्रा जी, आप बाद में जवाब दें।. .*(व्यवधान)* कोई प्राब्लम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, जब आपका मौका आयेगा, आप बोलियेगा, तब कोई हर्ज नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। इस तरह इंटरप्शन ठीक नहीं। आप लोग बैठ जायें।

श्रीमती सोनिया गांधी : अध्यक्ष महोदय, इसलिये हम सब लोग जो कांग्रेस और यू.पी.ए. में हैं, उन्हें इस बात पर गर्व है और इस बात का संतोष है कि इस विधेयक के जरिये हम उन करोड़ो-करोड़ लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें इसकी सचमुच जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में महाराष्ट्र की एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम के कुछ फायदे गिनाना चाहती हूं। मेरे पास आंकड़ों के साथ एक रिपोर्ट हैं इसके लागू होने से खेत-मज़दूरों को ज्यादा वेतन मिला। उनकी जिन्दगी में, खासकर महिलाओं की जिन्दगी में काफी सुधार हुआ। मैं कुछ और आंकड़े बताती हूं कि वहां एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम में काम करने वाले लोगों में 40-50 प्रतिशत तक महिलायें हैं। जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहां भी उत्पादन बढ़ा है शायद इस बात की जानकारी काफी लोगों को नहीं है कि 1990 के दशक में इस एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम के ज़रिये करीब 10 लाख हैक्टेयर ज़मीन को बागवानी के लायक बनाया गया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की कई विशेषताएं है परन्तु मेरे विचार से तीन विशेषताएं बहुत महत्त्वपूर्ण हैं मैं इन पर प्रकाश डालना चाहती हूं। पहला तो यह कि चुनी गयी पंचायतों को इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका दी गयी है। अतएव यह कार्यक्रम पंचायत जैसे निकायों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारिता देगा। दूसरे, यह विधेयक पारंपरिक सिविल कार्यों से भी इतर की बात करता है। इसमें वाटरशेड के विकास, जल एकत्रित करने के साधनों का नवीकरण, टैंकों की गाद निकालना, वनरोपण और बंजर भूमि के विकास जैसे कार्य सम्मिलित हैं, और पहली बार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अपनी भूमि पर सिंचाई के साधन लगाने का कार्य किया जाएगा और महिला श्रमिकों को प्राथमिकता देने का कार्य किया गया है। तीसरे, मेरी समझ में यह इस विधेयक का एक महत्त्वपूर्ण पहलू भी है कि विधेयक में कार्य कराने के लिए ठेकेदारों को शामिल किये जाने की स्पष्ट मनाही की गयी है।

इन महत्त्वपूर्ण विशेषताओं के साथ-साथ, एक महत्त्वपूर्ण बात ध्यान में रखने की यह है कि यह विधेयक लागू किये जाने से तीन माह पूर्व संप्रग सरकार द्वारा इस सभा में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है। अब यह अधिनियम पहले वाले से भी अधिक प्रगतिशील है। सूचना का अधिकार अधिनियम से इस कार्यक्रम की सामाजिक लेखा परीक्षण और लोगों द्वारा बृहतर जांच की जा सकेंगी। इससे पंचायतों के साथ-साथ जिला प्रशासन की बृहतर उत्तदायिता सुनिश्चित की जा सकेगी।

उदाहरण के लिए, अब उपस्थिति रजिस्टर, बजट और कार्य आदि को गुप्त नही रखा जा सकेगा और आम लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर पायेंगे। इन सब उपायों से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जिन्हें कार्य की आवश्यकता होगी उन्हें ही रोजगार दिया जाएगा और समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों का ही क्रियान्वयन किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, बनाए रखे गए आर्थिक विकास के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रमों का कोई विकल्प नही है। हम देखते हैं कि आर्थिक विकास और रोजगार गारंटी ऐसे कार्यक्रमों के साथ-साथ ही चल रहे हैं। जैसा कि कुछ लोगों को प्रतीत होता है, हमें इस कार्यक्रम में खैरात बांटने या लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए धन वितरण जैसा कुछ नही दिखता। मुझे तो यह कार्यक्रम आर्थिक सुधारों को मानवीय रूप देने और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में और अधिक लोगों को शामिल करना और समतामूलक बनाना लगता है।

यह कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू पी ए) के सामाजिक परिवर्तन की कार्यसूची का एक भाग है। यह उस कार्यसूची का भाग है जिसमें प्राथमिक शिक्षा, मिड-डे-मील, लोक स्वास्थ्य तथा महिला और बाल विकास जैसे विषयों पर पिछले 14 माह में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गयी है। यह एक ऐसी कार्यसूची है जिसके प्रति यू पी ए सरकार के हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा देश सफलता की गाथाओं से भरपूर है, जो हमें प्रेरित करती है। लेकिन अभी भी दरिद्रता काफी व्यापक है जो कि हमें परेशान करने के साथ ही हमारे समक्ष एक चुनौती रखती है। हमारे देश ने प्रयत्नपूर्वक जो गौरव प्राप्त किया है, हम उसका अभिनंदन करते हैं। इसके बावजूद भी देश में व्यापक स्तर पर वंचित लोग हैं और हम इस समस्या को समाप्त करना चाहते हैं।

हम सब जानते हैं कि गरीबों का जीवन कितना विषम और न्याय रहित है विशेषकर जब हम अपने चारों ओर नजर आती प्रचुरता और व्यर्थ की जा रही वस्तुओं को देखते है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम स्वयं अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन की इच्छा रखने वाले करोड़ों भारतीय लोगों की आवश्यकताओं का जवाब है।

मुझे आशा है कि निकट भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब ऐसे व्यापक कार्यक्रम की आवश्यकता नही होगी। लेकिन उस समय तक खाली बैठकर यह आशा नही कर सकते कि मात्र आर्थिक सुधारों से ही ग्रामीण भारत में पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

महोदय, मैं इस विधान के वित्तीय प्रभावों के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगी क्योंकि इस संबंध में कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां की गई हैं। मैं समझती हूं कि 7 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रही अर्थव्यवस्था ऐसे कठिन हस्तक्षेप हेतु संसाधन जुटा सकती है और जुटाने चाहिए। यद्यपि भारी मात्रा में संसाधन जुटाने का दायित्व केन्द्र सरकार का फिर भी राज्यों को इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और निगरानी के संबंध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

मैं भी यह महसूस करती हूं कि इस महत्त्वपूर्ण व्यापक सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। मैं समझती हूं कि हमारी कई योजनाओं और कार्यक्रमों को समेकित किये जाने की

[श्रीमती सोनिया गांधी]

आवश्यकता है। उदाहरण के लिए अब हमें यह अवसर मिला है कि रोजगार गारंटी योजना का उपयोग सिंचाई और ग्रामीण सड़क के क्षेत्र में कर सकते है, जो कि संप्रग सरकार के "भारत निर्माण" कार्यक्रम का ही एक भाग है।

अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने इस विधेयक में विश्वास जताया है मैं यह बताना चाहूंगा कि इस संबंध में कुछ दोष बताये हैं और चिन्ता व्यक्त की गयी है। मैं समझती हूं कि इन संदेहों को साधारणतया खारिज नही किया जा सकता, इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमें इस संबंध में स्पष्ट होना चाहिए। हमारे कार्यक्रम सदैव अपेक्षित ढंग से कार्यान्वित नही होते, जिस तरह उनकी योजना बनायी गई थी। इनके लाभ सदैव गरीबों तक नही पहुंचते परिव्यय का एक बड़ा हिस्सा वितरण प्रणाली पर व्यय होता है। केन्द्र और राज्य सरकारों को वितरण प्रणाली में नवीनता लानी चाहिए सभी राजनीतिक पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्यक्रमों की निगरानी और उनके लिए संसाधनों को जुटाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मैं समझती हूं कि कुल मिला कर हम सबको 'सब चलता है' की प्रवृति से छुटकारा पाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री महोदय का इस विधेयक और इसके उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए धन्यवाद करना चाहती हूं जिनके नेतृत्व में इस विधेयक को प्रख्यापित किया जा रहा है। उन्हें इस संबंध में विभिन्न विचारों में संतुलन बनाना है, फिर भी वे इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं और यह उन करोड़ों लोगों का समर्थन है जिनका जीवन इसकी सफलता पर निर्भर है।

अध्यक्ष महोदय, शायद सोमवार को एक वास्तविक मूल कानून पारित करने जा रहे है जिसका दूरगामी एवम गम्भीर प्रभाव होगा। परन्तु वास्तविक चुनौती तो अब शुरू हो रही है कि यह कानून अपेक्षित तरीके से क्रियान्वित हो ताकि ग्रामीण भारत में हमारे भाई, बहनों के जीवन पर उसका मूर्त प्रभाव देखा जा सके।

मैं इसके प्रति व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध हूं। कांग्रेस पार्टी और संप्रग सरकार भी इसके प्रति प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि अपने इतने महतवपूर्ण नेशनल रूरल इंप्लायमैंट गारंटी बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी पार्टी मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल को सदन में लाने के लिए मैं यूपीए सरकार को बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति बनाये रखिए।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : इस बिल की चर्चा से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। हमारे वामपंथी राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण और इस बिल में कुछ समानता है। जब आजादी का संघर्ष हमारे देश में चल रहा था, तब हमारी वामपंथी ताकतें धीरे-धीरे नेशनल मूवमैंट में शामिल हुई। वामपंथी ताकतें उस समय एक कंसैप्ट लाईं कि सिर्फ राजनैतिक आजादी से हमें पूर्णत प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक उसके अंदर आर्थिक आजादी शामिल न हो। आर्थिक आजादी मिलने के बाद ही राजनैतिक आजादी पूर्णता को प्राप्त हो सकती है। इस कंसेप्ट को लेकर आजादी के संघर्ष में वामपंथी दलों ने हिस्सा लिया था। जब आजादी के बाद संविधान बना तब भी हमने सवाल को उठाया था कि हमें सिर्फ जीने का हक नहीं होना चाहिए बल्कि उसके सथ-साथ खाने का हक भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक खाना नहीं मिलेगा, हम जी नहीं सकते। खाने का हक नहीं होगा तो जीने का हक भी पूरा नहीं हो सकता। कांस्टीटयूएंट असैम्बली में हमने आजाव उठाई थी कि देश के नागरिकों को खाने की गारंटी मिलनी चाहिए और उसके लिए संविधान में रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। संविधान सभा के नेताओं ने इस पर चर्चा तो की मगर इसको लागू नहीं कर पाए। दूसरे तरीकों से इसको आगे बढ़ाने का काम चलता रहा। आजादी के बाद हम लोग लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं कि काम के अधिकार को संवैधानिक स्वीकृति मिलनी चाहिए। पूरे देश के गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार, नौजवान सभी लोग बार-बार इस आवाज को उठाते रहे हैं कि काम के अधिकार को संवैधानिक स्वीकृति मिलनी चाहिए, मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ है। यह संघर्ष जारी रहेगा, यह मांग हमेशा हमारे सामने रहेगी, लेकिन फिर भी खुशी की बात है कि आज जो कानून लाया गया है, उससे काम के अधिकार को चाहे संवैधानिक स्वीकृति न भी मिले, कम से कम कानून की स्वीकृति तो मिलनी शुरू हो गई है। यह एक शुरूआत है, इसलिए हम इस

बिल का समर्थन करते हैं। यह बिल काम के अधिकार को कानूनी स्वीकृति देने की तरफ पहला कदम है।

दूसरी बात यह है कि यह कानून पूरे देश के बेरोजगारों के लिए नहीं है। यह सिर्फ गांव में रहने वाले गरीब और पिछड़े लोगों के लिए है। उन्हीं लोगों के लिए यह बिल लाया गया है। हमारे जो शहर के लोग बेरोजगार हैं, पढ़े-लिखे लोग बेरोजगार हैं, उन लोगों के लिए यह बिल नहीं लाया गया है। इसमें साफ लिखा है कि यह बिल ग्रामीण बेरोजगार लोगों के लिए लाया गया है। यह बिल ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसलिए हम उनसे मांग नहीं कर सकते कि इसी तरह का बिल शहर के बेरोजगार के लिए भी लाएं। शहरी विकास मंत्री को भी शहर में रहने वाले बेरोजगार लोगों के लिए इसी तरह का विधेयक लाने के बारे में सोचना चाहिए और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए- यह हमारी मांग है। जब यह बिल आया है और हम मानते हैं कि यह बहुत अच्छा कदम है क्योंकि काम के अधिकार को पहली बार कानूनी स्वीकृति प्राप्त हुई है, हम इसका समर्थन करते हैं। पिछले 30-40 सालों से जनता के बीच में जो खेतिहर मजदूर, बेरोजगार, ग्रामीण बेरोजगार हैं, जिनके पास किसी तरह का करने के लिए कोई काम नहीं है, जो गरीबी और दुख-दर्द के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों के लिए काम की गारंटी देना, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज से कुछ वर्ष पहले जब रास्ते में हम गरीबी लोगों के बारे में बातें करते थे, तो कई लोग उस चर्चा में योगदान करते थे। आज रास्ते में या प्लेटफार्म पर या किसी अन्य सार्वजनिक जगह पर जब हम गरीबों के बारे में बात करते हैं, तो दूसरे लोग हम पर अजीब तरह की निगाह डालते हैं कि हम लोग कौन हैं या किस ग्रह से आए हैं जो गरीबों के बारे में बात कर रहे हैं- यह कैसी अजीब सी बात है? यह एक संकुचित मानसिकता लोगों में घर कर गई है। उदारीकरण का प्रभाव हमारे ऊपर है। यह हमें सिखाता है कि अपने बारे में सोचो, विदेशी पूंजी के बारे में सोचो, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करो और हिन्दुस्तान जैसे देश में, जहां साठ-सत्तर प्रतिशत लोग गरीबी में रहते हैं, ऐसी एक साइक्लाजी तैयार हो रही है। हमारा देश इसका शिकार हो रहा है। उदारीकरण एक बीमारी है, जिसमें इंसान चेहरे से तो इंसान दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत को मार देती है। लोग गरीब की तरफ नहीं देखते हैं बल्कि अमीर और ऊपर के तबके के लोगों के बारे में सोचते हैं। यह रवैया बदलना चाहिए। इस बारे में चिंतन होना चाहिए। हमारे जज भी अब जजमेंट देते हैं, तो वे गरीबों को नजरंदाज करते हैं। उदारीकरण का जो असर आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन पर पड़ रहा है, उसका प्रतिफल जल्द ही दिखाई देने लग जाएगा। गरीबी को दूर करने वालों पर अलग तरह की नजर डाली जाती है, इसलिए मैं इस कानून का समर्थन करता हूं।

आप देखिए कि पिछले चार-पांच सालों में मीडिया भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा है। सरकार को बहुत से अपशब्द कहे जा रहे हैं। उदारीकरण ऐसी बीमारी है, जिस बीमारी का राजनीतिक और सांस्कृतिक असर बहुत खराब है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह बिल एक उपलब्धि है, एक शुरूआत है। अगर हमें दस मील जाना है, तो आगे बढ़ने का यह पहला कदम है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

महोदय, जैसा मैंने शुरू में कहा कि यह गांव के बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधन मुहैया कराएगा, लेकिन जैसा यू.पी.ए. सरकार ने बेरोजगारों को काम देने और काम न देने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, उसके अनुसार शहरी बेरोजगारों को इस विधेयक से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मंत्री जी को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि जो एजुकेटेड लोग या जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी बेरोजगारी कैसे दूर होगी। जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उन्हें तो इस विधेयक के पास होने से फायदा होगा, लेकिन बीच के तबके को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उनके लिए हमारे जो सरकारी कार्यक्रम हैं, औद्योगिक विकास, माडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज आदि हैं, वे आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तब उन्हें फायदा होगा। हमारे देश में उन्हें भी रोजगार मिलेगा, तो उससे नया चिन्तन पैदा होगा और एक नया बल लोगों को मिलेगा। इसलिए हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं, लेकिन शहरी बेरोजगारों के लिए भी व्यवस्था करने की मांग हम करते हैं।

महोदय, दूसरी बात मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि जो रूरल डैवलपमेंट, कृषि, स्पेशल एरिया प्रोग्राम, इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल विभाग हैं, इन पांचों का कुल खर्चा, स्व. श्री राजीव गांधी जी के समय में एन.एन.पी. का 4 प्रतिशत था, लेकिन पिछले साल के बजट को यदि यू.पी.ए. सरकार की चेयरपर्सन के नाते आप देखेंगी, तो मालूम होगा कि इन पांचों विभागों का कुल व्यय एन.एन.पी. 0.6 प्रतिशत है। मात्रा अधिक हो सकती है, लेकिन प्रतिशत पहले से बहुत कम हो गया है। उस समय एन.एन.पी. का कुल 4 प्रतिशत व्यय इन पांचों विभागों के द्वारा होता था, लेकिन अब इन पांचों विभागों पर एन.एन.पी. का केवल 0.6 प्रतिशत

[श्री हन्नान मोल्लाह]

व्यय हो रहा है। इसे भी आप देखिए। यह बहुत ही कम है। न पांचों विभागों पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। इसीलिए मिड टर्म एप्रेजल जब किया गया, तो उसमें बेरोजगारी का प्रतिशत ज्यादा आया था। बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ने के कारण ही एन.डी.ए. को उधर जाना पड़ा। शहरों के साथ-साथ गांवों में भी पिछले 7-8 सालों में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी। इसी कारण इन वर्षों में अब तक 9 हजार लोग खुदकुशी कर चुके हैं। यह सिलसिला सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ और बाद में कर्नाटक तथा महाराष्ट्र तक फैल गया।

महोदय, गांवों में बेरोजगारी के कारण, पिछले 20 सालों में हमारा पर कैपीटा ग्रेन कंजम्पशन घट गया है। छः साल पहले यह 174 किलो ग्राम था जो अब 155 किलो ग्राम पर आ गया है। ग्रामीणों की परचेजिंग पावर नहीं है। उसकी ज्यादा खर्च करने की क्षमता नहीं है। यदि ज्यादा खर्च करने की क्षमता होती, तो वह ज्यादा अन्न का कंजम्पशन कर सकता था। गांवों में किसानों की अन्न उत्पादन और बेचने की शक्ति भी कम हो गई है। पहले के मुकाबले उसकी अन्न उत्पादन और बेचने की क्षमता में 26 मिलियन टन की कमी आई है। यही कारण है कि एन.डी.ए. सरकार के समय गोदामों में 60 मिलियन टन खाद्यान्न भरा पड़ा था, लेकिन देश के ग्रामीणों की परचेजिंग पावर नहीं थी। उस समय उस सरकार ने अपने स्टाक में से 17 मिलियन टन अन्न विदेशों को बेचा। विदेशियों ने कोई अपने खाने के लिए थोड़े ही खरीदा, उन्होंने अपने सुअरों को खिलाने के लिए खरीदा और हमारी सरकार ने उसे बहुत कम दाम पर, बिलो पावर्टी लाइन के नीचे रहने वालों को जिस दाम पर हम अन्न देते हैं, उस दाम पर बेचा। यह उस सरकार का एटीट्यूड था। यह एटीट्यूड का सवाल है, मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूं, यह फिलोसोफी का सवाल है, यह पोलिटिकल सवाल है। तब सरकार के नजर में इंडिया शाइनिंग की चमक थी, हिन्दुस्तान चमक रहा था। उस चमक में गरीब का दुख-दर्द, मौत और गरीब का गुस्सा एन.डी.ए. सरकार ने नजरअंदाज किया था, उसकी वजह से आज उनको उधर बैठना पड़ा। इसलिए मैं यही कहकर सरकार का समर्थन करता हूं। फिर भी मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि ऐसी गलती न करें। हमको समझना पड़ेगा कि आज की जरूरत है को जो इनडिस्क्रिमिनेट उदारीकरण के समर्थक हैं, वे ज्यादा बोल रहे हैं कि सिर्फ एफ.डी.आई. के हिसाब से चलों, सिर्फ रिफार्म्स के एक हिस्से पर बल देते हैं और गांव के गरीब के लिए खर्च नहीं करें, इसके लिए दबाव डालते हैं। यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि गांव के विकास के दूसरे पहलू भी हैं। आज समझो 70 करोड़ लोग, जो गांवों में हैं, इसके अन्दर यह काम लागू होगा तो हजारों करोड़ रुपया लोगों के घर में पहुंचेगा। वे गरीब लोग बाजार में जाएंगे, सारी चीजें खरीद करेंगे। जब सारी चीजें गांव के लोग इस पैसे से खरीद करेंगे तो हमारे जो उद्योग बन्द हो रहे हैं, उसके दरवाजे फिर ज्यादा खुल जाएंगे। यह तो आर्थिक नीति है, चांसलर हेनरिक ब्रूनिंग ने जर्मनी में जिस तरह से अपर लेवल की इनकम बढ़ाकर जर्मनी की इकोनोमी को बर्बाद किया था, उसके पैर पकड़कर फासीवाद आया था। मगर अमेरिका कैंसियन पालिसी के अनुसार न्यू डील शुरू किया था। इसके द्वारा ग्रामीण एरिया में ज्यादा पैसा सरकार की ओर से खर्च करे तो गांव के लोगों के पास पैसा जायेगा तो वे उस पैसे से खरीद करेंगे। खरीद करेंगे तो हमारी इण्डस्ट्री बढ़ेगी और ग्रामीण स्टेगनेशन टूटेगा, इस पालिसी को आज हमारे देश में अपनाने की जरूरत है।

हमारा इसमें कहना है कि जिस तरह से बिल को लाया गया है, इसके लिए हम इसका समर्थन करते हैं, इसका वैलकम करते हैं। आप 200 जिलों में इसे लागू कर रहे हैं। इसे धीरे-धीरे पूरे हिन्दुस्तान में जहां ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह 4-5 साल में जो लागू करने की बात है, इस बात को माना है, इसलिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। यह बिल जब आया था तो इसमें काफी कमियां थीं, मगर जब स्टैंडिंग कमेटी में गया तो इसमें विस्तार से चर्चा की। 106 मेमोरैण्डम कमेटी के पास आये, सारे बड़े-बड़े पंडित लोग हमारे सामने आये और जैसा कल्याण सिंह जी ने बताया, वह सब बात सुनने के बाद हमने जो 53 सुझाव दिये थे, मेजर सुझाव इसमें एक्सैप्ट किये गये हैं, इसलिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूं। इसमें जो अच्छाई है, इसमें हमने जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन की बात कही थी, उस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। यूनिवर्सल फैमिली को लिया है, लेकिन यूनिवर्सल इण्डीविजुअल को नहीं ले रहे हैं। शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, ओ.बी.सी. अपर कास्ट सब फैमिलीज चुनने की बात पहले थी, मगर इन सब फैमिलीज को लिया जायेगा, सिर्फ गरीब फैमिलीज नहीं हैं। इन फैमिलीज की जगह यूनिवर्सिलिटी एप्लाई किया, लेकिन फैमिली मैम्बर्स जो आएंगे, डिमांड ड्रिवन जाब होना चाहिए। आज गांव में जो बेरोजगार हैं, इस बात को देखने के लिए आज न हो, लेकिन कल इस बात को यू.पी.ए. को ध्यान में रखकर सोचना पड़ेगा।

इसके साथ-साथ जो हमारा एक्सपेंडीचर है, ठीक है कि यह प्रोग्राम देश का है, सैंट्रल गवर्नमेंट का भी मेन प्रोग्राम है, मगर राज्य सरकार

की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए राज्य सरकार का पहले 25 परसेंट खर्चा देने की बात हुई थी, मगर आखिर में घटाकर 10 परसेंट किया। राज्य सरकार को कुछ तो जुटाना पड़ेगा, क्योंकि उस राज्य के अन्दर बेरोजगारी है, इसलिए उसकी भी कुछ जिम्मेदारी रहनी चाहिए, इसलिए यह भी ठीक है।

इसके साथ-साथ अभी जो अनएम्पलायमेंट एलाउंस की बात है, यह भी इस बिल के अन्दर एक अच्छाई है। इस बिल के अन्दर जो नोटिफिकेशन होगा, उसमें काम की जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अन्दर जो हमारी रिक्वैस्ट से एमेंडमेंट एक्सैप्ट किया है कि जब सैंट्रल गवर्नमेंट काम को नोटीफाई करेगी, राज्य सरकार के परामर्श से यह बहुत जरूरी है, इसलिए कि समुद्र है, रेगिस्तान है और पहाड़ है, जंगल है, अलग-अलग स्टेट में अलग तरीका है। एक फार्मुले से पूरे हिन्दुस्तान का काम नहीं चलता है, इसलिए 1-1 जगह के मुताबिक उसका फैसला करना पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार के परामर्श की बात को अपने एक्सैप्ट किया, इसलिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूं।

इसके अलावा पहले बिल में पंचायत की भूमिका आलमोस्ट जीरो थी, बहुत ही कम थी, मगर बहुत चर्चा हुई और सरकार ने भी समझा और जिस सरकार ने पूरे हिन्दुस्तान में पंचायती राज चालू किया और वे पंचायतों को निकालकर ऐसा ग्रामीण प्रोग्राम लागू नहीं कर सकते, इसे सरकार ने समझा है। यह भी सही है, इसलिए भी बधाई देता हूं कि अब सारा काम पंचायत के जरिये होगा, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूएशन, उसका हिसाब देना, उसका पब्लिकली हिसाब डिस्प्ले करना, ये सारे काम पंचायतों को दिये गये हैं, इसको मानना बहुत अच्छी बात है, यह सही बात है, पोजिटिव है, मैं इसका समर्थन करता हूं। औरतों की भागीदारी के लिए महिलाओं का चुनाव करना होगा। मैंने देखा है उड़ीसा और बिहार में 55 प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं। यह कहना कि महिलाएं नहीं मिलेंगी, यह एक एटिट्यूड की बात है। हमें यह देखना होगा कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा काम मिले। इसके अलावा राष्ट्रीय काउंसिल और स्टेट काउंसिल इसकी मानिटरिंग करेगी। उसें सबका प्रतिनिधिरत्व होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, अल्संख्यक और ओबीसी का भी इसमें प्रतिनिधित्व होगा। पहले इसमें ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था, अब उनको भी शामिल कर लिया गया है। इन सबको यह देखना होगा कि किसी के साथ अन्याय न हो। इसलिए काउंसिल में सब तरह के लोगों को शामिल किया गया है, यह भी एक अच्छा कदम है। इसके अलावा सरकार द्वारा प्रोग्राम आफिसर की नियुक्ति भी की गई है। इसमें कंपनसेशन के बारे में भी कहा गया है कि यदि काम करते समय किसी का मौत हो जाती है तो उसे 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। पहले यह दस हजार रुपए था। हमने सुझाव दिया कि इसे 25 हजार कर दिया जाए, जिसे सरकार ने मान लिया है क्योंकि एक जिंदगी के लिए 25 हजार की रकम कम है। गरीब की जिंदगी को पैसे से नहीं देखना चाहिए। भविष्य में इसके बारे में और सोचना पड़ेगा। इसके साथ-साथ सुविधाओं के बारे में जैसा कि श्री कल्याण सिंह ने कहा कि पचास लोगों की टीम होने के बाद ही काम शुरू होगा। हमने सुझाव दिया था कि दस लोगों की टीम होनी चाहिए और इस सुझाव को भी संशोधन में लाया गया है। इससे लोकल एरिया में काम करने में सुविधा होगी। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन की समस्या भी हमारी नजर में आई थी। इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। इसे सरकार की नजर में लाया गया। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को साल के अंत में फंड मुहैया कराती है। साल के शुरू में पैसा राज्य सरकारों को न देने से काम शुरू नहीं हो पाता है। हमने सुझाव दिया था कि सरकार साल के शुरू में वह फंड मुहैया कराए, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

दूसरी बात जो मेरी नजर में आई कि इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं था। हमने कहा था कि इसे पांच साल के लिए कर दिया जाए, जिसे सरकार ने संशोधन में मान लिया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जमीन में काम किया जाएगा, लेकिन बहुत सी जगहें हैं, जहां काम किया जा सकता है। यदि प्राइवेट भूमि में करेंगे तो अमीर लोगों की बिल्डिंगें बन जाएंगी। इसलिए अनुसूचित जाति, जनजाति व सरकारी जमीन पर काम होगा तो वह सही रहेगा। इसके साथ मैंने निवेदन किया था कि जहां सरकारी वेस्ट लैंड है, जिसको लेने के बाद एक बीघे, आठ बीघे, दस या पन्द्रह बीघे, छोटे-छोटे हिस्सों में गरीब के बीच बांट दिया गया था, उनकी जमीन के विकास के काम को भी इसमें शामिल किया गया है। इंदिरा आवास योजना के तहत रहने वालों की जमीन पर काम करने के प्रस्ताव को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है।इस प्रोग्राम को छह महीनों के अंदर लागू किया जाएगा, लेकिन इसमें हमारी कुछ चिंताएं हैं, उन पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब सरकार ने यह बिल बनाया था, उससे पहले राज्य सरकारों से बात नहीं की थी। अगर बात कर लेते तो आसानी होती। बिल पास होने के बाद भी यदि सलाह-मशिवरा करेंगे तो बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा क्योंकि राज्य सरकारें ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं। इसमें एक कमी थी कि इवेल्यूएशन का प्रावधान नहीं है। इस बिल को विड्डा करने

[श्री हन्नान मोल्लाह]

का अधिकार सरकार के पास नहीं होना चाहिए। इसे सरकार किसी आर्डर से विड्रा नहीं कर सके, केवल संसद द्वारा ही इसे विड्रा किया जा सके। ऐसा हमारा सोचना है। श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि इतना भ्रष्टाचार है कि यदि सौ रुपया देते हैं तो केवल 15 रुपए ही गांव में पहुंचते हैं।

इसे हमें बहुत मजबूती से देखना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति करप्शन करे। तो उसे कठिन से कठिन सजा देनी चाहिए। इसीलिए हमने कोआर्डीनेटिंग आफिसर की सजा बढ़ाने का सुझाव दिया था। अगर पोलीटिकल लोग ऐसा करें, तो उन्हें किसी भी तरह के इलैक्शन से पांच साल के लिए डिबार करने का सुझाव हमने दिया था। यह जरूरी है, क्योंकि हिन्दुस्तान के समाज में करप्शन बहुत दूर तक पहुंच गया है। लोग करप्शन को आज अन्याय नहीं मानते। ऐसी परिस्थिति में कठिन सजा ही उसे रोक सकती है। इस सुझाव पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। पंचायत, जिला परिषद आदि में जो पोलीटिकल लोग हैं, यदि कम्प्लीमैंटेशन में कोई गलत कार्य करे तो उसे पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए– भविष्य में इस प्रोवीजन के बारे में भी सोचना चाहिए, यह हमारा सुझाव था।

मैंने शुरू में इस बिल का समर्थन इन्हीं कारणों से किया। मैं समझता हूं कि इस बिल के जरिए एक शुरुआत हुई है। काम की गारंटी-क्या गारंटी शब्द का कोई मतलब इस बिल के अंदर है। जिसे मिला, मिला, नहीं मिला, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस बिल के अनुसार कम से कम सौ दिन में काम देना ही पड़ेगा, इस गारंटी के एलीमेंट को हम शुरूआत मानते हैं। आने वाले दिनों में पूरे देश के बेरोजगार लोगों को काम के अधिकार की गारंटी देने की हमारी जो मांग है, सरकार उसी रास्ते पर चलेगी, यह बात कहते हुए मैं पुनः सरकार और मंत्री जी को बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी संसद में ऐसा ऐतिहासिक दिन आता है, जब पूरा सदन किसी विषय पर एकमत होकर पूरे देश को कि हम जनता के सही प्रतिनिधि हैं, ऐसा संदेश संसद की ओर से जाता है। दसवीं लोक सभा में एक समय था, जब पंचायती राज के संबंध में हमने संवैधानिक संशोधन किया और पूरे देश को यह विश्वास हुआ कि भारत की संसद गरीब आदमी और गांव के बारे में सोचती है। पंचायती राज कानून को मुकम्मल स्थान देने का काम दसवीं लोक सभा ने किया। उसके बाद आज का दिन संसदीय इतिहास में ऐतिहासिक लिखा जाएगा, जिस दिन भारत की संसद भारत के गरीब व्यक्ति के लिए भी कोई मजबूत कानून बनाने की दिशा में पहल कर रही है।

अपराह्न 3.57 बजे

[श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन हुए*]

इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, खास तौर से जिस धूम-धड़ाके के साथ रघुवंश बाबू ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है, संभवतः कोई मुर्दा मन का सदस्य ही इसका विरोध करेगा, समर्थन करना सबकी अपनी अनिवार्यता और मजबूरी है। इसलिए उनके धूम-धड़ाके वाले भाषण के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन उसी के साथ-साथ, यूपीए के चेयरपर्सन ने कहा है कि यह शुरूआत है, इसलिए हम इसे ऐतिहासिक न कहें। यदि यह शुरूआत अपने अंजाम में सही दिशा में पहुंचेगी, तो उस स्थिति को हम ऐतिहासिक और इस देश के लिए महत्वपूर्ण कह सकते हैं।

भारत में गरीबी लगातार बढ़ रही है। यह दुर्भाग्य है कि हमारे हमारे देश के प्रधान मंत्री जी लाल किले से इस देश को कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था सात फीसदी के हिसाब से हर साल बढ़ रही है और इस साल भी सात फीसदी की तरक्की होगी, लेकिन हमारे देश की गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने की रफ्तार सन् 2001-2003 में 8.87 फीसदी थी, जो 2004-2005 में बढ़कर 9.11 फीसदी हो गई, यानी हमारी अर्थव्यवस्था की तरक्की की रफ्तार से बेरोजगारी बढ़ने की रफ्तार कुछ अधिक है।

कल्याण सिंह जी ने बहुत सही बात कही कि बेरोजगारी के पेट से ही गरीबी पैदा होती है। इसमें गरीबी हटाओ का नारा अधूरा था, यदि उसे बेरोजगारी हटाओ से जोड़कर न देखा जाए, आगे न बढ़ाया जाए। रोजगार मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि इस देश में 18 वर्ष से लेकर 64 वर्ष की उम्र के बीच, यानी काम करने वाली शक्ति की आबादी 39 करोड़ है।

अपराह्न 4.00 बजे

उनकी संख्या 38 और 39 करोड़ के बीच में है। इन 38 और 39 करोड़ के बीच में रहने वाले लोगों में से, जिनको काम की आवश्यकता है, दस करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इन दस करोड़ में से 95 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पूरे वर्ष में एक दिन भी रोजगार नहीं मिलता,

यानी मृत्यु के मुंह पर वे रोजाना पहुंचते हैं और कहीं से अतिरिक्त संसाधन जुटाकर अपनी जीविका को चलाते हैं। ऐसी हालत में इस देश का परम पुनीत कर्त्तव्य है कि ऐसे लोगों के लिए हम सारी चीजों को छोड़कर रोजगार का इंतजाम करें।

मुझे खुशी है कि पिछले साल जब पहले रूप में यह विधेयक पेश हुआ और आज जब हम उसे पेश करने जा रहे हैं, तो उसका पूरा स्वरूप बदल गया है। हमारे देश की लोकतांत्रिक और संसदीय व्यवस्था में कमेटी सिस्टम कितना महत्वपूर्ण और मजबूत है, हम इस विधेयक के स्वरूप से समझ सकते हैं। जिस ढांचे में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ था, संसदीय समिति के प्रभाव से या उसके प्रयास से इसके ढांचे में ही मूलभूत परिवर्तन हो गया और उस मूलभूत परिवर्तन से यह संभावना पैदा होती है कि इस देश की संसद, सरकार इस देश की सामान्य गरीब, कमजोर और बेरोजगार लोगों के लिए कुछ संसाधन जुटा सकती है। उनके लिए भी कुछ इंतजाम कर सकती है।

यदि 200 जिलों में इसे लागू किया जाये, तो 38 और 39 हजार करोड़ लोगों के लिए हम कुछ इंतजाम करने की बात सोच रहे हैं। अभी जो आंकड़े आये हैं, उनके अनुसार इस देश के नागरिक अपना काम कराने के लिए रिश्वत के रूप में 21 हजार करोड़ रुपये हर साल खर्च करते हैं। जिस देश में रिश्वत के रूप में अपना काम कराने के लिए 21 हजार करोड़ रुपये आदमी खर्च करता है, उसी देश में गरीब घरों के बच्चों के लिए मिड डे मील पर हम संसद से 15 करोड़ रुपये से लेकर 18 करोड़ रुपये का बजट पास करते हैं। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है?

यदि हम इस देश को समुचित रूप से चलाना चाहते हैं, तो हमें अंतिम रूप से, समाज के अंतिम आदमी की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे एक कथानक इस देश को याद आता है। जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, उस जमाने के राष्ट्रपिता, जो उस समय जीवित थे, उनसे मिलने गये। उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि बापू जी, हम इस देश को किस तरह चलायें। तब बापू जी ने कहा कि जवाहर लाल जी, हम आपको कोई मंत्र नहीं देते लेकिन एक जंतर जरूर देते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने पूछा कि वह जंतर कौन सा है, तो गांधी जी ने कहा कि जब कोई भी पत्रावली मंत्रालय से हस्ताक्षर के लिए आये तो एक क्षण के लिए प्रभु का ध्यान करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जो आदेश निकलने जा रहा है, उस आदेश से इस देश के सबसे अंतिम आदमी का कितना कल्याण होता है। यदि आदेश में उसका कल्याण निहित नहीं है तो ऐसी किसी भी पत्रावली पर तुम हस्ताक्षर नहीं करना। इस देश के राष्ट्रपिता का इस देश के पहले प्रधान मंत्री को दिया हुआ यह अंतिम आदेश और संदेश था।

मैं ऐसा समझता हूं कि इस विधेयक से बापू जी के उस आदेश की शुरूआत हम पूर्णरूप से नहीं, लेकिन आरंभिक रूप से करने जा रहे हैं। इसलिए हम इस सरकार को कुछ चेतावनियों के साथ धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनकी ओर श्री कल्याण सिंह जी ने इशारा किया है। उनके इशारे को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। साफ तौर पर इस बात को आकलन के जरिये, इस देश की सरकार ने जो रोजगार गारंटी स्कीम, फूड फार वर्क, अन्त्योदय योजना और जवाहर रोजगार आदि दूसरी वृहत्तर योजनाएं थीं, उन सबकी समीक्षा के बाद ये आंकड़े दिये कि उनका केवल 20 फीसदी भाग ही इम्प्लीमैंट हो सका। यह बात सही है कि आज जो विधेयक हमारे सामने विचार के लिए आया है, उसकी माता के रूप में हम महाराष्ट्र में बहुत दिनों से जो रोजगार गारंटी स्कीम लागू है, उसे जानते हैं। उस ओर श्री शिवराज पाटिल और यूपीए की चेयरपर्सन ने अपने भाषण में इशारा किया है, लेकिन उस में कुछ बातें हैं। जब संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, तब उस रिपोर्ट में वहां की सरकार से पूछकर इस सदन में जो रिपोर्ट रखी, उसके कुछ अंश मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसमें उपलब्धियां हुई हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें जो कमियां थीं, योजना के अन्तर्गत अकुशल मजदूरों के कार्य की मांग में किसी गिरावट के बगैर तीस वर्ष के cknHh ;g dk;क्रम जारी है, जो खुशी की बात है लेकिन राज्य में गरीबी घटाने या बेरोजगारी कम करने में इस योजना का बहुत कम असर पड़ा क्योंकि रोजगार गारंटी के कुछ मामलों में, वास्तव में, उसे कार्यान्वित ही नहीं किया गया। सामाजिक सुरक्षा उपाय मात्र लाभों व कार्य-स्थलों पर सुविधाओं का कार्यान्वयन अच्छे ढंग से बिल्कुल नहीं किया गया। दक्षता प्रशिक्षण यदि दिया भी जाता है तो नगण्य ही होता है। अभी तक किसी को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता। मैं इस बात को इसलिए सुना रहा हूं कि जिस भरोसे से हम इस अधिनियम को यहां पास करना चाहते हैं, पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, प्रयोग के तौर पर जिस राज्य में यह लागू हुआ, उसमें बहुत सारी अच्छाइयां थीं लेकिन प्रयोग के बाद उसकी बहुत सारी कमियां भी सामने उजागर हुई हैं। उन कमियों को ध्यान में रखते हुए हम भविष्य की दिशा इस तरह की बनाएं कि जो कमियां थीं,

[श्री मोहन सिंह]

उस रोजगार गारंटी कानून में, हम उन कमियों को दूर कर सकें। यह हमारी दृष्टि, यह व्यापक प्रभाव हमारे मन में होना चाहिए। इसलिए सुझाव के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि इस रोजगार गारंटी स्कीम की निगरानी के लिए, जैसे अनेक संसदीय समितियां बनी हैं, इसकी भी निगरानी के लिए एक अलग से संसदीय समिति बननी चाहिए।

दूसरे, उसे लागू करने में यदि राज्यों में केन्द्र से हस्तक्षेप करना पड़े, जैसे पूरे 150 जिलों में आज की तारीख में फूड फार वर्क स्कीम जारी है, यदि उस स्कीम के लिए भी, जैसे रघुवंश बाबू ने एक निगरानी कमेटी बना दी थी और उस निगरानी कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से हमने देखा कि गांवों में पहले जो सड़कें बन गई थीं, उन्हीं सड़कों पर, जिन पर डामर रोड बनी हुई है, कागज में फिर उसी सड़क पर मिट्टी का काम दिखाकर ठेकेदारों और उस विभाग के अफसरों ने इस काम की इतिश्री कर ली और उस पैसे का, उस खाद्यान्न का आपस में निपटारा कर लिया। उसमें भी इस बात की गारंटी दी थी कि कोई भी काम मशीन और ट्रैक्टर से नहीं होगा, केवल व्यक्तियों के श्रम से होगा लेकिन अनुभव से हमने देखा कि व्यक्तियों के श्रम को नजरअंदाज करके ठेकेदारों के जरिए ट्रैक्टर से उस काम को पूरा करा लिया गया और जब हम पहल करने के लिए गये तो उसमें बहुत से प्रभावशाली लोग सामने आए जिन्होंने कोई कार्रवाई करने से उस काम को रोका। इसलिए जो कटु अनुभव है, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न योजना के कार्यान्वयन में उस कटु अनुभव का हम अपने ऊपर असर लेते हुए, उसकी जो कमियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास होना चाहिए और इसकी फूल प्रुफ आडिटिंग का परमानेंट सिलसिला बनाना चाहिए जिससे हम सही मायने में जो चाहते हैं कि इस देश के गरीब आदमी को रोजगार मिल सके और इस देश की तरक्की में, इस देश के सम्यक विकास में उसकी सांझेदारी हो सके।

इन सुझावों के बाद दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो यूपीए का घोषणा-पत्र है, यह बात सही है कि यूपीए सरकार की उपलब्धि के खाते में एक बात जोड़ ली गई लेकिन सम्पूर्ण रूप से यूपीए के कार्यक्रम का यह कार्यान्वयन नहीं है। उसमें दिया गया है कि हमारी सरकार बनने पर, यानी यूपीए की सरकार समान रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के वयस्क नागरिकों के लिए रोजगार का इन्तजाम करेगी और जब आपने यह कहा है कि इसी तरह का विधेयक जो शहरी क्षेत्र में बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए भी लाया जाना चाहिए जिससे इस देश के सभी बेरोजगारों के बीच में यह भावना न जाए कि पक्षपात हो रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का समर्थन इस विश्वास के साथ करता हूं कि सभी वर्ग इसका समान रूप से समर्थन करके पूरे देश को इस संसद की ओर से अनुकूल संदेश देंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, इस ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने में यूपीए सरकार ने जो इच्छाशक्ति दिखाई है और खासकर माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी, नेशनल एडवाइजरी कौंसिल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने जो समर्थन, सहयोग तत्परता और प्राथमिक इस विधेयक को दी है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि हम लोग शुरू से ही इसकी मांग कर रहे थे क्योंकि हमारी पार्टी ग्रामीण अंचल से आती है। गांव के गरीब, खेतिहर मजदूर, दबे-कुचले लोगों, जो गिट्टी-मिट्टी, खेत-खलिहान से सालों से जुड़े हुए हैं, उनका उन्नयन, उनका आर्थिक विकास, उनके जीवन में तब्दीली कैसे आए, कैसे उनका जीवनस्तर ऊंचा उठे, यही हमारा सपना था, हम इसके लिए कृत संकल्पित थे। इसलिए हमारे सपने को साकार करने की दिशा में यह विधेयक एक बड़ा प्रयास है। यह न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक भी है। मैं इस सर्वोच्च सदन में इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज गांव का मतलब गरीबी, बेरोजगारी और बदहाली हो गया है। गांव शब्द गरीबी, बेरोजगारी और फटेहाली का पर्यायवाची बन गया है। गांव शब्द आते ही गरीब कहने की जरूरत नहीं होती है। गांव शब्द का उच्चारण करते ही बेरोजगारी और गरीबी झलकने लगती है कि गांव के गरीब लोगों के पेट की ज्वाला किस तरह से जलती है। आज भी गरीब, जो समाज का अन्तिम व्यक्ति है, किस तरह भूख से तड़पता है। आज इस रोजगार गारंटी विधेयक के जरिए मैं समझता हूं कि उस गरीब को राहत देने का, उनके जीवन का उन्नयन करने, आर्थिक और सामाजिक रुपए से सुरक्षा देने का काम होगा। इसके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा देते हुए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र, एक नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया है, इसीलिए मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यहां कुछ ऐसी चर्चा चली है कि इस विधेयक में ग्रामीण

क्षेत्र के करोड़ों गरीबों को ऊपर उठाने की बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि गरीबी का इस बिल में भी जिक्र किया गया है और माननीय मंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया है कि गांवों में रहने वाले जो 72 करोड़ गरीब लोग हैं, उन्हें ऊपर उठाने का इसमें प्रयास किया गया है। आज यह एक अद्भुत संयोग है कि सर्वसम्मति से यह सदन इस पर विचार कर रहा है। इसी से यह पता चलता है कि यह विधेयक कितना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आज हमारे देश का सबसे बड़ा एचीवमेंट क्या है? वह एचीवमेंट है अन्न का भण्डार।

सभापति महोदय, आज अगर सबसे बड़ा कोई एचीवमेंट हमारे देश मे है, तो वह है अन्न का भण्डार। इस अन्न के भण्डार को कौन पैदा करता है? हमारे कामगार, कर्मकार, मजदूर और खेतिहर मजदूर अर्थात समाज के वही अन्तिम लोग इसे पैदा करते हैं। आज हमारा देश जिस चीज, अन्न के भण्डार पर गर्व करता है, आज हमें जिसका गौरव है, जो उसे पैदा करते हैं हमारे समाज के यही गरीब मजदूर लोग। ये लोग दौलत पैदा करते हैं। आज हम इन पर फख्र और गर्व करते हैं। यही श्रमिक और खेतिहर मजदूर हैं, जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। इनमें कृषि महिलाकर्मी भी आती हैं, जो कृषि कार्य में लगी हुई हैं और जो परिश्रम करती हैं। आज हम उन पर गर्व करते हैं।

हमारे लिए आज यदि गौरव की कोई सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वह अन्न का भण्डार है। यह जिन हाथों से पैदा होता है, दौलत पैदा करने वालों के जीवन को सुधारने के लिए ही यह बिल आया है। उनके लिए आया है ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल, जो अधिनियमित होकर कानून बनेगा और इसके तहत 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी विधेयक में यह अनुमान लगाया गया है, माननीय मंत्री जी करेक्ट कर लेंगे, कि कुल ग्रामीण आबादी 74.2 प्रतिशत है। कुल ग्राम्रीण आबादी जिसे राहत मिलने की सम्भावना है, उसमें परिवार की परिभाषा को भी परिभाषित किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जो गरीब लोग हैं, उनके अलावा जो आखिर में सबसे गरीब हैं, उन्हें इसमें समाहित किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का आकलन योजना आयोग करता है। योजना आयोग के हिसाब से 26.8 प्रतिशत उनका आंकलन किया गया है। लेकिन जो सबसे गरीब हैं, जो अभी तक किसी योजना के लाभ से छूट रहे थे, उन्हें भी इस योजना के तहत रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। एक पैरामीटर के तहत पंचायतें चिन्हित करेंगी और उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को साल भर कोई काम नहीं मिल पाएगा, उन्हें न्यूनतम मजदूरी जो 60 रुपए प्रतिदिन है, जो मेनडेज है, वह भत्ते के रूप में दिया जाएगा। यह एक सकारात्मक और सार्थक संकेत है।

इस योजना को चरणबद्ध ढंग से पूरे देश में लागू करने की बात कही गई है। चरणबद्ध ढंग से जरूर यह योजना लागू होगी, लेकिन उसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां भी आएंगी। मेरा कहना है कि चरणबद्ध ढंग से लागू करने सम्बन्धी बात की प्राथमिकता तय होनी चाहिए। जैसे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पूरे देश में जो जिले हैं,

श्री नीतीश कुमार (नालंदा) : क्या उसमें आपका भी जिला है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं सभी जिलों की बात कर रहा हूं। मैं वाटर लागिंग एरिया वाले जिले, फ्लड प्रोन एरिया या ड्राउन प्रोन एरिया वाले सभी जिलों की बात कर रहा हूं। अपका जिला भी उसमें आता है। अगर इन सभी चीजों को देखा जाए तो पूरा बिहार इस योजना के अंतर्गत आना चाहिए, क्योंकि बिहार में कहीं बाढ़, तो कहीं सुखाड़ हर साल रहता है और जो दक्षिण का आखिरी छोर है, वहां उग्रवाद की समस्या है। इसलिए उग्रवाद से प्रभावित जिले भी इस योजना में लिए जाने चाहिए। पिछड़े राज्य इसमें शामिल होने चाहिए इसलिए इस योजना में शामिल करने वाले जिलों के लिए प्राथमिकता तय होनी चाहिए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की यही सोच है और उसके कामन मिनीमम प्रोग्राम में इस बात का उल्लेख है कि इसे चरणबद्ध ढंग से पूरे देश में लागू किया जाएगा। मैं पूरे बिहार को इस योजना के अंतर्गत लाने की बात इसलिए करता हूं, क्योंकि पूरे बिहार में बाढ़, सुखाड़ और उग्रवाद की समस्या है इसलिए वह हर तरह से उपयुक्त लगाता है। इसलिए जो क्राइटेरिया है इस योजना में अन्य जिलों को जोड़ने का, तो उसमें पूरा बिहार इस योजना में समाहित होने योग्य है।

कल्याण सिंह जी ने ठीक कहा था कि गरीबी बेरोजगारी के कारण है और बेरोजगारी के पेट से गरीबी पैदा होती है। यह सही बात है। मोहन सिंह जी ने भी उसका अनुमोदन किया था। बेरोजगारी इसीलिए है, क्योंकि रोजगार नहीं है। जब रोजगार नहीं है, तो बेरोजगारी होगी ही और गरीबी भी होगी। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो कुछ भी प्रयास हुए हैं, यदि पूरी तरह से वे धरती पर उतर जाते, तो ग्रामीण लोगों की आज यह स्थिति नहीं होती। योजना का 35 प्रतिशत मात्र ही धरती पर उतरा है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

अभी हाल ही में टाटा कंसलटेंसी ने पूरे देश में एक सर्वे कराया था कि बजट द्वारा केन्द्र से जो फूड सब्सिडी दी जाती है आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, उसका कितना प्रतिशत वास्तव में उन तक पहुंचता है। उस सर्वे में 35 प्रतिशत का अनुमान दिया गया है। यह किसी एक सरकार की बात नहीं है। यह नौकरशाही की व्यवस्था है, जिसके चलते मात्र 35 प्रतिशत फूड सब्सिडी ही धरती पर पहुंचती है, आम आदमी तक पहुंचती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसे पूरी तरह धरती पर उतारने की गारंटी होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं साफ-साफ बात कर रहा हूं। यह विधेयक पास होकर कानून बनेगा इसलिए अपनी बात कहनी चाहिए। मेरा कहना है कि जो 35 प्रतिशत वाला सर्वे आया है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, गम्भीरता से सोचना चाहिए कि कैसे यह शत-प्रतिशत लागू हो। उसके लिए जो भी नेटवर्क लागू करना हो, वह करना चाहिए, वैसे इसमें प्रावधान किया गया है और जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक और राज्य स्तर से केन्द्रीय स्तर तक कौंसिल बनाने की बात कही गई है। इस तरह चिंता रहती है। लेकिन यह स्कीम पूरी तरह से धरती पर कैसे लागू हो, इसे लागू करने के लिए जिस इच्छा-शक्ति से लाया गया है, उसी इच्छा-शक्ति से, ठोस कदम उठाकर, इस पर अमल किया जाना चाहिए और साथ ही जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी इसमें होनी चाहिए ताकि इस योजना को धरती पर उतारने में उनका भी सहयोग हो।

सभापति जी, एक आशंका इसमें जताई गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे गांव के गरीब की क्रय-शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि जब तक गांव के गरीब आदमी की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम सफल नहीं होगा। गरीब की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो गरीब के जीवन-स्तर में परिवर्तन होगा।सौ दिन का काम देने से गरीब की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। गांधी जी ने कहा था कि "सही आजादी का सबूत, गांव हमारा हो मजबूत"। हमारा आजादी का जो मतलब है, लक्ष्य है, उसे हम तब तक नहीं छू सकते हैं जब तक कि गांव मजबूत नहीं होगा।

शहरी गरीब की बात की गयी। शहरी गरीब कहां से आते हैं? ये गांव से पलायन करनेवाले गरीब लोग ही हैं जो रोजगार की तलाश मे शहर में पहुंच जाते हैं। इसलिए गरीबों को बांटने की जरूरत नहीं है। अगर गांव से गरीबों का पलायन रुक जाएगा तो शहर में गरीबी रुक जाएगी। आज शहर में जो भीड़-भाड़, कंजैशन बढ़ रहा है उसका कारण लोगों का गांव से पलायन ही है। आप एक साल का प्लान बनाते हैं लेकिन आबादी 10 गुना बढ़ जाती है जिससे कोई भी योजना सफलतापूर्वक लागू नहीं हो सकती है।

आज बिहार से 20 लाख खेतीहर मजदूर दूसरे प्रदेशों में पलायन कर गये हैं जिसका असर बिहार की फसलों पर पड़ रहा है। वहां श्रम का अभाव हो गया है और बिहार के श्रम का शोषण दूसरे प्रदेश कर रहे हैं। श्रम के अभाव के कारण खेती पर इसका कुप्रभाव पड़ा है। चावल, गेहूं और अरहर के उत्पादन पर इसका सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। इस रोजगार गारंटी योजना से, इस विधेयक से इस पर असर पड़ेगा और पलायन रुकेगा। अगर आप इस योजना के तहत श्रमिक को बिहार में ही रोजगार दे देते हैं तो पलायन रुकेगा, हम उत्पादन ज्यादा कर पाएंगे और इससे राष्ट्रीय उत्पादन भी बढ़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय हित में पलायन का रुकना जरूरी है।

जो रोजगार गारंटी विधेयक है यह निश्चित रूप से अपने मकसद को प्राप्त करेगा। खेतीहर मजदूरों का पलायन रोकना अपने आप में एक समस्या है लेकिन यह विधेयक पलायन को रोकने में सहायक होगा।

सभापति महोदय, मैं अपने दिल के दर्द की बात बताना चाहता हूं। हम लोग गांव से आते हैं। माननीय गुरुदास दासगुप्त जी और माननीय मोहन सिंह जी बराबर गरीबों की बात उठाते हैं और सही उठाते हैं। मैं आपको सही आकलन बताना चाहता हूं। जब हम गांव में बूढ़ी मां को या किसी गरीब आदमी को देखते हैं तो क्या देखते हैं। उनके तन पर कपड़ा नहीं होता और वे सुथनी, कौदो और घोंघा खाते हैं। उन्हें अपने शरीर के लिए जितना कलौरीयुक्त भोजन मिलना चाहिए, उससे आधा कैलौरीयुक्त भोजन भी उन्हें नहीं मिलता है। इसका नतोजा यह होता है कि अगर उनकी औसत उम्र 80 या 90 साल होनी चाहिए तो वे 60 साल की उम्र में ही मर जाते हैं। इसलिए यह विधेयक एक क्रांतिकारी कदम है, एक क्रांतिकारी पहल है। मैं कहना चाहता हूं कि कम कैलौरीयुक्त भोजन के कारण जो हमारे गांव के लोगों की उम्र कम हो जाती है और वे 60 साल में मर जाते हैं, भोजन में, जो कम से कम कैलोरी को तापक्रम रहना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है, इसके चलते क्या होता है? हमारे देश में कैपिटल या पूंजी नहीं है। हमारे देश की पूंजी है- श्रम, मेहनत, डिग्निटी आफ लेबर। इस बिल में डिग्निटी आफ लेबर का संकेत मिलता है। इस बिल में जरूर ऐसा संकेत है कि लेबर को महत्व दिया जाना चाहिए। मैं इसीलिए व्यावहारिक रूप से कहना चाहता था कि अभी उदारीकरण, भूमण्डलीकरण का युग है, ग्लोबलाइजेशन में, प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत

जो सुधार की नीति चल रही है, इस विशाल नीति के तहत, खासकर बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखने की जरूरत हे और गांव के गरीब और खेतिहर मजदूरों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण और भूमण्डलीकरण का दौर चल रहा है, उससे गरीबों में एक गुस्सा पैदा हुआ है। इससे आर्थिक विषमता ज्यादा बढ़ेगी।

गांवों में प्राचीनकाल में जो गरीब होता था, यदि वह बहुत अमीर हो जाता था तो मात्र हाथी पर चढ़ता था। हाथी पर चढ़ने का मतलब 12-15 फुट की ऊंचाई होती थी यानी पांच फुट के इंसान से उसकी ऊंचाई 15 फुट हो गयी, लेकिन आज दो प्रतिशत लोग 35 हजार फुट पर उड़ रहे हैं। यह जो आर्थिक विषमता है, इसकी वजह से हिंसा का जन्म हो रहा है। इसी के चलते ए.के.47 के प्रयोग की स्थिति बन रही हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैं इस बिल के बारे में कुछ बेसिक बातें भी कहना चाहता हूं। इस विधेयक से जो लाभ गरीबों को होगा, उसके सन्दर्भ में मै बोल रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि हर माननीय सदस्य इस पर अपने-अपने तरीके से बोलेंगे। माननीय सदस्य श्री कल्याण सिंह जी ने बीपीएल और एपीएल लोगों के लिए सवाल उठाया, मैं कहता हूं कि बीपीएल हो या एपीएल, परिवारों की परिभाषाओं में सभी के लिए गुजाइश है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे बीपीएल हो या एपीएल, जो आबादी है, उनके लिए देश में अभी 25,160 करोड़ रुपए की फूड सब्सिडी का प्रावधान है। यूपीए सरकार द्वारा 25,160 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान है। इस बारे में विभागीय मंत्री जी बताएंगे। उन्होंने इसके लिए वित्तमंत्री जी से बात की होगी। मेरे अनुमान से यह राशि 40,000 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी, एक्जैक्ट फिगर्स मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।...*(व्यवधान)* मैं इसे करेक्ट कर लेता हूं कि यह 38,000 करोड़ रुपए है। अब आप 38,000 करोड़ और 25,160 करोड़ रुपए को जोड़ लीजिए। मैं गरीबों के हित की बात कह रहा हूं। उनके व्यापक हितों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनके हितों की उपेक्षा आज तक हुई है, जिनके हितों पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। यदि राशि के आवंटन का सवाल है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, क्योंकि दोनों धनराशि इसी सैक्टर में खर्च हो रही हैं- जीवन स्तर को उठाने के लिए, यह 38,000 करोड़ रुपया, जो रोजगार गारंटी विधेयक है, वह भी उसी में जाएगा। दूसरे शब्दों में लगभग 63,000 करोड़ रुपए गरीबों को दिए जा रहे हैं। चाहे बीपीएल हो या एपीएल, आज तक 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत जनसंख्या पर सारी पूंजी का निवेश होता था, सारा खर्च होता था, आज तक विकास का मुंह उन लोगों के लिए खुला होता था जिनकी चर्चा मैंने की, जो 35 हजार फुट पर उड़ते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग हैं। यह पहली बार है कि गरीबी रेखा के नीचे और समाज के अंतिम लोगों के हित में और उनके जीवन सुधार के लिए आज 63 हजार करोड़ रुपए का बजटरी प्रोग्राम लाया गया है। यह कोई लिट्रेचर की बात नहीं है।

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील (इरन्दोल) : अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आपको पता नहीं है, ऐसा प्रावधान है,।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरे कहने का मतलब है कि फूड फार वर्क प्रोग्राम चलाया गया। ग्रामीण भारत के निर्माण की कल्पना की गई थी और सपना देखा गया था। ये लोग इंडिया शाइनिंग देख रहे थे लेकिन अपनी शाइनिंग खराब कर ली। इंडिया शाइनिंग नहीं हुआ। कल्याण सिंह जी, मुझे माफ करना, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तब तक गरीब समाज के अंतिम आदमी के चेहरे पर चमक नहीं होगी तब तक भारत चमक नहीं सकता है। भारत तभी विकसित हो सकता है जब समाज के अंतिम आदमी के चेहरे पर मुस्कान होगी। गरीबों के विकास से ही भारत का विकास हो सकता है क्योंकि हमारा देश गरीब और कृषि प्रधान देश है। कृषकों, कामगारों, खेतिहर मजदूरों, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए हमें सिंचाई का प्रबन्ध और वाटर शैड का इंतजाम करना होगा। गांवों की उन्नति और विकास के लिए जो भी काम हैं, उन्हें करना होगा। यदि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा काम मुहैया होंगे तो गरीबों के जीवन में परिवर्तन होगा और उनमें आर्थिक बदलाव आएगा।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

आप उनके जीवन स्तर में परिवर्तन करें। इंडिया शाइनिंग केवल लिट्रेचर से नहीं हो सकता है। गरीबों को गरीब और गरीब के बीच में न बांटा जाए।

माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी ग्रामीण विकास मंत्री हैं। वह शहर में रहने वाले गरीब लोगों के लिए रोजगार गारंटी विधेयक कैसे ला सकते हैं? इसमें तकनीकी दिक्कत है। कल्याण सिंह जी, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और विद्वान हैं। शहर में रहने वाले गरीबों को रोजगार देने के लिए बिल अलग मिनिस्ट्री लाएगी या दोनों मिनिस्ट्रीज को मर्ज करना होगा। एक साथ ये बिल नहीं आ सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल ही ला सकते हैं। शहरी विकास मंत्री जो श्री गुलाम नबी आजाद है, वे ही शहरों के गरीबों के लिए रोजगार गारंटी बिल ला सकते है। अलग-अलग विभागों के अलग-अलग विधेयक कैबिनेट के थ्रू पास होते हैं और उन्हें कैबिनेट में ले जाना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें तकनीकी दिक्कत है। मैं इस बिल के खिलाफ नहीं हूं। गांवों के गरीब लोग पलायन होकर शहरों में आ गए हैं। मैं आपकी इस राय से सहमत हूं कि शहरी गरीबों के लिए भी ऐसा विधेयक लाया जाए।

इन्ही शब्दों के साथ मैं क्रांतिकारी, ऐतिहासिक और गरीबों के व्यापक हित वाले बिल का भरपूर समर्थन करता हूं।

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा) : सभापति महोदय, आपने इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। आज राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पर चर्चा हो रही है। इसके बारे में स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी। विधेयक को चर्चा के लिए और पारित किए जाने के लिए जो प्रस्ताव रखा, उसके बाद विभागीय मंत्री ने परम्परागत स्टाइल में खूब ज़ोर-ज़ोर से अपने गले का जबर्दस्त इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उनका गला फाड़ भाषण होता ही है जबकि उससे कमजोर से बोलने पर वह ज्यादा प्रभावी हो सकता था। इन्होंने समझा शायद कुछ नई बात हो लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। कल्याण सिंह जी ने सभापति के नाते कमेटी की तरफ से जो सुझाव थे, वे यहां प्रकट किए। हमने उनकी बात को सुना, उसके बाद यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की भी बात सुनी लेकिन जब हम श्रीमती सोनिया गांधी का भाषण सुन रहे थे, उनका ज्यादा ज़ोर इस बात पर था कि वह विधेयक कांग्रेस पार्टी के दिमाग की उपज है और उनकी नीतियों पर अमल करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। बाद में उन्होंने यूपीए की चर्चा कर दी कि यूपीए के प्रोग्राम में भी यह है लेकिन उन्होंने यूपीए के एलाइस की कोई चर्चा नहीं की जैसे समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है, मार्क्सवादी पार्टी ने समर्थन किया है। इन लोगों का भी कोई श्रेय है, उनके भाषण से ऐसा कुछ दिखायी नहीं दिया।

दूसरी बात, मुझे लगता है कि गांधी जी के नाम से पूरे संदर्भ में गरीबों के लिए कोई काम हो रहा है, इस संदर्भ में गांधी जी का नाम भी अगर याद किसी ने कराया तो समाजवादी पार्टी के श्री मोहन सिंह और आरजेडी के श्री डी.पी. यादव ने कराया, बाकी आप सबके लिए गांधी जी का मतलब दूसरा है। हम लोग महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं नये गांधी की बात नहीं कर रहे हैं। हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, जो इस देश के राष्ट्रपिता हैं...*(व्यवधान)* उनकी भी कोई चर्चा नहीं है, ऐसे ही लोगों को हम याद दिला रहे हैं। इतने वर्षों से लोकसभा में...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, आप देखिए कि कितनी दिलचस्पी इन लोगों को है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, कोई हर्ज नहीं है, इतना तो चलता है। इतनी देर तक बैठे हैं, सोनिया जी के जाने के बाद भी बैठे हैं। जबकि कुछ ही लोग बैठे हैं, इसके लिए उनका सम्मान करना चाहिए। आम तौर पर जब सोनिया जी को बोलना था तब कितनी संख्या में लोग बैठे हुए थे...*(व्यवधान)* यह इधर की बात नहीं है, हम थोड़े ही क्रेडिट ले रहे हैं, सरकार का क्रेडिट है। आप इधर से देख लीजिए कि कितनी दिलचस्पी विधेयक में है...*(व्यवधान)* बिल इधर का नहीं है, मेरे मित्र, बिल आपने रखा है और इधर से समर्थन किया जा रहा है। लेकिन जब आपने बिल रखा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मैं तो सिर्फ यही आपको दिखलाना चाहता हूं कि कितनी रुचि आपको गरीब को रोजगार देने में है और कितनी दिलचस्पी आपको अपने अध्यक्ष का भाषण सुनने में है। उनका भाषण खत्म हो गया, घंटी बज गई, लोग चल दिए। जैसे स्कूल में क्लास खत्म होती है, घंटी बजती है और लोग घर की तरफ दौड़ते हैं, वही दृश्य हमें दिखाई दिया। रघुवंश जी मजबूरी में बैठे हुए हैं, उनका विधेयक है तो वे बैठे हुए हैं। अब इसमें नया क्या है ...*(व्यवधान)* लालू जी का संसद में मन लगता है इसलिए संसद में बैठे रहते हैं, इसलिए वे बैठे हुए हैं। अगर वह बैठते है तो इधर से बोलने वालों को भी बोरियत नहीं होती। इसलिए ठीक है कि वे बैठे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : लालू यादव की नकल भी आप करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, अब इसमें नया क्या है? रोजगार देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं पहले से चल रही हैं जिनका उल्लेख इन लोगों ने खुद किया है, अब सबको मिलाकर एक बना रहे हैं। अब अलग से उसके लिए विधेयक आ गया है। अच्छी बात है कि विधेयक आप बना रहे हैं, कोई भी रोजगार की योजना होगी तो उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन जब इतने धूमधड़ाके के साथ आप कर रहे हैं तो आधे-अधूरे मन से क्यों कर रहे हैं? 150 जिलों में "फूड फार वर्क" लागू किया, उन जिलों में इसको लागू किया, वामपंथियों का दबाव विकसित हुआ, जिन्हें आप श्रेय नहीं दे रहे हैं। उसके बाद 200 जिलों तक पहुंचा दिया। यह हम नहीं कह रहे, हम जान गए हैं कि 200 तक आ गया है, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कह दिया है कि हम इसे 200 जिलों तक ले जाएंगे और खुद कहा कि 600 जिले हैं। अब 200 जिलों में कौन होंगे? हम ज्यादा तो जानते नहीं हैं लेकिन हम बिहार से आते हैं। बिहार की स्थिति का वर्णन श्री देवेन्द्र जी ने किया है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। आप यहां बैठते थे तो बोलते रहते थे, आजकल आप भूल गए हैं। बिहार में रोजगार की उपलब्धता नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है इसलिए वहां से रेलगाड़ी भरकर बिहार के लोग बाहर जाते हैं, काम की तलाश में जाते हैं, दर-दर की ठोकरें खाते हैं, वहां स्थिति तो यही है, चाहे बिहार के किसी हिस्से में चले जाइए। अब वहां गरीब नौजवान की शादी होती है तो वह अगली ट्रेन कोई न कोई ट्रेन पकड़कर पंजाब, हरियाणा या कहीं और नौकरी की तलाश में जाता है। अगर इस प्रकार से योजना सीमित क्षेत्रों में लागू होगी, इस संबंध में उन्होंने अपने ढंग से तर्क दिया है कि बाढ़ प्रभावित है, सूखा प्रभावित है, उग्रवाद प्रभावित है, किसी न किसी प्रकार से प्रभावित है, मूल बात यही है कि वहां रोजगार नहीं है और रोजगार न होने के कारण गरीबी है। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि "गरीबी हटाओं" का नारा बगैर रोजगार के पूरा हो ही नहीं सकता। यह अनुसंधान करने में कितना समय लगा? सन् 1970 के दशक से गरीबी हटाओ का नारा दिया जा रहा है लेकिन सरकार को अनुसंधान करने में 35 साल लग गये कि तब तक गरीबी नहीं हटेगी, जब तक बेरोजगारी नहीं हटेगी। कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देकर चुनाव जीतती रही और आज सरकार कह रही है कि बेरोजगारी हटाओ। सरकार ने 35 साल में एडमिट किया कि गरीबी हटाने का नारा खोखला था। आज पहली बार इस प्रकार की पहल हुई है। सरकार ने 150 जिलों में इस योजना को लागू करने की बात कही है लेकिन मेरी सरकार से मांग है कि अगर इसे करना है तो पूरे मन से करिये। पैसे की बात आ गई लेकिन रिफार्म्स का ह्युमन फेस होगा और भाषण से लग गया कि रिफार्म्स जारी रहेंगे। सिर्फ लीपा-पोती करने के लिये कहा गया और इस इरादे से सरकार यह विधेयक लाई है। अगर यह इरादा नहीं है तो गरीबी, चाहे जिस किसी भी इलाके में हो, आपने 200 जिले बताये हैं, जहां बेरोजगारी है लेकिन देश के बाकी 400 जिलों के लिये बेरोजगारी, आपके लिये चिन्ता का विषय नहीं है? इस योजना को सरकार 5 साल में करेगी क्योंकि काम बहुत लम्बा है। श्री कल्याण सिंह जी ने तो इस योजना के लिये 4 साल की मांग की है लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं तो यही कहूंगा कि इसे तत्काल लागू कीजिये। सरकार कहती है कि पैसे की दिक्कत नहीं है, मंत्री महोदय का गला-फाड़ भाषण सुना। अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो इसे पूरे देश में लागू करिये। फिर, पैसे की दिक्कत क्यों होगी? सरकार किसलिये है? सरकार का नारा था- 'कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ।' आप पैसे निकालिये, कहीं से भी लाइये, पैसे तो अटा पड़ा है। आपके बैंक हैं, हर जगह पैसा ही पैसा पड़ा है। गरीबों को रोजगार देने के लिये आपके पास पैसा नहीं है और 4 साल में करेंगे या ऐसा प्रचार करते रहेंगे या देश के हर कोने में गरीब लोगों को रोजगार पाने के लिये 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। सभापति महोदय, इसलिये, मैं तो यही कहूंगा कि कि आधे-धूरे मन से लाया गया यह विधेयक है। पूरे देश के हर इच्छुक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिये।

सभापति महोदय, बेरोजगारी परिवार की नहीं, व्यक्ति की होती है। पता नहीं सरकार परिवार को यूनिट मानेगी। श्री कल्याण सिंह की

[श्री नीतीश कुमार]

ने जो बताया, उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं जितना बताऊंगा, उससे ज्यादा मंत्री महोदय समझते होंगे। ऐसा तो नहीं कि मंत्री जी गांव में नहीं रह रहे हैं या परिवार में बेरोजगारी नहीं देख रहे हों। यह बात सब को मालूम है कि परिवार पर कितना बोझ है? यदि एक परिवार को मिल जायेगा तो क्या बाकी परिवार के लोग संतुष्ट हो जायेंगे या एक भाई को मिलेगा, दूसरा भाई संतुष्ट हो जायेगा? प्रतिदिन 17 रुपये मिलेगें। यदि एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो 17 रुपये बंटकर एक के हिस्से में क्या आयेगा? अगर सरकार 100 दिन रोजगार देगी तो एक महीने में 500 रुपये होंगे, एक साल में 6000 रुपये होंगे या प्रति व्यक्ति 100 रुपये प्रति माह और एक दिन के लिये 3 रुपये होंगे। उस व्यक्ति को 3 रुपये में खाना कहां से मिलेगा? आप जिस को टारगेट कर रहे हैं, इसलिये परिवार का कोई मतलब नहीं है? यदि है, तो हर इच्छुक व्यक्ति को जो भी आफर करता है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलुरू) : वे बेकार नहीं होंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : लेकिन सरकार 100 दिन का रोजगार दे रही है। कहीं एग्रीकल्चर सैक्टर में लोगों को काम नहीं मिलता। अगर एग्रीकल्चर सैक्टर में मिलता होता तो माननीय मंत्री जी जानते हैं कि न जाने कितने लोग इसमें खप जाते। हम देख रहे हैं कि हमारे बिहार में काम नहीं है, इसलिये लोग बाहर जा रहे हैं। कोई आदमी बाहर जाना नहीं चाहता था लेकिन जब घर में काम नहीं मिलेगा तो वह बाहर जायेगा। इसका मतलब यह है कि लोगों को गांव में एग्रीकल्चर का काम नही मिल रहा है। क्या वह 100 दिन बेरोजगार है या 265 दिन तक उसे खेती का काम मिल रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। सरकार चाहे कितने फर्जी आंकड़े बना ले लेकिन देश के किसी हिस्से में किसी गरीब मजदूर को 265 दिन काम नहीं मिल रहा है, खासकर गांवों में रोजगार नहीं मिल रहा है। देश का ऐसा कम से कम औसत चित्र नहीं हो सकता है। इसलिये 100 दिन अपने आप में अपर्याप्त है। एक परिवार का कांसैप्ट नाकाफी है और फिर कुछ जिलों तक इस योजना को सीमित रखना, यह इस विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं करेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस योजना को एक बार में ही और पूरे देश में लागू कीजिये। जितने दिन उन्हें रोजगार चाहिये, उन्हें दिया जाये। केवल 100 दिन ही क्यों? देश के कुछ इलाके विकसित हैं, वहां 100 दिन देने की जरूरत पड़ेगी, कहीं 250 दिन रोजगार देने की जरूरत पड़ेगी। कहीं एक फसला इलाका है तो वहां ज्यादा दिन की जरूरत पड़ेगी। जहां दो फसल हो रही हैं, वहां उससे कम दिनों की जरूरत पड़ेगी और जहां इससे भी ज्यादा इन्टैन्सिव फार्मिंग हो रही है, वहां उससे कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन सौ दिन से काम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा दिन उन्हें रोजगार मिलना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम इसके शेड्यूल को देख रहे थे, उसमें हमें थोड़ा अंदेशा है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके शेड्यूल-2 में उल्लेख है कि आप सबका एक रजिस्टर बना देंगे, उन्हें कार्ड दे देंगे, ये सब बातें उसमें दी गई हैं। लेकिन उसके बाद उसमें एप्लीकेशन देने की बात आती है। रघुवंश बाबू, गांवों में कितने गरीब हैं, जिन्हें एप्लीकेशन लिखनी आती है। यहीं से उनका शोषण शुरू होगा। उसका एप्लीकेशन फार्म भरवाने के लिए गांव का चालाक और होशियार आदमी वहीं से पैसा लेना शुरू करेगा। हम कहते हैं कि इतनी फार्मेलिटी की क्या जरूरत है। आप लिस्ट बना रहे हैं। आपके पास एक-एक हाउसहोल्ड की पिक्चर है। आप ग्राम सभा की बात करते हैं। ग्राम पंचायत के पास उनकी तस्वीर है। आप ढिंढोरा पिटवा दीजिए, जो भी विलिंग हैं, जिसे काम की जरूरत है, वह आ जाए। इतनी लम्बी-चौड़ी क्लैरिकल फार्मेलिटी जो आप इसमें लगवा रहे हैं, यह ग़रीबों के हक में नहीं है। आप इसमें जितना लिखा-पढ़ी का काम डालेंगे, उतनी ही गरीबों को मुश्किल होगी। इसमें बिचौलिये और दलाल आयेंगे, जो उसकी दरखास्त लिखेगा, वहीं दरख़ास्त जमा करेगा। वही मुखिया के यहां आयेगा। कहीं ये लोग सरपंच कहलाते हैं, कहीं प्रधान कहलाते हैं। हमारे यहां मुखिया कहलाते हैं। वह उसके यहां जायेगा या जो प्रोग्राम आफिसर, है, उसके पास आयेगा। यानी कि हर लैवल पर उसका शोषण होगा और इसमें जो 60 रुपये का उल्लेख किया गया है, उसका एक हिस्सा दलाल की भेंट चढ़ जायेगा। यह व्यावहारिक बात है। आप इसे देखिये। जब आप गांव सभा तक जा रहे हैं, डीसैन्ट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। पंचायतों में भी कई तरीके की त्रुटियां रहेंगी, उनमें धीरे-धीरे सुधार होगा। लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा जगहों से अगर इसे खत्म किया जाए तो वह बेहतर होगा। आप लिखा-पढ़ी के काम का रजिस्टर मेनटेन करिये। उनकी अकाउन्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक जांच तंत्र होना चाहिए, निगरानी तंत्र होना चाहिए। यह सब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं भी समझेंगे और दूसरे माननीय सदस्य भी आपसे कहेंगे।

इसके अलावा मुझे आपको एक सुझाव यह देना है कि आपको अनइम्पलायमैन्ट अलाउंस देना है, जहां आप काम नहीं करा पाये, वहां आप अनइम्प्लायमैन्ट अलाउंस देंगे और कहीं-कहीं राज्यों को उसका एक हिस्सा देना पड़ेगा, माननीय कल्याण सिंह जी ने उसका समर्थन किया है तथा उसके आधार पर जो राज्य इसे लागू न करे, उसे पैनलाइज किया जाना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई राज्य बदनीयती से यह स्कीम लागू नहीं कर पा रहा है। इसलिए जब आप यह स्कीम बना रहे हैं तो होलिस्टिक स्कीम बनाइये। आपको बेरोजगारी भत्ता भी देना है, जब यह केन्द्र की योजना है तो उन्हीं से दिलवाइये। राज्यों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होगी कि उन पर आप निर्भर कर सकें। फिर आप यह लगा रहे हैं, जिसमें पक्का काम होगा, मैन और मैटीरियल रेश्यो है, उसमें 40 परसेन्ट मैटीरियल का रेश्यो होगा। वहां पर आप राज्य सरकारों को कह रहे हैं कि 25 परसेन्ट आप rIf.,A..*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : वह दस परसेन्ट है।

श्री नीतीश कुमार : दस परसेन्ट जनरल है। लेकिन यह 25 परसेन्ट है, जिसमें पक्का वाला काम है, जिसमें मैटीरियल कम्पोनैन्ट 40 परसेन्ट है और लेबर कम्पोनैन्ट 60 परसेन्ट है। उसमें राज्य सरकारों को 25 परसेन्ट देना पड़ेगा। वह राज्य सरकारें कहां से लायेंगी। आप यह स्कीम बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी दायिता राज्यों की नहीं होनी चाहिए। राज्यों को इसे इम्पलीमैन्ट करना चाहिए और आप उसकी मानिटरिंग करें, तब माना जायेगा कि कुछ हद तक आपने इसे विमर्श करके लागू किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : माननीय सभापति जी, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक, 2004 माननीय मंत्री जी ने संसद में पेश किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं। यह बहुत अच्छा बिल है। लेकिन जो अलग-अलग पार्टियों के लोग यहां बोल रहे हैं, उनकी भावना एक ही है। उनके भाषण से यह स्पष्ट हो रहा है कि रोजगार आज गरीब की कमजोरी है। एक आशा के भरोसे गरीब आदमी इस देश में जी रहा है। उसकी कमजोरी को कैपिटलाइज करके राजनैतिक फायदा उठाने की बात भी यहां पर हो रही है। माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया, जिस आवेश में भाषण दिया और उसके बाद कल्याण सिंह जी ने जो बिल की सच्चाइयां सामने रखीं, उन पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने संसद चालू होने के बाद पहली बार इस विधेयक पर बात की, वह क्यों की, इसको भी अलग से बताने की जरूरत नहीं है। उसकी गहराई और विश्लेषण में मैं नहीं जाना चाहता। एक नया नारा भी संसद में आया है- 'रोजगार बढ़ाओ गरीबी हटाओ,' उसकी गहराई में भी मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि इस देश की जनता बहुत सैंसिटिविटी से पब्लिक रिप्रजैंटेटिव्ज की तरफ देखती है। कांग्रेस ने पहले भी 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था। गरीबी तो नहीं हटी मगर गरीब हट गए। एक दूसरा नारा 'जय जवान जय किसान' का भी दिया था। उससे भी न किसान का भला हुआ और न जवानों का भला हुआ। केवल आलोचना करने के लिए मैं आलोचना नही करुंगा। कल्याण सिंह जी ने अच्छी बातें कहीं। उन्होंने बताया कि पांच योजनाएं भारत सरकार ने ली थीं और पांचों फेल हो गई। पांचों योजनाएं फेल हो गईं तो यह योजना फेल नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? मुझे संदेह है कि जिस उद्देश्य से यह योजना लाई जा रही है, वह फेल हो जाएगा। जब मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह योजना फेल हो जाएगी तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं उसको जस्टिफाइ कर सकूं, नहीं तो मेरे बोलने का कोई अर्थ नहीं है।

सभापति महोदय, मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो पहले कही जा चुकी है। इस बिल में एक परिवार को एक यूनिट माना गया, उस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है। परिवार में से कौन चुना गया, उस पर भी मुझे कुछ नहीं बोलना है। इसका परिणाम क्या होगा, उस पर भी मुझे कुछ नहीं बोलना है। 365 दिनों में से 100 दिन काम मिलेगा और 265 दिन खाली रहेंगे, इस पर भी मुझे कुछ नहीं बोलना है। बिल के जो प्रोविजन्स हैं और उनमें जो कमियां हैं, मैं बहुत कम समय में उनको आपके सामने रखना चाहता हूं।

सभापति जी, यह बिल मैंने शब्दशः पढ़ा है। इसके पेज नं. 3 की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बात दिखने में छोटी सी लगती है, लेकिन छोटी नहीं है।

[अनुवाद]

कृपया पृष्ठ 3 पर अध्याय-दो देखें, खंड 3(2) कहता है:

"प्रत्येक व्यक्ति, जिसने अपना दिया गया कार्य समाप्त कर लिया है...."

[हिन्दी]

सभापति जी, बिल तो बिल ही होता है और पास होने के बाद एक्ट बन जाता है। एक बिल को लाने में पूरी भारत सरकार काम करती है, मंत्रालय काम करता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं

[श्री सुबोध मोहिते]

कि जब बिल में 'ही आर शी' ही नहीं लिखा है और 'हिम आर हर' भी नहीं लिखा है, सिर्फ 'हिम' लिखा है तो महिलाओं को आप काम कैसे देंगे?

इसके बाद एक और बड़ी हैरानी की बात है। जिन भी आईएएस अधिकारियों ने यह बिल ड्राफ्ट किया है वे शायद जानते ही नहीं कि रूरल एरियाज में गरीब बसते हैं।

[अनुवाद]

कृपया पृष्ठ 3 देखें। खंड 4(2) कहता है कि योजना का सारांश स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

नीतीश कुमार जी ने जो बात उठाई, वही मैं बता रहा हूं कि यह स्कीम सरकार गरीब, बीपीएल तथा ट्राइबल लोगों के लिए ला रही है। मुझे बताइए कि हिन्दुस्तान में कितने प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां न्यूजपेपर जाता है और जहां गरीब, बीपीएल और ट्राइबल्स को न्यूजपेपर पढ़कर पता चलेगा कि यह स्कीम आई है ओर वे जाकर उसका फायदा उठाएंगे। इसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि गांव में जाकर ढिंढोरा पीटा जाए या ग्राम पंचायत में जाकर योजना की लिस्ट लगाई जाए। इस विषय पर मंत्री जी को जरूर सोचना पड़ेगा।

तीसरी कमी जो मैंने बिल में पाई है, वह पेज नं. 13 के पैरा 14 पर है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो कहूंगा उसको जस्टिफाइ करूंगा। यह भी बड़ी अजीब बात है क्योंकि सच्चाई शायद कोई जानता नहीं है।

[अनुवाद]

कृपया पृष्ठ 13 देखिए। अनुसूची 1-14 कहती है कि मजदूरी किये गए कार्य की गुणवत्ता और मात्रा के समनुरूप होनी चाहिए।

[हिन्दी]

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर एक गरीब आदमी किसी गांव में एक नाली बनाता है और उसका क्वालिटी चैकअप किया गया और उस नाली का क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं निकला, तो क्या उस गरीब मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी? इस बिल में इस बारे में कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर वह क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं दे सकेगा तो उसके लिए पिनल एक्शन का कोई प्रावधान इसमें नहीं है और न ही कोई कानून है कि उसे पेमेंट कैसे देंगे, इस बारे में कोई प्रोविजन नहीं है।

पेज 16 और पैरा 28में एक वक्तव्य है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए फीमेल-आया के रूप में महिलाओं को भेजेंगे। जब एक्ट बनता है तो हर शब्द की अपनी वैल्यू होती है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि कितने बच्चों के लिए कितनी फीमेल आया रखी जाएंगी, यहां भी आपको संशोधन करना पड़ेगा। पेज 4 सैक्शन-7 में बहुत महत्वपूर्ण बात अलाउंस के बारे में है। मेरा कहना यह है कि हम लोग इम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम के तहत इसे ला रहे हैं तो अनइम्प्लायमेंट का सवाल कहां से आता है। जब मैं किसी आदमी को आश्ववस्त कर रहा हूं कि आपको सौ दिन काम करने के लिए मिलेगा, तो अनइम्प्लायमेंट अलाउंस का सवाल कहां से आता है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आज मुझे काम चाहिए। मैंने काम के लिए आवेदन किया। आपने मुझे अनइम्प्लायमेंट अलाउंस देना शुरू कर दिया लेकिन उसकी टाइम लिमिट नहीं है कि मुझे कितना समय इंतजार करना होगा या कितने महीने के बाद या कितने सालों के बाद मुझे फुल रेट पर काम मिलेगा, इसलिए बिल में वेटिंग पीरियड को दिखाना पड़ेगा। इसके बिना उसे फुल वेजिज नहीं मिलेगा। अगर मुझे सौ दिन पर सरकार काम देने वाली नहीं है, अगर मुझे अनइम्प्लायमेंट अलाउंस 50 दिन का दिया गया है तो क्या मेरा क्लेम सिर्फ 50 दिन के लिए रहेगा या 50 दिन अनइम्प्लामेंट अलाउंस मिला है उसके अलावा सौ दिन के लिए अलाउंस दिया जाएगा, यह भी इस बिल में स्पष्ट नहीं है।

इतनी सारी कमियां इस बिल में दिखाई दे रही हैं। जो स्कीम्स फेल होती आई हैं उनके पीछे यही कारण रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से सात बातों का जिक्र करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि आपने एक दिन की न्यूनतम मजदूरी 60 रुपए तय कर दी है। केरल में खेत में काम करने वाला मजदूर 145 रुपए से नीचे नहीं मिलता है। अगर एक आदमी 60 रुपए में आपके यहां आ गया तो जो 145 रुपए में काम कर रहा है, उन के बीच में जो मुश्किल पैदा होगी, लिटिगेशन क्रियेट होगी, उसका क्या समाधान आपके पास है?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि यहां किसी की अकाउंटेबिलीटी नहीं है। न प्रशासन अकाउंटेबल है न पंचायत अकाउंटेबल है। कोई पैनल एक्शन इसमें परपोज नहीं है कि किस पर पैनल एक्शन लिया जाएगा। कोई प्रोविजन नहीं है।

तीसरी बात यह है कि जो काम आप कर रहे हैं वह नीड बेस है या नहीं, प्रोडक्टिव है या नहीं या किसी को रोजगार देना है तो कहीं से भी मिट्टी उठा कर कहीं भी फेंक दो।

अपराह्न 5.00 बजे

वर्क नीड बेस नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। ऐसे कोई भी नार्म्स इस बिल में नहीं रखे गए हैं। इसलिए जो भी इस प्रकार के प्रावधान इसमें हैं, उन्हें तुरन्त हटा देना चाहिए।

सभापति जी, मंत्री जी ने इस बिल में कहा है कि इसे लागू करते समय यह देखा जाएगा कि स्टेट की फायर्नेश्यल कंडीशन कैसी है और उसके बाद हम इस बिल को वहां लागू करने के बारे में सोचेंगे। जब इतना पालिटिकल माइलेज लेने के लिए आप यहां बैठे हैं और ढिंढोरा पीट रहे हैं कि इस योजना में जितनी भी धनराशि खर्च की जाएगी वह 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार की ओर से दी जाएगी, तो फिर स्टेट की इकनौमिक कंडीशन देखने की शर्त इसमें क्यों रखी गई है? यदि किसी स्टेट की इकनौमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो क्या उसे एलाउंस नहीं देंगे, क्या इस स्कीम को उस स्टेट में लागू नहीं करेंगे? यह केन्द्र सरकार का दायित्व है। इसलिए इस बिल में स्टेट की इकनौमिक कंडीशन के बारे में आपने जो बोला है, वह ठीक नहीं है। इसे तुरन्त हटा देना चाहिए।

सभापति जी, मेरी छठवीं बात यह है, जिसे कल्याण सिंह जी ने भी कहा-इस योजना को पूरा देश में चार साल में लागू करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि देश के हर राज्य में एक यूनीफार्म मैसेज जाना चाहिए कि यह स्कीम एक डेट और एक डे, पूरे देश में इम्पलीमेंट और लांच होगी। किसी को भी यह बोलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए कि हमारे यहां यह स्कीम लागू क्यों नहीं की गई है। सेम डे एंड सेम डेट को पूरे कंट्री में यह स्कीम लांच होनी चाहिए, ताकि गलत संदेश न जाए।

महोदय, अभी तक जो भी स्कीमें लागू हुई हैं, वे सब फैल हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में हम बेरोजगार गारंटी योजना को काफी पहले से लागू कर रहे हैं। यदि आप इसका क्रिटिकल नैलेसिस नहीं करेंगे, तो इसका नुकसान होगा और गरीबों को फायदा नहीं होगा। इसलिए मुझे आशा है कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। मैं इतनी बात कहते हुए सभापति जी आपको धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद) : सभापति जी, मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक, 2004 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक ऐसा खूबसूरत ख्वाब है जिसे देश में, बहुत जमाने से बहुत से नेता देखते रहे हैं, लेकिन इस ख्वाब की कोई ताबीर अभी तक नहीं हुई है। बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार चला रही है और उन्हें चलाने में जब सरकार को दिलचस्पी नहीं है, तो वे योजनाएं कामयाब कैसे होंगी, यही हाल इसका भी होने वाला है। अभी थोड़ी देर बाद, हाउस में, इस बिल को पास कराने के लिए केवल ग्रामीण विकास मंत्री ही अकेले रह जाएंगे। जब इस बिल के पास करने के समय दिलचस्पी का हाल यह है, तो मुझे शक है कि इस बिल के पास होने के बाद इसे लागू करने का हाल भी यही होगा। इस बिल का हश्र भी वही होगा, जो दिन में सपना देखने वालों का होता है।

सभापति जी, इस बिल को लागू करने के बाद अगर पी. चिदम्बरम साहब को दिखेगा कि उनकी बैलेंसशीट गड़बड़ा रही है, तो गरीबों पर बोझ लदेगा और मुट्ठीभर करप्ट और भ्रष्ट अधिकारियों को लाभ होगा, जैसा कि अभी तक चल रही योजनाओं का होता रहा है। यहां रूलिंग पार्टी के अनेक सांसद बैठे हैं। मैं असली रूलिंग पार्टी की बात कर रहा हूं, यू.पी.ए. की बात नहीं कर रहा हूं। यू.पी.ए. के अनेक सदस्य यहां बैठे हैं, लेकिन असली रूलिंग पार्टी कांग्रेस है, जिसके मुश्किल से एक-दो मैम्बर नजर आ रहे हैं, बाकी कांग्रेस को कोई मैम्बर नजर नहीं आ रहा है। यदि अभी से कांग्रेस के मैम्बर्स की इस बिल के प्रति दिलचस्पी का यह आलम है, तो इस योजना का, जब यह देश के 200 जिलों में लागू होगी, तो हस्र क्या होगा, यह आप खुद जान सकते हैं।

सभापति जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार में बैठे किसी बड़े अधिकारी के कंप्यूटर में 100-150 जिले ऐसे भरे हुए हैं, जिन्हें पिछड़ा मान लिया जाता है और बाकी जिलों को अगड़ा मान लिया जाता है। देख लीजिए इस स्कीम में भी वही जिले आएंगे, जो फूड फार वर्क प्रोग्राम के अंदर हैं या जो इसी प्रकार की अन्य केन्द्रीय योजनाओं के अंदर हैं। इससे एक फायदा होगा कि राज्य सरकारों के उन 200 जिलों के डी.एम., सी.डी.ओ. और पी.डी. की पोस्टों की अहमियत ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले से उन जिलों में बढ़ी हुई है, वहां

[श्री इलियास आजमी]

फूड आफ वर्क योजना लागू है, सम विकास योजना लागू है, एक और योजना हो जायेगी तो इन पोस्टों की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी और इस पोस्ट को हासिल करने वालों की सलाहियत रखने वालों में राज्य सरकारों में एक होड़ लगेगी कि यह पोस्ट हमको इस जिले में मिल जाये, जहां यह योजना लागू है।

उसके अलावा कितना फायदा होगा, इसके बारे में मुझे शक है, इसलिए कि वही एक लुटेरों की टीम है, जिसे सारी योजनाओं का पैसा दिया जाता है। इतना पैसा ग्रामीण विकास में जा रहा है कि उसका अगर 20 परसेंट भी ईमानदारी के साथ खर्च हुआ होता तो अब तक ग्राम विकास का सपना जमीन पर नजर आने लगा होता। उसका हिसाब-किताब मेरे जैसा आदमी नहीं जोड़ सकता कि कितना पैसा ग्राम विकास पर खर्च हो रहा है, लेकिन विकास भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों का हो रहा है। मैं जब से लोक सभा में आया हूं, तब से मैं यह कोशिश कर रहा हूं कि एक बार भ्रष्टाचार के ऊपर भी यहां पर 1-2 दिन की बहस हो जाये, लेकिन पता नहीं, क्या बात है कि ऐसा नहीं हो पाया। मालूम होता है कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, उस पर बहस के लिए लोक सभा के पास टाइम नहीं है।

अब ये कह रहे हैं कि राज्य सरकारों के जरिये यह योजना लागू होगी। आप बताइये, राज्य सरकारों के जरिये कौन सी योजना ऐसी है, जो आप खुद लागू कर रहे हैं, सारी योजनाएं, चाहे ग्राम विकास की हों, चाहे नगर विकास की हों, चाहे और कोई हों, सभी तो राज्य सरकारों के जरिये ही लागू हो रही हैं तो कौन सी इसमें आपने नई बात कह दी है। हां, बस वही पुराना ढर्रा कि राज्य सरकारों को पैसा दे दिया, पैसा भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों में बंट गया और जिस विभाग की योजना है, उस विभाग के मंत्री जी ने लोक सभा में खड़े होकर अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक ली कि हां, हमने इतने हजार करोड़ रुपया जनता की भलाई के लिए खर्च कर दिया। वह खर्च जनता की भलाई के लिए हुआ है या कुछ नौकरों की भलाई के लिए हुआ है, इस बात के लिए जब तक 2-3 दिन की बहस पार्लियामेंट में नहीं होगी, तब तक यह बात खुलकर सामने नहीं आयेगी। मैं कहता हूं, अगा भारत सरकार के पास अपनी कोई मशीनरी नहीं है, किसी योजना को लागू करने के लिए तो ऐसी योजना केन्द्र बनाता है, जिसके लिए गरीबों का खून चूसकर पैसा जमा करके दिया जाता है और गरीबों के खून की नहर, बल्कि खून का दरिया, जो भारत सरकार चूसती है और विकास के नाम पर भ्रष्टाचारियों के पास जा रहा है, इसको रोकने का जब तक आप उपाय नहीं करेंगे, आप इस तरह की एक हजार योजनाएं लागू कर दें, जनता का, गरीबों का कभी कोई भला नहीं हुआ है, यह मैं अपनी नौजवानी के दिनों से सुन रहा हूं। उस जमाने से मैं सुन रहा हूं कि गरीबी हटाओ से लेकर आज तक पता नहीं, कितनी योजनाएं बनीं, लेकिन जो गरीबी थी, वह अपनी जगह मुंह बाधे खड़ी है। ग्रामीण विकास मंत्री जी कम से कम मौजूद हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जब तक आपकी अपनी कोई मशीनरी न हो, जिलों में अगर पूरी मशीन न सही, जिलों में उसकी निगरानी करने वाली मशीनरी, जिसकी गरदन पकड़ सकने की ताकत आपके पास हो तो आप योजनाएं लागू कीजिए, वरना गरीबों से पैसा चूसकर भ्रष्टाचारियों की जेब में डालने से कोई फायदा नहीं होगा।...*(व्यवधान)* भ्रष्टाचार के बारे में मैंने 10 बार नोटिस दिया है, कोई ऐसा नियम नहीं है, जिसमें मैंने नोटिस नहीं दिया हो कि उस पर एक बहस हो जाये, लेकिन मेरी बदकिस्मती है, बल्कि मेरी नहीं, देशी की बदकिस्मती है कि लोक सभा के पास भ्रष्टाचार पर बहस करने के लिए समय नहीं मिलता। मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि मेरी ताकत इतनी ही है कि मैं लिखकर मांगू कि भ्रष्टाचार पर बहस करा दीजिए, लेकिन अगर चेयर की तरफ से मंजूरी नहीं मिलती तो मैं क्या कर सकता हूं।...*(व्यवधान)*

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं चेयर पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : सभापति महोदय, मुझे आज यहां बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं अपनी पार्टी बी जे डी और हमारे प्रिय नेता श्री नवीन पटनायकजी की ओर से सिद्धांतत: इस विधेयक का समर्थन करता हूं। तथापि, खेद की बात यह है, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं में से कुछ सदस्यों ने बताया है कि इस विधेयक में कई कमियां हैं और इसे कार्यान्वित किये जाने से पहले इसमें तुरन्त संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार की बहुत सी रोजगार योजनाएं, जैसे आरएलईपीजी, एनआरईपी, एसजीआरवाई, जेआरवाई आदि, हैं और उसके साथ ही 'मिलियन वैल्स स्कीम' जैसी परोक्ष परियोजनाएं भी हैं जिसमें किसान को उसकी भूमि में कुंआ खोदने के लिए 12,500 रुपये दिये जाते हैं ताकि वह इससे भूमि की सिंचाई करके अपने लिए

रोजगार का सृजन करे। परंतु दुर्भाग्य से यद्यपि काफी देर बाद सरकार को पता चला कि ये सभी कार्यक्रम असफल रहे और शायद इसीलिए इन सभी को मिलाकर कानून बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक लाया गया है। यही सारी बात है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो यह नई बोतल में पुरानी शराब है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये सभी योजनाएं देश भर में सभी जिलों में काफी लम्बे समय से फैली हुई थी और इन योजनाओं पर कोई रोक भी नहीं थी।

आज यह कानून बनाकर इसे सीमित कर दिया। सबसे पहले 150 जिलों तक, फिर अपने गठबंधन के साथियों के दबाव में आपने इसे 200 जिलों तक बढ़ा दिया। इसके बाद आपने प्रति परिवार के लिए अधिकतम 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की सीमा निर्धारित की है और वह भी 60 रुपये प्रतिदिन की तुच्छ दर पर। उड़ीसा जैसे राज्य में भी—जैसा कि हम सब जानते है अन्य राज्यों में यह दर इससे कहीं अधिक है, एक महिला मजदूर भी, यह निर्माण कार्य की स्थिति पर निर्भर है, 80 रुपये से 100 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी प्राप्त करती है। इस प्रकार 60 रुपये की धनराशि निर्धारित करके उनका मजाक बनाया गया है। यदि हम 365 दिनों में से 100 दिन के रोजगार की गारंटी की बात स्वीकार भी कर लें तो—हमें यह नहीं पता कि वे लोग बाकी के 265 दिन गुजारा कैसे करेंगे। यह एक अच्छी शुरुआत है और केवल विरोधी होने या नकारात्मक रुख रखने के कारण हमें किसी चीज की शुरुआत में ही आलोचना नहीं करनी चाहिए।

परन्तु माननीय मंत्री डा. रघुवंश सिंह, जो कि समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं, ने स विधेयक को पुर:स्थापित करते समय इसके प्रभावों पर प्रकाश नहीं डाला। क्या यह विधेयक रोजगार का सृजन करने, लोगों को श्रम उपलब्ध कराने या धन प्राप्त करने से प्रेरित है? डा. मनमोहन सिंह, श्री पी चिदम्बरम और ऐसे अन्य लोग जो कि अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के समर्थक हैं, के होते हुए मैं नहीं मानता कि यह विधेयक ग्रामीण लोगों हेतु रोजगार सृजन की इच्छा से लाया गया है। मेरी समझ से यह विधेयक धन के विचार से लाया गया है। इस विधेयक के माध्यम से आप ग्रामीण क्षेत्र में भारी मात्रा में धन पहुंचा रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है? यह धन देश के गरीब लोगों के उत्थान के लिए नहीं बल्कि उनकी क्रयशक्ति बढ़ाने के लिए है। दूसरे शब्दों में, आप ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार बन जाएं। आप चाहते हैं कि अपने उत्पाद बेचने के लिए कोक और पेप्सी जैसी कंपनियां भारत के ग्रामीण क्षेत्र के भीतर तक जाएं।

यह अधिक रोजगार सृजन करने के विचार से लाया गया विधेयक नहीं है। इस विधेयक में राज्य सरकारों से 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक निधियों के निवेश की अपेक्षा की गयी है और इसके लिए कुछ खंड भी अंत:स्थापित किये गए हैं। क्या विधेयक तैयार करते समय किसी समय, किसी राज्य सरकार से कोई परामर्श किया गया था? क्या इस विधेयक का मामला राष्ट्रीय विकास परिषद या मुख्यमंत्रियों की बैठकों में उठाया गया था? जहां तक मेरी जानकारी है, माननीय मंत्री जी ने इस बारे में अपने भाषण में कुछ नहीं बताया है। हम सबकी जानकारी के अनुसार किसी भी स्तर पर इस विधेयक पर राज्य सरकार से चर्चा नहीं की गयी है।

माननीय मंत्रीजी ने कहा है:

[हिन्दी]

कृष्ण की बांसुरी बजे, राम का धनुष उठे, बुद्ध का ज्ञान बढ़े, लेकिन निर्धन को धन नहीं मिला।

[अनुवाद]

एक ऐसी परिस्थिति उभरी है जिसमें समाजवादी पृष्ठभूमि के महान व्यक्ति डा. रघुवंश प्रसाद सिंह अपनी समाजवाद की कविता भूल गए और डा. मनमोहन सिंह को उन्हें प्रेरित करना पड़ा। यह शायद इसलिए हुआ कि वे कांग्रेसी विचारधारा से काफी लम्बे समय से मिलते रहे हैं। वे वहां के हैं नहीं और यह साथ उनके लिए उचित भी नहीं है परंतु परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर किया और हम सबकी सहानुभूति उनके साथ है।

जब भारत के ग्रामीण क्षेत्र में भारी निवेश किये जाने पर विचार किया जाता है तब आपको इस पर विचार करना होता है कि संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने भाषण में क्या कहा। उन्होंने अपने भाषण में यह स्वीकार किया है कि उन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत ली जाने वाली परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संदेह है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वितरण मशीनरी काफी खराब व निष्प्रभावी है जिसके कारण निधियों का एक बड़ा भाग इस सरकार और सभा के सदस्यों की अपेक्षाओं के स्तर पर लक्षित लोगों तक नहीं पहुंच पाता है।

अब हम पुन: माननीय मंत्री जी की कविता 'यदि कृष्ण की बांसुरी बजे, राम का धनुष उठे, बुद्ध का ज्ञान बढ़े, लेकिन निर्धन को धन नहीं मिला की बात करें और मुक्त लोकतंत्र का सत्य भी यही है

[श्री तथागत सत्पथी]

कोई भी व्यक्ति अपनी दक्षता और योग्यता के अनुसार प्रगति कर सके। अत: हमें विचार करना होगा कि क्या हम इस राष्ट्र के गरीब लोगों को सचमुच आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाना चाहते हैं या उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लायक ही बनाना चाहते हैं हम सभी जानते हैं और माननीय मंत्रीजी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि केन्द्र सरकार के पास पर्याप्त निधियां हैं। यह एक अच्छा समाचार है। हम सब जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन से परिचित है, पंचायतों के प्रभाव और उनकी कार्य प्रणाली से भी परिचित हैं। ऐसा नहीं है कि पंचायतों के पास पर्याप्त धन नहीं है, प्रश्न यह है कि वे उस धन का निवेश कैसे कर रहे हैं।

अपराह्न 5.19 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

अत: हम हमें इस बात की जानकारी है और फिर भी उसी मशीनरी को और अधिक धन दिया जा रहा है तो इस धन का कितने प्रभावी तरीके से निवेश किया जाएगा। हम सत्ता के विकेन्द्रीकरण का समर्थन करते हैं, यह अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। परंतु सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात करते हुए जब परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाता है तो इस बात पर विचार करना होगा कि किस तरह की परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाएगा। जैसा कि मेरे एक साथी, पूर्ववक्ता ने भी कहा था कि क्या सृजित की जाने वाली ये परिसंपत्तियां ग्रामीण जीवन में उपयोगी होंगी? जब तक सृजित की गयी परिसंपत्तियां लगातार उपयोग में आने वाली नहीं होंगी उनका कोई महत्व नहीं रहता और उन परिसंपत्तियों के सृजन पर लगी निधियां और उसके लिए उपलब्ध कराया गया रोजगार पूरी तरह व्यर्थ ही होगा।

समय आ गया है जबकि इस राष्ट्र के नेता और इस सभा के सदस्य यह महसूस करें कि गरीबी के कई पहलू हैं। गरीबी के कई कारण हैं।

कुछ ऐतिहासिक कारण है और कुछ परिस्थितिजन्य परन्तु मेरी राय में गरीबी का एक महत्वपूर्ण पहलू दक्षता है। जब हम अकुशल और अयोग्य होते हैं तो हम गरीब होते हैं। अत: इस धन का उपयोग ग्रामीण गरीबों में योग्यता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आप हमेशा यह नहीं कह सकते कि अकुशल कामगारों आगे आओ, हम तुम्हें काम देंगे और कुछ धन भी ले जाओ यह एक तरह से अयोग्य लोगों को लाभ की खैरात बांटने जैसा है और ये लोग परिवार के लाभ हेतु इन 60 रुपयों का भी उचित उपयोग नहीं कर पायेंगे। अत: यह आवश्यक है कि इस धन का उपयोग सीधे कृषि क्षेत्र में हो ताकि इसके निवेश से लाभ मिल सके। कृषि ही एकमात्रा ऐसा क्षेत्र है जिसमें ग्रामीण गरीब लोग कुशल हैं। उस क्षेत्र की प्रौद्योगिकी और कार्य से भली भांति परिचित हैं। यदि इस धन का निवेश कृषि के विकास, जल संसाधन के भंडारण और उसके उचित उपयोग के उद्देश्य से किया जाता है तो परियोजनाएं सतत् चलती रहेंगी और दीर्घावधि में सार्थक सिद्ध होंगी।

इस विधेयक में राज्य परिषद् की भी बात कही गयी है। प्रश्न यह है कि इस का प्रमुख कौन होगा जो कि इस बारे में निर्णय लेगा। क्या ग्राम सभाएं इसकी प्रमुख होंगी? क्या पंचायतें इसमें प्रमुख भूमिका निभाएंगी जो कि ग्राम सभाओं से आवेदन प्राप्त करेंगी। सचिव या भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य कैडर के परियोजना अधिकारी की अध्यक्षता वाली राज्य परिषद् उसकी प्रमुख होगी? यदि ऐसा हुआ तो फिर वही ढाक के तीन पात वाली बात होगी। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए नौकरशाही को प्रश्रय दिया जाएगा।

आप कह रहे हैं कि ठेकेदारों, और मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। आज यही नियम 'काम के बदले अनाज' परियोजना के लिए भी लागू है। उड़ीसा में भी काम के बदले अनाज स्कीम चलायी जा रही है। मैंने यह नोटिस किया है कि लगभग सभी राज्यों में यह ठेकेदारों के माध्यम से चलायी जा रही है। नौकरशाही के अंतर्गत एक व्यक्ति के साथ संपर्क को प्राथमिकता दी जाती है। ये व्यक्ति निश्चित रूप से ठेकेदार ही होते हैं। ये सभी ठेकेदार मशीनों का उपयोग कर रहे हैं और वास्तव में बहुत कम रोजगार का सृजन किया जा रहा है और धन ठेकेदारों के पास चला जाता है।

मैं एक अन्य बात भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस विधेयक का एक छोटा सा पहलू एक बड़ी सामाजिक बुराई में परिणत हो सकता है। आप परिवार के बारे में निर्णय ले रहे हैं। व्यस्क कौन है? इस विधेयक के अनुसार कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति व्यस्क। यदि किसी घर में तीन या चार लोग 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो वे व्यस्क होंगे। इस तरह हर कोई बाकी परिवार से अलग होना चाहेगा। इस तरह छोटे-छोटे परिवार बन जाएंगे। छोटे परिवारों का मतलब होगा कि उन्हें सरपंचों या परियोजना अधिकारियों से मान्यता प्राप्त करनी होगी जो इनका पंजीकरण करेंगे। जैसा कि मेरे एक पूर्व वक्ता ने भी कहा है विधेयक में इन कमियों से

भ्रष्टाचार उत्पन्न होगा क्योंकि एक परिवार में चार या पांच व्यस्क सदस्यों के होने पर स्वयं का पृथक पंजीकरण कराने के लिए उन्हें पैसे देने होंगे और चार या पांच परिवारों का पंजीकरण कराना होगा। इसका सामाजिक प्रभाव यह होगा कि खेतों की भूमि भी बंट जाएंगी और दीर्घावधि में ग्रामीण भारत की स्थिति एकदम बदल जाएगी और इसके बुरी तरह टूटने-फूटने और विभाजित होने की नौबत आ जाएगी।

मैं उड़ीसा राज्य से हूं। अत: मैं एक मिनट में उड़ीसा की बात करके अपना भाषण समाप्त करता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि पूरे उड़ीसा को इस योजना में शामिल किया गया है। यह छोटे-छोटे भागों में नहीं लिया जा सकता। हमारे यहां सबसे ज्यादा ग्रामीण गरीब है। मैं विशिष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि संपूर्ण उड़ीसा राज्य को ही इसके क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष में ही उसमें शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की संख्या सबसे अधिक अर्थात् लगभग 47 प्रतिशत से भी अधिक है। अत: इसे पांच या दो वर्षों में क्रियान्वित किये जाने के बजाय तुरंत ही क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं श्री कल्याण सिंह जी के भाषण का भी समर्थन करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी इस देश को शहरी क्षेत्र के गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के आधार पर बांट नहीं सकता। गरीब आदमी, गरीब आदमी है। उसकी कोई जाति, उसका कोई धर्म नहीं होता और वह स्वयं को इन मुद्दों से जोड़ता भी नहीं है। उसके सामने तो केवल पापी पेट का सवाल होता है। अत: इस सरकार को शहरी क्षेत्र के गरीबों के बारे में भी विचार करना होगा और शीघ्रातिशीघ्र एक उचित विधेयक तैयार किया चाहिये ताकि शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों की समस्याओं को भी हल किया जा सके।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा) : सभापति महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की ओर से संसद में इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। मैं इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करते हुए खुशी का अनुभव कर रहा हूं और गौरवान्वित हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है जिसे सूचना का अधिकार विधेयक को पारित करने के बाद हम 14वीं लोक सभा में पारित कर रहे हैं।

महोदय, हमारे पूर्वजों और हमसे बड़े लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तथा इस देश को अंग्रेजी साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाने के लिए बड़े त्याग किए हैं। हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की और प्रजातांत्रिक शासन को अपनाया। हमने अपने लोगों को भोजन, वस्त्र आश्रय और रोजगार मुहैया कराने का भी वचन दिया जो हमारी जनता की प्राथमिक आवश्यकताएं है। लेकिन कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति मात्र सरकारी दान पर जीना पसंद नहीं करेगा। इसलिए, हमें अपने देश के लोगों को रोजगार मुहैया कराने की जरूरत है क्योंकि ये लोग काम करने तथा अपनी आजीविका के लिए तैयार है। पिछले छ: दशकों में हम उन्हें इन मूलभूत जरूरतों को उपलब्ध नहीं करा पाये हैं और यह अधिनियम करोड़ों ग्रामीण लोगों को रोजगार मुहैया कराएगा जिसकी उन्हें जरूरत है।

इस सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती सोनिया गांधी ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि कैसे कांग्रेस पार्टी रोजगार उपलब्ध कराने के प्रतिबद्धबद्ध है। मैं समझता हूं कि संप्रग और कांग्रेस पार्टी इसका श्रेय ले सकती है लेकिन इसके साथ ही वामपंथी और अन्य राजनीतिक पार्टियों जो संप्रग में है, को भी इसका श्रेय जाता है जिन्होंने इस विधेयक को लाने में अपना योगदान दिया। निश्चित रूप से, भारतीय लोगों के लिए इस अधिनियम को लाने का श्रेय अंतत: 14वीं लोक सभा को जाता है।

मैं यह स्मरण दिलाना चाहूंगा कि आजादी के पहले भी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इसके लिए योजना समिति का निर्माण किया था। यदि मैं गलत नहीं हूं तो पंडित जवाहर लाल ने इस समिति के सभापति थे तथा इस राष्ट्र के शूरवीर श्री सुभाषचन्द्र बोस भी उस समिति के एक सदस्य थे। समिति ने कई सुधारों के लिए सुझाव दिया था और समिति की सिफारिशों का सार था 'आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय'। इस देश के 'आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय' के उस नारे को लाने में लगभग छ: दशकों का समय लगा।

मैं नहीं समझता कि ग्रामीण गरीबों को रोजगार प्रदान कर गरीबी को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है फिर भी यह धिधेयक ऐतिहासिक है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद के अंतिम छ: दशकों में ग्रामीण गरीबों पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका।

मेरा जन्म आंध्र प्रदेश के एक बहुत ही पिछड़े हुए जिले में हुआ। प्रतिवर्ष कई लाख लोग रोजगार की खोज में राज्य से बाहर दूर-दूर स्थानों कभी-कभी 1000 कि.मी. दूर तक जाते हैं।

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

दुर्भाग्यवश, उनमें से कम से कम दो या तीन प्रतिशत लौटकर वापस नहीं आते क्योंकि दूर-दराज के उन क्षेत्रों में अनेक बीमारियों से उनकी मौत हो जाती है। पूरे देश में इस प्रकार काम की खोज में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पंजाब में भी इस प्रकार का पलायन हो रहा है। पंजाब के लोग बेहतर रोजगार की खोज में देश के बाहर जा रहे हैं जबकि लाखों बिहारी लोग पंजाब में कृषि श्रमिक के रूप में कम करने जा रहे हैं। खालिस्तान आंदोलन के दौरान जब हिंसा भड़की थी तब इन हिंसा पीड़ितों की दयनीय दशा हमने देखी है। मलयालम भाषा बोलने वाले लाखों लोग रोजगार की खोज में खाड़ी के देशों में जा रहे हैं। हाल ही में, मुझे बताया गया कि बंगाल और तमिलनाडु से बड़ी संख्या में लोग काम की खोज में केरल में जाना शुरू कर दिया है। वहां इस प्रकार का पलायन हो रहा है। क्योंकि ग्रामीण गरीब लोगों के पास साल के 100 से 150 दिनों तक कोई काम नहीं होता। यही कारण है कि इस प्रकार का विधेयक आवश्यक हो गया है।

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि राजग पक्ष के हमारे कुछ मित्र यह शिकायत कर रहे हैं कि हम मात्र 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। यह सत्य है कि यदि हम पूरे साल के लिए रोजगार उपलब्ध करा पाते तो यह और अच्छा होता। तथापि, राजग के शासन काल में दुर्भाग्यवश 20 दिन का काम भी नहीं उपलब्ध कराया जा सका। मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहूंगा — 2002-03 में राजग सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सांख्यिकी के आधार कि वर्ष 2002 और 2003 के दौरान, अर्थात् 2 वर्षों में 21 लाख लोगों ने, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में, रोजगार के अवसर खो दिए। उन्होंने एक करोड़ रोजगार सृजन का वादा किया था लेकिन उन्होंने दो मिलियन लोगों का रोजगार छिन लिया। अब इस विधेयक पर इस दृष्टिकोण के आधार पर हमला किया जा रहा है कि इसमें कुछ कमियां हैं। निश्चित तौर पर इस विधेयक में और सुधार हो सकता है। हमें इस विधेयक को और संपन्न बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस साल के अनुभव से हमें निश्चित तौर पर कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों की कोशिश करनी चाहिए जो अगले साल या आने वाले वर्षों में आवश्यक हो।

महोदय मैं कहना चाहूंगा कि गरीबी तो गरीबी है चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो। प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र को दी जानी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिन संशोधनों का प्रस्ताव किया जा रहा है वे सारे अच्छे संशोधन हैं। वामदलों और संप्रग के बीच चर्चा से यह विधेयक और सम्पन्न बना। पूरे देश में इस विधेयक को अधिनियमित करने की तथा इसे लागू करने का यह पांच वर्षीय अवधि भी सही है। 60 रुपये की न्यूनतम मजदूरी निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। तथापि, देश के कई अन्य भागों में न्यूनतम मजदूरी इससे भी कम है। यह निश्चित तौर पर बेहतर रोजगार गारंटी प्रदान करेगा। मैं नहीं मानता कि इससे ग्रामीण भारत में कोई समस्या पैदा होगी क्योंकि काम ग्रामीण लोगों में ही बांटा जाएगा। यह वही पुराना विधेयक या पुरानी योजनाएं नहीं है जो एक साथ चल रहे हैं। इसमें अंतर है 100 दिन की रोजगार की गारंटी है, न्यूनतम 60 रुपये की मजदूरी की भी गारंटी है, पांच साल में यह कानून पूरे देश के लागू होगा और इस पर व्यय होने वाली आवश्यक राशि का नब्बे प्रतिशत केन्द्र देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो बहुत कमजोर हैं और वे अपने हिस्से का 10 प्रतिशत का भी प्रबंध नहीं कर सकते। उन्हें विशेष कोष उपलब्ध कराया जाए ताकि इस प्रकार की योजना पूरे देश में समुचित ढंग से क्रियान्वित की जा सके।

महोदय, विधेयक का समर्थन करते हुए मेरी अपील है कि न्यूनतम मजदूरी को यथाशीघ्र बढ़ाया जाए तथा शहरी क्षेत्र पर भी विचार किया जाए और उसे इस योजना के दायरे में लाया जाए।

अंत में मैं कुछ टिप्पणियों के बारे में कहना चाहूंगा जो एक समाचार पत्र में, 'सोनिया अधिभार आ रहा है' जैसे शीर्षक से छपा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विधेयक को लाने से जो लोग निराश हैं वह इसे एक वोट बैंक योजना के रूप में इसे दिखाना चाहते है। वस्तुत: कोष का प्रबंध करना आवश्यक है। यह पूरे देश में सबके ऊपर अधिभार लगाने की बात नहीं है। सरकार से भी मेरी अपील है कि वह उन लोगों पर और कर लगाए जिन्होंने आजादी के बाद लाभ प्राप्त किया है। कॉरपोरेट घराने जो ज्यादा कर दे सकते हैं, जो स्वतंत्रता के बाद अरबपति बन गए हैं, उन पर उचित कर लगना चाहिए और इस योजना के लिए आवश्यक राशि का प्रबंध किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय सभापति जी, आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं मंत्री

जी को बधाई देता हूं कि काफी समय से आप प्रयास कर रहे थे कि इस विधेयक पर चर्चा हो और इस विधेयक का पारण हो। मंत्री जी को बधाई देने के साथ-साथ मैं रूरल डवलपमेंट की स्टैंडिंग कमेटी और उसके चेयरमैन कल्याण सिंह जी, जो हमारे नेता हैं, को भी बधाई देना चाहता हूं, जिसमें इस बिल पर व्यापक चर्चा हुई उस कमेटी ने सिर्फ छः महीने में दस सींटिंग्स में इस बिल पर विचार किया और कई अच्छे सुझाव दिए। उन सुझावों में से कुछ को मान लिया गया है, जैसे महिलाओं को अधिकतम अवसर देने की बात है। लेकिन आज इस पर चर्चा के दौरान कई सुझाव आ रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आपको उन पर भी विचार करने के लिए तीन दिन का समय मिल रहा है। सोमवार तक आप उन सुझावों पर, संशोधनों पर पूरी तरह से विचार कर सकते हैं, क्योंकि पुनः विधेयक को कुछ टयूनिंग करने की आवश्यकता है, ऐसा पूरे विधेयक को देखने से लगता है। विधेयक देखने में ठीक-ठाक है, लेकिन उसका जो संदेश जाना चाहिए, वह कैसे उस पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जाए, यह देखने की बात है। कहीं ऐसा न हो कि इसका भी हश्र अन्य योजनाओं की तरह न हो, जिसका उल्लेख कई माननीय सदस्यों आजमी जी ने और स्वयं सोनिया गांधी जी ने भी किया है।

मुझे याद आता है कि सुनिश्चित रोजगार योजना देश के कुछ जिलों में लागू की गई थी। उसमें हमारा जिला भी था। उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए पीला और गुलाबी कार्ड दिए जाने की बात थी और स्थानीय निवासियों को 100 दिन का रोजगार देने की बात कही गई थी। लेकिन इन सारे प्रावधानों और रेग्युलेशंस के होते हुए भी उसमें एक चीज नहीं थी, वह यह कि तब वह योजना अधिनियमित नहीं थी। आज हम इसे लेजिस्लेशन के जरिए अधिनियमित करने जा रहे हैं। सामान्य स्कीम और लेजिस्लेशन में जो अंतर रहता है, वह इतना ही रहता है कि जहां स्कीम का कोई उल्लंघन हो, वहां प्रत्यक्ष रूप से दंड की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन हम इस बारे में लेजिस्लेशन लाकर इसे कानूनी रूप देने जा रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय जनहित का विषय है। इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर इस योजना के तहत 38,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा।

जब हम इसमें निहित दंड व्यवस्था की ओर जाते हैं, तो मैं खंड 25 प्रकीर्ण मिसलेनियस का उल्लेख करना चाहूंगा। उसमें यह है कि :

"जो कोई भी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोष सिद्धी पर जुर्माने का, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दाई होगा।"

इसके अलावा फर्ज कीजिए एक हजार रुपए का जुर्माना प्रधान पर, पंचायत सेवक पर, बीडीओ पर या समन्वित कार्यक्रम अधिकारी के ऊपर होता है, वह तब होगा, जब दोष सिद्ध होगा। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

पूरे विधेयक को देखने के बाद हमें जो कमियां नजर आ रही हैं, मैं चाहता हूं कि आपके पास तीन दिन का समय है, आप इसका सदुपयोग करें और तय करें कि यह दंड, यह अपराध संज्ञेय होगा, काग्नीजेबल होगा या नॉनकाग्नीजेबल होगा। सवाल यह है कि जुर्माना अदा नहीं करने पर क्या उसके लिए कन्फाइमेंट होगा, इसका इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा उसके लिए कम्पीटेंट कोर्ट कौन सा होगा, कौन सी अदालत में यह मामला जाएगा, किस रूप में केस रजिस्डर्ड होगा, क्योंकि जुर्माने का मामला है, इसका भी जिक्र नहीं है। इसके अलावा इसमें रिविजनल या एपेलेट का प्रावधान नहीं है। जो नेचुरल जस्टिस है, जिसे दंड की व्यवस्था करेंगे, जो नेचुरल जस्टिस का तकाजा है कि उसे यह अधिकार मिलना चाहिए कि उसके रिवीजन के लिए कम से कम एक अपील का तो उसे अधिकार हो, इसका भी इसके भीतर कोई उल्लेख नहीं है। सबसे बड़ा, जो पब्लिक सर्वेट है जिसको एक प्रकार से इंडियन पैनल कोड के सैक्शन 21 में प्रीवलेज मिला हुआ है कि गुड फेथ में कोई भी काम किया, उसके खिलाफ मुकदमा ही दर्ज नहीं होगा, तो उसका भी उल्लेख इसके भीतर नहीं दिया है और अधिकांश जो इसके अंदर मामले आयेंगे, वे पब्लिक सर्वेंट्स के ही आयेंगे। इसलिए यह जो खंड 25 है इसको पुनः देखे जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस दिशा में विचार करके, अगर कोई संशोधन की आवश्यकता होगी, तो अवश्य लेकर आयेंगे। हम इसका समर्थन कर रहे हैं।

इसमें एक विषय का उल्लेख आया है। स्कीम की धारा खंड 22(2) के ख क्लॉज में आया है कि स्कीम की सामग्री लागत का एक-चौथाई, जिसके अधीन रहते हुए कुशल और अर्ध-कुशल कर्मकारों की मजदूरी का संज्ञान भी है, इसको राज्य सरकार अदा करेगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वह केवल अकुशल लेबर का हो रहा है। लेकिन हर गांव के अंदर मिस्त्री भी है, बढ़ई भी है और लुहार भी है, वह जो कुशल लेबर है उसी गांव में वह भी बेकार बैठा हुआ है। जिसने थोड़ा-बहुत काम सीख लिया या सैमी-कुशल लेबर है तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था की जा सकती है और हम उसको

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

भी विश्वास दिलाएं कि उनको भी रोजगार मिलेगा और उसके लिए मजदूरी, जो भी राज्य सरकार तय करे, वह होनी चाहिए। अब बारगेनिंग से होगा या किससे होगा—इस विषय को भी देखे जाने की आवश्यकता है।

एक उल्लेख यहां आया था और मैं भी उस बात को दोहराना चाहूंगा कि "नयी बोतल में पुरानी शराब है", तो लगभग यही योजनाएं हैं। लेकिन बधाई इस बात की है कि आज जो कोडिफाइड नहीं था वह कोडिफाइड हुआ है। मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्थाएं आपने रखी हैं। आपने पूरे देश के संसद सदस्यों को अध्यक्षता में निगरानी समिति और बहुत सारी समितियां बनाई हैं। उसमें ग्रामीण विकास के जितने कार्यक्रम सम्मिलित हैं, मेरा अनुरोध रहेगा कि कालांतर में, इस विषय को भी किसी स्टेज पर, उसके भीतर शामिल करना चाहिए।

अब चयन कैसे करेंगे, इसका मानक क्या होगा? माननीय इलियास आजमी जी ने बात बहुत अच्छी कही कि हमारे कुमाऊ मंडल में मात्र एक जिला है और वही श्रम विकास योजना में है, फूड फॉर वर्क में है और वही इसमें आना है। जबकि वह जिला दूसरे जिले से टूटकर बना है। बड़ा भेदभाव वहां हो रहा है। एक तरफ तो लोगों को काम मिल रहा है और दूसरे लोग वहां काम से भी वंचित हैं, और देश के पर्वतीय क्षेत्र में देश के उद्योग-धंधे नहीं हैं, खेती नहीं है, बरोजगारी पूरी तरह से फैली हुई है। हम चाहते हैं कि पूरे देश का हिमालय क्षेत्र इसमें शामिल हो जाए तो अच्छा हो—इस पर भी आपको विचार करना चाहिए।

सर्व-शिक्षा-अभियान की योजना गांव में चल रही है। ए.आई. बी.पी. कार्यक्रम भी गांव के अंदर चल रहा है, डीपीएपी चल रही है, हरियाली है, वानिकी है, स्वजल धारा है, सम-विकास की योजना है और हरेक में जो पैसा रिलीज होता है वह किश्तों में होता है। यहां जो प्रावधान है कि हफ्ते में पेमेंट दे देना या 15 दिन के अंदर पेमेंट दे देना, अब इसमें वे कैसे इसे कंट्रोल करेंगे, यह फाइनेंशियल मैटर जो आयेगा, इसको भी पुन: सही तरीके से परिभाषित किये जाने की आवश्यकता है।

थोड़ा सा उल्लेख आ गया कि 60 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न तीन साल पहले उपलब्ध था और उस समय लोग भूख से मर रहे थे लेकिन लोगों को दिया नहीं गया, जबकि भंडार भरे थे। ऐसा आरोप हमारी एनडीए सरकार पर आया था। मैं उसको पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं और अपने प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, वह योजना आज भी चल रही है। अंत्योदय का उल्लेख माननीय सभापति जी ने किया था कि 25 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी से, पहले तो मोर्चा सरकार ने शुरू किया था टीपीडीएस 10 किलो प्रति परिवार था, लेकिन अंत्योदय में 35 किलो प्रति परिवार की व्यवस्था की गई और उसमें भी दो रुपये किलो गेहूं, तीन रुपये किलो चावल, फिर अन्नपूर्णा, योजना में जो निराश्रित हैं उनको नि:शुल्क दिया गया, तो ये आरोप पूर्ण रूप से निराधार हैं। अब देश के भीतर कहीं अव्यवस्था रहती है, कहीं पर अन्य घटनाएं होती हैं। लिहाजा यह आधारहीन है। मैं उसका खण्डन करता हूं। यह जो मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोग्राम्स होगा, गांवों में प्रधानमंत्री सड़क योजना पर काम हो रहा है, कहीं ग्रामोदय योजना पर काम हो रहा है, उनमें मजदूरी भिन्न हैं। इसमें मजदूरी भिन्न होगी। इससे जो व्यक्ति की काम करने की क्षमता है, उस पर जरूर असर पड़ेगा। इसमें कैसे तालमेल हो सकता है, इस दिशा में भी मंत्री जी को विचार करने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान देते हुए जो मुख्य सुझाव आए हैं, उन्हें जरूर शामिल करेंगे और एक मैकेनिज्म के बारे में भी जरूर विचार करेंगे क्योंकि मैकेनिज्म वही है, जिलों में सीडीओ है, वहीं बीडीओ है, वहीं व्यक्ति हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैकेनिज्म को कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : सभापति महोदय, मैं आज इस सदन मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं। यह विधेयक एक ऐतिहासिक कदम है जो इस देश के ऐतिहासिक अभिलेख में सम्मिलित किया जाएगा और जो देश में गरीब और जरूरतमंद लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश लाएगा।

इस विधेयक से अंतत: देश के गरीब लोगों को न्याय मिलेगा और उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ेगा। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस विधेयक के लिए एकल-चित्र, दृढ़ प्रतिज्ञ, समर्पण और संकल्पना का श्रेय श्रीमति सोनिया गांधी को जाता है। एकबार अरस्तु ने कहा था और मैं उसको उद्धत करता हूं: 'आशा जागता हुआ स्वप्न है।' आज के विश्व में हमारे बीच कई नेता है जो स्वप्न तो देखते हैं लेकिन उनको यर्थाथ मे बदलने की उनमें प्रतिवद्धता होनी चाहिए, उन सपनों को सच्चाई में बदलने का साहस होना चाहिए, उसे क्रियान्वित करने की क्षमता होनी चाहिए और उस वचन को निभाने

की वचनबद्धता होनी चाहिए। सभापति महोदय, हम आज बहुत ही भाग्यशाली हैं कि क्योंकि संप्रग सरकार में हमारे प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी और संप्रग की सभापति श्रीमति सोनिया गांधी जी उस दल में सम्मिलित हैं।

यह विधेयक कांग्रेस द्वारा लाया गया है। मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक मैं प्रधान मंत्री को उद्धतकर रहा हूं- एक विचार है जिसका समय आ गया है। पहले यह वादा किया गया था इसकी बीच इस विचार की उत्पत्ति कांग्रेस मुख्य मंत्रियों के 2002 में गुवाहाटी में हुए सम्मेलन में पड़ी थी। इसके बाद यह कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र का एक मुख्य हिस्सा रहा और मई, 2004 में भी यह संप्रग सरकार की मुख्य वादा रहा था। संप्रग सरकार ने केन्द्र मे जैसे ही कार्यभार ग्रहएर किया तो काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम केवल रोजगार गारंटी विधेयक के अग्रगामी के रूप में शुरू किया गया। इसे संसद में 21 दिसम्बर 2004 को सभा पटल पर रखा गया था और इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था जिसे छः महीने का लम्बा समय लगा, उसे सदन पटल पर रखने में 14 महीने का समय लग गया जब तक हमारे प्रधान मंत्री ने तथा संप्रग सरकार की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने इसे इसी मानसून सत्र में पेश किए जाने के लिए जोर नहीं दिया ताकि गरीबों को वह सहायता मिल सके जिसके लिए वे लम्बे समय से इंतजार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारी यू.पी.ए. सरकार की नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं है हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखे।

[अनुवाद]

कांग्रेस पार्टी की परम्परा ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों पर ध्यान देने की रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिनों से, जब उन्होंने पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, जो रोजगार पर केंद्रित थी इंदिरा जी के 'गरीबी हटाओं' कार्यक्रम जो कि गरीबी पर सीधा हमला था, तक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रमों की न केवल देश में सराहना की गई अपितु विश्व भर में महबूब-उल-हक और फॉल मी. स्ट्रीटन जैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा भी प्रशंसा की गई है। 1972 में पुनः कांग्रेस सरकार द्वारा महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना (ई जी एस) शुरू की गई थी। पहले राजीव जी ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम - जवाहर रोजगार योजना को शुरू किया था।

[हिन्दी]

अभी कुछ समय पहले श्री नीतीश कुमार जी ने टिप्पणी की थी कि हमारी यूपीए सरकार की क्या प्राथमिकता है? हमारी प्राथमिकता है जैसा कि रघुवंश प्रसाद जी ने कहा, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा, ग्रामीण विकास हमारी प्राथमिकता है, जो बेरोजगारी की बीमारी है, उसे सदैव के लिए हटा दें यही हमारा संकल्प है, यही हमारी प्राथमिकता है।

उन्होने टिप्पणी की। कई लोग यहां अनुपस्थित हैं जिस का मुझे बहुत खेद है। वे भाषण देने के बाद स्वयं अनुपस्थित हो गए। वास्तविकता यह है कि हमारी यूपीए सरकार जो सम्भव कार्य हैं, उनके बारे में चर्चा करती है। वह मायाजाल और भ्रम नहीं फैलाती। पिछले चुनावों में जो देश की जनता ने निर्णय लिया था, मुझे लगता है कि वह संदेश आज भी एनडीए गठबंधन को समझने में थोड़ा समय लगा है। अगर हम एनडीए गठबंधन सरकार के कीर्तिमान के रिकार्ड को देखें तो,

[अनुवाद]

पिछली राजग सरकार के कार्यकाल में औसत रोजगार वृद्धि 0.075 प्रतिशत नकारात्मक रही जिसका अर्थ है कि कोई निवल रोजगार सृजन नहीं हुआ था। उनके पिछले चार कार्यों के शासन में शिक्षित बेरोजगारों की श्रेणी में 2.8 से 3 मिलियन लोग और जुड़ गए। माननीय सभापति महोदय, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय बेरोजगार लोगों की संख्या 36.8 मिलियन पर स्थिर थी जिसका तात्पर्य यह है कि जो भी व्यक्ति रोजगार के लिए इच्छुक था उसे रोजगार मिलता था। गत चार वर्षों में बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़कर 41 मिलियन पहुंच गई है। आज हमारी 400 मिलियन लोगों की श्रम शक्ति में से 7 प्रतिशत अभी भी बेरोजगार हैं।

आदमी को प्रभावित करने वाले सभी घृणित कार्यों में से बेरोजगारी सबसे अपमानजनक होती है। यह एक आदमी से उसकी प्रतिष्ठा, अपने संगी साथियों के सम्मान से आत्म विश्वास और अपने प्रियजनों की वफादारी और आदर छीन लेती है। बेरोजगारी प्रेरक को नुकसान पहुंचाती है, आदर्शों और मान्यताओं को नुकसान पहुंचाती है। इसका परिणाम हताशा और क्रोध होता है; इसका परिणाम अशांति और अस्किरता होता है।

[श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया]

माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक कांग्रेस पार्टी के इस विचार का विस्तार कि हमें भारतीय लोगों के जीवन में सम्मान लाने की आवश्यकता है। वह केवल रोजगार और नौकरी की गारंटी के द्वारा ही आ सकता है। इस समय नौकरी रहित विकास ही प्रमुख मुद्दा है। देश का सात प्रतिशत की दर से विकास हो रहा है परन्तु हमें रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

रोजगार और प्रगति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रजातंत्र में एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता।

[अनुवाद]

ग्रामीण गरीब व्यक्ति, जिसे 100 कार्यदिवसों की यह गारंटी मिलेगी, के पास आज भोजन, स्कूल और पीने का पानी नहीं है। हमारी चालीस प्रतिशत आबादी की दैनिक आमदनी अभी भी एक डालर से कम है। माननीय सभापति महोदय आज हमारी 65 प्रतिशत जन शक्ति कृषि पर आधारित है और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा घट रहा है। हमें इसकी चिंता करने की जरूरत है।

इसलिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक के अंतर्गत श्रमिकों को 200 जिलों में 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा। यह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए राहत होगी क्योंकि राजग शासन के दौरान 9,000 लोगों ने आत्महत्या की थी। इस विधेयक से बेहतर स्वंय-लक्ष्य निर्धारण हो सकेगा। जिन्हें नौकरी की जरूरत है केवल वही स्वेच्छा से आगे आएंगे। इसके परिणामस्वरूप बेहतर स्वयं-उन्मूलन हो पाएगा। जब इन कार्यों की आवश्यकता नहीं होगी तो उन्हे करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसके परिणामस्वरूप बेहतर स्वयं समायोजन हो सकेगा। सूखे और अकाल के दौरान खर्च बहुत अधिक होगा और अच्छे समय में खर्च बहुत कम होगा। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन होगा, ऐसी परिसम्पत्तियां जो रोजगार वापस लाती हैं और सिंचाई संसाधनों तथा अवसंरचना का निर्माण करती हैं। इससे गरीबों में सर्वाधिक गरीब लोगों की आय बढ़ेगी और मौसमी पलायन और शहरी-ग्रामीण पलयान को कमी आएगी। यह उन परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा प्रदान करेगी। जो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परम्परागत रूप से वांचित वर्गों को अधिक आर्थिक सौदेबाजी की शक्ति भी प्रदान करेगा जो ग्रामीण समाज में शक्ति समीकरण में परिवर्तन लाएगा और संभवत अधिक समानता का समाज निर्मित करेगा।

महोदय एक आलोचना यह की जा रही है कि इस अधिनियम के परिणामस्वरूप योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार आ जाएगा। इसमें संदेह नहीं है कि हमारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार व्याप्त है और हमारे गरीबी-विरोधी कार्यक्रम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। राजीव जी ने स्वयं कहा था कि प्रत्येक एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं। परन्तु इसका जवाब क्या है? क्या यही जवाब है कि हम गरीबों तक सहायता न पहुंचाए और हम गरीबों के लिए अति आवश्यक कार्यक्रम न बनाएं? नहीं।

इसका जवाब यही है कि हमें पारदर्शिता लाकर और जवाबदेही तय करके भ्रष्टाचार की इस बुराई को समाप्त करना चाहिए। मेरे मित्र, श्री सत्पथी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात की है। सूचना का अधिकार अधिनियम से इस मुद्दे का समाधान हो सकेगा। जब अधिकारिता निचले स्तर तक होती है और जब लोग ग्राम सभाओं और पंचायतों में कार्यक्रमों की निगरानी कर सकेंगे, कार्यक्रम कार्यान्वित कर सकेंगे और न कर्याक्रमों का मूल्यांकन और लेखा परीक्षा कर सकेंगे तो यह कार्य किया जा सकता है। इस सूचना के अधिकार अधिनियम का इस विधेयक के साथ मेल एक अत्यंत कारगर उपाय बन सकेगा, जो सूक्ष्म संबंध यानी लागत और परिणामों के बीच संबंध स्थापित कर सकेगा। आज हमारे देश के सामने यही वास्तविक समस्यां है।

यह इस धारणा पर कार्य करेगी कि नौकरशाह और हम राजनेता लोगों के सेवक हैं स्वामी नहीं। इस विधेयक के विरोधियों ने इस तथ्य पर भी बात की थी कि इससे अनावश्यक व्यय होगा। यह इसका एक पक्ष है; किंतु दूसरा पक्ष यह है; कि इससे हमारे पूरे देश के लाखों लोगों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी; यह विधेयक सूखा राहत ही प्रदान नहीं करेगा अपितु सूखे के विरुद्ध भी राहत प्रदान करेगा। यदि यह योजना पूरे देश में चलाई जाती है तो इसकी लागत लगभग 38.600 करोड़ रुपए आएगी। यदि आप केवल 200 जिलों में इसे लागू करने पर ध्यान देंगे तो लगभग 12,800 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे। क्या हम आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद का आधे से एक प्रतिशत हिस्सा नहीं लगा सकते? क्या हम कमजोर वर्ग को भूलने जा रहे हैं? क्या हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्वासंध्या की मौके पर 15 अगस्त, 1947 को

पंडित नेहरू के कहे शब्दों को भूल गए हैं? मैं उन्हें उद्धृत करना चाहता हूं:

"भविष्य आसान और आरामदायक नहीं है बल्कि निरंतर प्रयत्न करने का काम है ताकि हम उन प्रतिज्ञाओं को पूरा कर सकें जो हमने की हैं और जो आज हम करेंगे। भारत की सेवा का तात्पर्य है लाखों पीड़ितों की सेवा; इसका तात्पर्य है गरीबी और अज्ञानता और रोग और अवसरों की असमानता को खत्म करना।"

हमें गरीबी के अर्थशास्त्र के बारे में इस सरल सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिए कि कुल सकल घरेलू उत्पाद में गरीबों का हिस्सा इतना कम है कि यदि हम गरीबों की सहायता के लिए सकल घरेलू उत्पाद का केवल थोड़ा सा प्रतिशत ही लगाएं तो यह उनका जीवन बदल देगा। अमेरीका सामाजिक सहायता के लिए सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत खर्च करता है। फ्रांस और ब्रिटेन 3-4 प्रतिशत खर्च करते हैं; क्या हम अपने सकल घरेलू उत्पाद का आधे से एक प्रतिशत खर्च नहीं कर सकते?

bl foèsd esau, क्रियान्वयन तंत्र पर जोर दिया गया है जो प्रशासन का विकेंद्रीकरण करेगा और शक्ति को निचले स्तर तक ले जाएगा; यह शक्ति को निचले स्तर तक यानी महात्मा गांधी के सपने वाले भारत तक ले जाएगा।

[हिन्दी]

उनको जो सपना था वह ग्राम स्वराज का सपना था, एक पूर्ण स्वराज का सपना था।

[अनुवाद]

राजीव गांधी ने उस सपने को संस्था का रूप दिया और आज इस कदम से अब पंचायतें सिर्फ आर्थिक सुधार की परिधि में ही नहीं रहेंगी; वे आर्थिक सुधार के केंद्र में रहेंगी।

[हिन्दी]

हमारी यूपीए सरकार ने हर वक्त महिला सशक्तिकरण के बारे में चर्चा की, उनका बीड़ा उठाया है और संकल्प लिया है। माननीय कल्याण सिंह जी ने महिलाओं के बारे में चिंता व्यक्त की, मैं उन्हें आश्वासन दूंगा कि महाराष्ट्र में जो ईजीएस प्रोग्राम है, वह महिलाओं के कार्यक्रम की तरह जाना जाता है जिसमें पचास प्रतिशत बेनिफिशरीज महिलाएं हैं। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत भी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस कार्यक्रम से सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। केन्द्र और राज्य रोजगार प्रतिभूति परिषद् में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। आज मुझे बड़ी खुशी है और मैं श्री रघुवंश प्रसाद जी और श्री कल्याण सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आखिर हमारे देश के पिछड़े वर्ग को भी सम्मान दिया गया है, उनको भी सम्मिलित किया गया है। मुझे आज भी याद है कि मेरे पूज्य पिताजी ने 25 वर्ष पूर्व वर्ष 1980 में इसी सदन में एक ऐसी योजना की मांग रखी थी, उस समय मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल क्षेत्र एक दस्यु पीड़ित क्षेत्र था। आज मुझे खुशी है कि इस योजना के आधार पर केवल हमारे क्षेत्र में रोजगार के साधन ही नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त स्थाई साधन उत्पन्न होंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी बहुत सुधार आएगा।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो उच्च विकास और न ही बेहतर सार्वजनिक वित्त, जिसमें ऊपर चढ़ता हुआ शेयर बाजार भी शामिल है, आज की जरूरत है। हमें जरूरत है अपने बहुसंख्यक नागरिकों के लिए स्थायी जीविका की जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि यह कार्यक्रम चार से पांच वर्षों में सफल हो जाता है और मुझे विश्वास है कि यह सफल होगा, तो इससे लगभग चार करोड़ परिवारों की आय में प्रतिवर्ष 10,000 रुपए तक की वृद्धि होगी। माननीय सभापति महोदय, इससे वे अनिश्चित दिनों से निकलकर सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, आर्थिक हालात की सच्चाई यह है कि यह 'भारत जाग रहा है' न कि 'भारत चमक रहा है' या 'फील गुड' है। 'फील गुड' पर जोर देकर राजग सरकार ने गरीबों विशेषकर सामाजिक रूप से वंचित और बुरी तरह कर्ज में दबे हुए लोगों, के साथ क्रूर मजाक किया था। आज, संप्रग सरकार उन गलतियों को ठीक करने, विकास की प्राथमिकताएं पुन: परिभाषित करने गरीबों को गुलामी से मुक्त करने और भारत को एक बार फिर सुनिश्चित और स्वाभिमानी भविष्य की ओर ले जाने को समर्थन कर रही है।

मैं अब अपने पिता, श्री माधवराव सिंधिया के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं जो कि अभी तक इस प्रकार गूंज रहे हैं:

[श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया]

"देश को बताया जाना चाहिए कि एक कार्य योजना है और अंधकार के बाद प्रकाश भी है। उन्हें, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और लाखों लोगों, जो कि अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, को सुनहरे भविष्य का विश्वास दिलाना चाहिए। उनकी कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।"

सभापति महोदय, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि यह विधेयक स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् देश में पारित किये गए महत्वपूर्ण विधानों में से एक है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। यह विधेयक राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता के बीच के असंतुलन को समाप्त करेगा।

[हिन्दी]

राजनीति और आर्थिक समानता के बीच में यह बिल समन्वय लायेगा। अंत में यही कहूंगा:

"कि दूर करना है हर घर से हमें अभावों का अंधेरा, देकर रोजगार यहां हम लायेंगे उम्मीद और अमन का सवेरा।"

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : आपके इस राजनीतिक भाषण के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सदन करीब 4 घंटे चर्चा पूरी करने जा रहा है। यदि सदन आगे चर्चा के लिये तैयार है या सहमत है तो सदन का एक घंटा समय बढ़ाया जाये।

कुछ माननीय सदस्य : सभापति महोदय, कोई सदस्य राजी नहीं है। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, सब को जाना है। हाउस खत्म किया जाये।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदय, अभी जीरो ऑवर बाकी है।

सभापति महोदय : 37 माननीय सदस्यों ने स्पेशल मैंशन के लिये महत्वपूर्ण विषयों पर सूचना दी हुई है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, हम सोमवार को इस पर चर्चा कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, हम इसे समाप्त करे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अगर सदन सहमत नहीं होगा तो जीरो ऑवर शुरू किया जाये।

कई माननीय सदस्य : हां शून्यकाल लिया जाये।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय वक्ताओं की संख्या काफी है। इसे सोमवार को समाप्त करना संभव नहीं होगा। अतः हमें इस चर्चा का कार्यकाल एक घंटा बढ़ा देना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सभापति जी, बिल पर डिसकशन सोमवार को आधी रात तक करा लीजिये। अब जीरो ऑवर ले लें।

सभापति महोदय : सदन की सैंस से लग रहा है कि बिल पर चर्चा के लिये सदस्य तैयार नहीं हैं। इसलिये जीरो ऑवर लिया जाये। सदन तो सैंस से चलता है। इसलिये अब हम जीरो ऑवर लेंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री रामजीलाल सुमन — अनुपस्थित

श्री ब्रजेश पाठक — अनुपस्थित

चौधरी विजेन्द्र सिंह — अनुपस्थित

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, आपने मुझे स्पेशल मैन्शन में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदय : केवल दो मिनट में समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, दो मिनट में कहां समाप्त हो पायेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। जब हम बोलते हैं तो आप समय की पाबन्दी लगा देते हैं, कम से कम हमें पूरी बात कहने दीजिए।

सभापति महोदय : अभी आपको जाने की जल्दबाजी थी, क्या वह जल्दबाजी अब खत्म हो गई है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, मैं जुलाई माह में मुम्बई गया था और वहां 16 तारीख से 19 तारीख तक रहा। भिवंडी में हम लोगों ने एक मीटिंग की थी। उस इलाके में ज्यादातर उत्तर प्रदेश के पावरलूम और हैंडलूम में काम करने वाले कामगार बसे हुए हैं। 1857 के गदर के समय उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद आदि जिलों के तमाम बुनकर वहां चले गये थे। उन लोगों ने अपनी कुछ समस्याओं को लेकर वर्ष 1986 में एक आंदोलन भी किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त वहां सात लाख लोग पावरलूम चलाते हैं। पहले भिवंडी में केवल दस हजार की आबादी थी। लेकिन आज वहां बुनकरों का आबादी बढ़कर लगभग 15 लाख हो गई है। भिवंडी बाजार टैक्सटाइल का एक सैन्टर है, वहां तमाम मिलें हैं, पावरलूम और हैंडलूम का काम भी होता है। वहां आज भी 87 परसेन्ट पावरलूम से कपड़ा तैयार होता है और 8-9 परसेन्ट केवल हैंडलूम से बनता है। भिवंडी, मालेगांव और सूरत में भी ज्यादातर यह करोबार होता है। लेकिन वहां के श्रमिकों के तमाम बच्चे इस समय बदहाली की स्थिति में हैं। बच्चों के लिए वहां न कोई शिक्षा की व्यवस्था है और न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। वहां के बुनकरों को बैंक से कोई फाइनेन्शियल असिस्टैन्स नहीं मिलती और न अन्य ऐसी कोई एजेंसी उनकी मदद कर रही है, जिससे कि वे अपना कारोबार आगे बढ़ा सकें। पिछले वर्ष के बजट में पांच हजार करोड़ रुपये टैक्सटाइल के लिए रखे गये थे। लेकिन उसका फायदा ज्यादातर मिल वालों ने उठाया। लेकिन जो पावरलूम और हैंडलूम के श्रमिक हैं, उन्हें उसका फायदा नहीं मिला। खासकर बड़ी-बड़ी मिलें चाहे वह रिलायंस हो या अन्य कोई मिल हो, वे ही दाम तय करती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां मूलभूत समस्या बिजली की अनुपलब्धता है। वहां 24 घंटे में से 12 घंटे बिजली मिलती है और 12 घंटे बिजली नहीं मिलती है। वहां के बुनकरों की समस्याओं को दूर करने के लिए मेहता कमेटी, आबिद हुसैन कमेटी और गोपाल सिंह कमीशन बनाया गया था, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया। टैक्सटाइल पर एक्साइज डयूटी लगाई गई, जिससे बुनकरों की बदहाली में और वृद्धि हो गई।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि चाहे वहां बिजली की समस्या हो, उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या हो या अन्य कोई मूलभूत समस्या हो, उस पर सरकार तुरंत ध्यान दे। वहां लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश से आये हुए बुनकर हैं, यदि सरकार द्वारा उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके तो बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रमुख विषय सदन में उठाना चाहता हूं। उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में जराबगा, लरियापाली, रंगियाटिकरा, बाबूनिक्तीमाल, कावरीहाल, महुलपाली, केशईबहाल ग्राम पंचायतें और सुन्दरगढ़ जिले में पंकाडिही पंचायत हैं। यहां से लगभग 100 से अधिक की संख्या में वनवासी युवतियों को उत्तर भारत में लाया गया है। वहां एक फर्जी संस्था रांची प्लेसमैंट सर्विस ने फ्री प्लेसमैंट, नौकरी देने वाली संस्था के रूप में विज्ञापन दिया। इस तरह से वह संस्था अवैध रूप से वहां से सौ से अधिक वनवासी युवतियों को उत्तर भारत में ले आई है। उत्तर भारत के दिल्ली, चंडीगढ़ भोपाल आदि इलाकों में उन्हें विभिन्न कामों पर लगाया गया है। उनके मां-बाप ने कई प्रकार के अभियोग वहां की पुलिस के पास लगाये हैं। इल्लीगल गर्ल ट्रैफिकिंग के जरिये अवैध तरीके से इन युवतियों को यहां लाया गया है और कई तरह के अनैतिक कामों में लगाया गया है। उन्हें वहां से घर में नौकर रखने के लिए या कार्यालयों में अटैन्डैन्ट के नाते काम करने के लिए लाया गया था। लेकिन उन्हें अवैध और अनैतिक कामों में लगाया जा रहा है। मैं आपको माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वहां से यहां लाई गईं ये युवतियां बहुत दुष्कर स्थिति में हैं। इसलिए भारत सरकार निर्देश दे कि दिल्ली में जो पुलिस विभाग है, उसके द्वारा इन लड़कियों का उद्धार किया जाए। जिन अपराधियों और एजेंसियों ने उनको इस काम में लगाया है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन युवतियों को अपने घर वापस भेज दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, केरल के पारंपरिक उद्योग कॉयर और काजू उद्योग संकट का सामना कर रहे हैं। इन दोनों लघु उद्योगों में 90 प्रतिशत कामगार महिलाएं हैं। हम आज महिला अधिकारिता के युग में रह रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य से इन सभी महिलाओं को रोजगार गारंटी विधेयक की चर्चा कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में इन महिलाओं की दुर्दशा का चित्र घूम रहा है।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

वैश्वीकरण की चुनौतीपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन दोनों उद्योगों के पुनरुद्धार की मांग काफी समय से की जा रही है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से यह आग्रह है कि इन दोनों पारंपरिक उद्योगों, विशेषकर कॉयर उद्योग के लिए आवश्यक सहायता को स्वीकृति दी जाए केरल में सरकारी सचिवालय, त्रिवेन्द्रम के सामने कॉयर कामगारों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। उनकी प्रमुख मांग कॉयर उद्योग व काजू उद्योग के पुनरुद्धार के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करना है, जैसाकि ज्यादातर काजू फैक्टरियां कच्चे माल की अनुपलब्धता या उसकी बहुत अधिक कीमत होने के कारण बंद पड़ी हैं। स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गयी है और अधिकांश फैक्टरियां बंद होने की कगार पर हैं।

अतः इन दोनों पारंपरिक उद्योगों को बचाने और इनमें कार्यरत छह से सात लाख महिला कामगारों को रोजगार दिलाने के लिए मैं केन्द्र सरकार से मध्यस्थता करने का आग्रह करूंगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा इस बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा और जल्दी ही इसके लिए उठाये जाने वाले आवश्यक कदमों की घोषणा कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : सभापति महोदय, झारखंड प्रदेश अंतर्गत बोकारो जिला में दूर संचार के लगभग 45000 कनैक्शंस हैं जिनमें से 30000 बेसिक टेलीफोन कनैक्शंस एवं 15000 मोबाइल फोन कनैक्शंस हैं। इसके अलावा 15000 मोबाइल कनैक्शंस प्रतीक्षा सूची में हैं और 5000 बेसिक फोन कनैक्शंस प्रतीक्षा सूची में हैं, जो कुल मिलाकर 65000 कनैक्शंस बनते हैं। बोकारो जिला में 14 टेलीफोन एक्सचेंज होने के बावजूद यह जिला दूर संचार जिला नहीं बन पाया है जबकि इससे छोटे जिलों को दूर संचार का जिला बना दिया गया है। 1985 से ही बोकारो दूर संचार जिला बनाने के सभी मापदंड पूरे करता है जिसके ने होने के कारण इस जिले के उपभोक्ता एवं कर्मचारियों को धनबाद के चक्कर काटने पड़ते हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि बोकारो जिला को दूर संचार जिला का दर्जा जनहित में अविलंब दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, ऐतिहासिक बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। ब्रिटिश राज के दौरान यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। 19 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन का संकल्प किया और उसी वर्ष 16 अक्तूबर को बंगाल का विभाजन हुआ।

इसके परिणामस्वरूप बंगाल चार राज्यों बिहार, असम, उड़ीसा और त्रिपुरा में बंट गया। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान बंगाल पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल के रूप में विभाजित हुआ। शिक्षित बंगालियों ने यह महसूस किया कि बंगाली भाषी लोगों में बढ़ती राष्ट्रीय सजगता और भाईचारे पर यह लार्ड कर्जन का जानबूझकर किया गया प्रहार था। संजीवनी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिस्कार, शोकसभा आयोजित करने और सभी सरकारी निकायों से संबंध समाप्त करने के लिए लोगों का आह्वान किया। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में हुई एक बैठक में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया जिसमें देशवासियों को इस 'विभाजन संकल्प' के वापिस लिए जाने तक ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया था। द्विजेन्द्रलाल राय, रजनीकांत सेन और रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे निर्भीक नेता भी बंगाल विभाजन के विरोध में सड़कों पर उतर आये।

इसके अनुवर्ती राष्ट्रीय आंदोलन में विश्व विख्यात कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सभी भारतीय समुदायों के बीच 'रक्षा के माध्यम से भाईचारे, प्रेम और शान्ति के लक्ष्य का प्रसार किया और व्यापक स्तर पर एकता, राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्षता और मानवता जैसे सर्वोपरि विचार को फैलाने के साथ-साथ ब्रिटिश राज के विद्वेष तथा संप्रदायिक दुर्भावना के खेल का विरोध करने का आह्वान किया।

इसके प्रत्युत्तर में हजारों, करोड़ों लोग उनके समर्थन में सामने आये। कवि रवीन्द्रनाथ का प्रसिद्ध गीत, 'लेट बंगाल्स् वाटर एयर, फ्रूट्स बी वन एंड ब्लेय्ड, ओ लार्ड'' को हर व्यक्ति ने गाया। लोकगीतकार मुकुन्द दास ने गांव-गांव घूमकर महिलाओं की ब्रिटिश कंपनियों द्वारा बनायी चूड़ियों को फेंकने का आह्वान किया। महिलाओं ने अनशन किया, खाना पकाने का बहिष्कार किया और भारत माता की पूजा की। यह आंदोलन एक जन आंदोलन में बदल गया। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन की शताब्दी की यादगार में, मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि स्मारक डाक टिकट जारी की जाए और प्रथम दिन कवर ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रेवती रमन सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। इस देश में गरीब लोगों का कैंसर, एड्स, हार्ट अटैक और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों से मरना बहुत गंभीर समस्या है। इस देश में हजारों लोग इन बीमारियों से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मान्यवार इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दवाएं इतनी महंगी हैं कि साधारण आदमी और जरूरतमंद आदमी अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है। अस्पतालों में जहां भी इलाज कराने जाते हैं वहां इतना खर्चा हो जाता है कि वे इलाज नहीं करा पाते हैं। अभी ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल लाया गया है और मैं चाहता हूं कि उसी तरह राष्ट्रीय कोष बनाया जाए जिससे जरूरतमंद लोगों को इतनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सरकार की तरफ से पूरा का पूरा खर्चा अस्पताल को मुहैया कराया जाए। इससे हजारों की संख्या में जो गरीब आदमी दवा के अभाव में मर जाते हैं, उनका इलाज हो सकेगा। मैं चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप सरकार को अपनी ओर से कहें कि सरकार इस पर विचार करे और कार्यवाही करे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, मेरे क्षेत्र में एक छोटा सा गांव धानक्या है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति की और मेरी मांग है कि धानक्या रेलवे स्टेशन पर स्थित स्टेशन मास्टर के क्वाटर टी-10 में 25 सितम्बर, 1916 को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्म हुआ था। उपाध्याय जी अपने प्रारंभिक पांच-छह वर्ष तक वहीं रहे और उन्होंने वहीं शिक्षा प्राप्त की। उस स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरम रेलवे स्टेशन कर दिया जाए जिससे कि स्थानीय नागरिकों का गौरव भी बढ़ सके। धानक्या नाम से कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है और न ही इस नाम से कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व जुड़ा है।

सभापति जी, मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि धानक्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर पं. दीनदयाल उपाध्याय कर दिया जाए क्योंकि 25 सितम्बर को उनकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। अतः मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार इस ओर ध्यान देगी और तदनुसार कार्य करेगी।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : माननीय सभापति जी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं को पूर्व में कई बार उठाया गया है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग काम करते हैं, लेकिन उनके वेतनों में विसंगति हमेशा बनी रही। सरकार ने बैंक कर्मियों के वेतनों में विसंगतियों की ओर ध्यान दिया और बहुत सी समस्याओं को हल भी किया, किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा बैंककर्मियों के साथ जो आठवां द्विपक्षीय वेतन समझौता हुआ, उसे देश के सभी बैंकों में लागू कर दिया गया है, केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लागू नहीं किया गया है जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों में बहुत रोष है।

सभापति जी, देश में कुल 196 क्षेत्रीय बैंक हैं जो सारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सहायता प्रदान कर रहे है और ग्रामीणों की बहुत सहायता कर रहे हैं। जो बिल आज हम यहां विचार हेतु लाए थे, वह मसला भी इससे सीधा जुड़ा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी और अन्य बैंककर्मियों के वेतनों में जो विसंगति है, उसे तत्काल दूर किया जाए क्योंकि जो वेतन संबंधी सुविधाएं समझौते के अनुसार देश के अन्य सारे बैंककर्मियों को मिल रही हैं, वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंककर्मियों को नहीं मिल रही हैं। इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-कर्मियों को भी अन्य बैंककर्मियों के समान वेतन दिया जाए।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, कृपया माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ध्यान दें।

श्री संतोष गंगवार : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में विसंगति की ओर दिलाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य बैंकों के कर्मचारियों के समान ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मियों को वेतन दिया जाए। मेरी इस प्रार्थना को वे माननीय वित्त मंत्री जी के संज्ञान में ला दें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय सभापति जी, माननीय संतोष गंगवार जी द्वारा उठाए गए विषय से मैं भी अपने आपको सम्बद्ध करता हूं और माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंककर्मियों के वेतन में विसंगति को तत्काल दूर किया जाए और उन्हें भी देश के अन्य बैंककर्मियों के समान वेतन दिया जाए। मेरा उनसे निवेदन है कि वे इस बारे में सदन में खड़े होकर कुछ बोलें।

सभापति महोदय : मंत्री जी को इस हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। भार्गव जी आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया के उत्पादन तथा वितरण प्रणाली की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मनमानी और गलत पद्धति अपनाई जा रही है। कोयला मंत्रालय द्वारा छोटे-छोटे उद्योगों और बिजलीघरों को कोयला सप्लाई किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से कोयला मंत्रालय ने कोयले की 'ई' ऑक्शन प्रणाली अपनाई है जिसके माध्यम से कोयले को नीलाम किया जा रहा है। हमारे देश में छोटे उद्योग और बिजली बोर्ड कोयले की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोयले की आपूर्ति न कर के कोयले को नीलाम करने की जो नीति बनाई है, वह ठीक नहीं है। यह नीति देश की आर्थिक उन्नति हेतु उपयुक्त नहीं है। देश में कोयले के उत्पादन में कमी होने के बावजूद कोयले को नीलाम किया जाना ठीक नहीं है। यह देश के छोटे-छोटे उद्योगों और बिजलीघरों के साथ छल है। इस कारण उद्योग बन्द हो रहे हैं और बिजलीघरों में बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे कोयले की 'ई' ऑकशन प्रणाली को तुरन्त बन्द करें ताकि देश के बिजलीघरों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति हो सके और देश के छोटे-छोटे उद्योगों को कोयला मिल सके। मैं इस प्रणाली को बन्द करने का आग्रह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देश के छोटे उद्योगों को कोयला खुले बाजार से महंगी दरो को रोजगार इन्हीं छोटे उद्योगों के माध्यम से मिल रहा है। इसलिए इन उद्योगों को संरक्षण देने की जरूरत है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से उद्योगों और बिजलीघरों को कोयले की आपूर्ति मिल रेट पर करने का आग्रह करता हूं।

सभापति जी, इसके साथ-साथ मैं कोल इंडिया के एक दूसरे निर्णय की ओर भी आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोल इंडिया ने भूखंडों से कोयले के खनन हेतु कैप्टिव माइनिंग का कार्य निजी लोगों को देने की नीति बनाई है। इस नीति के अन्तर्गत भूखंड कोयला खनन हेतु निजी लोगों को दिए जा रहे हैं। ये भूखंड निजी कंपनियों को, जिनमें स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट और पावर जनरेशन करने वाले प्लांट आते हैं, उन्हें कैप्टिव माइनिंग हेतु दिए जा रहे हैं।

हमने देखा है कि अनेक ब्लाक्स निजी क्षेत्र के जहां किसी भी तरह का स्टील या सीमेंट का उद्योग नहीं, पावर जनरेशन भी नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को दिये गए है, जिनकी वजह से राज्य सरकारों ने बिजली बोर्डों के लिए कोयले की मांग रखी है। उन सरकारों के बिजली बोर्डों को कैप्टिव ब्लाक्स नहीं दिये जाने की वजह से बिजली बोर्ड भी बिजली जनरेशन में पीछे हो रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन दोनों ब्लाक संबंधी नीतियों की वजह से हमारे देश में कोयले की मांग करने वाले उद्योगों के साथ धोखा हुआ है। इस नीति की वजह से हमें शंका है कि इसमें सेक्रेटरी लेवल पर या कोल इंडिया के चेयरमैन द्वारा निश्चित ही भ्रष्टाचार किया गया होगा, इसलिए इसकी जांच करने और नीति तुरन्त बदलने की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : सभापति महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान भारत में श्रमजीवी पत्रकारों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। हाल ही में श्रमजीवी पत्रकारों का 43वां राज्य सम्मेलन मेरे संसदीय क्षेत्र में आयोजित किया गया जिसमें बुद्धिजीवियों, श्रमिक संघ के नेताओं और राजनीतिक नेताओं आदि ने भाग लिया। सम्मेलन में समाचार प्रकाशन उद्योग द्वारा बाह्यस्रोत (आउटसोर्सिंग) के आधार पर ठेके पर कार्य कराने पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गयी।

महोदय, लोकतांत्रिक राष्ट्र का चौथा स्तम्भ होने के कारण, मुझे यह देखकर दुख हुआ कि लोकतंत्र का रक्षक होने का दावा करने वाला प्रैस मीडिया, श्रमजीवी पत्रकारों से बंधुआ मजदूरों जैसा बरताव करता है हमारे यहां श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, 1955 जैसा सख्त अधिनियम है। इस श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की प्रासंगिक विशिष्टता इसके आधार पर वेतन बोर्ड का गठन किया जाना है यह पत्रकार अधिनियम 50 वर्ष पूर्व लागू हुआ था। महोदय, मैं सरकार से श्रमजीवी पत्रकारों के लिए नया वेतन बोर्ड गठित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने का आग्रह करूंगा, इसके साथ ही इलैक्ट्रोनिक मीडिया को भी इसमे शामिल करके इस बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में लाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री पुन्नु लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या में किस तरह जनगणना में कमी आई है, उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ नया राज्य है जो मध्य प्रदेश में पृथक हुआ हैं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वहां परिसीमन शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ के कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 90 सीटें विधान सभा की हैं और लोक सभा की 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से लोक सभा की 2 अनुसूचित जाति और 4 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। विधान सभा की 90 सीटों में अनुसूचित जाति की 10 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 34 सीटें हैं। इस तरह से सीमांकन हो रहा है।

मैं कुछ आंकड़ों के आधार पर बताना चाहूंगा कि सीमांकन के पहले 1991 की जनगणना में छत्तीसगढ़ के जसपुर में अनुसूचित जाति के 1991 में 47012 तथा 2001 की जनगणना में 36400 लोग थे। 1991 की जनगणना की तुलना में 2001 में जनसंख्या की वृद्धि दर -22.67 परसेंट है 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या 4,94,29,092 एवं 2001 की जनगणना के अनुसार 4690063 है, जो 1991 की तुलना में +9.52 परसेंट है।

[हिन्दी]

सामान्य वर्ग के लोगों की जनसंख्या 1991 की जनसंख्या 180258 के मुकाबले 2001 में 236807 हो गई है, जो +31.38 परसेंट है। पहले की तुलना में मैं बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के लोगों की 1991 में 8433 एवं 2001 में 3867 है, जो -53 परसेंट है, यानी इसमें कुल 64.5 परसेंट कमी आई है सरगुजा के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि अनूसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या एवं अन्य सामान्य वर्ग के लोगों की जनसंख्या में कमी आई है। उदाहरण के लिए 1991 की जनगणना के अनुसार अनूसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 897211 था और 2001 की जनगणना के अनुसार 1076669 थी। सन् 1991 की तुलना में सन् 2001 में अनूसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या की वृद्धि दर 20 प्रतिशत रही है इसी तरह सामान्य श्रेणी के लोगों की जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 609240 थी और वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 800588 थी। सन् 1991 की तुलना में सन् 2001 में सामान्य वर्ग की जनसंख्या वृद्धि दर 31.41 प्रतिशत थी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपनी बात रखिए, आंकड़े मत दीजिए।

श्री पुन्नू लाल मोहले : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मुझे मत कहिए, मंत्री जी बैठे हैं, उन्हें अपनी समस्या कहिए।

श्री पुन्नू लाल मोहले : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो परिसीमन हो रहा है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की विधान सभा की पांच सीटें घट रही हैं और लोक सभा की अनूसूचित जाति की एक सीट और अनुसूचित जनजाति की एक सीट घट रही है। उक्त वर्ग की स्थिति को देखते हुए, वहां के लोगों के प्रति अन्याय हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए बनाया गया है। अत: जो परिसीमन हो रहा है, उसमें जनगणना के आधार पर गलत आंकड़े दिए गए हैं। इन गलत आंकड़ों पर 1991 में ज्यादा और 2001 में कम ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

[हिंदी]

श्री पुन्नू लाल मोहले : इससे बस्तर, जसपुर और सरगुजा तथा मेरे लोक सभा क्षेत्र की सीटों में धांधली हो रही है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मोहले जी आप बैठे जाइए, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव।

श्री पुन्नू लाल मोहले : मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित को देखते हुए 2001 की जनगणना की जगह पर पुन: जनगणना करवायी जाए और जो परिसीमन हो रहा है, उसे रोका जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सायं 6.30 बजे

(दो) आयुध निर्माणी, बोलंगीर, उड़ीसा से राइफल से कारतूसों की कथित अवैध बिक्री के बारे में

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर) : महोदय, मैं आपका ध्यान 2 अगस्त, 2005 के 'इंडियन एक्सप्रेस' के भुवनेश्वर संस्करण में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण समाचार 'दि एनेमी विदिन'' की ओर आकर्षित

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव]

करना चाहती हूं। अब, यह लेख मेरे संसदीय क्षेत्र में आयुध निर्माणी में घट रही घटनाओं से संबंधित हैं यह आयुध निर्माणी बोलनगीर जिले में सैंतला में बड़माल में स्थित है। महोदय, कुछ वर्ष पूर्व रायपुर और दूर्ग के बीच सड़क के किनारे बोफोर्स के अनेक बम पड़े हुए पाये गए थे जो वास्तव में बड़माल में आयुध निर्माणी के लिए थे। इस बार 30 मि.मी. रायफल के बम सड़क के किनारे पड़े मिले क्योंकि वे दो बोरों से बाहर गिर पड़े थे जो एक कबाड़ी वाले अथवा स्क्रैप डीलर द्वारा एक साइकिल पर ले जाये जा रहे थे। यदि कोई देखना चाहे तो मेरे पास प्रथम सूचना रिपोर्ट और समाचार की कतरन है।

वास्तव में इस मामले की जांच किए जाने की जरूरत है कि बदमाल में आयुध निर्माणी के उच्च अधिकारियों द्वारा ये 30 मि.मी. रायफल के कारतूस स्क्रैप के रूप में कैसे बेचे गए। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के पश्चात आयुध निर्माणी के सारे अधिकारी पूरे मामले पर लीपा-पोती करने में जुट गए। अब मैं यहां यह बात कहना चाहती हूं कि जिस समय देश में आतंकवाद, नकसलवाद और माओवादी घटनाएं बढ़ रही हैं और देश की सुरक्षा खतरे में हो तब ये आयुध निर्माणी, जो सशस्त्र बलों के लिए हथियार बनाने के लिए बनी हैं, उन्हीं हथियारों के खोल स्क्रैप के रूप में बेच रही हैं। क्या वास्तव में देश की सुरक्षा देश की भीतर के दुश्मनों के हाथों में सुरक्षित रह सकती है?

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री से अनुरोध करती हूं कि इस घटना की गम्भीरता पर ध्यान दें और बडमाल आयुध निर्माणी में भ्रष्टाचार के इस भयानक और वीभत्स मामले में जांच कराने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करें और देश के भीतर धोखेबाजों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जानी चाहिए।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिजय हान्डिक) : महोदय, मैं मामले को देखूंगा और फिर उन्हें बताऊंगा।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र यवतमाल बहुत बड़ा है, लेकिन वहां दूरदर्शन के कार्यक्रम दिखाई नहीं देते। वहां बहुत से आदिवासी क्षेत्र भी हैं। वहां आकाशवाणी के रिले केन्द्र की फ्रीक्वैंसी भी कम है। मैं आपके माध्यम से सरकार से दरखास्त करता हूं कि वहां दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी की फ्रीक्वैंसी बढ़ाई जाए।

***श्री एन. शिवन्ना** (चामराजनगर) : माननीय सभापति महोदय, राज्य शिक्षा बोर्डों और केंद्र द्वारा कराई जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं से विद्यार्थियों के लिए ही नहीं अपितु, माता-पिता के लिए भी बहुत समस्याएं बढ़ी हैं। वस्तुत: इंजीनियरिंग, मेडिकल और आर्किटेक्चर के लिए प्रवेश परीक्षा अभी भी चल रही हैं। परामर्श के अनौपचारिक दौर अभी शुरू नहीं हुए हैं। परामर्श और परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में लगभग छ: से आठ माह लगते हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंकों की पूरी तरह अनदेखी की गई है।

तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता ने तमिलनाडु में सी ई टी रद्द कर दिया है। अब तमिलनाडु सरकार सभी निजी इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। इसी तरह कर्नाटक महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में निजी इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज मध्यम वर्गीय और निम्न मध्य वर्गीय परिवारों के लिए नहीं हैं भ्रष्टाचार बहुत अधिक हैं सीईटी के प्रश्नपत्र और आईआईटी प्रवेश परीक्षा के पत्र बहुत ऊंची कीमत पर वास्तविक परीक्षा से बहुत पहले उपलब्ध हो जाते हैं। दलाल गरीब विद्यार्थियों की कीमत पर भारी पैसा बना रहे हैं। उसने अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. तथा अन्य पिछड़े और दलित समुदायों के विद्यार्थियों की भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अब समय आ गया है कि केंद्र को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और बहुत अधिक विलम्ब होने से पहले इस बुराई का कुछ व्यवहारिक समाधान तलाश करना चाहिए।

अत: मेरी माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से प्रार्थना है कि सीईटी, जो कि अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. तथा अन्य वर्गों के विद्यार्थियों के व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश हेतु स्पर्धा करने में बड़ी बाधा बन गया है, को समाप्त करके इस गलती को ठीक करने के लिए तत्काल उपचारात्मक कदम उठायें। सभी व्यावसायिक और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए 12वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों पर ही विचार किया जाना चाहिए जैसा कि लम्बे समय से होता रहा है।

---

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री बैठा जी, आपने तीन विषयों पर नोटिस दिया है, लेकिन नियमत: आप एक ही विषय उठा सकते हैं। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री कैलाश बैठा (बगहा) : सभापति महोदय, बिहार के बगहा लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई अंगीभूत कालेज नहीं है। वहां आम जनता द्वारा एक प्राइवेट कालेज चलाया जाता है। उसमें भी एक साल से पुलिस की छावनी बना दी है। जिससे छात्रों की पढ़ाई बंद हो गई है। वहां के स्थानीय अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद उसे वहां से हटाया नहीं जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि पुलिस बल हटाकर उस कालेज को दुबारा चलाया जाए जिससे छात्रों की पढ़ाई सुचारु रूप से चल सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार, 22 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है

सायं 6.39 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार, 22 अगस्त, 2005/
31 श्रावण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह
बजे तक के लिए स्थगित हुई

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री अवतार सिंह भडाना श्री राम कृपाल यादव	341
2.	श्री बालासाहिब विखे पाटील श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	342
3.	श्री उदय सिंह	344
4.	श्री एस.के. खारवेनथन श्री रामजीलाल सुमन	345
5.	डा. आर. सेनथिल प्रो. एम. रामदास	346
6.	श्री ई. पोन्नुस्वामी	347
7.	श्री मोहन सिंह	348
8.	श्री मुन्शी राम मोहम्मद शाहिद	349
9.	श्री बसुदेव आचार्य	350
10.	श्री बची सिंह रावत "बचदा"	351
11.	श्री रायापति सांबासिवा राव	352
12.	श्री ब्रजेश पाठक	353
13.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	354
14.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री रवि प्रकाश वर्मा	355
15.	श्री खारबेल स्वाईं	356
16.	श्री वी.के. ठुम्मर श्री जीवाभाई ए. पटेल	357
17.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण श्री वाई.जी. महाजन	358
18.	श्री तूफानी सरोज	359
19.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	360

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3608, 3617, 3654, 3682
2.	अहीर, श्री हंसराज जी.	3564, 3630
3.	अनंत कुमार, श्री	3554
4.	अप्पादुरई, श्री एम.	3530
5.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3513, 3589, 3663, 3680
6.	बर्मन, श्री हितेन	3660
7.	बखला, श्री जोवाकिम	3560
8.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3609
9.	भक्त, श्री मनोरंजन	3532, 3601, 3646, 3675, 3690
10.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3572
11.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3516, 3591, 3610, 3642

1	2	3
12.	बोस, श्री सुब्रत	3562, 3660
13.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	3614
14.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3542, 3619
15.	चन्देल, श्री सुरेश	3555, 3625
16.	चौरे, श्री बापू हरी	3556, 3657
17.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3560
18.	चिन्ता मोहन, डा.	3568
19.	चौधरी, श्री अधीर	3539, 3611, 3622, 3629, 3648
20.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	3621
21.	धनराजू, डा. के.	3570, 3633, 3661, 3679, 3687
22.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	3559
23.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3561, 3631
24.	गुढ़े, श्री अनंत	3546
25.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	3569, 3672
26.	जगन्नाथ, डा. एम.	3577, 3636
27.	जटिया, डा. सत्यनारायण	3523
28.	झा, श्री रघुनाथ	3544
29.	जोशी, श्री प्रहलाद	3557, 3626, 359, 3677, 3624
30.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	3566, 3638
31.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3522, 3595, 3651
32.	खां, श्री सुनील	3597, 3614, 3644
33.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	3508, 3599
34.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3519
35.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3531, 3587, 3649, 3671
36.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	3581
37.	कुप्पुसामी, श्री सी.	3560
38.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3574, 3582, 3614, 3652, 3673
39.	"ललन", श्री राजीव रंजन सिंह	3568
40.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	3567
41.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3560, 3579, 3639, 3665
42.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3624, 3552
43.	महाजन, श्री वाई.जी.	3614, 3677
44.	महतो, श्री बीर सिंह	3635
45.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3548
46.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3519, 3677
47.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	3668, 3689
48.	मंडल, श्री सनत कुमार	3540, 3604, 3647, 3669, 3692
49.	माने, श्रीमती निवेदिता	3586
50.	मसूद, श्री रशीद	3521

1	2	3
51.	मेघवाल, श्री कैलाश	3650
52.	मोदी, श्री सुशील कुमार	3543, 3688
53.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	3563
54.	मो. ताहिर, श्री	3574, 3582, 3612, 3614, 3652
55.	मोहिते, श्री सुबोध	3621
56.	मूर्ति, श्री ए.के.	3520, 3594, 3678
57.	मुन्शी राम, श्री	3612, 3652, 3673
58.	मुर्मु, श्री हेमलाल	3537, 3627
59.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	3547
60.	नायक, श्री अनन्त	3525, 3528, 3596, 3643, 3667
61.	नायक, श्रीमती अर्चना	3620, 3525
62.	निखिल कुमार, श्री	3622, 3657
63.	औराम, श्री जुएल	3535, 3600, 3643, 3645, 3681
64.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3517, 3592, 3610, 3658, 3676
65.	पण्डा, श्री प्रबोध	3571
66.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3524, 3560
67.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3677
68.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3578
69.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3549, 3616, 3656, 3666
70.	पाठक, श्री ब्रजेश	3615, 3648
71.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3610
72.	पिंगले, श्री देविदास	3580, 3637, 3664
73.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	3607, 3672, 3684
74.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3621
75.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3573, 3575, 3635
76.	रामदास, प्रो. एम.	3605
77.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3536, 3634, 3662, 3674, 3685
78.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3613, 3653
79.	राठौड़ श्री हरिभाऊ	3612
80.	रावत, श्री कमला प्रसाद	3551, 3623
81.	रावत, प्रो. रासा सिंह	3515, 3590, 3694
82.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	3512, 3588, 3641, 3679
83.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3628
84.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	3565
85.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3653
86.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	3541, 3632
87.	सत्पथी, श्री तथागत	3518
88.	सेठी, श्री अर्जुन	3558
89.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3529
90.	शाहिद, मोहम्मद	3612, 3614, 3652, 3673

1	2	3
91.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3538, 3570, 3618, 3622, 3695
92.	शर्मा, श्री मदन लाल	3546
93.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3654, 3660, 3678, 3686
94.	शिवन्ना, श्री एम.	3583
95.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3574, 3612, 3614, 3652, 3673
96.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3526
97.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3511, 3578
98.	सिंह, चौधरी विजेन्द्र	3691, 3696
99.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3514
100.	सिंह श्री गणेश	3533, 3598, 3660, 3678, 3686
101.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	3534, 3622, 3684
102.	सिंह, श्री मोहन	3606
103.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3560, 3576
104.	सिंह, श्री राकेश	3564
105.	सिंह श्री रेवती रमन	3545, 3655
106.	सिंह, श्री सीताराम	3553
107.	सिंह, श्री सुग्रीव	3602, 3616
108.	सिंह, श्री उदय	3611, 3648, 3670
109.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3509
110.	सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन	3527, 3672
111.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3531, 3603
112.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	3584, 3640
113.	स्वाईं, श्री खारबेल	3610
114.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3507, 3593
115.	थामस, श्री पी.सी.	3585
116.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3560, 3630
117.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3549, 3656, 3674, 3685
118.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3560, 3612
119.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3550, 3575
120.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3608, 3617, 3654, 3693
121.	वाघमारे, श्री सुरेश	3510
122.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3511, 3548, 3550
123.	यादव, श्री गिरिधारी	3573
124.	यादव, श्री राम कृपाल	3677
125.	जाहेदी, श्री महबूब	3559

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	341, 342
संस्कृति	:	356
रक्षा	:	346, 347, 351, 355, 360
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
सूचना और प्रसारण	:	353
पंचायती राज	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	348, 349, 352, 354, 357, 359
रेल	:	344, 345, 350
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	358.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	3510, 3515, 3520, 3522, 3540, 3541, 3542, 3550, 3565, 3566, 3597, 3602, 3603, 3609, 3610, 3617, 3621, 3622, 3627, 3636, 3641, 3657, 3658, 3659, 3660, 3672, 3673, 3674, 3678, 3679, 3685, 3686
संस्कृति	:	3528, 3590, 3632, 3667
रक्षा	:	3507, 3508, 3509, 3518, 3532, 3538, 3544, 3545, 3549, 3552, 3564, 3579, 3580, 3587, 3599, 3606, 3611, 3624, 3625, 3648, 3650, 3653, 3675, 3693
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	3529, 3553, 3559, 3575, 3578, 3681, 3689
सूचना और प्रसारण	:	3523, 3561, 3596, 3605, 3613, 3614, 3620, 3631, 3640, 3669, 3676, 3694
पंचायती राज	:	3527, 3646

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	3512, 3517, 3519, 3525, 3531, 3536, 3539, 3560, 3563, 3568, 3569, 3572, 3581, 3585, 3588, 3589, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3598, 3600, 3616, 3618, 3634, 3639, 3645, 3647, 3655, 3665, 3677, 3683, 3684, 3690, 3695
रेल	:	3511, 3513, 3516, 3521, 3524, 3526, 3533, 3534, 3535, 3537, 3543, 3546, 3547, 3551, 3554, 3555, 3557, 3558, 3562, 3567, 3570, 3571, 3576, 3577, 3583, 3584, 3586, 3608, 3612, 3619, 3623, 3626, 3628, 3629, 3633, 3635, 3637, 3638, 3642, 3643, 3644, 3649, 3651, 3652, 3654, 3656, 3661, 3663, 3664, 3666, 3668, 3670, 3671, 3680, 3682, 3687, 3688, 3691, 3692, 3696
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	3514, 3530, 3548, 3556, 3573, 3574, 3582, 3601, 3604, 3607, 3615, 3630, 3662.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/12/18/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।